ा माला, खंड 37, अंक 7

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2003
19 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 25/5/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 7, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2003/19 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 123 से 125	3–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 126 से 140	31–82
अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 से 1419	82–362
सभा पटल पर रखे गए पत्र	362–382
राज्य सभा से संदेश	383
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	383
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	384
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्री दिलीप सिंह जूदेव का मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	384–385
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	386
शीतल पेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	386
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004	387
नियम 193 के अधीन चर्चा	
श्री दिलीप सिंह जूदेव का मंत्रिपरिषद से त्याग-पत्र के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य	392–408, 418–443, 444–500
श्री रामजीलाल सुमन	392–394

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री अनादि साहू	394–403
श्री पवन कुमार बंसल	403–408, 418–420
श्री सोमनाथ चटर्जी	420–431
श्री किरीट सोमैया	431–443
श्री राशिद अलवी	444–448
श्री अनंत गुढे	448–451
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	451–456
श्री अरुण कुमार	457–460
श्री के. येरननायडू	460–463
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	463–467
श्री थावरचन्द गेहलोत	467–473
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	473–485
श्री भर्तृहरि महताब	485–490
श्री अजय चक्रवर्ती	490–493
नियम 377 के अधीन मामले	409–417
(एक) राजस्थान में अजमेर को विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासासिंह रावत	409
(दो) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और कांगड़ा से एटीआर-50 विमानों की सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	409–410
(तीन) झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लाभ हेतु आदिवासियों के अनुकूल कार्यक्रम बनाए जाने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	410
(चार) अहमदाबाद से आबू रोड तक एक लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने और अरावली एक्सप्रेस को मुम्बई सेंट्रल तक बढ़ाने जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	410–411
(पांच) बोकारो-करगली क्षेत्र में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	411

विषय	कॉलम
(छह) कर्नाटक के दक्षिणी जिलों में हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की रोकथाम के लिए बनाई गई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	411–412
(सात) छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमीनियम कंपनी की स्थापना के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें भू-स्वामी हक का 'पट्टा' दिए जाने की आवश्यकता	
डा. चरण दास महंत	412–413
(आठ) उत्तरी बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	513
(नौ) तमिलनाडु में मदुरै से निकट के कस्बों के लिए डी.एम.यू. रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	413–414
(दस) आंध्र प्रदेश में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के दिए जाने की आवश्यकता	
डा. डी.वी.जी. शंकर राव	414
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औरैया तथा सिरसागंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रघुराज सिंह शाक्य	414–415
(बारह) तमिलनाडु में बर्गुर और कृष्णागिरी होकर जोलारपेट्टई और होसुर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता	
श्री वी. वेत्रिसेलवन	415
(तेरह) बिहार के सारण जिले के जलालपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	416
(चौदह) तमिलनाडु में रासीपुरम नगरपालिका में भूमिगत जल और मल निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. वी. सरोजा	416–417
(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के परवाणु-बडोटीवाला-नालागढ़-दबोटा क्षेत्रों को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली रेल सेवाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	417
याचिका का प्रस्तुतीकरण	443–444

लोक सभा

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2003/19 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगी डा. रानेन सेन और श्री दया राम शाक्य के दुखद निधन की सूचना देनी है।

डा. रानेन सेन 1962 से 1977 तक तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तीसरी लोक सभा के दौरान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा चौथी और पांचवीं लोक सभा के दौरान पश्चिम बंगाल के बारासाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1952 और 1957 में पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

डा. सेन एक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने लोगों के कल्याण में गहन रुचि दिखायी। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व काल में ही राजनैतिक जीवन में पदार्पण कर लिया था। उन्होंने बंगाल क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। वह एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्त्ता और मजदूर संघ नेता थे। उन्होंने बंगाल प्रादेशिक मजदूर संघ कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह अन्य कई मजदूर संघ संगठनों के पदाधिकारी भी रहे।

डा. सेन ने अनेक देशों की यात्री की। उन्होंने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में स्वीडन की यात्रा की। वह 1955 में भारतीय मजदूर संघ प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भूतपूर्व संयुक्त सोवियत गणराज्य और 1956 में स्टॉकहोम में आयोजित विश्व शांति परिषद के विशेष सत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में गए।

डा. रानेन सेन का निधन, 94 वर्ष की आयु में 13 नवम्बर, 2003 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ।

श्री दया राम शाक्य वर्ष 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री शाक्य 1962 से 1967 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।

श्री शाक्य ने सदन की कार्यवाही में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और वह 1980 से 1982 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य थे।

व्यवसाय से वकील श्री शाक्य एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। वह आल इंडिया भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ; आल इंडिया इंडियन एयरलाइन्स वर्कर्स एसोसिएशन; आल इंडिया कृषक भारतीय और आल इंडिया शाक्य मौर्य महासभा के अध्यक्ष थे।

श्री शाक्य स्काउट आन्दोलन से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे। उन्होंने खेलकूद गतिविधियों में गहरी रुचि ली।

श्री शाक्य अप्रैल, 1982 में लागोस, नाइजीरिया में आयोजित अंतरसंसदीय संघ की स्प्रिंग मीटिंग्स में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री दया राम शाक्य का निधन, 80 वर्ष की आयु में 4 दिसम्बर, 2003 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवम् सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विशेषाधिकार का मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका मामला उठाने के लिए आपको जीरो आवर में इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

अन्य स्थगन प्रस्तावों के लिए सूचनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। मैं 'शून्य काल' के दौरान स्थगन प्रस्तावों पर कुछ सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): 12 बजे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमैन्ट है।

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर हो सकेगा तो करेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग

***121. श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग की परियोजना लागत की 40 प्रतिशत राशि को पुन: वापस करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए गए एक्सप्रेस राजमार्गों के उन विभिन्न खंडों का ब्यौरा क्या है जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के भाग हैं; और

(घ) राज्य सरकारों को परियोजना लागत की पुनर्वापसी के बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीति है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी]: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण महाराष्ट्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक आधार पर किया गया था और इस परियोजना में केंद्र सरकार शामिल नहीं थी। इसलिए, केंद्र सरकार इस परियोजना की 40% लागत की प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, केन्द्र सरकार, 30 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर रा रा-4 (एक्सप्रेस मार्ग से भिन्न) के पुणे-मुंबई खंड के सुधार और अनुरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम एस आर डी सी) से बाद में प्राप्त प्रस्ताव से सिद्धांतत: सहमत है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से इस संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग ऐसा एकमात्र खंड है जो किसी राज्य सरकार द्वारा पूरा किया गया है।

(घ) केंद्र सरकार की राज्य सरकारों द्वारा विकसित ऐसी परियोजनाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करने की कोई नीति नहीं है।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, मैंने माननीय मंत्री का लिखित उत्तर पढ़ा है। मुझे विश्वास है कि अब माननीय मंत्री मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे। यह पुणे-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पहली बार राष्ट्र में आदर्श के रूप में बनाया गया था। उस समय स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का कोई विचार नहीं था। जिसको स्वर्ण चतुर्भुज बोलते हैं, वह अमल में नहीं था। उसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने आपके योग्य नेतृत्व में विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थी। मुझे विश्वास है कि रिलायन्स ने 3,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था। लेकिन आपने 1,600 करोड़ रुपये की लागत पर सड़क कार्य पूरा करने का काम संभव किया। इसके बाद पथकर लगाया गया है। 1,600 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में पथकर बहुत कम है और यह जुटाई गई पूंजी के ब्याज की भी भरपाई नहीं करता है। यह कहा गया है कि पुणे-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे महाराष्ट्र सरकार की वाणिज्यिक परियोजना है और केन्द्र सरकार की इस परियोजना में शामिल नहीं थी। मैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय द्वारा प्रकाशित 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां वाहन का खूबसूरत चित्र, एक कार को सुंदर राजमार्ग पर दौड़ते हुए दिखाया गया है। एन.एच.डी.पी. के पूर्ण/चार-लेन सड़क शीर्षक के अंतर्गत, खण्ड 8, तालिका 8 में तथा अन्य संविदाओं के क्रमांक 11 में एन.एच.-4 पर मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस को 10 किलोमीटर दिखाया गया था और यह भी दर्शाया गया था कि कार्य जुलाई, 2002 को पूरा हो गया था, तथा 80 किलोमीटर के लिए क्रमांक 12 के सामने यह दर्शाया गया था कि कार्य अगस्त, 2001 में पूरा हो गया था।

यदि ऐसा है, यदि यह भारत सरकार की परियोजना का भाग नहीं था तो वर्ष 2002-2003 की वार्षिक रिपोर्ट में इसे सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रकाशित क्यों किया गया है। मैं भारत सरकार विशेषरूप से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 1,600 करोड़ रुपये के निवेश को देखकर तथा यह तथ्य कि पथकर से मिलने वाली धनराशि से पूंजी, जो पहले ही इसकी देखभाल पर खर्च की जा चुकी है का ब्याज भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं और माननीय मंत्री तथा भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह कम से कम महाराष्ट्र सरकार की 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति को पूरा करने संबंधी मांग को स्वीकार कर ले। आपके नेतृत्व में आपने राष्ट्र के लिए न कि महाराष्ट्र सरकार के लिए 1,400 करोड़ रुपये की बचत की है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री श्रीनिवास पाटील: महाराष्ट्र सरकार इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 40 प्रतिशत राजसहायता देने के अनुरोध पर ध्यान दें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, यद्यपि मैं देश में प्रथम एक्सप्रेस मार्ग का शानदार काम करने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सराहना करने में माननीय सदस्य श्री श्रीनिवास पाटील के साथ हूं और हम सभी को इस पर गर्व है तथापि, मैंने अपने मंत्रालय में देश का पूर्ण अवलोकन किया कि सड़क क्षेत्र में क्या हो रहा है। यदि वार्षिक रिपोर्ट में कुछ दिया गया है तो इसलिए, क्योंकि हम केवल केन्द्र सरकार के कार्य को ही नहीं अपितु प्रत्येक बात को उजागर करना चाहते हैं। मैं, किए गए कार्य के लिए माननीय सदस्य श्री श्रीनिवास पाटील द्वारा की गई सराहना से पूर्णत: सहमत हूं।

जब आप कहते हैं कि यह संयुक्त उद्यम नहीं है अथवा इसे संयुक्त उद्यम नहीं समझा गया था तो इसका तात्पर्य है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार के सामने कतिपय समस्याएं थीं। हमने बैठक की और वस्तुत: हमने एक्सप्रेस मार्ग के लिए भूमि का पट्टा दिया है। हमने राज्य सरकार को लोनावाला-खंडाला बाईपास पर केन्द्र सरकार की भूमि दी क्योंकि वह यह भूमि चाहते थे और यह भूमि नि:शुल्क दी गई। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें भाग नहीं लिया है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि वह ऐसा पथकर आधार पर करेंगे और इसलिए जो भी रखरखाव किया जाना है अथवा जो भी लाभ मिलेंगे, वह उन्हें ही मिलेंगे।

राज्य सरकार का लागत का 40 प्रतिशत देने के मुद्दे के संबंध में ऐसा नहीं है कि यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय रहा हो। वित्तीय उत्तरदायित्व और जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। मैंने लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित विभिन्न लोगों से चर्चा की है और हमने प्रबंध करने की कोशिश की है। अखिरकार व्यवस्था इस तरह से की गई कि हमारे पास दो पद्धतियां हैं—एक यह कि हम संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सारे एन.एच. की हालत खराब है। आप कह रहे हैं कि फंड नहीं हैं। *...(व्यवधान)* एन.एच.-77 की हालत क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपए बिहार में एन.एच. के पड़े हुए हैं। बिहार सरकार उनका उपयोग नहीं कर पा रही है। *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: रघुवंश प्रसाद जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का प्रश्न रिकार्ड पर नहीं गया है। आप श्रीनिवास पाटील जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अध्यक्ष महोदय, बिहार में पहले वे ला-एंड-आर्डर को ठीक करें और वहां के बारे में क्या बोल रहे हैं, उन्हें उस पर शर्म आनी चाहिए। वहां पर जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, वहां जिस प्रकार से अव्यवस्था है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। सभा का समय बर्बाद मत कीजिए जो प्रश्न काल के लिए नियत है। किसी भी तरह की अप्रासंगिक बातों की अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, पहले आप अपना उत्तर पूरा करें। प्लीज सिट डाउन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद जी, मैं आपको इजाजत दूंगा तब आप बोलिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, मैंने आपको प्रश्न पूछने की परमीशन नहीं दी है। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, एन.एच. के बारे में बातें हो रही हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं, जब बिहार पर चर्चा होगी, तब मैं आपको जरूर बोलने का समय दूंगा। उस समय आप बोलिए।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, वहां दो नमूने थे। उनमें से एक यह था कि हम इसे संयुक्त रूप से लें और जो भी पूर्व में वचनबद्धता थी उसका पालन करें, या अन्यथा महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के उस हिस्से को स्वयं संभाले जिसे पथकर मुक्त नहीं किया गया है। शायद, इसीलिए मुख्य एक्सप्रेस मार्ग पर पथकर कम है। वे इन्हें जोड़ेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 को बेहतर बनाएंगे और फिर दोनों सड़कों के लिए संयुक्त पथकर प्रणाली स्थापित करेंगे। हम इससे सहमत थे और वर्तमान में यही किया गया है। हमने उनसे एक समझौता ज्ञापन के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार और हमारे बीच इस व्यवस्था पर सहमति हुई थी और यही व्यवस्था कार्यान्वित होने जा रही है।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, अपने उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया है कि, यद्यपि, केन्द्र सरकार सिद्धान्त रूप से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के पुणे से मुम्बई तक के हिस्से को (एक्सप्रेस मार्ग को छोड़कर) बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो के आधार पर बेहतर बनाने और उसका रख-रखाव करने के प्रस्ताव के लिए तैयार है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उस हिस्से को बेहतर बनाने व उसका रख-रखाव करने का यह कार्य कितने वर्षों तक किया जाएगा। यदि यह कार्य एक या दो वर्ष की अवधि में किया जाना है और उसके बाद यह नहीं होगा तो महाराष्ट्र सरकार को अपेक्षानुसार प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह व्यवस्था एक दीर्घावधि के लिए की है या आने वाले कई वर्षों के लिए की है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैंने अपने उत्तर में बताया है कि यह तीस वर्ष के लिए है।

श्री शरद पवार: माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह 6.8.03 को उनके द्वारा दिए गए उत्तर से थोड़ा सा अलग है। यह एक अलग प्रकार की सड़क है। यह भारत में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित सड़क है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आप उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, किन्हीं अन्य लोगों ने इस परिकल्पना पर विचार करके इसे व्यवहारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की थी परन्तु इसे निष्पादित आपने किया है। इसीलिए मुझे इसका श्रेय आपको देने में कोई हिचक नहीं है।

श्री चन्द्रकान्त खैरे ने 6.8.03 को मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा था। प्रश्न यह था: क्या मुम्बई पुणे एक्सप्रेस को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रश्न यही था। इसका उत्तर था: मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के मुम्बई-चेन्नै भाग के एक हिस्से के रूप में लिया जा रहा है। अत: भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि यह उस योजना का हिस्सा है। जब यह उस योजना का हिस्सा है और राज्य सरकार ने पैसा जुटाया, पैसा व्यय किया और इसे पूरा करके पूरे देश को एक आदर्श सड़क का नमूना दिखाया तो मेरे विचार से यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसके व्यय का कम से कम उतना भार तो वहन करे जितना उन्हें इस पर व्यय करना था। यदि वह हिस्सा 30 या 40 प्रतिशत है और यदि वह राशि राज्य सरकार को दे दी जाती है तो इस सड़क की व्यवहार्यता बेहतर हो जाएगी। इसीलिए, चूंकि सरकार ने इसे उस सड़क का हिस्सा माना है तो उसे अपने इस वचन का मान रखना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, जहां तक इस सड़क को उस योजना का एक हिस्सा मानने का संबंध है, हमारे पास इसके दो विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि हम उस सड़क को योजना का हिस्सा नहीं मानते और राष्ट्रीय-राजमार्ग-4 के अन्य भाग को विकसित करके उसे 4 लेन का बनाने व उस पर पथकर वसूलने लगते। लेकिन इसके

परिणामस्वरूप पथकर से उगाही गई राशि का बंटवारा होता। इसलिए, पर्याप्त चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक और ऐसी सुविधा का गठन नहीं करते हैं जिससे कि दोनों पक्षों को हानि हो और दोनों पथकरों से प्राप्त राशि का विभाजन हो। इसीलिए, उस आधार पर हमने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उसका निर्माण हो चुका था, अत: हमने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग-4 का एक भाग मान लिया व एक अन्य सुविधा का गठन नहीं किया।

अन्यथा, मैं आशा करता हूं कि माननीय संसद सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि यदि पथकर का बंटवारा किया जाता तो इससे अत्यधिक समस्याएं खड़ी हो जातीं। अत: उस समस्या को हल करने हेतु हमने यह किया था। उसके पश्चात् उस सारे मामले पर चर्चा हो चुकी है। मैं दोहरा दूं कि हमने भूमि का कुछ भाग नि:शुल्क दिया है। यहां तक की हम यह व्यवस्था बिना किसी लाभ की मांग के किए कर रहे हैं।

श्री शरद पवार: जो भूमि दी गई थी उसका कुल मूल्य कितना था?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, श्री शरद पवार ने अभी जो प्रश्न पूछा है वह यह है कि जो भूमि दी गई थी उसका मूल्य क्या है और वर्तमान में जो सड़कें वहां हैं उनके रख-रखाव की लागत कितनी है? यदि आप इन दोनों लागतों को देखते हैं और तत्पश्चात् उसके बराबर की राशि देते हैं—नामत: एक्सप्रेस मार्ग की लागत का 40 प्रतिशत—तो यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्या आप मुझे दोनों आंकड़े दे सकते हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: मैं आंकड़े दे सकता हूं परन्तु अभी मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं कि लोनावाला-खंडाला खण्ड में भूमि की लागत वस्तुत: कितनी है। लेकिन मैं आंकड़े दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सिद्धान्त रूप से इससे सहमत हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, यह सिद्धान्त अपनाया गया है। मैं केन्द्र सरकार की इसमें भागीदारी के बिना राज्य सरकार द्वारा इस पर व्यय की गई धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा नहीं दे सकता यदि इसे दृष्टांत बना दिया गया तो कोई भी राज्य सरकार अपनी सड़कों को बेहतर बनाकर उनका बिल हमें भेज सकती है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं यह मान लूं कि क्योंकि केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली गई थी इसलिए आप 40 प्रतिशत राशि व्यय करने को तैयार नहीं हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: नहीं, महोदय, ऐसा नहीं है। वित्तीय रूप से मुझे धन का ध्यान रखना पड़ता है। केन्द्र सरकार के पास बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा तैयार रखा है। लेकिन हमने एक परस्पर समझौता तैयार किया है। मौखिक चर्चा के पश्चात् अब एक औचित्यपूर्ण व स्वीकार नमूना निकलकर आया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में पुणे-मुम्बई एक्सप्रेस मार्ग का वह खण्ड ही एकमात्र ऐसा खण्ड है जिसे किसी राज्य सरकार ने तैयार किया है। अब, ऐसी अन्य कोई राज्य सरकार नहीं है जिसने इस प्रकार की सड़क बनाई हो। माननीय मंत्री जी राज्य सरकार द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं और यह सरकार के लिए अन्य राज्यों में अपनाए जाने लायक एक आदर्श बन गया है। यहां एक ही हिचकिचाहट सामने आती लगती है कि इसके लिए पूर्वानुमति नहीं ली गई थी।

एक अच्छा कार्य किया गया है और वह अच्छा कार्य इतना अच्छा है कि आपने भी महाराष्ट्र में हुए उस कार्य की प्रशंसा की है। क्या भारत सरकार के लिए—जो कि कोई भी नीति बनाने में सक्षम है और जो किसी भी नीति में संशोधन करने में सक्षम है—इस विकास में सहायता करने में कोई कठिनाई होनी चाहिए? अब, यहां ऐसा विकास कार्य हुआ है और वह ऐसा कार्य है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। यह एक ऐसा विकास कार्य है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय तक सम्मिलित थे। भारत सरकार—जो कि शीर्ष पर है, जो कि कोई भी नीति बनाने में सक्षम है और जो कि ऐसा भूतलक्षी प्रभाव से भी कर सकती है—को ऐसा करने में क्या कठिनाई है?

क्या आप यह कह सकते हैं कि यहां केवल एक ही सड़क है? आप उसमें सहायता क्यों नहीं करते हैं? इससे वास्तव में अन्य राज्यों को भी स्वयं सड़कों का निर्माण शुरू करने में सहायता मिलेगी और आपके इस देश में एक अच्छी परिवहन प्रणाली को स्थापित करने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। वह यहां क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार को एक ऐसी राज्य सरकार की सहायता करने में इतना असंवेदनशील, इतना मशीनी और अनिच्छुक क्यों होना चाहिए जिसके कार्य की आप स्वयं प्रशंसा करते हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, पहले, जैसा कि मैंने कहा कि इस समय यह कठिनाई है कि बहुत सी राज्य सरकारें अपनी सड़कों को बेहतर बनाकर चार-लेन वाला कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चार-लेन वाली सुविधा पर पथकर लगेगा। हमने बहुत सी राज्य सरकारों के साथ जो समझौता किया है वह यह है कि वे इस सुविधा को बेहतर

बना सकते हैं परन्तु उन्हें यह बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बी.ओ.टी.) आधार पर करके पथकर आदि की वसूली करनी होगी। इसमें केन्द्र सरकार का कोई निवेश नहीं होता है।

अब यदि मैं इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता हूं तो अन्य राज्य सरकारें अपने बी.ओ.टी. के अंतर्गत अनेक स्थानों पर कार्य करवा रही हैं। इस मामले में मैं किसी और को भी समान सुविधा दूंगा। अतः, यह अकेला अपवाद नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह स्वर्णचतुर्भुज परियोजना का एक भाग है। जब श्री शरद पवार ने यह मुद्दा उठाया तो आपने स्वयं इस तरह से उत्तर दिया ''यदि यह स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का एक भाग है तो आपको उनकी सहायता मिलने से प्रसन्नता होगी''।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आपके साथ-साथ इतने अधिक वरिष्ठ नेता यह विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपने मुझे वित्तीय लागत का पता लगाने के लिए भी कहा है। इसकी लागत 1,630 करोड़ रुपये थी और इसका 40 प्रतिशत 652 करोड़ रुपये बनता है। मैं पुनः इसका हिसाब लगाने की कोशिश करूंगा। मेरा सिद्धांत है कि यदि सरकार इस तरह असीम विकल्पों वाली वचनबद्धता करती रहेगी तो जब इस तरह की बातें होंगी तो मुझे काफी कठिनाई होंगी। मेरे आने के बहुत पहले से आप मंत्री रहे हैं और आप यह जानते हैं। अतः, हम ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते हैं जो भविष्य में समस्याएं पैदा करेगा। तथापि, मैं एक बार फिर इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक्सप्रैस हाईवे का काम महाराष्ट्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये में किया था, उसमें 40 प्रतिशत पैसा देने के बारे में आप एश्योरेंस दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इतना अच्छा काम करने के बाद आप सारा का सारा पैसा दे दें। ...*(व्यवधान)* हम तो एक्सप्रैस हाइवे बना रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि 1600 करोड़ रुपया आपके कार्यकाल में स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे: अभी महाराष्ट्र सरकार रास्ते भी मेनटेन नहीं कर रही है।

श्री रामदास आठवले: मेरा तो सवाल यह है कि इसके लिए 40 प्रतिशत रकम में 640 करोड़ रुपया इसके लिए मिलना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि जो राज्य इसी तरह का एक्सप्रैस हाईवे बनाएगा, उसके लिए 25 प्रतिशत रकम भारत सरकार के द्वारा देने की एक स्कीम अगर आप बनाते हैं तो यह एक अच्छी बात है। इसके लिए हमें आपका उत्तर चाहिए। ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय अध्यक्ष जी, घूम-फिर कर बात यह आ रही है कि 40 परसेंट हमें देना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोल्डन क्वाड्रीलेटरल के ऊपर भी और मैं शिवराज जी का भी थोड़ा ध्यान चाहूंगा, जब हम 40 परसेंट तक ग्राण्ट बी.ओ.टी. के तहत अगर किसी को देते हैं तो उसका टोल वसूल करने का अधिकार हमारा हो जाता है। अभी यह अधिकार हमें नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार की जो पूरी बातें हैं, उन पर हम दोबारा बातचीत कर लेंगे, लेकिन 40 परसेंट की जो फीगर आई है, चूंकि बी.ओ.टी. के अन्दर हमें ग्राण्ट देने का अधिकार है, लेकिन टोल का अधिकार फिर केन्द्र सरकार को आ जाता है, जितना भी टोल आयेगा, वह केन्द्र को आयेगा। इसलिए इस फाइनेंशियल माडल से महाराष्ट्र प्रदेश का कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ये सब बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन आपने आदेश दिया है तो मैं दोबारा इसे देखूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारी रिक्वैस्ट है कि आप उसे री-एग्जामिन करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे। मामला उनके पास जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जैसे यह मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस हाईवे है, इसी प्रकार से मुम्बई नासिक रास्ते के बारे में प्रपोजल आपके पास भेजा गया है। मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस हाईवे हो या मुम्बई नासिक हाईवे हो, उसमें मुम्बई शहर के अन्दर, यानी मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस हाईवे में मुम्बई से पनवेल के इम्प्रूवमेंट एण्ड स्ट्रेंदनिंग करने के लिए भी सरकार क्या करेगी? एक मुम्बई नासिक और दूसरा विदइन मुम्बई जो एक्सप्रैस वे होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: एक तो जो एक्सप्रैस हाईवे की बात आती है, टेंथ प्लान में हमने 1000 किलोमीटर नये एक्सप्रैस वे बनाने की व्यवस्था रखी है, उसके अन्दर इस फाइव ईयर प्लान में हमने लैंड एक्वीजीशन की व्यवस्थी की है। किस-किस जगह एक्सप्रैस वे वायबल होंगे और कहां-कहां पर उनको बनाना चाहिए, ट्रैफिक डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए इस बात की जांच-पड़ताल हो रही है। आपने जो कहा है, उसके ऊपर भी विचार किया जायेगा।

जहां तक मुम्बई शहर के अन्दर की सड़कों की व्यवस्था है, यह तो प्रदेश सरकार की है, इसमें मैं सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर किसी पर सैण्ट्रल रोड फंड के अन्दर उनको पैसा चाहिए तो प्रदेश सरकार हमें बताये, हम उस पर विचार करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, बिहार को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वीरेन्द्र कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत चौपट है। ...*(व्यवधान)* यह कहते हैं कि पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)* जैसे बहुत भारी काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः हमारे बिहार का भी सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जब बिहार के ऊपर चर्चा आयेगी तब आप बोलिये। इस समय आप क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, राधामोहन सिंह जी भी कह रहे हैं कि उनके यहां भी ऐसा ही है। ...*(व्यवधान)* हम लोग एन.डी.ए. में हैं इसलिए हमको पैसा नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)* रोड को यह सब चबा गये हैं। ...*(व्यवधान)* एक पैसा भी नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः जब बिहार के ऊपर चर्चा आयेगी तब मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करवाइये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं चर्चा के लिए परमीशन दे सकता हूं लेकिन जब उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एप्रूव करे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, यहां क्या हो रहा है? सभा इस तरह कैसे कार्य कर सकती है? सभा में सदस्य मंत्री महोदय को बता रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः प्रभुनाथ सिंह जी और मिस्त्री जी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः वीरेन्द्र कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त सुविधाएं

***123. श्री वीरेन्द्र कुमारः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत प्रदान की गयी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपर्याप्त सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) एक विवरण सदन में पटल पर रखा गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जो पहली मई, 1954 को शुरू की गई थी इस समय देशभर में 23 शहरों में चल रही है। इसके कुल 323 औषधालय हैं जिनमें 244 एलोपैथिक, 31 आयुर्वेदिक, 34 होम्योपैथिक, 9 यूनानी, 2 सिद्ध और 3 योग केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा, 19 पालिक्लिनिक, 65 प्रयोगशालाएं और 17 डेंटल एकक हैं। कुल लगभग 11.00 लाख केन्द्रीय

सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारी हैं जिनमें लगभग 44.00 लाख लाभार्थी हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के पेंशनर, संसद सदस्य, भूतपूर्व संसद सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति, प्रत्यायित (अक्रेडिटिड) पत्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों) और कुछ अन्य विशिष्ट श्रेणियां शामिल हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्डधारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को विशिष्ट/सामान्य प्रयोजन की चिकित्सकीय सुविधाएं लेने में मदद करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल किए गए विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन लगभग 700 प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता दी गई है।

अकेले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नान-प्लान तथा प्लान सहित लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तथापि, सरकार का यह निरंतर प्रयास रहता है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन सुविधाओं में सुधार लाया जाए बशर्ते संसाधनों की उपलब्धता हो।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जो पहली मई, 1954 को प्रारम्भ की गयी थी, इस समय देश भर में 23 शहरों में चल रही है। इसमें कुल 323 औषधालय हैं जिनमें 244 एलोपैथिक, 31 आयुर्वेदिक, 34 होम्योपैथिक, 9 यूनानी, 2 सिद्ध और 3 योग केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा 19 पालिक्लिनिक, 65 प्रयोगशालाएं और 17 डेंटल एकक हैं। यह जो संख्या मंत्री महोदय द्वारा बताई गयी है, वह कार्डधारियों की संख्या को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है। इन डिस्पेंसरियों की संख्या कम होने के कारण, सीजीएचएस केन्द्रों की संख्या कम होने के कारण कार्डधारियों को मीलों दूर जाना पडता है जिसके कारण वृद्ध व्यक्तियों और पेंशनरों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कार्डधारियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में केन्द्र सरकार द्वारा जो ''एम्स'' के समान छः अस्पताल खोले जाने की योजना है, उसमें क्या मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो हमारे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी संख्या को बढ़ाये जाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री ए. राजा: महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमारे देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकार के स्वामित्व वाले 323 औषधालय हैं। इसके अलावा, 700 प्राइवेट अस्पताल हैं जो के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत स्वीकृत हैं। माननीय सदस्य ने जिन बड़े शहरों का उल्लेख किया है, उन्हें के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले कार्डधारियों अथवा पात्र व्यक्तियों, जिन्हें के.स.स्वा.यो. अस्पतालों अथवा के.स.स्वा.यो. द्वारा स्वीकृत प्राइवेट नर्सिंग होम्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार चिकित्सा परिचर्या नियम 1944 के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और बाद में के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत अपने खर्च की राशि की प्रतिभूति कर सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। अभी भी हमारे पास विस्तार योजना है जिसके अंतर्गत औषधालयों का उन क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है जहां कार्डधारक रहते हैं। के.स.स्वा.यो. के अंतर्गत औषधालय स्थापित करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड यह है कि उस क्षेत्र में कम से कम दो हजार कार्डधारक हों। जिन क्षेत्रों में कम से कम दो हजार कार्डधारक रह रहे हैं, हम वहां के.स.स्वा.यो. औषधालय खोल रहे हैं। केन्द्र सरकार के लिए उन क्षेत्रों में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय स्वीकृत करके के.स.स्वा.यो. औषधालय स्थापित नहीं कर सकते हैं जहां कम से कम दो हजार कार्डधारक नहीं रहते हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद के सवाल का एक भाग यह भी था कि जो छः अस्पताल हम ''एम्स'' के समान बनाना चाहते हैं, क्या उसमें मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है? मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूं कि हां, मध्य प्रदेश को उन छः एम्स में शामिल किया गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, सीजीएचएस योजना के अंतर्गत जो डिस्पैंसरीज और केन्द्र चलाए जा रहे हैं, यह देखने में आता है कि उनमें अनेक स्थानों पर लैबोरेटरी में जो मशीनें हैं, वे बंद पड़ी हुई हैं। उनका रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे स्थानों पर मशीनें पैक्ड पड़ी हुई हैं, उनको खोला ही नहीं जा रहा है जिसके कारण उनका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या समय-समय पर उनका परीक्षण करने की सरकार की कोई योजना है और यदि है तो उन बंद पड़ी हुई मशीनों को प्रारंभ करने के

संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि डिस्पैंसरीज में सुबह के समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिससे सब लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि लोग आफिस जाने की तैयारी में रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शाम को भी ओपीडी प्रारंभ कराए जाने की कोई योजना है जिससे आफिस के समय के बाद सीजीएचएस कार्डधारी उस सुविधा का लाभ ले सकें? दवाएं भी केवल सुबह के समय दी जाती हैं। क्या दवाएं शाम को भी दिए जाने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, यह सही है कि मंत्रालय को पता चला है कि कुछ औषधालयों में एक्स-रे उपकरणों सहित कुछ महत्त्वपूर्ण मशीनें खराब थी। ये शिकायतें हमारी जानकारी में आने के तत्काल बाद हमने 28.12.2001 में एक कार्यबल का गठन किया। इस संबंध में विभिन्न अंतर-मंत्रालयी समितियों का भी गठन किया गया है। कार्य बल और ये समितियां न केवल दिल्ली अपितु देशभर का दौरा कर रहे हैं।

इस तरह, जब कभी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन शिकायतों का तत्काल उचित रूप से निवारण किया जाता है।

इस समय, मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि के.स.स्वा.यो. के औषधालयों में सभी मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। लेकिन यदि कोई शिकायत मुझे अथवा मेरे मंत्रालय के समक्ष रखी जाती है तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में अधिक आबादी को देखते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है।

महोदय, विभिन्न राज्यों जो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे अल्प विकसित राज्य हैं तथा ऐसे अन्य राज्यों से लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में 'एम्स' तथा अन्य अधिक विशेष सुविधायुक्त अस्पतालों में आते हैं कि दिल्ली की मूल आबादी को बाहर से आने वाले लोगों के कारण कष्ट उठाना पड़ता है।

अत:, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या वह इस बात को नोट करेंगे कि अल्ट्रासाउंड और अन्य उपकरणों से युक्त 'एम्स' अथवा बड़े संस्थान की तरह उन लोगों को उनके राज्य में यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जो बात अभी श्रीमती श्यामा सिंह ने कही है, उसके बारे में उन्हें जानकारी होगी कि दिल्ली के एम्स पर बहुत ज्यादा बोझ बाहर से आने वाले राज्यों का था। उसी का सर्वेक्षण करवाकर छ: नए राज्य छांटकर छ: नए एम्स बनाने की बात हुई। वहीं पर पता चला कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लोग यहां आते हैं। एम्स की तर्ज पर छ: नए एम्स बनना, 1956 में एक एम्स बना था और सन् 2003 तक कोई नया एम्स उसमें नहीं जुड़ा। लेकिन एक साथ छ: नए एम्स अंडर सर्व्ड स्टेट्स में बनाने की बात इसी कारण हो रही है जिसका जिक्र आपने किया है। ये सुपर स्पैशिऐलिटी हास्पिटल्स होंगे। सारे के सारे अंडर सर्व्ड स्टेट्स में होंगे तो दिल्ली में आने वाला बोझ अपने आप घट जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके द्वार पर मिल जाएंगी।

[अनुवाद]

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: माननीय अध्यक्ष महोदय, के.स.स्वा.यो. के अस्पतालों के मौजूदा विस्तार का कोई औचित्य नहीं है। कुछ क्षेत्रों, जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि माननीय मंत्री इस कार्य को कार्यबल को सौंप दे जिसके बारे में माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था और पहले ही उपकरणों तथा अन्य कार्यों संबंधी शिकायतों का काम देख रहे हैं? वे इन क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने के लिए अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विशाखापत्तनम को लीजिए। यहां केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। यहां लम्बे समय से नया अस्पताल खोलने का अनुरोध किया जाता रहा है क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से के.स.स्वा.यो. की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या विशाखापत्तनम में कार्यालय और अस्पताल खोला जा सकता है?

श्री ए. राजा: जैसाकि मैंने पहले बताया है कि औषधालय खोलने के लिए यह मानदण्ड है कि वहां 2,000 कार्डधारक होने चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नए औषधालयों के लिए यह 6,000 है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: विशाखापत्तनम में 5000 से अधिक लोग हैं।

श्री ए. राजा: 6,000 कार्डधारक होने पर ही हम नए शहर में औषधालय सुविधा का विस्तार कर सकते हैं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: आपने 2,000 बताया था अब आप 6,000 कह रहे हैं।

श्री ए. राजा: नए औषधालय की सुविधा का विस्तार करने के लिए अब यह मानदण्ड 6,000 का है। पहले 2000 कार्डधारक होने पर हमने औषधालय खोले हैं। अब हमने यह मानदण्ड 6,000 का कर दिया है।

निःसंदेह, मैं स्वीकार करता हूं कि जो महानगरों के बाहर रह रहे हैं, हम उन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए सरकार की यह योजना है। कोई भी प्राइवेट अस्पताल जहां अति विशिष्टता युक्त ढांचा है वह के.स.स्वा.यो. द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं। जो उस स्थान के आसपास रहते हैं, वह भी उस अस्पताल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और इसके बाद के.स.स्वा.यो. के माध्यम से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैंने माननीय मंत्री से पूछा है कि क्या कार्यबल को इस संबंध में अध्ययन का कार्य सौंपा जा सकता है। मुझे इस मानदण्ड की जानकारी नहीं है कि 5000 व्यक्ति अथवा 10,000 से अधिक कार्डधारक होने चाहिए। माननीय मंत्री इस बात की पुष्टि करेंगे कि विशाखापत्तनम में कितने कार्डधारक हैं।

श्री ए. राजा: हम अध्ययन करेंगे और विशाखापत्तनम तथा अन्य स्थानों के मामले की जांच होगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हो सकता है कि इस दायरे में न हो लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने एक योजना चलाई थी—हैल्थ फार आल, सबके लिए स्वास्थ्य की योजना लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आज 90 प्रतिशत लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका किस ग्रुप का खून है जबकि ब्लड का ग्रुप जीवन में चेंज नहीं होता है और 90 प्रतिशत लोगों को मालूम नहीं है कि उनके ब्लड का ग्रुप क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कुछ दिन बाद कम से कम कुछ न करे तो उसका किस ग्रुप का खून है और क्या बीमारी है, इसका एक सर्वे कराकर जैसे राशन-कार्ड होता है, वैसे ही हैल्थ-कार्ड बना दिया जाए जिससे कम से कम यह पता चले कि उस बच्चे का किस ग्रुप का खून है और क्या बीमारी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो बात राम विलास पासवान जी ने कही है, उसकी एक पूर्व शर्त यह है कि पहले वे लोग हमारे सिस्टम में आएं। बच्चा पैदा होते ही अगर उसकी खून की जांच कराकर हैल्थ-कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि गर्भवती मां पहले हमारे सिस्टम में आकर बच्चा जने। इसीलिए सबसे पहली बात हम प्रयास कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ज्यादा से ज्यादा हों। जो 'हैल्थ फार आल' वाली बात आप कह रहे हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हम जनरल कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक योजना जिस पर हम विचार कर रहे हैं, उस विचार में हैल्थ-कार्ड देने की एक स्कीम है। अब कब तक यह स्कीम शेप लेगी, इसमें बहुत से तथ्य सामने आए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इन चीजों को शुरू किया है। उसको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं और 'हैल्थ फार आल' के लिए एक हैल्थ-कार्ड बने, उस तरीके की योजना पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: एक लिखित उत्तर में यह बताया गया है कि केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान, गैर-योजनागत और योजनागत व्यय सहित लगभग 400 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है। सवाल यह नहीं है कि हम कितना धन खर्च करते हैं अपितु महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य देखरेख की यह प्रणाली निम्न वर्ग के कितने लोगों तक पहुंच पाती है और उनको कितनी गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है।

दिल्ली में जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रवासी भारतीयों की एक बैठक होने जा रही है। प्रवासी भारतीय बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित व्यवस्था के लिए सहायता स्वरूप बड़ी मात्रा में धनराशि देने के इच्छुक हैं, विशेषतौर से उत्तरी राज्यों के लिए जहां स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित सामान्य व्यवस्थाएं भी नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रालय इस अवसर का लाभ उठायेगा तथा वह दिल्ली और उसके आसपास 1000 बिस्तरों वाला कोई अस्पताल बनवायेगा ताकि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में आने वाले रोगियों की संख्या को कम किया जा सके। दूसरी बात यह कि क्या सरकार दिल्ली के विशेष सुविधा युक्त अस्पतालों के उन्नयन कर उन्हें सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनायेगा ताकि दिल्ली में केवल वही मरीज आ सकें जिन्हें अतिविशिष्ट उपचार की आवश्यकता हो। इससे बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित रोगियों का आवागमन थमेगा और रोगी स्वयं को होने वाली असुविधा से भी बच सकेंगे।

श्री ए. राजा: महोदय, जहां तक स्वास्थ्य देखरेख प्रदायगी व्यवस्था के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा धनराशि देने का संबंध है, तो हम बताना चाहते हैं कि एक नीतिगत निर्णय स्वरूप हम स्वास्थ्य देखरेख प्रदायगी व्यवस्था में पूंजी निवेश के लिए उन प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अकेले मैं प्रवासी भारतीयों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं हूं। इस तरह की बाहरी वित्तीय सहायता स्वीकार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग की पूर्व अनुमति लेनी होती है।

सदस्य महोदया के प्रश्न का दूसरा भाग 'एम्स' की तरह का अस्पताल खोले जाने से संबंधित है। जैसाकि माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने सभा के समक्ष निवेदन किया है कि हम पूरे देश में 'एम्स' की तरह के छह सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल खोलने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के छह अस्पतालों का उन्नयन कर उन्हें 'एम्स' अस्पताल के समकक्ष बनाया जायेगा। बाद में उन्हें राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया जायेगा। चूंकि माननीय सदस्य महोदया तमिलनाडु से हैं, मुझे यहां पर यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तिरुचि मेडिकल कालेज अस्पताल को इस सूची में शामिल किया गया है और इसका उन्नयन कर इसे 'एम्स' के समकक्ष बनाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 124—श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी: इस बारे में मुझे भी एक सवाल पूछना था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणुका चौधरी, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी: आप देखते ही नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं भला आपकी अनदेखी कैसे कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी तरफ न देखूं, ऐसा कभी हो सकता है।

[अनुवाद]

मेडिकल स्टोर डिपुओं में मियाद समाप्त औषधियां

+
***124. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत आने वाले मेडिकल स्टोर डिपुओं में ऐसी औषधियों के विशाल भंडार हैं जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं के पास 3.92 करोड़ रुपए के मूल्य की ऐसी औषधों का भंडार है जिनकी मीयाद समाप्त हो चुकी है। यह भंडार, मुख्यत: 1980-81 से 1996-97 तक की गई अधिप्राप्ति से संबंधित है। मीयाद समाप्ति वाली औषधों के कुल भंडारों का योग चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा, आरंभ की गई कुल अधिप्राप्ति का एक प्रतिशत से कम बैठता है।

चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं में औषधों की मीयाद समाप्ति के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (1) भंडारों की खरीद चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं की नियमावली के पैरा 29 के अनुसार मांग की प्रत्याशा में की गई थी किन्तु अपेक्षाकृत कम मांग के कारण इन मदों को जारी नहीं किया जा सका। (2) मांगकर्त्ताओं/उपभोक्ता संगठनों द्वारा इस्तेमाल न हुई औषधों का लौटाया जाना।

उपर्युक्त स्थिति के कारण, वर्ष 2000-2001 में एक निर्णय लिया गया कि मांगकर्त्ता संगठन से अभिपुष्ट मांगों पर ही भंडारों की अधिप्राप्ति की जाए। इसके परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों के दौरान मीयाद समाप्त औषधों के भंडार में वृद्धि नहीं हुई है।

मीयाद समाप्ति वाली औषधों के भंडारों में मुद्दे की जांच करने और इस मामले की छानबीन करने के लिए, भारत के औषध महानियंत्रक की अध्यक्षता में 1997 में एक विभागीय समिति गठित की गई। इस समिति ने सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं के प्रमुखों को डिपुओं में खरीद एवं निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षण में उनकी असफलता के लिए तथा प्रत्यायोजित शक्तियों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार पाया। समिति के निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, मेरे प्रश्न के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा दिये गये जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पास विभिन्न चिकित्सा सामग्री भंडार डिपुओं में लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की मियाद खत्म हो चुकी दवाइयां पड़ी हुई हैं। लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया है कि विगत 17 वर्षों से ये दवाइयां स्टाक में क्यों हैं। इस मामले में उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने समय रहते इस मामले पर गौर क्यों नहीं किया। इनके उत्तर से तो मुझे लगता है कि सरकार आगे भी इन दवाइयों को बहुमूल्य स्टाक के रूप में बनाये रखना चाहती है। लेकिन मुझे पता नहीं कि सरकार इसे कितने वर्षों तक और क्यों बनाये रखना चाहती है। चूंकि दिये गये उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि 4 करोड़ रुपये मूल्य के दवाइयों के इस स्टाक का क्या हुआ है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब तक इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया है।

इससे यह बात संगत जान पड़ती है कि इन दवाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर बेचे जाने की सुस्थापित परम्परा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस परम्परा को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया और तरीका अपना रही हैं तथा प्राधिकारी इसको रोकने के लिए कितने सक्षम हैं।

श्री ए. राजा: यह सच है कि 1996 तक लगभग 3.92 करोड़ रुपये मूल्य की मियाद खत्म हो चुकी दवाइयां स्टाक में थी। 1996-97 के बाद नये दिशा-निर्देश बनाये गये। जब से ये नये दिशानिर्देश बने हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है कि मियाद खत्म हो चुकी दवाइयां स्टाक में न रहें। 1996 के बाद मियाद खत्म हो चुकी दवाइयों का कोई स्टाक नहीं है।

हमने डिपुओं में मियाद खत्म हो चुकी दवाइयों को संग्रहीत करने के कारणों को जानना चाहा है। हमने इसके लिए एक जांच समिति का भी गठन किया है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार डिपुओं में कार्य करने वाले कुछ अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया है उन अधिकारियों की गलती के कारण ऐसा हुआ है। इस बारे में उनके कार्यप्रणाली की कड़ी निंदा की गयी है और इसे उनकी सर्विस बुक में भी दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, हमने कुछ ऐसे उपाय किये हैं जिससे इसे भविष्य में दोहराया न जा सके। इस बारे में हमने कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। इस बारे में एक बुनियादी सिद्धान्त यह है कि पहले आयी दवाई का उपयोग पहले किया जाये। विगत में जिस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया वह यह है कि जब कभी डिपो में दवाइयां आती थी, कुछ दवाइयां तुरन्त उपयोग में ले ली जाती थीं और इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता था कि उनकी मियाद खत्म हो चुकी है या नहीं।

पहले, दवाइयों की पहली खेप जो डिपो में आती थी उसे तुरन्त उपयोग में नहीं लाया जाता था। अब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो दवाई पहले इन्डेट हो जाती है उसकी आपूर्ति पहले की जानी चाहिए। तत्पश्चात् बाद में इन्डेट होने वाली दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरी तरह की दवाइयों के लिए हमने डिपो में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी है। अब यह प्रणाली बिना किसी विसंगति के अच्छे ढंग से कार्य कर रही है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: महोदय, मैं इस बात से अच्छी तरह अवगत हूं कि स्वास्थ्य देखरेख के मद में धनराशि की कमी है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस बारे में माननीय मंत्री जी के इरादे नेक हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह क्षेत्र अब भी सरकार के वरीयता क्रम में बहुत नीचे है। वरीयता वाले मामलों का समाधान पहले होना चाहिए। लेकिन यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ता इन दवाइयों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। क्या इसके लिए केन्द्र सरकार की सहायता से तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को शामिल कर कोई ऐसी प्रणाली नहीं हो सकती जो इस बारे में सभी लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक ब्लाक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाये ताकि इस तरह के संकट का सामना किया जा सके?

श्री ए. राजा: महोदय, मैं समझता हूं कि अब यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 1996-97 के बाद से डिपुओं में मियाद खत्म हो चुकी दवाइयों का भंडारण नहीं हो रहा है। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इस बात की पूरी निगरानी कर रहे हैं कि

मियाद खत्म हो चुकी दवाइयां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डिपो में वितरित न होने पायें।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए सभी ब्लाकों में जागरूकता अभियान चलायेंगे ही ...*(व्यवधान)* इस पर बहुत कम खर्च आयेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री जी से मिलकर उन्हें अपने सुझाव दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो गांवों और शहरों की डिस्पेंसरीज में दवाओं की कमी रहती है, दूसरी तरफ 3.92 करोड़ रुपए की ऐसी दवाएं मिली हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो लोग दोषी पाए गए हैं या जिनके कारण इतनी बड़ी राशि का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि इस्तेमाल न हुई औषधियों को लौटाया जाना। क्या ये दवाएं लौटा दी गई हैं या लौटाने की सोच रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है? मेरे पूरक प्रश्न का तीसरा भाग है, आपने बताया कि पिछले तीन बरसों के दौरान मियाद समाप्त औषधियों के भंडार में वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या मतलब है? मैंने प्रश्न किया था कि जो मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं का भंडार मिला है, उसकी संख्या कितनी है, वह भी नहीं दी गई है। लिखित प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई की गई है?

अध्यक्ष महोदय: वही बताया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): हमने जो उत्तर दिया है, उसको शायद ठीक से समझा नहीं गया है। यहां जो रिटर्न शब्द लिखा है, दवाएं लौटाया जाना, अब हम दवाएं नहीं लौटा रहे हैं। हमने कारण दिए हैं, जैसा शाहीन जी कह रहे थे कि कारण नहीं बताए हैं। वे कारण लिखित उत्तर में हैं। पहली बात मैं यह कहना चाहती हूं कि ये एक्स्पायर्ड ड्रग्स का भंडार हमें विरासत में मिला है। हमने विरासत में कोई अच्छी चीज नहीं पायी है। उसके दो कारण हैं। उसमें यह बताया है कि इन एंटीसिपेशन आफ ड्रग्स, यह सोचकर कि ज्यादा डिमांड होगी, उस समय के अधिकारियों ने ज्यादा दवाएं मंगवा ली। रिटर्न आफ दि कंज्यूम ड्रग्स, जिन दवाओं की बाद में खपत नहीं हुई, उनको लौटा दिया। इसके कारण भंडार में वृद्धि हुई और एक्स्पायर्ड ड्रग्स बढ़ गईं। हम दवाएं लौटा नहीं रहे हैं। दवाएं इसलिए बढ़ गईं, क्योंकि डिमांड से ज्यादा उस समय के अधिकारियों ने मंगा ली, उसके बाद इंटेंडर को दे दी। इंटेंडर ने खपत नहीं की, लौटा दीं। इन दो कारणों से भंडार बढ़ा है। दूसरी बात जो आपने कही कि भंडारण में वृद्धि नहीं हुई है। एक्सपायर्ड ड्रग्स के बारे में भंडारण में वृद्धि नहीं हुई है। एक्सपायर्ड ड्रग्स के बारे में भंडारण में वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि एनडीए सरकार के आने के बाद दिशा-निर्देश बदले और हमने कहा कि मांग का अनुमान लगाकर खरीद कर मत कर दो, जितना कोई मांगे, उतना खरीद कर दो। हमने कहा कि आप अपने आप ज्यादा खरीद लेंगे तो वह आपको बाद में लैटा देगा तो एक्सपायर्ड ड्रग्स बढ़ती चली जाएंगी। हमने गाइडलाइन्स बदल दी हैं और कहा है कि जो जितनी दवाइयां मांगा करे, उसको उतनी खरीद कर दो। इसलिए एक्सपायर्ड ड्रग्स का भंडारण बढ़ नहीं रहा है, यही हमने कहा है।

तीसरी बात हमने यह कही है कि यह जो एक इंक्वायरी हुई, उस कमेटी की इंक्वायरी के बाद सीवीसी ने जो-जो चीजें कहीं, उनके अनुसार ही हमने कार्रवाई की है। इसलिए जो शाहीन साहब कह रहे थे कि न तो हमने कारण और न ही जिम्मेदारी बताई, ऐसा नहीं है। सारी चीजें हमने अपने जवाब में लिखी हैं। कारण ये दो थे कि दिशा-निर्देश बदल गये और आगे से एक्सपायर्ड ड्रग्स हमारे पास इकट्ठी नहीं हो रही हैं और पुरानी ड्रग्स के ऊपर हमने कार्रवाई कर ली है।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सुषमा जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए केवल दो प्रतिशत आवंटन किया गया है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान में पूरे देश में अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाना है तो केवल प्रदेश और केन्द्र सरकार यह नहीं कर सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिला अस्पताल गुना और शिवपुरी में हैं और ग्वालियर में भी एक अस्पताल है। इसके आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक और जापान एड से मिलकर मैंने एक योजना बनाई और इसकी स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की जरूरत है। हमने करीब 9 महीने पहले यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय को दी थी, जिसके बाद स्वीकृति के लिए उसे वित्त मंत्रालय जाना है। उसके करीब डेढ़ साल बाद इक्विपमेंट आयेगा। हमारे क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए चिल्ला रही है और हम न तो केन्द्र सरकार से और न ही राज्य सरकार से कोई राशि की मांग कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी भी संसद में बैठे हुए हैं और ग्वालियर के वे निवासी रहे हैं और ग्वालियर के ही अस्पताल की यह बात है। इसलिए इस योजना को जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी आप स्वीकृति दे सकें तो अच्छा होगा, जिससे हम वित्त मंत्रालय में जाकर वर्ल्ड बैंक से यह इक्विपमेंट ले सकें।

करीब 9 महीने से यह स्वास्थ्य मंत्रालय में लटका हुआ है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह ग्वालियर के अस्पताल की बात है, इसलिए इसमें जरूर ध्यान दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, यह सवाल इस सवाल से बिल्कुल नहीं उपजता है लेकिन चूंकि यह सिंधिया जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है और वे इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। वे हमारे संपर्क में हैं और उन्होंने जो इक्विपमेंट मंगाने की बात कही है उसमें प्रदेश सरकार से भी एनओसी चाहिए था तथा वह एनओसी एक महीने पहले आया है। यह मामला हमारे यहां विचाराधीन है और वे स्वयं मुझसे मिलने वाले हैं। इसमें हमारी तरफ से जो भी किया जाना है वह हम शीघ्रातिशीघ्र करेंगे। यह सवाल यहां प्रासांगिक नहीं है लेकिन मैंने उनकी भावनाओं को देखते हुए उत्तर देना चाहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने आपसे जिस मामले का उल्लेख किया था उसका क्या हुआ? क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपकी भावनाओं के अनुरूप भी हम काम करेंगे।

[अनुवाद]

पत्तनों की क्षमता बढ़ाना

***125. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों की क्षमता और बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्तावधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) क्या महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने सरकार के यथा निर्देशानुसार प्रशुल्क की अधिकतम सीमा और न्यूनतम छूट दर निर्धारित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (छ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2002 को 9वीं योजना अवधि के अंत में 12 महापत्तनों में कुल क्षमता 343.95 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम टी पी ए) थी। इस क्षमता के 31 मार्च, 2007 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 470.60 एम टी पी ए तक बढ़ाने की संभावना है। अत: महापत्तनों में दसवीं पंचवर्षीय योजना में 126.65 एम टी पी ए की क्षमता बढ़ोत्तरी निहित है।

(ग) जी, हां।

(घ) महापत्तनों के विकास एवं विस्तार के कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी इस कारण से अपेक्षित है ताकि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाया जा सके तथा भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण/वैश्वीकरण की सीमान्य नीति के साथ सामंजस्य रखने में कार्यकुशलता, उत्पादकता तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके तथा पत्तन सेवाओं में प्रतियोगिता लाई जा सके।

(ङ) दसवीं योजना परिव्यय में 3325 करोड़ रु. की राशि ऐसी परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है जिनसे महापत्तनों में क्षमता की वृद्धि होगी। तथापि, इसमें पत्तनों के विकास में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश शामिल नहीं है।

(च) जी, हां।

(छ) सरकार ने टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स (टैम्प) को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत मान दरों को अधिकतम दरों के रूप में निश्चित करने तथा इसका अपने दर निर्धारित करने की अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख करने का निर्देश दिया है ताकि महापत्तनों के पास दूसरों से प्रतियोगिता के लिए अपनी इच्छानुसार घटी हुई दरों पर शुल्क लेने की छूट हो। इसी प्रकार, टैम्प द्वारा मानदरों में निर्धारित छूट तथा रियायतें

न्यूनतम स्तर के रूप में कार्य करेंगी एवं पत्तन न्यासों के पास उच्च छूट तथा रियायतें देने की स्वतंत्रता होगी।

इसके अनुसार टैम्प ने अपने 28 अगस्त, 2003 को पारित आदेश में इसके साथ-साथ सभी महापत्तन न्यासों की मान दरों में निम्नलिखित सामान्य शर्तों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया है:

> "मान दरों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं, इसी प्रकार छूट तथा रियायतें न्यूनतम स्तर हैं। पत्तन न्यास, यदि वह चाहे तो, इनसे कम शुल्क ले सकता है तथा/अथवा इनसे अधिक छूट तथा रियायतें दे सकता है।"

उक्त आदेश को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित टैम्प की अधिसूचना सं. टैम्प/53/2003-सामान्य दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोर्टवार कितनी क्षमता बढ़ाने का अनुमान है तथा प्रत्येक पोर्ट पर कितना खर्चा आने की संभावना है और विशेषकर मुम्बई पोर्ट के बारे में बताएं?

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: अध्यक्ष जी, इन्होंने नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात कही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो क्षमता 343.95 मिलियन टन थी उसके दसवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 470.6 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। इन्होंने हर पोर्ट के बारे में जानकारी मांगी है। मुम्बई में पहले 38.5 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, इस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर के कभी दर्शन होंगे या नहीं। जब वे स्वास्थ्य मंत्री, तब भी वे नहीं आते थे और अब इस विभाग के मंत्री हैं, तो भी नहीं आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने मेरी इजाजत ली है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: आप जो भी सवाल पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा।

माननीय सदस्य ने मुम्बई पोर्ट के बारे में सवाल पूछा है। इस पोर्ट की कैपेसिटी 11.50 एम टी पी ए बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन की 15.20 चेन्नई की 4.70, कोचीन की 13.50, विशाखापत्तनम की 10.50, कांडला की 19.55, पारादीप की 6.60, न्यु-मैंगलोर की 20.20 और कलकत्ता यानि हल्दिया की 2.0 एम टी पी ए कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: इतना काफी है।

श्रीमती निवेदिता माने: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है, जिसमें प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी का निर्णय लिया है? यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं और उसके क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? क्या प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी में भारतीय कम्पनियों को प्राथमिकता दी जाएगी? यदि हां, तो किस प्रकार से दी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2003 को पंथ-प्रधान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सागर माला की घोषणा की थी। अपने देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के विकास के दृष्टिकोण से 17 प्राइवेट लोगों को अनुमति दी है और इसके अलावा 21 अन्य योजनाअः की मांग आई है। ये मामले विचाराधीन हैं। पर्यावरण की दृष्टि से और टैंडर प्रोसीजर की वजह से मामले रुके हुए हैं। इस बारे में पूरा लक्ष्य सामने रखा है। इससे व्यापार बढ़ेगा और हम इन्टरनेशनल लैवल का दर्जा प्राप्त करेंगे।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश में रेल दुर्घटनायें और सड़क दुर्घटनायें ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारे देश में पर्याप्त नदिया हैं, तो हमें जल परिवहन पर ध्यान देना चाहिए। इलाहाबाद से कलकत्ता के लिए सरकार ने चार साल पहले से घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर नदियों के माध्यम से पानी के जहाज चलने लगेंगे, तो यात्रा रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सुरक्षित रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस दिशा में क्या कदम उठायेंगे? बड़े मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनका इलाहाबाद जिला है, इलाहाबाद से बनारस होते हुए कलकत्ता तक पानी का जहाज चलाने पर विचार करेंगे? इसके साथ ही प्राइवेट लोगों को इस काम को देने पर विचार कर रहे हैं या नहीं?

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री चन्द्रनाथ सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। अभी तक हमने तीन नेशनल वाटर-वेज का निर्माण किया है। गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहाबाद तक का 1620 किलोमीटर का नेशनल वाटरवेज संख्या-एक है, जहां 330 दिन की सुविधा है। आपका सवाल ठीक है कि यह सुविधा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए। जैसे रेल या हवाई यात्रा है, उसी प्रकार जल मार्ग से यह सुविधा मुनासिब और सस्ती हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है लेकिन आदरणीय पंथ-प्रधान ने 15 अगस्त को घोषणा की है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: पंथ-प्रधान से मतलब क्या है? हिन्दी व मराठी भाषा दोनों साथ मिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: पंथ-प्रधान से मतलब प्रधान मंत्री जी से है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: पंथ-प्रधान यानि प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषणा करने के बाद इसके ऊपर आकर्षण बढ़ा है और प्राइवेट लोगों की ओर से मांग आ रही है। इस पर अलग-अलग तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। अभी तीन नेशनल वाटर-वेज चल रही हैं और अन्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा, कि इस क्षेत्र में जो लोग आना चाहें, उनको मंत्रालय की ओर से पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि यह क्षेत्र डेवलप हो सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास कार्यक्रम

***122. श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा महिला अधिकारिता और बाल कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस पर राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में महिला और बाल शोषण के कितने मामले आए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुनियादी स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित दो कार्यक्रम निष्पादित किये जा रहे हैं:

(1) स्वयंसिद्धा; और

(2) स्व-शक्ति।

इन दोनों कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

* महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की स्थापना;
* महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कानूनी अधिकारों तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों के बारे में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में जागरूकता और आत्म-विश्वास पैदा करना;
* बचत और अल्प-ऋण कार्यकलापों के माध्यम से बचत की आदत को सुदृढ़ और संस्थागत बनाना; और
* स्थानीय स्तर की आयोजना में महिलाओं की भागीदारी।

बाल कल्याण उपायों के संबंध में, महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, जो कि विश्व का सर्वाधिक व्यापक कार्यक्रम है, निष्पादित कर रहा है। यह कार्यक्रम 5652 ब्लाकों में स्वीकृत देशव्यापी कार्यक्रम है, जो राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके निम्नलिखित घटक हैं:-

* पूरक पोषाहार
* टीकाकरण
* स्वास्थ्य जांच
* विशेषज्ञ सेवाएं
* स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
* पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को, जो इस कार्यक्रम की आधारभूत कार्यकर्त्रियां हैं, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा वर्ष 2002-03 से उनके मानदेय को दोगुना कर दिया गया है।

इसके अलावा, (क) राष्ट्रीय बाल चार्टर; तथा (ख) राष्ट्रीय बालक आयोग स्थापित करने हेतु विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार ने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु संविधान में संशोधन किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है।

(ख) इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्य-वार आबंटित राशि का रिकार्ड विभाग में नहीं रखा जाता। तथापि, दसवीं योजना में स्कीम-वार आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और बच्चों के शोषण के मामलों/उनके साथ किये गये अपराधों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

स्कीम का नाम : स्वयंसिद्धा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (लाखों में)			अभ्युक्तियां
		2000-01	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.19	-	38.60	
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.16	2.05	9.00	
3.	असम	7.68	-	71.50	
4.	बिहार	16.95	-	76.00	
5.	छत्तीसगढ़	5.92	55	0.00	
6.	गोवा	2.41	-	0.00	
7.	गुजरात	8.43	-	0.00	इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत भारी मात्रा में अव्ययित शेष राशि
8.	हरियाणा	4.92	1.2	18.00	हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2001-02 में केवल राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की
9.	हिमाचल प्रदेश	3.66	27.36	0.00	
10.	जम्मू व कश्मीर	4.92	-	33.05	
11.	झारखण्ड	7.68	45	34.00	
12.	कर्नाटक	6.67	-	64.00	
13.	केरल	6.17	15.64	35.00	
14.	मध्य प्रदेश	10.68	64.72	51.00	
15.	महाराष्ट्र	10.68	55.25	0.00	महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 2002-03 के लिए वर्ष 2001-02 में अग्रिम राशि निर्मुक्त की गई
16.	मणिपुर	2.41	7	4.00	
17.	मेघालय	2.91	15.6	0.00	
18.	मिजोरम	2.41	-	11.00	

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैण्ड	3.16	14	9.00	
20.	उड़ीसा	10.68	23.3	51.00	
21.	पंजाब	5.42	49.36	0.00	
22.	राजस्थान	8.43	87.34	0.00	
23.	सिक्किम	2.41	7	4.00	
24.	तमिलनाडु	12.69	15.00	62.00	
25.	त्रिपुरा	2.41	7	4.00	
26.	उत्तर प्रदेश	25.23	159.18	0.00	
27.	उत्तरांचल	4.41	22	16.00	
28.	पश्चिम बंगाल	11.44	–	49.94	
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	–	7.90	
2.	चण्डीगढ़	0	–	0.90	
3.	दिल्ली	2.66	–	7.90	
4.	दादरा व नगर हवेली	0	6.00	1.00	
5.	दमन व दीव	0	0.00	0.00	स्कीम बंद कर दी गई
6.	लक्षद्वीप	0	–	0.00	
7.	पाण्डिचेरी	2.41	4.73	4.00	
	कुल	210.20	683.73	662.79	

नोट : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल राज्य कार्य योजना एवं दो माडल ब्लाक प्रस्तावों के आधार पर राशि निर्मुक्त की जाती है।
*वर्ष 2001-02 के दौरान राशि निर्मुक्त के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य कार्य योजना एवं दो माडल ब्लाक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये।

स्कीम का नाम : स्व-शक्ति परियोजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (लाखों में)			अभ्युक्तियां
		2000-01	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	–	34.00	130.00	वर्ष 2000-01 में निर्मुक्तियों पर विचार नहीं किया क्योंकि राज्य के पास वर्ष 1999-2000 से 83.15 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि थी।

1	2	3	4	5	6
2.	छत्तीसगढ़	–	30.00	75.00	मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद यह राज्य वर्ष 2000-01 में अस्तित्व में आया, अत: वर्ष 2000-01 में कोई निर्मुक्त राशि नहीं दिखायी गई है।
3.	गुजरात	75.00	225.00	200.00	
4.	हरियाणा	75.00	65.50	200.00	
5.	झारखण्ड	–	100.00	175.00	बिहार के विभाजन के बाद यह राज्य वर्ष 2000-01 में अस्तित्व में आया, अत: वर्ष 2000-01 में कोई निर्मुक्त राशि नहीं दिखायी गई है।
6.	कर्नाटक	85.00	235.00	535.00	
7.	मध्य प्रदेश	100.00	350.00	425.00	
8.	उत्तर प्रदेश	270.00	225.00	392.83	
9.	उत्तरांचल	–	30.00	105.00	उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह राज्य वर्ष 2000-01 में अस्तित्व में आया, अत: वर्ष 2000-01 में कोई निर्मुक्त राशि नहीं दिखायी गई है।
10.	केन्द्र स्तर	195.00	205.50	352.17	
	कुल	800.00	1500.00	2590.00	

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (सामान्य) एवं विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

स्कीम का नाम : समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6229.00	6580.61	8564.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	681.00	1895.39	2522.72
3.	असम	5070.97	6188.61	7988.33
4.	बिहार	3756.00	2145.11	1934.97
5.	छत्तीसगढ़	625.61	1800.79	2934.24
6.	गोवा	284.13	339.35	430.75
7.	गुजरात	3726.10	8070.09	6905.28

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	3593.61	3660.50	4297.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1764.28	1984.42	2133.77
10.	जम्मू व कश्मीर	2266.00	2739.16	3666.22
11.	झारखण्ड	865.57	1961.66	836.31
12.	कर्नाटक	7466.18	7660.68	10541.29
13.	केरल	3101.90	3516.30	5895.08
14.	मध्य प्रदेश	5590.00	3771.08	6040.51
15.	महाराष्ट्र	6688.62	10193.48	12199.16
16.	मणिपुर	1254.75	901.07	2360.06
17.	मेघालय	664.97	1060.15	1156.87
18.	मिजोरम	868.85	572.95	1139.16
19.	नागालैण्ड	1941.60	1907.00	2376.47
20.	उड़ीसा	6133.71	6881.86	8676.42
21.	पंजाब	3759.46	3730.77	3677.09
22.	राजस्थान	5954.43	5947.07	7324.27
23.	सिक्किम	156.01	192.35	280.97
24.	तमिलनाडु	10286.90	9289.80	13410.76
25.	त्रिपुरा	630.89	1481.36	1333.21
26.	उत्तर प्रदेश	11519.28	12696.42	9249.89
27.	उत्तरांचल	462.78	1246.76	4767.38
28.	पश्चिम बंगाल	8047.13	12650.02	16229.63
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान व निकोबार	107.88	154.85	164.32
2.	चण्डीगढ़	88.04	93.35	121.50
3.	दिल्ली	808.47	796.41	986.18
4.	दादर व नगर हवेली	26.83	31.85	42.00
5.	दमन व दीव	52.56	37.45	43.24
6.	लक्षद्वीप	25.43	31.62	30.83
7.	पाण्डिचेरी	154.85	154.85	237.09
	कुल	104653.79	122365.19	150497.72

स्कीम का नाम : विश्व बैंक सहायता प्रात आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)		
		2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	2000.00	5000.00	5539.60
2.	बिहार	0.00	1000.00	5251.20
3.	छत्तीसगढ़	0.00	600.00	3763.69
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
5.	झारखण्ड	0.00	400.00	1432.25
6.	मध्य प्रदेश	4712.00	6000.00	7885.83
7.	उड़ीसा	-	-	-
8.	केरल	1000.00	2900.00	425.80
9.	महाराष्ट्र	700.00	-	6123.83
10.	राजस्थान	1500.00	3500.00	3354.79
11.	तमिलनाडु	1000.00	-	-
12.	उत्तर प्रदेश	3000.00	2526.00	4053.35
13.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
14.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
15.	सी.पी.एम.यू. (रा./सं.रा. क्षेत्र नहीं)	89.00	68.00	45.00
	कुल	14001.00	21994.00	37875.35

विवरण II

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	दसवीं योजना आबंटन					कुल	अभ्युक्तियां
		2002-03 ब.प्रा.	2003-04 प्रक्षेपित परिव्यय	2004-05 प्रक्षेपित परिव्यय	2005-06 प्रक्षेपित परिव्यय	2006-07 प्रक्षेपित परिव्यय	2002-07 परिव्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**महिला एवं बाल विकास**							
क.	**केन्द्रीय स्कीमें**							
(क)	**बच्चों का कल्याण और विकास**							
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशु गृह/दिवस देखभाल केन्द्र	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	40.00	
3.	राष्ट्रीय बालक आयोग	0.20	1.00	1.30	2.00	2.50	7.00	
	कुल - क	18.20	20.00	21.30	23.00	24.50	107.00	
ख.	**महिला कल्याण एवं विकास**							
4.	कामकाजी महिला होस्टल	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	85.00	
5.	महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड)	25.00	28.00	31.00	32.00	34.00	150.00	
6.	प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	25.00	28.00	31.00	32.00	34.00	150.00	
7.	दूरस्थ शिक्षा	0.55	0.55	-	-	-	1.10	
8.	स्वाधार	15.00	17.00	21.00	23.00	24.00	100.00	
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	32.00	
10.	राष्ट्रीय महिला ऋण कोष (रा.म.को.)	1.00	5.00	44.00	48.00	50.00	148.00	
11.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायतानुदान	37.30	38.70	65.90	67.30	70.80	280.00	
	(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सामान्य अनुदान	16.00	17.00	44.00	45.00	48.00	170.00	
	(ख) अल्पावास गृह	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	
	(ग) जागरूकता विकास परियोजनाएं	4.30	4.30	4.30	4.50	4.50	21.90	
	(घ) संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2.00	2.40	2.60	2.80	3.30	13.10	
	कुल - ख	124.85	139.25	215.90	227.30	238.80	946.10	
ग.	**अन्य स्कीमें**							
12.	अन्य सहायतानुदान	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	32.50	
	(क) अनुसंधान एवं प्रबोधन	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
	(ख) महिलाओं एवं बच्चों पर अभिनव कार्य	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.50	
13.	सूचना एवं जनसंचार माध्यम	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	35.00	
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50	
	कुल - ग	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	70.00	
कुल (के. स्कीमें)		156.05	172.75	251.20	264.80	278.30	1123.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें								
	बाल विकास							
15.	समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	1635.44	2002.78	2059.00	2,314.87	2379.66	10391.75	
16.	आई.सी.डी.एस. कर्मियों का प्रशिक्षण	72.00	260.17	130.09	–	–	462.26	
17.	विश्व बैंक - आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	288.48	669.62	334.76	–	–	1292.86	
	महिला विकास							
18.	स्व-शक्ति परियोजना	25.00	50.00	–	–	–	75.00	
19.	स्वयंसिद्धा	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	200.00	
20.	बालिका समृद्धि योजना	–	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
	कुल	2040.92	3037.57	2588.85	2389.87	2464.66	12521.87	
	कुल (के. स्कीमें तथा के.प्रा. स्कीमें)	2196.97	3210.32	2840.05	2654.67	2742.96	13644.97	
II.	**खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड**							
21.	राष्ट्रीय पोषाहार नीति एवं पोषाहार शिक्षा	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
III.	**नई स्कीमें**							
	केन्द्रीय स्कीमें							
22.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र	0.01	3.00	5.00	8.00	8.99	25.00	
23.	क्रेमे	0.01	–	–	–	–	0.01	
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम							
24.	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	1.00	25.00	25.00	25.00	24.00	100.00	
25.	हिमाचल प्रदेश हेतु सीडा सहायता कार्यक्रम	0.01	–	–	–	–	0.01	
26.	आई.सी.डी.एस. (4)	–	–	0.01	–	–	0.01	
	कुल नई स्कीमें (3)	1.03	28.00	30.01	33.00	32.99	125.03	
	कुल (महिला एवं बाल विकास)	2200.00	3240.32	2872.06	2689.67	2777.95	13780.00	

नोट : 1. 'महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001' स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए 0.11 करोड़ रुपये का पूर्व आबंटन विश्व बैंक-आई.सी.डी.एस. को पुनः आबंटित।

2. दसवीं योजना हेतु अतिरिक्त राशि, अर्थात् 180.00 करोड़ रुपये रा.म. कोष की स्कीमें के आबंटन (2004-05 से 2006-07 तक वर्ष-वार) (100 करोड़ रु.) तथा परिवार कल्याण स्कीम हेतु के.स.क. बोर्ड को सामान्य अनुदान (80.00 करोड़ रु.) में समायोजित किया गया है।

3. आबंटन में पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आबंटन भी शामिल है।

स्वयंसिद्धा, स्वशक्ति, आई.सी.डी.एस. सामान्य, विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदिशा) नामक स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान राशि की राज्य-वार निर्मुक्ति

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीमों/परियोजनाओं के नाम				
		स्वयंसिद्धा	स्वशक्ति	आई.सी.डी.एस. सामान्य	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदिशा)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	38.60	-	8564.65	5539.60	780.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	-	2522.72	-	8.00
3.	असम	71.50	-	7988.33	-	132.75
4.	बिहार	76.00	130.00	1934.97	5251.20	78.77
5.	छत्तीसगढ़	0.00	75.00	2934.24	3763.69	250.00
6.	गोवा	0.00	-	430.75	-	5.00
7.	गुजरात	0.00	200.00	6905.28	-	150.00
8.	हरियाणा	18.00	200.00	4297.19	-	52.22
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	-	2133.77	-	60.63
10.	जम्मू व कश्मीर	33.05	-	3666.22	-	62.53
11.	झारखंड	34.00	175.00	836.21	1432.25	100.00
12.	कर्नाटक	64.00	535.00	10541.29	-	158.00
13.	केरल	35.00	-	5895.08	425.80	300.00
14.	मध्य प्रदेश	51.00	425.00	6040.51	7885.83	744.17
15.	महाराष्ट्र	0.00	-	12199.16	6123.83	611.93
16.	मणिपुर	4.00	-	2360.06	-	-
17.	मेघालय	0.00	-	1156.87	-	25.00
18.	मिजोरम	11.00	-	1139.16	-	10.28

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैण्ड	9.00	–	2376.47	–	40.00
20.	उड़ीसा	51.00	–	8676.42	–	50.00
21.	पंजाब	0.00	–	3677.09	–	100.00
22.	राजस्थान	0.00	–	7324.27	3354.79	946.27
23.	सिक्किम	4.00	–	280.97	–	–
24.	तमिलनाडु	62.00	–	13410.76	–	48.42
25.	त्रिपुरा	4.00	–	1333.22	–	70.73
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	392.83	9249.89	4053.35	356.15
27.	उत्तरांचल	16.00	105.00	4767.38	–	110.94
28.	पश्चिम बंगाल	49.94	–	16229.63	–	400.00
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	7.90	–	164.32	–	–
2.	चण्डीगढ़	0.90	–	121.50	–	–
3.	दिल्ली	7.90	–	986.18	–	28.00
4.	दादर व नगर हवेली	1.00	–	42.00	–	–
5.	दमन व दीव	0.00	–	43.24	–	–
6.	लक्षद्वीप	0.00	–	30.83	–	1.00
7.	पाण्डिचेरी	4.00	–	237.09	–	3.96
8.	सी.पी.एम.यू. (रा./सं.रा. क्षेत्र नहीं)	–	352.00	–	45.00	230.00
	कुल	662.79	2589.83	150497.72	37875.35	5914.75

विवरण II

वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान महिलाओं के साथ हुए अपराधों की संख्या

क्र.सं.	अपराध का शीर्ष	2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	बलात्कार	16496	16075	14806
2.	अपहरण एवं भगाकर ले जाना	15023	14645	14244

1	2	3	4	5
3.	दहेज हत्या	6995	6851	6756
4.	पति एवं संबंधियों द्वारा अत्याचार	45778	49170	42080
5.	छेड़छाड़	32940	34124	31116
6.	तंग करना	–	–	13731
7.	यौन-उत्पीड़न	11024	9746	–
8.	लड़कियों को बाहर से लाना	64	114	151
9.	सती निवारण अधिनियम	–	–	2
10.	अनैतिक पणन निवारण अधिनियम	9515	8796	5691
11.	स्त्री अशिष्ट निषेध अधिनियम	662	1052	3138
12.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम	2876	3222	2200
	कुल	141373	143795	133915

वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान बच्चों के साथ हुए अपराधों की संख्या

क्र.सं.	अपराध का शीर्ष	2000	2001	2002
1.	हत्या	–	1175	–
2.	बलात्कार (16 वर्ष से कम आयु)	3132	2113	–
3.	शिशु हत्या	104	133	99
4.	अन्य हत्याएं	–	1042	–
5.	भ्रूण हत्या	91	55	77
6.	आत्महत्या का अभिप्रेरण	18	26	29
7.	अनाश्रय एवं परित्याग	660	678	598
8.	अपहरण एवं भगाकर ले जाना	711	2845	762
9.	नाबालिगों की अधिप्राप्ति	147	138	169
10.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	15	8	9
11.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	53	6	15
12.	बालक विवाह अवरोध अधिनियम	92	85	85
13.	अन्य अपराध	–	3685	–
	कुल	5023	11989	1843

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***126. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान और आज तक दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए कुल कितनी धनराशि का अनुमोदन किया गया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि दौरान घरेलू गैर-सरकारी निवेश से संबंधित कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है;

(ग) ये प्रस्ताव किस सीमा तक क्रियान्वित किए गए हैं; और

(घ) दूरसंचार उद्योग पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) दूरसंचार क्षेत्र के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी प्रस्तावों की कुल राशि वर्ष 2002-03 के दौरान 1065.2 करोड़ रुपये थी और अगस्त, 2003-04 तक 844 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) घरेलू गैर-सरकारी निवेश से संबंधित प्रस्तावों में सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) विदेशी निवेश से देश में दूरसंचार क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु स्वदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और तकनीकी सुविज्ञता को बल मिला है।

[हिन्दी]

विनिवेश आयोग की रिपोर्ट

***127. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग ने देश में स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस रिपोर्ट पर कब तक कार्रवाई करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां। विनिवेश आयोग ने अपनी अप्रैल, 2003 की 19वीं रिपोर्ट तथा मई, 2003 की 20वीं रिपोर्ट में क्रमश: भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के विनिवेश के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं।

(ख) भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड के मामले में, आयोग ने सिफारिश की है कि हालांकि परिसमापन/बंद करना वाणिज्यिक रूप से एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बनता है, फिर भी श्रम शक्ति का यौक्तिकीकरण करने के साथ-साथ सरकार की समस्त शेयरधारिता का विनिवेश किसी अनुकूल साझीदार के पक्ष में करने का एक प्रयास किया जाना चाहिए और सम्भावित क्रेताओं के साथ परामर्श करके वित्तीय पुनर्संरचना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के मामले में, आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिए एक सरकारी कंपनी बने रहने देना चाहिए। इसके बाद, सरकार को, कंपनी को सक्षम बनाने तथा उसका बेहतर निगमित संचालन करने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया का रास्ता अपनाने के माध्यम से अपने 49 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश निजी क्षेत्र के साझीदार को कर देना चाहिए। कम्पनी के और अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्द्धात्मक बन जाने के बाद पांच वर्षों के बाद सरकार की शत-प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश पर विचार किया जा सकता है।

(ग) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सर्वशिक्षा कार्यक्रम

***128. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर सर्वशिक्षा कार्यक्रम लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी दानदाताओं की भागीदारी अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूनेस्को के सर्वशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई शर्तें लगाए बिना विदेशी दानदाताओं, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विकसित राष्ट्रों को अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने का आह्वान किया है, जैसाकि दिनांक 13 नवम्बर, 2003 के 'दि पायनीयर' में प्रकाशित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान हेतु धनराशि हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो मांगी गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों के सामान्य सहयोगी संबंध के तहत तीन निधियन एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक, यू.के. का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग तथा यूरोपीय आयोग ने सर्व शिक्षा अभियान के निधियन में अपनी रुचि दर्शाई है जो सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। मंत्रालय का दृष्टिकोण यह है कि इस संबंध में किसी भी विदेशी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब उसके साथ कोई शर्त नहीं होगी।

नवम्बर, 2003 में नई दिल्ली में आयोजित सबके लिए शिक्षा संबंधी उच्च स्तरीय समूह की बैठक सहित अनेक मंचों पर भारत ने इस मुद्दे को उठाया है कि दाता देश सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.7% की सरकारी विकास सहायता संबंधी अपनी वचनबद्धता को पूरी करें। अनेक अन्य देशों ने भी इसका समर्थन किया तथा उच्च स्तरीय समूह की इस बैठक में अंत में जारी की गई विज्ञप्ति में यह मुद्दा प्रतिबिंबित हुआ। दाता देशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से यह आह्वान किया गया कि तीव्र विकास और विश्लेषणात्मक तीव्र विकास पहलों के सुदृढ़ीकरण, कम से कम मोटरे में सहमत स्तर तक सरकारी विकास सहायता में बढ़ोत्तरी तथा बुनियादी शिक्षा के लिए इसका अधिकाधिक आवंटन सुनिश्चित करके कुल सरकारी विकास सहायता, जो 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों के स्तर से नीचे बनी हुई है, में गिरावट को दूर करें।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. "सिम कार्ड"

***129. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री कोलूर बसवनागौड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. सिम कार्डों की आपूर्ति देश में उनकी मांग के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने-अपने सेवा क्षेत्रों में मोबाइल सेल्युलर सेवा की शुरुआत के समय पूर्वानुमान के अनुसार स्विचन क्षमता और सिम कार्डों की आवश्यकता के बारे में योजना बनाई थी। सेवाओं की लोकप्रियता के कारण पूरी क्षमता का उपयोग प्रत्याशित समय से बहुत पहले ही हो गया। इसके अलावा, अधिक मांग के कारण सेल्युलर कनेक्शनों की जरूरत पूर्वानुमान की अपेक्षा कहीं अधिक रही, जिसके परिणामस्वरूप अस्थाई तौर पर सिम कार्डों की कमी रही। चूंकि बीएसएनएल द्वारा प्राप्त सिम कार्डों की संख्या क्षमता की अपेक्षा अधिक है, इसलिए बीएसएनएल सिम कार्डों के पुनर्वितरण के माध्यम से अपने सेवा क्षेत्रों के सभी स्थानों की सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग करने हेतु सिम कार्डों की मौजूदा मांग को पूरा करने में समर्थ है।

एमटीएनएल के मामले में सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है।

(ग) जब भी विस्तार अथवा उपभोक्ताओं द्वारा सेवा बदलने के कारण क्षमता का सृजन होता है क्षेत्रीय इकाइयों को अतिरिक्त सिम कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। भावी मांग को पूरा करने के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों द्वारा अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई गई है तथा प्रापण हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं जिनमें सर्किल के उन स्थानों की सूची दी गई है जहां सिम कार्ड उपलब्ध हैं। एक्सचेंज क्षमता, आपूर्ति किए गए सिम कार्डों और उपलब्ध कराए गए सेल्युलर कनेक्शनों की सेवा क्षेत्र-वार संख्या के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30.11.2003 की स्थिति के अनुसार सिम कार्डों की स्थिति

बीएसएनएल

क्र.सं.	लाइसेंस शुदा सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता क्षमता	प्राप्त किए गए सिम	उपलब्ध कराए गए कनेक्शन
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	5000	10130	4741
2.	आंध्र प्रदेश	595600	730193	512483
3.	बिहार (झारखंड सहित)	241250	460193	210769
4.	गुजरात	459750	579150	479474
5.	हरियाणा	134565	214091	150229
6.	हिमाचल प्रदेश	43800	74238	55886
7.	जम्मू एवं कश्मीर	41200	73300	23077
8.	कर्नाटक	340150	421083	318441
9.	केरल	326586	477784	334328
10.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	145850	185348	150232
11.	महाराष्ट्र	495300	633846	563234
12.	उड़ीसा	132950	239410	141528
13.	पंजाब	343000	379039	273023
14.	राजस्थान	180550	258870	183613
15.	तमिलनाडु	334900	466884	335000
16.	उत्तर प्रदेश (प.) उत्तरांचल सहित	287800	454624	297744
17.	उत्तर प्रदेश (पू.)	293100	389680	299002
18.	पश्चिम बंगाल	147350	265645	137798
19.	चेन्नई (टीडी)	131000	183750	120450
20.	कोलकाता (टीडी)	15000	100000	22626
	जोड़	4684701	6697301	4613677

1	2	3	4	5
एमटीएनएल				
21.	दिल्ली (दिल्ली + राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुड़गांव, फरीदाबाद एवं नोएडा)	225000	304045	156321
22.	मुम्बई (मुम्बई+नवी मुम्बई+ कल्याण+डोम्बिविली)	225000	323400	166456
	जोड़	450000	627445	322777
कुल जोड़ (बीएसएनएल+एमटीएनएल)		5124701	7324746	49364554

[अनुवाद]

कार्गो ट्रैफिक

***130. श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान अनेक पत्तनों पर कितने कार्गो ट्रैफिक का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) उक्तावधि के दौरान की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कतिपय त्रुटियां देखी गई; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं और सरकार ने इन त्रुटियों को किस तरह दूर किया?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) पत्तनों के संबंध में नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के दौरान अनुमानित कार्गो यातायात की मात्रा 423.94 मिलियन टन थी।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(1) चेन्नै के निकट इन्नौर में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के कोयला यातायात की ढुलाई की क्षमता रखने वाला एक नया महापत्तन स्थापित किया गया था।

(2) एक मुख्य परियोजना, अर्थात् 20 एमटीपीए की क्षमता वाले थर्मल कोयले की ढुलाई के लिए यंत्र चालित कोयला ढुलाई सुविधा के सृजन का कार्य पारादीप पत्तन पर पूरा किया गया था।

(3) पत्तनों में कुल यातायात संचालन 8वीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में 254.09 मिलियन टन से बढ़कर 9वीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) में 382.72 मिलियन टन हो गया।

(4) वर्ष 2000-2001 से महापत्तनों की क्षमता (291.45 एमटीपीए) संचालित किए गए यातायात (281.11 मिलियन टन) से बढ़ गई है। परिणामस्वरूप, महापत्तनों में क्षमता इन पत्तनों पर संचालित यातायात से अधिक है। इस रुझान को बनाए रखे जाने की आशा है।

(5) महापत्तनों में पत्तन कार्यकुशलता को दर्शाने वाले मुख्य घटकों, अर्थात्, औसत टर्न अराउंड टाइम, औसत पूर्व बर्थिंग समय तथा औसत प्रति शिप बर्थ दिवस में औसत उत्पादन, में लगातार सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) इस समय, भारतीय पत्तनों में पर्याप्त गहराई में कमी के कारण भारतीय माल को मुख्यतः पड़ोसी देशों के हब पत्तनों के माध्यम से वाहनांतरित किया जाता है जिसका परिणाम यह है कि भारतीय माल के लिए नौवहन की लागत ऊंची है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि देश पूर्वी तथा पश्चिमी तटों, क्रमशः चेन्नै तथा जवाहरलाल नेहरू पत्तनों पर एक-एक हब पत्तन का निर्माण किया जाए। इसके अतिरिक्त, वल्लारपदम, कोचीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर वाहनांतरण टर्मिनल का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

महापत्तनों में उत्पादकता स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना योग्य नहीं है। उत्पादकता स्तरों को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी

***131. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री कमल नाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण कक्षा नौवीं के तीन करोड़ छात्रों में से पचास प्रतिशत छात्रों को स्कूलों से बाहर रहना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से बचने के लिए योजना आयोग ने मंत्रालय और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) कक्षा 8 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। तत्पश्चात्, योजना आयोग ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों के साथ ली गई बैठक में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया है।

तथापि, सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप 2010 के बाद कक्षा 9 के विद्यार्थियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अग्रिम योजना बनाने के लिए लिख दिया है।

इन प्रयासों का अनुपूरण सैटेलाइट चैनलों तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों को न केवल सामान्य शिक्षा बल्कि व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं।

प्लेनेटरी मिशन

***132. श्री रामजीवन सिंह:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इसरो' ने चन्द्रमा पर रोबोट (यन्त्र-मानव) उतारने सहित एक महत्वाकांक्षी प्लेनेटरी मिशन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्लेनेटरी मिशन के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(घ) 'इसरो' द्वारा निकट भविष्य में कितने प्लेनेटरी मिशन आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(ङ) इनमें से प्रत्येक मिशन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) इन मिशनों द्वारा क्या मुख्य लाभ होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चन्द्रयान-1 नामक चन्द्र मिशन के लिए पहले ही एक परियोजना स्वीकृत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार, श्रीहरिकोटा से स्वदेशी प्रमोचक राकेट का उपयोग करते हुए चन्द्रमा के चारों ओर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में चन्द्र प्रोब का प्रमोचन करना है। चन्द्रयान-1 चन्द्रमा पर प्रथम भारतीय मिशन है, जो प्रत्यक्ष, लगभग अवरक्त, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्रों में चन्द्रमा की सतह के स्वरूपों और खनिज संघटन के उच्च विभेदन वाले सुदूर संवेदन के प्रति समर्पित है। यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों को इसके वैज्ञानिक पहलुओं जैसे चन्द्रमा की सतह के उद्भव, स्वरूप और संरचना के अध्ययन का एक अवसर प्रदान करेगा। इस मिशन को पांच वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई गई है।

(घ) चन्द्रयान-1 की प्रगति और परिणाम के आधार पर भावी ग्रहीय मिशनों के बारे में निर्णय किया जा सकता है।

(ङ) चन्द्रयान-1 मिशन के खर्च के लिए 386 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(च) उपर्युक्त मिशन से देश के लिए प्राप्त होने वाले लाभों में मुख्य रूप में हमारी वैज्ञानिक जानकारी के क्षितिज का विस्तार होने की संभावना है। ऐसे गहन अन्तरिक्ष मिशन को पूरा करने के लिए हमें परिशुद्ध विमान-संचालन और मार्गदर्शन प्रणालियों सहित 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमता का उन्नयन करने में समर्थ होंगे, जोकि दीर्घ काल में एक अन्य लाभ होगा। यह मिशन देश की बढ़ती युवा पीढ़ी की कल्पना-शक्ति और दूरदर्शिता में एक चुनौती भी प्रस्तुत करेगा, जिससे आगे पोषित किये जाने पर दीर्घकालीन अवधि तक अधिकांशतया समाज को असीम लाभ प्राप्त होंगे।

एड्स रोगियों को चिकित्सीय सुविधाएं/ औषधियां प्रदान करना

***133. श्री राम मोहन गाड्डे:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार एच.आई.वी./एड्स रोगियों की अद्यतन संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई/जारी की गई;

(ग) क्या जुलाई, 2003 में नई दिल्ली में एच.आई.वी./एड्स के संबंध में चयनित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय अभिसमय के सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में एच.आई.वी. रोगियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और औषधें प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा विशेषकर देश में इस रोग के अधिक व्याप्ति वाले राज्यों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) भारत में हमारे पास एचआईवी के फैलाव और व्याप्तता का पता लगाने हेतु एक वार्षिक प्रहरी निगरानी पद्धति है। यह प्रहरी निगरानी वर्ष 1998 से संभावित स्थलों पर की जाती है। दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार एचआईवी से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या कम से कम 3.82 मिलियन और अधिक से अधिक 4.58 मिलियन है। राज्य एड्स सोसाइटियों द्वारा 30 नवम्बर, 2003 तक पता लगाए गए और सूचित ऐसे एड्स रोगियों की समेकित संख्या, जिनमें यह रोग पूरी तरह विकसित हो चुका है, 57,781 है। छह उच्च व्याप्तता वाले राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु में एचआईवी/एड्स की व्याप्तता जारी है।

भारत में एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक वृहद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्रवाई योजना के आधार पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

एचआईवी/एड्स संबंधी संसदीय फोरम का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26-27 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स कार्यक्रम में चुने हुए प्रतिनिधि शामिल करना था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा किया गया था तथा इसे उप प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। यूएनएआईडीएस के कार्यकारी निदेशक ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। सम्मेलन का समापन एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ाई की वचनबद्धता की उद्घोषणा के साथ हुआ जिसका सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया। वचनबद्धता की उद्घोषणा की एक प्रति संलग्न विवरण-II में है।

सरकारी अस्पतालों में अवसरघाती संक्रमण के उपचार हेतु एड्स रोगियों को सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। क्षयरोग बहुत आम अवसरघाती संक्रमण है। छह अधिक एचआईवी प्रभावित राज्यों में क्षयरोग से पीड़ित एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए

अच्छी गुणवत्ता वाली क्षयरोग रोधी औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम से सम्पर्क किया गया है। माता-पिता से बच्चे में एचआईवी के संचार को रोकने के लिए सरकार एन्टी रिट्रोवायरल (नेवीरापाइन) औषध भी प्रदान करती है। संयोगवश व्यवसाय से होने वाले जोखिम के मामले में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की जोखिम के पश्चात उसके निवारण के लिए भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एन्टी रिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था की जा रही है।

सरकार एचआईवी/एड्स पीड़ित लोगों हेतु परिचर्या एवं सहायता के इस कार्यक्रम का छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में विस्तार करने के लिए सक्रिय विचार बना रही है ताकि विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए एन्टी रिट्रोवायरल औषध को शामिल किया जा सके।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना चरण-2 निधियों के उपयोग की दावे-वार स्थिति

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी की गई धनराशि		
		2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2				
1.	आंध्र प्रदेश	824.50	850.00	1290.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	111.00	214.88	130.50
3.	असम	375.00	653.80	614.50
4.	बिहार	196.00	809.50	600.50
5.	गोवा	72.73	99.00	170.50
6.	गुजरात	347.17	450.00	136.00
7.	हरियाणा	246.50	266.00	315.00
8.	हिमाचल प्रदेश	262.50	308.50	236.50
9.	जम्मू व कश्मीर	152.00	244.50	295.50
10.	कर्नाटक	398.65	785.15	975.00
11.	केरल	350.63	368.00	470.00
12.	मध्य प्रदेश	542.00	780.50	521.50
13.	महाराष्ट्र	852.00	550.00	1025.50
14.	मणिपुर	415.30	708.15	787.50

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	87.50	224.93	90.50
16.	मिजोरम	179.00	246.70	311.50
17.	नागालैंड	250.50	635.50	626.50
18.	उड़ीसा	358.50	200.00	148.00
19.	पंजाब	321.50	266.50	403.50
20.	राजस्थान	380.00	317.50	358.50
21.	सिक्किम	66.00	120.02	64.00
22.	तमिलनाडु	1108.30	1393.50	1295.50
23.	त्रिपुरा	92.00	196.67	71.00
24.	उत्तर प्रदेश	1175.00	1465.65	1674.50
25.	पश्चिम बंगाल	643.15	1059.50	1503.00
26.	दिल्ली	239.00	334.00	431.00
27.	पांडिचेरी	21.50	54.00	74.00
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	66.44	95.50	89.50
29.	चण्डीगढ़	93.11	152.65	156.50
30.	दादर व नगर हवेली	9.00	26.00	17.00
31.	दमन व दीव	9.00	31.00	36.00
32.	लक्षद्वीप	9.16	29.50	25.50
33.	एमडीएसीएस मुम्बई	431.65	585.65	603.00
34.	अहमदाबाद नगर निगम	84.61	58.30	129.55
35.	चेन्नई एम सी	101.50	62.45	186.45
36.	उत्तरांचल	—	98.00	162.00
37.	छत्तीसगढ़	—	129.50	243.50
38.	झारखंड	—	156.00	193.00
	योग	0872.40	15027.00	16462.00

विवरण II

एचआईवी/एड्स के निवारण में राजनेताओं की घोषणा

एचआईवी/एड्स संबंधी 26-27 जुलाई, 2003 को हुए पहले भारतीय संसदीय फोरम के राष्ट्रीय सम्मेलन में 26 जुलाई, 2003 को नई दिल्ली में अपनाई गई

हम, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता,

मानते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप में दोनों प्रकार से जनता और सरकार के बीच सम्पर्क के रूप में जनता के अधिकारों एवं आवश्यकता के समथर्कों के रूप में इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून निर्माता के रूप में और संसाधनों को जुटाने के लिए नीति निर्माताओं के रूप में एचआईवी/एड्स से लड़ने के लिए नागरिक समाज को शामिल करने और आवश्यक सक्षम वातावरण बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वीकार करते हैं कि हम एक साथ मिलकर एचआईवी/एड्स महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं, इसको और फैलने से रोक सकते हैं, एक सक्षम वातावरण के लिए कार्य कर सकते हैं और महामारी के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं।

हम एचआईवी/एड्स के फैलने एवं इसके प्रभाव के बारे में समुदायों को जागरूक करने हेतु अपनी सामूहिक वचनबद्धता पर अडिग रहने के लिए आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित चुने गए प्रतिनिधियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्र हुए हैं।

हम सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि:

प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में और समग्र देश में एचआईवी/एड्स महामारी के निवारक तथा परिचर्या दोनों के लिए गहन अनुसमर्थन संसाधनों का आवंटन तथा उन्हें जुटा कर एवं दिशा-निर्देश देकर एचआईवी/एड्स के विरुद्ध लड़ने के लिए जिम्मेदारी से अपने-अपने क्षेत्र में नेतृत्व सुनिश्चित करेगा।

एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों के मन में व्याप्त कलंक के भाव व उनका मौन एवं अस्वीकृति तथा उनके प्रति भेदभाव दूर करके और उनके लिए सभी मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करके एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देगा।

महिलाओं एवं बच्चों में एचआईवी/एड्स के प्रति असुरक्षा को कम करने में एक मूलभूत अंग के रूप में लिंग समानता एवं महिला अधिकारिता सुनिश्चित करेगा।

इन प्रक्रिया में युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उपाय करेगा।

एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं, उनके कार्यान्वयन और उसके प्रभाव के मूल्यांकन में गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायी क्षेत्र, प्रचार-माध्यमों, समुदाय आधारित संगठनों, धार्मिक नेताओं, परिवारों, नागरिकों और एचआईवी/एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोगों का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त करेगा और बहुक्षेत्रीय सहयोग को तेज तथा सुदृढ़ बनाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्तीय योजनाएं

***134. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में दोगुना निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, पंजवर्षीय योजनाओं में परिव्यय के अनुसार किया जाता है। वर्तमान योजना अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-2007 की अवधि से संबंधित है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए परिव्यय 58854.50 करोड़ रु. है जबकि नौवीं योजना (1997-2002) में 19,157.38 करोड़ रु. का परिव्यय था।

ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	स्रोत	नौवीं योजना परिव्यय (करोड़ रु.)	दसवीं योजना परिव्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	विदेशी सहायता प्राप्त	4779.99	13990.50
2.	उपकर राशि (वर्ष 2000 से प्रारंभ)	5270.00	10500.00

1	2	3	4
3.	उपर्युक्त (1) और (2) के अलावा बजट संसाधन	5507.39	9664.00
4.	बाजार ऋण	3600.00	24700.00
	जोड़	19157.38	58854.50

कृषि-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

*135. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्र अपनी औपचारिक हाई स्कूल शिक्षा की उपेक्षा करके विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मौजूदा 6700 व्यावसायिक स्कूलों को क्रमिक रूप से समाप्त करने का भी निर्णय किया है जो वांछित मानकों के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) विभिन्न समीक्षा समूहों/समितियों की सिफारिशों के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी मौजूदा स्कीम में संशोधन किया जा रहा है ताकि इसे मॉड्यूलर स्वरूप प्रदान करते हुए सक्षमता आधारित बनाया जा सके। यह स्कीम उन लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी जिन्होंने किसी भी प्रकार की औपचारिक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उद्योग/प्रयोक्ता संगठनों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कृषि आधारित पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम इस संशोधित स्कीम के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। विद्यमान स्कीम के अधीन व्यावसायोन्मुख शिक्षा प्रदान कर रहे विद्यालयों को इस प्रस्तावित योजना में सहभागिता का विकल्प दिया जाएगा बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अन्तर

*136. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारी अन्तर अभी भी विद्यमान है और कुल जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोक्त अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, नहीं। जहां शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उप-सम्भागीय और जिला अस्पतालों/तृतीयक स्तरीय अस्पतालों/मेडिकल कालेजों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाओं का एक व्यापक नेटवर्क भी स्थापित किया गया है। नियोजित आर्थिक विकास के पांच दशकों में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में उत्तरोत्तर सुधार होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्याप्त अन्तर को कम करने में काफी सहायता मिली है। कुल मिलाकर इस अवधि में अनुमानित जीवन प्रत्याशा (लाईफ एक्सपेक्टेंसी) का लगभग दुगुना हो जाना आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार होने का सूचक है।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 का प्रमुख उद्देश्य कमी वाले क्षेत्रों में नयी आधारभूत सुविधाएं स्थापित करके तथा मौजूदा संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन करके देश के आम लोगों में अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानक प्राप्त करना है। इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को कुल जन स्वास्थ्य निवेश का 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की परिकल्पना है। इस नीति में 2010 तक कुल स्वास्थ्य व्यय के मौजूदा 5.2 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के साथ ही इसी अवधि में स्वास्थ्य व्यय मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत को बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने की परिकल्पना भी है।

सरकार द्वारा ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के अन्तर को कम करने तथा सभी लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार, निवारक, सम्वर्धनात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी विभिन्न राज्यों को मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ और एड्स जैसे बड़े रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है। सभी राज्यों में रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से देश में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में सामान्य तौर पर सुधार हुआ है।

देश में ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक विस्तृत नेटवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों, अल्पसेवित लोगों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के अंतर्गत भी स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है जो विश्व बैंक सहायता से चुने हुए राज्यों में चलायी जा रही हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत भी ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के कार्यात्मक स्तर में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। अति विशिष्टता (सुपर-स्पेशियलिटी) स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए कुछ अल्प-सेवित राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नमूने (पैटर्न) पर संस्थाएं खोलने तथा शेष अल्प-सेवित कुछ राज्यों/क्षेत्रों में मौजूदा संस्थाओं को समुन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आरम्भ की गई है। समुदाय आधारित व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की गई है जिसमें सरकार प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 रुपए का अंशदान वार्षिक प्रीमियम के रूप में प्रदान करेगी जिससे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग इस योजना को अपनाने में समर्थ हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पहले अथवा प्रारम्भिक नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में 'आप्टिकल फाइबर केबल'

***137. श्री के.ए. सांगतमः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उपमंडल मुख्यालयों के स्तर तक बेहतर दूरसंचार और इंटरनेट सेवा हेतु देश के अधिकांश राज्यों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) अधिकांश राज्यों को परियात संबंधी औचित्य, बैंडविड्थ आवश्यकता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर जिला मुख्यालयों तथा कुछ उप-मंडलीय मुख्यालयों के स्तर तक आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा गया है। इंटरनेट सेवा जिला मुख्यालयों तथा उप-मंडलीय मुख्यालयों में उपलब्ध है। साथ ही, यह सेवा डायल-अप आधार पर छोटे-छोटे स्थानों में भी उपलब्ध है।

(ख) दिल्ली तथा मुंबई के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में ओएफसी कनेक्टिविटी है। बाकी देश में 584 जिला मुख्यालयों में से 541 जिला मुख्यालयों तथा 1642 उप-मंडलीय मुख्यालयों में से 1498 उप-मंडलीय मुख्यालयों को ऑप्टीकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। 41 जिला मुख्यालयों तथा 127 उपमंडलीय मुख्यालयों को, परियात तथा भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, माइक्रोवेव तथा उपग्रह संचार प्रणालियों जैसे विश्वसनीय मीडिया पर कनैक्टिविटी दी गई है। अपर्याप्त मांग के कारण 2 जिला मुख्यालयों तथा 17 उप-मंडलीय मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं। विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) पूर्वोत्तर राज्यों में परियात संबंधी औचित्य, तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता वाले 49 जिला मुख्यालयों और 98 उप-मंडलीय मुख्यालयों के लिए ऑप्टीकल फाइबर केबल कनैक्टिविटी पहले ही दे दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के 6 जिला मुख्यालयों में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनैक्टिविटी का कार्य आरंभ कर दिया गया है। दूरस्थ स्थानों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अन्य जिला मुख्यालयों और उप-मंडलीय मुख्यालयों को यह सेवा उच्च क्षमता की उपग्रह संचार प्रणालियों या माइक्रोवेव प्रणालियों द्वारा दी जा रही है।

विवरण

जिला मुख्यालयों तथा उप-मंडलीय मुख्यालयों की ओएफसी कनेक्टिविटी का विरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला मुख्यालयों की सं.	ओएफसी सहित जिला मुख्यालयों की सं.	उपमंडलीय मुख्यालयों की सं.	ओएफसी सहित उपमंडलीय मुख्यालयों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	73	73
2.	असम	23	22	48	41
3.	बिहार	38	38	97	94
4.	झारखंड	22	22	35	35
5.	गुजरात	25	25	46	46
6.	हरियाणा	19	19	45	45
7.	हिमाचल प्रदेश	12	10	51	39
8.	जम्मू एवं कश्मीर	14	8	12	8
9.	केरल	14	14	21	21
10.	कर्नाटक	27	27	52	52
11.	मध्य प्रदेश	45	45	146	146
12.	छत्तीसगढ़	16	16	56	53
13.	महाराष्ट्र	35	35	112	111
14.	मिजोरम	8	1	17	2
15.	नागालैंड	11	3	22	4
16.	त्रिपुरा	4	4	15	14
17.	अरुणाचल प्रदेश	16	4	36	6
18.	मणिपुर	9	6	34	13
19.	मेघालय	7	5	15	9
20.	उड़ीसा	30	30	58	57
21.	पंजाब	18	18	68	68
22.	राजस्थान	32	32	105	105
23.	तमिलनाडु	28	28	58	58

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	50	50	204	191
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	20	20	87	87
26.	उत्तरांचल	13	13	52	43
27.	पश्चिम बंगाल	14	14	58	58
28.	सिक्किम	4	4	9	9
29.	अंडमान एवं निकोबार	2	0	0	0
30.	कोलकाता (दूरसंचार जिला)	4	4	10	10
31.	चेन्नई (दूरसंचार जिला)	1	1	0	0
	कुल	584	541	1642	1498

टिप्पणी: 1. 41 जिला मुख्यालयों तथा 127 उप-मुंडलीय मुख्यालयों को परियात तथा भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए माइक्रोवेव तथा उपग्रह संचार प्रणाली जैसी विश्वसनीय मीडिया पर कनैक्टिविटी दी गई है।

2. अपर्याप्त मांग के कारण 2 जिला मुख्यालयों तथा 17 उप-मंडलीय मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं।

जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली

***138. श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में विद्यमान निराशाजनक स्थिति के मद्देनजर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संकटकालीन चिकित्सा परिचर्या निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार जन स्वास्थ्य परिचर्या के मामले में राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके इसे देश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) उपहार त्रासदी के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में आपाती चिकित्सा परिचर्या की स्थिति को बेहतर करने संबंधी उपायों का सुझाव देने हेतु स्व. डा. वी. रामलिंगस्वामी की अध्यक्षता में एक कोर दल गठित किया था।

इस कोर दल का यह विचार था कि प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली द्वारा निवारक एवं शुरू में ही चेतावनी देने संबंधी सेवाओं को मिलाकर चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिए समग्र सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अन्य सुझावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केजुएल्टी विभागों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना, स्वास्थ्य एवं परा-मेडिकल स्टाफ को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, स्पष्ट रूप से परिभाषित रेफरल प्रणाली की स्थापना करना और प्रयोगशाला सहायता सेवाओं के नेटवर्क की व्यवस्था करना शामिल है। दल ने इस संबंध में निजी क्षेत्र के तृतीयक स्तर के परिचर्या संस्थाओं को शामिल करने की भी सिफारिश की थी।

भारत सरकार ने कोर दल द्वारा तैयार किए गए संकल्पनात्मक दस्तावेज से सहमति व्यक्त करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं:

(1) इसको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की सहभागिता की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना है।

(2) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल एवं परा-मेडिकल स्टाफ के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाना।

(3) किसी भी प्रकार की आपदा (बाढ़), तूफान, भूकम्प एवं आगजनी आदि) से निपटने के लिए जनशक्ति एवं अन्य आधारभूत सुविधा के विकास हेतु क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

(4) प्रत्येक जिला और राज्य स्तर में आपदा प्रबंधन के समन्वय हेतु सुपरिभाषित सम्पर्क सहित कार्मिकों की पहचान की जानी चाहिए।

(5) देश के प्रत्येक भाग में अस्पतालों की कार्यनीतिक तृतीयक एवं द्वितीयक स्तर की परिचर्या वाले अस्पतालों की पहचान की जानी चाहिए।

परामर्श के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपातकालीन चिकित्सा परिचर्या संबंधी मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने और जहां आवश्यक हो वहां सुधार की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित किया है। इस विशेषज्ञ दल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक मनोनीत सदस्य भी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के सुदृढ़ीकरण के बारे में वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय किया है जिसमें आपातकालीन चिकित्सा परिचर्या और इसमें विभिन्न राज्य सरकारों को भी शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इराक का पुनर्निर्माण

***139. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इराकी शासी परिषद को इराक की वैध कार्यकारी निकाय के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता सम्मेलन (इंटरनेशनल डोनर कांफ्रेंस) में इराक के पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि देने का वचन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि को इराक को किस तरह से दिया जाएगा;

(ङ) क्या इराक ने अपनी परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (च) भारत की रुचि मुख्यत: खाड़ी क्षेत्र की शांति और सम्पन्नता में है, अत: वह ईराक में घट रही घटनाओं की निगरानी बड़ी निकटता से कर रहा है। सर्वमत से अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1511 में यह निर्धारित किया गया है कि शासी परिषद और उसके मंत्री ईराकी अंतरिम प्रशासन के प्रमुख निकाय होंगे जब तक कि ईराक में अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि सरकार स्थापित नहीं हो जाती। भारत का संकल्प के विभिन्न घटकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

इस वर्ष के आरम्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की फ्लैश अपील की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने ईराकी जनता को मानवीय सहायता स्वरूप 20 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। 23-24 अक्तूबर, 2003 के बीच मैड्रिड में आयोजित दानकर्त्ताओं के सम्मेलन में ईराक की पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं के लिए क्रमश: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आई.एम.एफ. द्वारा समन्वित की जा रही ट्रस्ट निधियों के माध्यम से भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डालर की अतिरिक्त निधि प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रस्तावों को शामिल करते हुए चिकित्सीय सहायता, कम्प्यूटरों का प्रावधान, संविधान विकास प्रक्रिया और ईराकी कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता सहित अनेक प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है।

ईराक में परोक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों और विनियमों की घोषणा की गई है। भारतीय व्यापारिक समुदाय विशेषकर सी.आई.आई. एवं फिक्की इससे अवगत हैं। इस वर्ष अगस्त में फिक्की से एक 30-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने ईराक में सफल यात्रा की। फिक्की ने 7 अक्तूबर 2003 को ''फोकस ईराक'' पर एक सम्मेलन का आयोजन भी किया। केन्द्र सरकार व्यापारिक समुदाय द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई जारी रखे हुए है।

प्रौद्योगिकीविदों हेतु रोजगार अवसरों में कमी

***140. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों सहित भारतीय प्रौद्योगिकीविदों के लिए **'एच-1बी'** वीजा जारी करने की अधिकतम सीमा हाल ही में 1.95 लाख से घटाकर 65000 कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान और आज तक ऐसे कितने वीजा जारी किए गए हैं; और

(घ) इस कदम का विदेशों में इन विशेषज्ञों के रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (घ) अमरीका द्वारा एच-1बी वीजा इसलिए जारी किया जाता है कि विशेष व्यावसायिक अर्हताओं वाले विदेशी राष्ट्रिक सीमित समय के लिए अमरीका में कार्य कर सके। यह वीजा मात्र भारतीयों के लिए नहीं है, हालांकि भारतीय व्यावसायिकों ने इसका सबसे अधिक लाभ उठाया है क्योंकि कुछ अमरीकी आकलनों के अनुसार पिछले दशक में कुल जारी किये गये एच-1बी वीजाओं में से लगभग 50 प्रतिशत इन्हें जारी किये गये।

अमरीका में कुशल सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की मांग में वृद्धि होने के कारण अमरीकी कांग्रेस ने 1998 के अमेरिकन कंपिटीटिवनेस एण्ड वर्कफोर्स इम्प्रूवमेंट अधिनियम के द्वारा राजकोषीय वर्ष 1999 और 2003 के बीच एच-1बी कोटे में उत्तरोत्तर वृद्धि की। उस अधिनियम के अनुसार वार्षिक कोटे को अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2003 में 195,000 से घटाकर अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2004 से 65,000 के मूल स्तर पर ले जाया जाना था।

चूंकि अमरीकी कांग्रेस ने कोटा बढ़ाने के संबंध में अभी तक कोई विधायी कार्रवाई नहीं की है, एच-1बी वीजाओं की वार्षिक सीमा अभी भी 65,000 ही है। सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं जिससे पता चलता है कि अमरीका में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में बाजार तथा रोजगार की स्थिति सहित अन्य आर्थिक कारणों से एच-1बी कोटे को बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 195,000 के प्राधिकृत कोटे की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2002 (1.10.2001 से 30.9.2003) में पूरे विश्व में 70,000 वीजा जारी किये गये जिनमें से लगभग 44,000 भारत में जारी किये गये। 30.9.2003 को समाप्त हुए अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2003 में अधिकतम 195,000 में से पूरे विश्व में 80,000 एच-1बी वीजा जारी किये गये जिनमें से अनुमान है कि लगभग 40,000 भारत में जारी किये गये।

एच-1बी वीजा के वार्षिक कोटे में कमी से सभी देशों के सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों के अमरीका जाने का वार्षिक प्रवाह अमरीकी सूचना प्रौद्योगिकी बाजार की प्रवृत्तियों सहित बाजार से जुड़े अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अमरीकी वीजा व्यवस्था से अन्य देशों में रोजगार अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सुन्दरवन की नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

1199. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन की नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार या किसी अन्य पक्ष से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है।

(ङ) सुन्दरवन जलमार्गों को भारत-बंगलादेश सीमा पर नामखाना (हल्दिया) से रायमंगल नदी तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर पहले विचार किया जा चुका है। तथापि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं दी थी तथा सुझाव दिया था कि सुन्दरवन टाइगर आरक्षित क्षेत्र से हटकर एक वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए।

[हिन्दी]

दहेज अधिनियम

1200. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के लागू होने के बावजूद दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में पीड़ित पक्षों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिनियम और दहेज से संबंधित प्रक्रिया को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान देश में दहेज मृत्यु के मामलों में कमी आई है। ऐसी घटनाओं की संख्या वर्ष 1998 में 6975, 1999 में 6699, 2000 में 6995, 2001 में 6553 तथा 2002 में 6067 थी।

(ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार, दहेज देने, लेने अथवा देने या लेने को प्रेरित करने वाला व्यक्ति कम-से-कम पांच वर्ष के कारावास तथा कम-से-कम 15000 रुपये या दहेज में दिए गए सामान के मूल्य के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, के जुर्माने के दण्ड का भागी होगा।

(ग) और (घ) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। दहेज लेना/देना अब भी अपराध माना जाता है।

हेपेटाइटिस 'ए' और 'बी' के टीके

1201. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दलाल तिवारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हेपेटाइटिस 'ए' और 'बी' से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.जी.एच.एस. और अन्य सरकारी औषधालयों में हेपेटाइटिस 'ए' और 'बी' के टीके लगाने की सुविधाएं नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रबंध कब तक करा दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) इस समय हेपेटाइटिस-ए का टीका भारत सरकार के नेमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पाया है कि हेपाटाइटिस-ए विषाणु संक्रमण हेपाटाइटिस बी, सी और ई विषाणु संक्रमण की तुलना में सुसाध्य है। भारत में किए गए अनुसंधान अध्ययनों ने दर्शाया है कि 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों में टीका लगवाए बिना हेपाटाइटिस-ए विषाणु संक्रमण के प्रति प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है। यह रोग प्रतिरक्षण शुरू में ही विकसित हो जाता है और आजीवन जारी रहता है तथा यह टीके से मिलने वाले रोग प्रतिरक्षण से ताकतवर होता है।

सरकार ने 2002-2003 के दौरान 15 शहरों में तथा 2003-2004 के दौरान 32 जिलों में हेपाटाइटिस-बी टीकाकरण की प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इन स्थानों का चयन करने की सोच कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षणों के आधार पर नेमी रोग प्रतिरक्षण के जरिए 80 प्रतिशत से अधिक पात्र बच्चों को कवर करने की है। भारत सरकार द्वारा निर्णीत कार्यनीति के अनुसार चुनिंदा शहरों की मलिन बस्तियों में रह रहे केवल एक वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे और चुनिंदा जिलों में सभी नवजात शिशुओं को मुफ्त हेपाटाइटिस टीका लगाने की पेशकश की गई है।

उन मामलों में जहां हेपाटाइटिस-बी से प्रभावित होने का खतरा है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को हेपाटाइटिस-बी का टीका किसी सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष द्वारा लिखी गई पर्ची पर लगाया जाता है।

[अनुवाद]

युवा वैज्ञानिकों की खोज को प्रोत्साहन

1202. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से युवा वैज्ञानिकों की खोज को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नई प्रणाली लाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) भारत सरकार ने आविष्कारकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए 'राष्ट्रीय नवाचार फाउन्डेशन', 'जैव-प्रौद्योगिकी उत्पाद और प्रसंस्करण विकास एवं वाणिज्यीकरण पुरस्कार' जैसी बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थानों के युवा वैज्ञानिक भी उपर्युक्त स्कीमों के पात्र हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

1203. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान विभाग ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा और न्यायिक सूचना देने के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु अपराध प्रवण जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र में जिला-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, हां।

(ख) 21 राज्यों के 87 जिलों में जागृति शिविर आयोजित किए गए। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	1. गुना
		2. सतना
		3. इन्दौर
		4. बालघाट
		5. छिन्दवाड़ा
		6. सागर
		7. विदिशा
		8. रायसेन
		9. भोपाल
		10. उज्जैन
		11. ग्वालियर
		12. दमोह
		13. जबलपुर
2.	छत्तीसगढ़	1. बिलासपुर
		2. रायपुर
		3. दुर्ग
3.	राजस्थान	1. उदयपुर
		2. बांसवाड़ा
		3. झालावाड़
		4. बून्दी
		5. अजमेर
		6. कोटा
		7. बाड़ा
		8. अलवर
		9. गंगानगर
		10. जोधपुर
		11. भरतपुर
		12. पाली
		13. भीलवाड़ा
		14. चित्तौड़गढ़
		15. हनुमानगढ़
		16. जयपुर
4.	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. सुरेन्द्र नगर
		3. साबरकांठा
		4. बनासकांठा

1	2	3
		5. मेहसाना
		6. कच्छ
5.	महाराष्ट्र	1. नान्देड़
		2. अकोला
		3. जलगांव
		4. रत्नागिरी
		5. नासिक
		6. औरंगाबाद
		7. पुणे (शहरी)
		8. पुणे (ग्रामीण)
		9. अहमदनगर
		10. अमरावती
		11. यवतमल
		12. ठाणे (ग्रामीण)
		13. मुम्बई (शहरी)
		14. बुलदाना
6.	तमिलनाडु	1. थेणी
		2. चेंगलपेट
		3. कुड्डलोर
		4. सालेम
		5. धर्मपुरी
7.	कर्नाटक	1. बंगलौर
		2. बेल्लारी
		3. बीदर
		4. मान्डया
		5. कोलार
8.	केरल	1. व्यनाड
		2. मल्लपुरम
		3. कालीकट
		4. कोल्लम
		5. त्रिवेन्द्रम
9.	आंध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी
10.	असम	1. कामरूप
		2. सिलचर
11.	मिजोरम	1. आइजोल
12.	मणिपुर	1. थाउबल
13.	नागालैंड	1. कोहिमा
		2. दिमापुर
14.	त्रिपुरा	1. पश्चिम त्रिपुरा
15.	उत्तरांचल	1. देहरादून
16.	बिहार	1. नालन्दा
		2. लखीसराय
17.	दिल्ली	1. दक्षिणी दिल्ली
		2. पूर्व-पश्चिम दिल्ली
18.	झारखण्ड	1. रांची
19.	पंजाब	1. लुधियाना
20.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला
21.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ
		2. गाजियाबाद
		3. मिर्जापुर
		4. कानपुर

विवरण II

महाराष्ट्र के जिलों का ब्यौरा, जहां जागृति शिविर आयोजित किए गए तथा राशि व्यय की गई

क्र.सं.	महाराष्ट्र के जिलों के नाम	संगठन का नाम	किया गया व्यय (रुपयों में)
1.	औरंगाबाद	स्वयंसिद्ध महिला मण्डल, लातूर	85,000
2.	अहमदनगर	सत्यदीप महिला मण्डल	85,000
3.	पुणे ग्रामीण	चैतन्य महिला मण्डल	80,811
4.	पुणे शहरी	चैतन्य महिला मण्डल	66,124
5.	अकोला	नव चैतन्य महिला विकास मण्डल	85,000
6.	जलगांव	अहिल्यादेवी होलकर महिला ग्राम विकास मण्डल	85,000
7.	नान्देड	नवचैतन्य महिला विकास मण्डल	85,000
8.	रत्नागिरी	स्वामी स्वरूपानन्द सहकारी पट संस्था मर्यादित	85,000
9.	नासिक	अहिल्यादेवी होलकर महिला ग्राम विकास मण्डल	49,699
10.	बुलदाना	तदैव	50,757
11.	ठाणे	तदैव	58,890
12.	यवतमाल	गयानंद महान महिला मण्डल	74,525
13.	मुम्बई	भारतीय स्त्री शक्ति, महिम	85,000
14.	अमरावती	क्रान्ति ज्योति महिला मण्डल	82,506

[अनुवाद]

कालेजों और विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

1204. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कालेजों और विश्वविद्यालयों के राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार और कालेज-वार नाम क्या हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान जारी किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अनुदान का उपयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विगत पांच वर्षों अर्थात्, 1998-99 से 2002-2003 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिन विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए गए हैं उनकी राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में है। कॉलेजों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

योजनागत और योजनेतर स्कीमों के तहत वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को (राज्यवार) दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फोरन लेंग्वेज, हैदराबाद	935.44	1127.84	1107.98	981.55	1109.47
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	310.38	285.28	410.76	624.97	437.09
3.	श्री सत्य साई इन्स्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर	49.14	65.00	58.30	69.73	68.80
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3076.89	3017.87	4208.77	3484.59	3930.47
5.	उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	200.00	400.00	406.50	750.00	672.00
6.	एम.पी. यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ एंड साइंस, विजयवाड़ा	—	—	—	—	—
7.	आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर, हैदराबाद	—	—	—	—	—
8.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	344.88	457.63	451.43	358.26	446.69
9.	डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—	—	—	—	—
10.	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	84.56	38.75	164.15	93.75	173.18
11.	काकातिया, वारंगल	85.70	121.62	122.51	154.46	151.15
12.	नागार्जुन, गुंटूर	125.34	87.87	100.85	81.83	133.72
13.	उस्मानिया, हैदराबाद	407.86	436.31	387.07	453.28	523.08
14.	श्री कृष्ण देवराय, अनन्तपुर	124.24	101.81	101.72	72.93	119.41
15.	श्री वेंकटेश्वर, तिरुपति	314.48	337.52	304.05	284.81	287.76
16.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	79.71	61.00	75.98	65.18	109.88
17.	तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	36.35	70.63	55.19	27.25	71.57
18.	आचार्य एन.जी. राजे कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—	0.10	—	—	—
19.	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, वारंगल	—	—	—	—	1.26
अरुणाचल प्रदेश						
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय, इटानगर	59.09	84.64	130.18	349.04	199.56
असम						

1	2	3	4	5	6	7
1.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	966.32	2166.96	921.88	748.25	1022.61
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	877.59	1705.75	692.01	572.18	2648.41
3.	असम कृषि, जोरहाट	—	—	—	—	—
4.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	50.12	157.98	70.51	38.66	105.59
5.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	151.47	147.79	165.06	162.59	196.56
बिहार						
1.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	58.98	56.13	58.70	26.42	89.50
2.	बाबा साहेब बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	78.54	94.83	101.16	24.72	184.41
3.	के.एस. दरभंगा संस्कृत, दरभंगा	40.49	66.06	42.00	27.71	46.28
4.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	83.22	78.17	47.16	24.23	63.43
5.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	—	—	—	—	—
6.	एल.एन. मिथिला, दरभंगा	74.20	52.10	60.90	53.06	64.88
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	71.14	155.26	80.36	87.41	152.23
8.	राजेन्द्र कृषि, समस्तीपुर	—	—	—	—	—
छत्तीसगढ़						
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	47.90	82.97	61.14	21.52	71.67
2.	इन्दिरा कला संगीत, खैरागढ़	0.38	59.98	40.44	26.00	52.79
3.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	40.42	—	—	—	—
4.	पंडित रवि शंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर	37.30	95.88	57.01	53.46	109.87
दिल्ली						
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	10359.66	11138.24	11665.87	10114.04	13434.46
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	0.05	—	—	—	3.30
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	3678.44	3680.51	4196.06	3830.01	5560.98
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	6057.31	5070.34	6592.78	5781.52	7143.00
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	6.37	4.43	10.21	12.24	12.52
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	679.45	416.52	707.95	736.97	644.07
7.	स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	1.07	—	—	—	0.46
8.	श्री लाल बी.एस.आर. संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	431.88	393.23	4795.35	557.02	563.01

1	2	3	4	5	6	7
9.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ दि हिस्ट्री आफ आर्ट्स कन्जरवेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली	1.80	10.44	6.68	12.07	8.81
10.	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	—	—	—	29.50	48.46
हरियाणा						
1.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	2.48	1.77	0.70	0.17	4.09
2.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	124.04	190.46	148.52	149.55	191.40
3.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	97.19	77.52	99.21	119.38	93.68
4.	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	36.87	40.96	105.22	100.06	131.69
5.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	—	—	0.67	—	1.50
गुजरात						
1.	भावनगर, भावनगर	112.37	69.00	431.23	49.89	72.34
2.	गुजरात, अहमदाबाद	181.16	165.13	1654.31	147.74	236.05
3.	गुजरात कृषि, दांतवाड़ा	—	—	—	—	—
4.	गुजरात आयुर्वेद, जामनगर	—	3.00	—	—	—
5.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	877.71	644.97	830.41	688.50	915.66
6.	एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदरा	246.29	191.40	497.27	369.23	235.80
7.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	70.77	42.28	80.73	25.42	79.48
8.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	168.51	266.69	150.12	649.03	148.04
9.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	132.84	134.91	367.93	94.86	214.19
10.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	78.89	99.51	454.39	62.68	85.80
गोवा						
1.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	122.58	123.90	86.36	186.16	177.30
हिमाचल प्रदेश						
1.	हिमाचल प्रदेश, शिमला	113.74	142.88	170.15	614.47	200.75
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि, पालमपुर	—	—	—	—	2.44
3.	डा. वाई.एस.पी. यूनीवर्सिटी आफ होरटीकल्चर एंड फोरेस्ट्री, सोलन	—	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर						
1.	जम्मू, जम्मू	82.09	94.06	126.90	80.21	135.63

1	2	3	4	5	6	7
2.	कश्मीर, श्रीनगर	206.95	134.24	140.99	129.82	2200.71
3.	शेर-ए-कश्मीर यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर	—	0.72	0.66	1.44	—
झारखंड						
1.	बिरसा कृषि, रांची	—	—	—	—	—
2.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	38.13	96.83	72.05	32.26	140.35
3.	बी.आई.टी., मेसरा रांची	72.15	98.20	181.87	220.38	336.29
4.	इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	93.39	20.81	12.06	91.17	10.08
5.	विनोबा भावे, हजारीबाग	—	—	—	0.74	—
कर्नाटक						
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	293.58	235.22	120.07	209.09	271.99
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	266.20	416.73	120.50	205.71	141.00
3.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	1.55	—	—	—	—
4.	गुलबर्गा, गुलबर्गा	96.79	84.95	62.27	81.11	97.60
5.	कन्नड, हम्पी	—	54.00	29.00	17.86	48.63
6.	कर्नाटक, धारवाड	208.81	291.51	170.67	636.85	163.78
7.	कोवेम्पु, शिमोगा	53.47	77.92	63.35	116.16	91.82
8.	मंगलौर, मंगलौर	121.54	121.84	94.57	125.99	117.33
9.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	—	—	0.61	1.00	—
10.	मैसूर, मैसूर	262.63	291.78	209.01	326.19	244.67
11.	भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, बंगलौर	45.91	106.10	66.22	46.92	58.33
12.	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंस, बंगलौर	4.61	9.05	—	—	2.00
13.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	—	—	1.00	—	0.71
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	0.81	—	—	—	—
केरल						
1.	कालीकट, कोजीकोड	252.97	174.53	166.39	128.67	210.74
2.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि	119.73	140.78	165.58	679.48	256.75
3.	केरल, तिरुअनंतपुरम	196.84	147.01	265.25	144.48	205.76

1	2	3	4	5	6	7
4.	केरल कृषि, त्रिशूर	—	—	—	—	—
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	81.35	163.27	60.75	91.39	113.45
6.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालाडी	—	—	20.67	—	0.71
7.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	—	—	0.18	—	—
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	—	—	—	—	0.58
मणिपुर						
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	140.59	142.32	95.48	123.25	165.92
मध्य प्रदेश						
1.	अवधेश पी. सिंह, रीवा	62.58	58.47	95.84	25.95	68.34
2.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	112.40	284.84	126.83	48.69	91.68
3.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	27.40	31.42	50.17	34.10	55.23
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	167.91	336.19	133.81	466.17	200.68
5.	डा. एच.एस. गौड विश्वविद्यालय, सागर	122.68	153.58	239.76	150.83	236.97
6.	जवाहर लाल नेहरू कृषि, जबलपुर	—	—	—	—	—
7.	जिवाजी, ग्वालियर	91.81	95.09	72.18	101.86	111.10
8.	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	16.19	42.34	5.26	8.26	71.00
9.	माखनलाल सी.आर.पी. विश्वविद्यालय, भोपाल	—	—	—	—	—
10.	प्राच निकेतन सेन्टर आफ एडवान्स स्टडी फॉर इन्डोलॉजी एण्ड म्यूजीमोलॉजी	—	0.87	—	—	—
11.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	102.44	143.67	144.11	118.22	176.16
12.	विक्रम, उज्जैन	79.64	105.33	73.48	78.74	97.53
13.	एम.पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल	—	—	9.71	1.40	1.90
महाराष्ट्र						
1.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	67.08	67.73	61.84	29.21	79.69
2.	डा. बी.एस.ए. टेक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी, लोनेर	—	—	—	—	—
3.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	518.58	510.65	475.73	492.83	472.76
4.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	—	—	—	—	—
5.	महात्मा फूले कृषि, राहूरी	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी	3.01	—	—	-	—
7.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	99.11	99.78	133.57	74.32	164.69
8.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	114.44	80.57	129.11	137.40	252.39
9.	उत्तरी महाराष्ट्र, जलगांव	62.82	54.75	59.92	48.52	101.35
10.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	449.28	387.75	1078.50	1420.60	358.62
11.	पंजाबराव कृषि, अकोला	—	4.05	—	—	—
12.	एस.एन.डी.टी. महिला, मुम्बई	245.02	114.40	93.75	203.12	168.13
13.	शिवाजी, कोल्हापुर	80.76	195.17	123.38	61.35	136.23
14.	यशवन्त राव चव्हाण, नासिक	—	—	—	—	1.50
15.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा, नांदेड	61.48	32.45	42.34	43.67	70.26
16.	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फिसरीज एजुकेशन, मुम्बई	—	—	—	—	—
17.	दक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे	59.00	22.78	3.75	33.54	51.33
18.	गोखले इन्स्टीट्यूट आफ पॉलीटेक्निक एंड इकोनामिक, पुणे	68.17	55.02	31.03	34.83	76.47
19.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन साइंस, मुम्बई	10.00	9.35	2.97	2.88	5.04
20.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, मुम्बई	881.39	821.09	859.12	789.97	1053.27
21.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	36.47	23.30	23.21	1.00	73.48
22.	एम.जी. अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	100.49	50.00	—	665.75	502.25
23.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	6.80	6.40	12.82	3.30	18.98
24.	हाफकिन्स इन्स्टीट्यूट आफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च	0.49	—	—	—	4.71
मिजोरम						
1.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	—	—	—	1320.27	2127.98
मेघालय						
1.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	3571.24	4095.19	3840.83	3369.31	4035.21
नागालैंड						
1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1707.41	1755.57	1669.15	1249.02	2010.34
उड़ीसा						
1.	ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर	100.59	205.62	119.35	33.93	129.50

1	2	3	4	5	6	7
2.	उड़ीसा यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	1.21	—	—	—	—
3.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	106.74	112.57	111.86	124.37	199.73
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	28.20	111.91	34.76	42.95	56.83
5.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	142.39	372.44	248.35	161.73	236.01
पांडिचेरी						
1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	1708.02	1710.99	1043.62	1507.35	1683.83
पंजाब						
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	200.71	192.53	219.42	693.53	277.95
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	271.95	388.11	399.49	984.92	521.88
3.	पंजाब एग्रीकल्चर, लुधियाना	4.11	0.75	2.89	1.66	12.13
4.	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	111.72	174.69	123.59	81.39	117.66
5.	थापा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	—	—	107.98	256.37	242.39
राजस्थान						
1.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	371.83	99.06	370.42	938.64	40.36
2.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी	72.15	22.25	104.70	143.52	151.36
3.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	0.35	—	2.34	—	2.24
4.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	176.50	227.28	156.64	132.29	267.40
5.	जे.वी. भारती संस्थान, लाडनून	79.24	27.02	65.35	26.63	37.51
6.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	58.06	78.72	49.88	23.34	81.22
7.	एम.एल. सुखाडिया वी. विश्वविद्यालय, उदयपुर	125.37	102.77	60.89	34.63	204.08
8.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	30.45	44.81	42.16	33.58	61.45
9.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	0.05	—	—	—	—
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	167.39	285.82	281.90	237.90	206.38
तमिलनाडु						
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, करीकुडी	74.31	66.31	59.51	31.59	69.84
2.	अन्नामलाई, अन्नामलाई नगर	151.43	83.51	102.80	171.82	183.31
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	360.03	266.81	281.72	951.48	493.62

1	2	3	4	5	6	7
4.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	86.95	85.31	94.68	103.06	114.82
5.	भारती डी सेन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	102.59	167.41	134.77	35.16	140.28
6.	डा. एम.जी.आर. मेडिकल, चेन्नई	—	0.53	—	—	—
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	355.16	313.81	965.80	780.96	355.24
8.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	212.79	242.89	154.70	848.90	222.09
9.	मदर टेरेसा यूनीवर्सिटी फॉर वूमैन, कोडाईकनाल	33.50	40.17	50.60	21.46	62.56
10.	एम. सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवैली	51.46	50.19	52.32	48.20	79.31
11.	तमिलनाडु एग्रीकल्चर, कोयम्बटूर	3.00	2.91	4.33	2.33	4.00
12.	तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावूर	63.68	64.64	40.09	29.55	77.24
13.	टी.एन.वी. एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1.38	—	—	—	—
14.	सी.एल.आर.आई., चेन्नई	—	0.30	—	0.30	—
15.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	—	0.13	—	—	—
16.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	739.31	753.18	821.48	894.36	990.86
17.	श्री चन्द्रशेखर नंदा सारस्वती न्यायशास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम	37.52	22.02	67.00	23.00	57.70
18.	श्री अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फार वूमेन, कोयम्बटूर	789.97	630.36	726.96	714.08	930.90
19.	श्री रामचन्द मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	—	1.11	1.48	8.80	—
20.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	-	—	0.22		—
21.	शान मग्गू आर्टस, साइंस टेक्नोलाजी एंड रिसर्च एकेडमी, तन्जावूर	-	—	—	16.00	—
22.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, वेल्लौर	—	—	—	—	5.51
त्रिपुरा						
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	61.29	69.05	56.70	37.57	81.26
उत्तरांचल						
1.	श्री बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	38.17	6.19	9.68	18.94	20.05
2.	एच.एन.बी. (गढ़वाल) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	54.01	111.05	111.83	139.59	116.50
3.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	72.17	78.37	91.63	73.62	118.73
4.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	412.09	464.35	535.22	259.47	0.50
5.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	1.08	2.15	3.84	1.40	5.45

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	648.86	482.32	610.83	531.96	642.76
उत्तर प्रदेश						
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	137.80	338.10	289.80	877.73	329.70
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	6338.72	15747.16	15790.24	15354.87	18300.65
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	7712.79	16241.26	16179.12	15134.81	16785.20
4.	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	1.09	—	2.09	76.37	50.60
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	114.30	177.75	90.89	101.62	121.46
6.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी श्विविद्यालय, कानपुर	—	—	—	—	—
7.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	40.55	72.07	59.88	62.02	81.37
8.	डा. राममनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	62.42	51.40	47.87	26.00	58.40
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	130.15	159.21	100.15	131.29	178.53
10.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	31.95	60.40	39.82	31.31	71.35
11.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	117.47	220.79	259.61	209.36	210.36
12.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	45.80	69.09	57.99	35.71	62.30
13.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	31.60	89.52	52.58	50.73	73.19
14.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	—	—	—	—	—
15.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	—	—	—	103.00	54.28
16.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	34.02	47.18	45.88	101.57	45.61
17.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	526.97	370.00	51.50	714.00	812.61
18.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	30.67	11.90	34.00	16.86	31.72
19.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	421.55	360.55	466.87	469.36	512.55
20.	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ	—	—	—	16.00	—
21.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	—	—	—	—	3.00
22.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद	—	—	—	—	3.53
23.	भरतखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ	—	—	—	—	1.50
पश्चिम बंगाल						
1.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	160.83	287.85	133.25	131.01	176.31

1	2	3	4	5	6	7
2.	बी.सी. कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	0.45	1.19	—	—	—
3.	बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा	89.40	17.38	60.75	96.09	91.74
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	348.21	348.87	228.85	407.14	399.60
5.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	313.23	433.45	828.12	1109.76	466.44
6.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	67.47	75.10	84.41	79.21	96.97
7.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	88.36	110.13	71.44	90.60	128.08
8.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकत्ता	30.79	154.22	74.57	42.66	106.93
9.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	93.53	66.99	64.71	32.66	77.33
10.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन	4488.93	4046.13	4712.63	3944.56	5157.33
11.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	—	—	—	1.01	—

एच.आई.वी. पीड़ित बच्चों के लिए विशेष पैकेज

1205. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच.आई.वी. पीड़ित बच्चों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 15 वर्ष से कम आयु के एड्स पीड़ित बच्चों को सरकारी अस्पतालों में एन्टी-रिट्रोवायरल चिकित्सा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस उपचार कार्यक्रम को पहली अप्रैल, 2004 से छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नागालैण्ड में चरणबद्ध ढंग से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

नकली दवाएं

1206. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 13.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3062 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औषध नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण बाजार में उपलब्ध औषधों की गुणवत्ता की जांच-परख करने के लिए समय-समय पर विनिर्माण तथा बिक्री स्थलों, अस्पतालों, चिकित्सा स्टोर डिपो आदि से आधुनिक एलोपैथिक औषधों के नमूने यादृच्छिक तौर पर उठाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए गए और नकली पाए गए नमूनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों और चिकित्सा एवं परा चिकित्सा स्टाफ से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) और भारत के औषध महानियंत्रक सदस्य के रूप में होंगे, द्वारा जांच कराई जाए। इस प्रयोजन से सरकार द्वारा गठित समिति ने जांच समिति की संस्तुतियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो संलग्न विवरण-II पर रखी है।

सरकार ने जांच रिपोर्ट की छानबीन की है और इसे सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान लिए गए नमूने और नकली पाए गए नमूनों का ब्यौरा

वर्ष	2000-2001	2001-2002	2002-2003
लिए गए नमूनों की संख्या	1249	1557	2545
उन केसों/औषधियों की संख्या जहां नकली औषधियां पकड़ी गई	3 केस (05 औषधियां)*	6 केस (18 औषधियां)**	12 केस (34 औषधियां)***

* 5 सूचित नकली औषधियों में से 4 औषधियां ऐसे परिसरों में छापे के दौरान पकड़ी गई थी जिनके पास लाइसेंस नहीं थे।

** 18 सूचित नकली औषधियों में से 12 औषधियां लाइसेंसहीन परिसरों पर छापे के दौरान पकड़ी गई थी।

*** 34 सूचित नकली औषधियों में से 30 औषधियां लाइसेंसहीन परिसरों में छापे के दौरान पकड़ी गई थी।

विवरण II

समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए:

(क) यूनानी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो के तत्कालीन प्रभारी और क्रय सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव डा. एम. शमूम, न्यूरोटोन की गोली की अनुमोदित आपूर्ति प्राप्त नहीं करने और पी.ए.सी. द्वारा रिकार्ड किए गए नोट के बावजूद कम वजन की गोलियों की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अकेले जिम्मेवार हैं। आपूर्ति आदेश देते समय उन्होंने इस मामले को संबंधित फर्म के साथ नहीं उठाया। न केवल आपूर्तियां प्राप्त की गई बल्कि उनको आगे वितरण के लिए औषधालयों को भी भेज दिया गया। इसलिए, इस अधिकारी का कार्य और आचरण ऐसा है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए शोभनीय नहीं है और वे अपने पद से जुड़े कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई है क्योंकि फर्म से प्राप्त कम वजन की आपूर्तियों के लिए पूरा भुगतान किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने फर्म के गैर-कानूनी कार्य उचित ठहराकर प्राधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की है।

(ख) क्रय सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहे हैं क्योंकि वे कम वजन की दवाइयों को शर्त के साथ अनुमोदित करते समय उन्हें पूर्णतया अस्वीकार नहीं कर पाए। यहां तक कि अनुमोदन विवरण पर रिकार्ड किए गए नोट के अनुपालन हेतु अगली बैठक में निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ग) निरीक्षण समिति के सदस्य भी पी.ए.सी. द्वारा रिकार्ड की गई कम वजन की दवाइयों के बारे में आपत्ति को विशेष रूप से जानते हुए अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में और उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे।

(घ) तत्कालीन अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अध्यक्ष, पी.ए.सी. और निरीक्षण समिति में समान सदस्य रखने के लिए और शिकायतों के बावजूद उपयुक्त और समयोचित कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए जिम्मेवार है यद्यपि वह पी.ए.सी. का अध्यक्ष था।

सिफारिशें:

(क) वर्तमान में खरीद सलाहकार समिति में अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, उप सलाहकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति, 4 यूनानी चिकित्सक, लेखा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो और उप-सलाहकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के सबसे वरिष्ठ दो प्रभारियों वाली निरीक्षण समिति शामिल है। समिति सिफारिश करती है कि चूंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अलग विभाग है; कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धतियों (स्ट्रीम्स) से संबंधित डाक्टरों के संवर्ग को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण है; कि यह विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विषयों से संबंधित कई परिषदों का संचालन करता है, इसलिए एलोपैथी पद्धति के डाक्टरों के लिए

आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि के लिए औषधियों हेतु खरीद समितियों/निरीक्षण समिति का अध्यक्ष बनना उपयुक्त नहीं है। वास्तव में आधुनिक पद्धति डाक्टरों की अध्यक्षता वाली ऐसी समितियों की सिफारिशों की विश्वसनीयता स्वयं में ही संदेहास्पद है। इन बातों को देखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि पी.ए.सी. और निरीक्षण समिति दोनों को, प्रत्येक समिति के पृथक रूप से विचारार्थ विषय के साथ, गठित करने का उत्तरदायित्व अपने स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का है। विभाग द्वारा अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञों/डाक्टरों में से चुने जा सकते हैं। पी.ए.सी. फार्मूलरी को अंतिम रूप देने, फर्मों के पंजीकरण और आपूर्ति आदेशों को देने के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि, ये समितियां निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को रिपोर्ट करेंगी।

(ख) समिति ने यह पाया है कि पी.ए.सी. तथा निरीक्षण समिति के कुछ सदस्य साझा सदस्य थे। समिति सिफारिश करती है कि दोनों समितियों के सदस्य अलग-अलग होने चाहिएं और इनका सी.वी.सी. दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

(ग) समिति ने यह पाया कि पी.ए.सी. अथवा निरीक्षण समिति के लिए अथवा स्टोर प्रभारी के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु और विश्वसनीय फार्मों के पंजीकरण के लिए पी.ए.सी. निरीक्षण समिति की ओर स्टोर प्रभारी की शक्तियां और उत्तरदायित्व सुस्पष्टता से वर्णित हो।

(घ) समिति को यह देखकर निराशा हुई कि यूनानी स्टोर में आधारभूत भारण यंत्र भी उपलब्ध नहीं थे। स्टोर कम से कम पर्याप्त रूप से कुछ आधारभूत जांच यंत्रों से सुसज्जित होना चाहिए।

(ङ) केवल शिकायतों पर प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा सभी स्तरों पर पहले मानिटरिंग की आवश्यकता है। निरन्तर निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

(च) यूनानी फार्माकोपिया में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी डाक्टरों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण उनके ज्ञान/कार्यकुशलता को अद्यतन करेगा और उसमें वृद्धि करेगा।

(छ) चूंकि इन औषधियों के लिए कोई विशिष्ट प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि पी.ए.सी. अपेक्षित मानदण्डों/विनिर्देशों के अनुरूप होने में असफल रहने वाली आपूर्तिकर्ता फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु संविदाओं में दण्डात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करने पर विचार करें।

(ज) समिति यह सिफारिश करती है कि सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों में विगत तीन वर्षों हेतु विशेष लेखा परीक्षा और दवाइयों का शत प्रतिशत प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाए।

इजराइल के साथ अंतरिक्ष सहयोग

1207. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इजराइल के साथ द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इजराइल की अन्तरिक्ष एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष में सहयोग के क्षेत्र में अक्तूबर, 2002 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संयुक्त उद्यम नीति को नए सिरे से शुरू करना

1208. श्री मोहन रावले: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन प्रमुख पत्तनों में संयुक्त उद्यम नीति को नए सिरे से शुरू करने का है जिनके लिए जून, 1998 में मार्ग-निर्देशों की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) संयुक्त उद्यम नीति के अंतर्गत अब तक विकसित परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ग) सरकार ने महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है, इसमें उन्हें अद्यतन बनाने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें संशोधित करने एवं इस विषय पर समेकित दिशा-निर्देश जारी करने के उद्देश्य से महापत्तनों द्वारा संयुक्त उद्यम बनाने संबंधी मार्गनिर्देश भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, यह बता पाना व्यवहार्य नहीं होगा।

(घ) शून्य।

प्रमुख पत्तनों का विकास

1209. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को राज्य में प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) कोचीन पत्तन केरल में एकमात्र महापत्तन है। केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से कोचीन पत्तन क्षेत्र में वल्लारपदम में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल के विकास और इसको रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये परियोजनाएं कोचीन पत्तन के लिए एकीकृत विकास योजना में पत्तन विकास के लिए जारी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सम्मिलित कर ली गई है।

वाइस मेल सेवा के लिए ट्राई के निर्देश

1210. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्रीमती प्रभा राव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) द्वारा विशेष रूप से सिर्फ सुविधा मांगने वालों को ही वाइस मेल सेवा प्रदान करने हेतु सेल्यूलर कंपनियों को निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेश का सेल्यूलर कंपनियां अनुपालन कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सेल्यूलर कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सेल्यूलर कंपनियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी सेल्यूलर प्रचालकों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे सेल्यूलर उपभोक्ताओं की सहमति पर ही वायरस मेल सेवा प्रदान करें।

(ख) मैसर्स भारती सेल्यूलर लि. को छोड़कर सभी सेल्यूलर कंपनियों ने अनुदेशों का अनुपालन किया है। मैसर्स भारती सेल्यूलर लि. ने स्पष्ट किया है कि वे एसएमएस (शार्ट मेसेजिंग सर्विस) के जरिए सूचना देकर उपभोक्ताओं की सहमति ले रहा है कि उपभोक्ताओं से वॉयस मेल मेसेज की ''री ट्राइविंग'' के लिए प्रभार लिया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से वॉयस मेल सेवा ''डीऐक्टिवेट'' कर सकते हैं। मेसर्स भारतीय सेल्यूलर ने नये उपभोक्ताओं के संदर्भ में यह पुष्टि की है कि वे आवेदक के फार्म में ही उपभोक्ता की सहमति ले लेगा। मेसर्स भारती ने तर्क दिया है कि इसे उपभोक्ता की सहमति के रूप में माना जाना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस बारे में शिकायतें हैं कि वॉयस मेल सेवा उपभोक्ता द्वारा इसकी विशिष्ट रूप से मांग किए बिना और/अथवा उपभोक्ता की सहमति के बिना, चूक आधार (डिफाल्ट बेसिज) पर प्रदान की गयी है।

(च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने शिकायतें प्राप्त करने के पश्चात सेल्यूलर कम्पनियों को उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के अनुसार अनुदेश जारी किया था।

शैक्षिक सुधार

1211. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान शैक्षिक सुधार के नाम पर शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के निजीकरण करने की सरकार की पहल के विरुद्ध आंदोलन करने के असम कालेज टीचर्स एसोसिएशन (ए.सी.टी.ए.) के निर्णय की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) निर्धन और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों पर उच्च शिक्षा के ऐसे सुधार का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को असम कॉलेज शिक्षक संघ के ऐसे किसी निर्णय की कोई जानकारी नहीं है।

भुवनेश्वर-पुरी सड़क मार्ग का सुधार

1212. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर-पुरी सड़क मार्ग के सुधार हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) भुवनेश्वर-पुरी सड़क एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। केन्द्र सरकार इसके विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है तथा सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस सड़क की 61.521 कि.मी. की कुल लंबाई का 59 कि.मी., विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पहले ही सुधार लिया गया है और शेष खंड पर कार्य चल रहा है। इस सड़क को 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने के बाद सरकार ने इसके सुधार के लिए 21.01 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

मातृत्व लाभ योजना का क्रियान्वयन

1213. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए कोई प्रसव-पूर्व या प्रसव-पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मनदंड निर्धारित किए हैं कि यह राशि जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके;

(घ) क्या योजना के बारे में सुदूर गांवों में जागरूकता बढ़ाने के क्रम में इसे व्यापक प्रचार देने की कोई व्यवस्था की गई है? और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की उन महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिए 500 रुपए प्रति गर्भ की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है जो 19 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की है। यह मातृत्व लाभ सामान्यत: बच्चे के जन्म से 12-8 सप्ताह से पहले वितरित किया जाता है।

(ग) इस स्कीम में यह प्रावधान है कि स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम पंचायत/नगर पालिका एक सक्रिय भूमिका अदा करेंगी। इस स्कीम में यह भी निर्धारित है कि केन्द्रीय सहायता अधिमानत: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों तथा शहरी क्षेत्रों में पड़ौस/मोहल्ला समिति की बैठकों जैसी सार्वजनिक बैठकों में वितरित की जाए।

(घ) और (ङ) राज्य/संघ राज्य सरकारों को स्कीम के अंतर्गत लाभों और इसकी प्रक्रियाओं का पोस्टरों, पुस्तिकाओं, प्रचार-माध्यमों और अन्य माध्यमों से व्यापक और सतत् प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन प्रपत्र पर्याप्त संख्या में स्थानीय भाषा में उपलब्ध हों। आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज और सरल होनी चाहिए। जिलाधीशों को अथवा किन्हीं भी ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें

इस स्कीम के कार्यान्वयन का शीर्ष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उन्हें अपने जिलों में स्कीम और इसकी प्रक्रियाओं हेतु व्यापक प्रचार करने के लिए उत्तरदायी भी बनाया गया है। पंचायतों/नगरपालिकाओं को स्कीम के अंतर्गत लाभ को प्राप्त करने के लिए स्कीम और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। राज्यों और जिलों को प्रशासनिक व्यय पूरा करने हेतु धन भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई और कराची के बीच फेरी सेवा

1214. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई और कराची के बीच फेरी सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने मुम्बई और कराची के बीच फेरी सेवा के शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई है कि फेरी सेवा की संभावना पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1215. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक स्वास्थ्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी विदेशी स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता में से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अनुदान/ऋण का उपयोग

(रकम हजारों में; दाता की मुद्रा में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	दाता	मुद्रा	करार की तारीख	ऋण की रकम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				अनुदान					
1.	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	जर्मनी	डीईएम	23.7.1996	3284.29	1059.70	0.00	0.00
2.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	डीईएम	22.6.1999	1998.03	1998.03	0.00	0.00
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-2	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डीकेके	17.9.1991	70000.00	0.00	4331.84	0.00
4.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चरण-1	उड़ीसा	डेनमार्क	डीकेके	2.12.1996	54800.00	0.00	2475.37	911.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना चरण-3	तमिलनाडु	डेनमार्क	डीकेके	24.12.1996	102500.00	0.00	16372.08	0.00
6.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डीकेके	7.11.1997	55000.00	2140.54	8700.54	7072.14
7.	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-3	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डीकेके	16.11.1998	76400.00	0.00	0.00	1838.76
8.	बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं	मध्य प्रदेश	डेनमार्क	डीकके	15.11.1999	58400.00	0.00	8262.78	6746.82
9.	बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं	छत्तीसगढ़	डेनमार्क	डीकेके	15.11.1999	21000.00	0.00	3875.97	1414.43
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास	केन्द्रीय क्षेत्र	ई.ई.सी.	ईयूआर	2.9.1997	240000.00	27000.00	31540.00	ს.00
11.	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-3	केन्द्रीय क्षेत्र	जर्मनी	ईयूआर	29.10.2001	10225.84	0.00	8525.93	1073.09
12.	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या ओआरईटी परियोजना	गुजरात	नीदरलैंड	ईयूआर	27.11.197	18072.27	0.00	2093.27	0.00
13.	बुनियादी स्वास्थ्य	महाराष्ट्र	जर्मनी	ईयूआर	23.7.1996	10225.84	0.00	1194.96	106.08
14.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	ईयूआर	22.6.1999	0.00	566.16	473.02	-
15.	यौन स्वास्थ्य के लिए भागीदारी	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा	यू.के.	जीबीपी	5.10.1999	28100.00	2381.58	2639.86	0.00
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए उड़ीसा अंतरिम सहायता	उड़ीसा	यू.के.	जीबीपी	29.11.2002	1189.00	0.00	0.00	67.04
17.	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण-3	उड़ीसा	यू.के.	जीबीपी	21.8.1997	174800	289.38	726.34	0.00
18.	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या ओआरईटी परियोजना	गुजरात	नीदरलैंड	एनएलजी	27.11.1997	79652.07	4186.53	0.00	0.00
19.	एड्स निवारण एवं नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएसए	यूएसडी	30.9.1992	11913.00	1592.22	1340.35	326.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीनता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएसए	यूएसडी	30.9.1992	103989.08	8380.00	5783.00	8869.00
21.	गरीबों के लिए समुदाय आधारित पहल कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनडीपी	यूएसडी	5.9.1997	13500.00	1590.94	1877.98	0.00
22.	एचआईवी/एड्स अनुक्रिया के लिए सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनडीपी	यूएसडी	22.3.2001	1500.00	0.00	208.46	0.00
23.	बिना चीरा बिना टांका बंध्यीकरण की व्यवस्था	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	15.5.1997	1361.26	601.45	304.29	0.00
24.	राजस्थान में एकीकृत जनसंख्या एवं विकास	राजस्थान	यूएनएफपीए	यूएसडी	14.7.1998	12062.90	1638.22	1127.95	1314.62
25.	जिला प्रजनक स्वास्थ्य मल्लापुरम	–	यूएनएफपीए	यूएसडी	9.8.1997	749.57	12495.45	0.00	0.00
26.	प्रजनक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	3.8.1998	408.09	109.95	21.72	3.05
27.	लिंग संबंधी मुद्दों के लिए सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	15.9.1999	483.55	322.55	161.14	0.00
28.	जनसंख्या, प्रजनन स्वास्थ्य की हिमायत	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	8.11.1999	139.03	62.28	48.55	28.43
29.	सुरक्षित मातृत्व को वास्तविक बनाना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.4.2000	488.51	282.18	207.46	0.00
30.	लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम	हरियाणा	यूएनएफपीए	यूएसडी	22.7.2003	55.67	0.00	000	124.44
31.	समेकित जनसंख्या एवं विकास	महाराष्ट्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	4.2.1999	4595.52	1751.73	1677.66	1770.07
32.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	बहुराज्यीय	आईबीआरडी	यूएसडी	30.1.2003	5651.00	0.00	0.00	1000.00
33.	कर्नाटक क्षेत्र स्तरीय अस्पताल विकास परियोजना	कर्नाटक	जर्मनी	डीईएम	16.1.1997	12676.24	8111.69	0.00	0.00
34.	कर्नाटक क्षेत्र स्तरीय अस्पताल विकास परियोजना	कर्नाटक	जर्मनी	डीईएम	16.1.1997	13804.88	0.00	2232.74	1818.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूनाइटेड किंगडम	जीबीबी	2.1.2002	98000.00	19795.95	19590.37	0.00
36.	अम्ब्रेला परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.4.1997	1.08	0.00	1.10	0.00
37.	कर्नाटक समेकित स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार कल्याण	कर्नाटक	आईडीए	यूएसडी	3.1.2002	680.00	0.00	68.00	0.00
ऋण									
1.	नामची अस्पताल का आधुनिकीकरण	सिक्किम	फ्रांस	ईयूआर	1.7.1997	3658.78	0.00	284.73	0.00
2.	एसजीपीजीआईएस लखनऊ को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन	उत्तर प्रदेश	फ्रांस	यूआर	25.1.1998	4604.10	0.00	309.04	83.55
3.	नामची अस्पताल का आधुनिकीकरण	सिक्किम	फ्रांस	एफआरएफ	1.7.1997	22103.51	93.09	0.00	0.00
4.	एसजीपीजीआईएस लखनऊ को चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन	उत्तर प्रदेश	फ्रांस	एफआरएफ	25.1.1998	29521.88	1568.80	0.00	0.00
5.	रायचूर जिला अस्पताल परियोजना	कर्नाटक	ओपेक	यूएसडी	6.6.1991	9000.00	728.87	0.00	0.00
6.	रीवा अस्पताल परियोजना	मध्य प्रदेश	ओपेक	यूएसडी	28.2.1989	10000.00	1686.40	0.00	0.00
7.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एक्सडीआर	22.12.1994	90700.00	11789.90	5917.90	0.00
8.	परिवार कल्याण (शहरी मलिन बस्ती) परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	4.2.1994	57700.00	14900.1	8414.60	0.00
9.	द्वितीय समेकित बल विकास परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	23.3.1993	141600.00	26138.86	11934.86	0.00
10.	मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.5.1994	68762.02.36	18747.88	11916.38	-1937.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	परिवार कल्याण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	24.6.1994	61608.04	14631.80	8080.53	0.00
12.	क्षय रोग नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	14.3.1997	98400.00	8557.55	11138.66	7926.47
13.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	30.7.1997	119200.00	11326.63	8023.21	7059.10
14.	द्वितीय राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	14.9.1999	140820.00	24841.56	20537.84	7884.78
15.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.5.2000	106500.00	19045.95	24616.12	16980.46
16.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	19.7.2001	23300.00	3137.44	10843.96	3395.40
17.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	30.7.1997	179500.00	54457.08	20144.33	7963.00
18.	महिला एवं बाल विकास परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्सडीआर	6.7.1999	222500.00	26582.15	45993.98	4202.18
19.	भूकम्प के लिए जीवका सुरक्षा परियोजना	गुजरात	आईडीए	एक्सडीआर	18.2.2002	11650.00	0.00	0.00	735.57
20.	द्वितीय स्वास्थ्य प्रणाली विकास	बहुराज्यीय	आईडीए	एक्सडीआर	18.4.1996	235500	39311.61	38937.80	8121.10
21.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	बहुराज्यीय	आईडीए	एक्सडीआर	19.5.2000	82100.00	998.07	6435.98	4775.06
22.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	उड़ीसा	आईडीए	एक्सडीआर	13.8.1998	5680.00	4045.75	5217.07	2768.43
23.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	महाराष्ट्र	आीडीए	एक्सडीआर	14.1.1999	97900.00	7635.03	12984.93	8748.80
गैर-सरकारी अनुदान									
1.	पीएसएस एवं पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन	दिल्ली	जर्मनी	ईयूआर	20.12.1996	7669.38	0.00	126.10	0.00

विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सहायता

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता द्विवर्ष आधार पर प्रदान की जाती है। द्विवर्ष 2000-2001 और 2002-03 के दौरान स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आबंटन को दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

अनुबंध

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित आबंटन (यू.एस. डालर में)
1	2	3
I. संचारी रोग		
	1. मलेरिया नियंत्रण और काला-आजार	168,000
	2. क्षय रोग	425,000
	3. अन्य संचारी रोग	100,000
II. गैर-संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य		
	4. कैंसर नियंत्रण	474,750
	5. कार्डियोवास्कूलर रोग	170,000
	6. तम्बाकू	1,062,500
	7. मानसिक स्वास्थ्य और तत्व व्यसन	127,500
	8. अपंगता, चोट निवारण और पुनर्वास+व्यावसायिक स्वास्थ्य	255,000
III. परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य		
	9. एच.आई.वी./एड्स	170,000
	10. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा किशोरावस्था स्वास्थ्य	1,275,000
	11. नर्सिंग	735,250
IV. सुपोषणिक विकास और स्वास्थ्यकर पर्यावरण		
	12. खाद्य निरापदता	337,000
	13. पोषण	185,000
	14. स्वास्थ्य और पर्यावरण	219,500
V. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स		
	15. रोग प्रतिरक्षण और वैक्सीन विकास	175,000
	16. अत्यावश्यक दवाइयां	460,000
	17. पारंपरिक चिकित्सा	510,000

1	2	3
VI. नीति हेतु साक्ष्य और सूचना		
	18. स्वास्थ्य सूचना और प्रबंधन	32,000
	19. अनुसंधान नीति और संवर्धन	1,130,000
	20. स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन और आदिवासी स्वास्थ्य	512,250
VII. अन्य		
	21. औषध दुर्व्यसन निवारण/तत्व व्यसन का नियंत्रण	115,000
	22. याज उन्मलून	34,000
	23. कुष्ठ	85,000
	24. सभी के लिए स्वास्थ्य	473,450
	25. दृष्टिहीनता	113,500
	26. गरीबों को अधिकार संपन्न बनाना	180,000
	27. महिला स्वास्थ्य	255,000
	28. सुपोषण विकास के लिए स्वास्थ्य चिन्ता	387,000
	29. बहरापन	147,000
	30. वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	272,000
	31. जलापूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण)	210,800
	32. जलापूर्ति और स्वच्छता (शहरी)	119,000
	33. स्वस्थ नगर	188,700
	34. विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति	1,733,800
	कुल	12,838,000

विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री बजट 2002-2003 कार्य योजना

(आंकड़े अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित आवंटन
1	2	3
I. संचारी रोग		
	1. मलेरिया नियंत्रण और काला-आजार	200,000
	2. क्षयरोग	100,000

1	2	3
	3. अन्य संचारी रोग	100,000
	4. संचारी रोग निगरानी	100,000
II. गैर-संचारी रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य		
	5. कैंसर नियंत्रण	650,000
	6. कार्डियोवास्कुलर रोग	450,000
	7. अन्य गैर-संचारी रोग	50,000
	8. गैर-संचारी रोग निगरानी	100,000
	9. तम्बाकू	1,000,000
	10. मानसिक स्वास्थ्य और तत्व व्यसन	500,000
	11. स्वास्थ्य संवर्धन	100,000
	12. विकलांगता, चोट निवारण और पुनर्वास+ व्यावसायिक स्वास्थ्य	185,000
III. परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य		
	13. मानसिक स्वास्थ्य (गर्भावस्था को सुरक्षित बनाना)	350,000
	14. एचआईवी/एड्स	100,000
	15. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा किशोर स्वास्थ्य	350,000
	16. उपचर्या	600,000
IV. अनवरत विकास और स्वस्थ पर्यावरण		
	17. खाद्य निरापदता	425,000
	18. पोषण	235,000
	19. स्वास्थ्य और पर्यावरण	250,000
	20. आपात-तैयारी और अनुक्रिया	50,000
V. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स		
	21. रक्त निरापदता	50,000
	22. रोग प्रतिरक्षण और वैक्सीन विकास	135,000
	23. अत्यावश्यक दवाइयां	475,000
	24. पारंपरिक चिकित्सा	300,00

1	2	3
VI.	नीति हेतु साक्ष्य और सूचना	
	25. स्वास्थ्य सूचना और प्रबंधन	50,000
	26. अनुसंधान नीति और संवर्धन	435,000
	27. स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन और आदिवासी स्वास्थ्य	300,000
VII.	अन्य	
	28. औषध दुर्व्यसन निवारण/तत्व व्यसन का नियंत्रण	मद संख्या 10 में सम्मिलित
	29. कुष्ठ रोग	50,000
	30. सभी के लिए स्वास्थ्य	1,000,000
	31. दृष्टिहीनता	200,000
	32. महिला स्वास्थ्य	50,000
	33. बहरापन	75,000
	34. मुख-स्वास्थ्य	100,000
	35. वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	175,000
	36. जलापूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण)	100,000
	37. जलापूर्ति और स्वच्छता (शहरी)	125,000
	38. स्वस्थ नगर	85,000
	39. स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य प्रणाली निष्पादन को बढ़ावा देना	100,000
	40. विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति	1,950,000
	कुल	11,650,000

यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीयों को उत्प्रवास संबंधी शर्तों में छूट

1216. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने अपने यहां आने के इच्छुक कुशल भारतीय कार्मिकों के लिए उत्प्रवास संबंधी शर्तों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारत से रोजगार के लिए अधिकाधिक व्यक्तियों का जाना सुगम हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने 20 जनवरी, 2002 को सभी राष्ट्रीयताओं के लिए "अति कुशल प्रवासी कार्यक्रम" प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अनुसार अति कुशल व्यक्ति, एक वर्ष के लिए, रोजगार के पूर्व प्रस्ताव के बिना भी यूनाइटिड किंगडम में प्रवेश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूनाइटिड किंगडम द्वारा वांछित उच्च कुशलता-प्राप्त व्यक्तियों के लिए एक व्यक्तिगत मार्ग उपलब्ध कराना है जिससे कि यूनाइटिड किंगडम वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कर सके।

(ग) और (घ) ''अति कुशल प्रवासी कार्यक्रम'' चूंकि एक निश्चित उद्देश्य पर आधारित आप्रवास योजना है इसलिए कोई भी उच्च कुशलता-प्राप्त व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। 31 अक्तूबर, 2003 को जारी एक प्रैस वक्तव्य में ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 3721 आप्रवासी, यूनाइटिड किंगडम में प्रवेश करने में सफल हुए हैं। ऐसी सूचना है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले आवेदकों में सबसे बड़ी एकल श्रेणी भारतीय नागरिकों की है।

अन्तरिक्ष में संचालन हेतु प्रणाली की स्थापना

1217. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस चन्द्रमा के लिए मानव रहित अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष में संचालन हेतु प्रणाली की स्थापना हेतु संयुक्त प्रयासों के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के मध्य इस बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में निम्न क्षेत्रों में संयुक्त अध्ययनों का आयोजन शामिल है:

(1) भारतीय चन्द्र मिशन-चन्द्रयान-1 के लिए मिशन विश्लेषण और सुविधाओं का उपयोग, और

(2) अन्तरिक्ष में संचालन हेतु प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु निर्धारित लक्ष्य

1218. श्री रूपचंद मुर्मु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों को कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) देश भर में पहली अप्रैल, 1996 से 'लक्ष्य मुक्त नीति' अपनाई गई है और एक सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन नीति के आधार पर विकेन्द्रीकृत सहभागिता नियोजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस नई नीति के अधीन बुनियादी और अनिवार्य परिवार कल्याण सेवाओं के क्षेत्रों का विस्तार करने और निचले स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। देश के लिए समग्र रूप से ''राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों'' के अधीन उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। गोवा, नागालैण्ड, दिल्ली, केरल, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और मिजोरम ने पहले ही वर्ष 2010 के लिए रखे गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और मणिपुर, दमण व दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक हैं। तथापि, अन्य राज्य मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक संसूचकों की धीमी उपलब्धियों के कारण पिछड़ रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया है। राज्यों को दी जाने वाली सहायता परिवार कल्याण अवसंरचनात्मक एककों के रखरखाव, औषधों तथा गर्भनिरोधकों की आपूर्ति और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले पांच वर्षों में लगभग दुगुनी हो गई है। जो राज्य परिवार कल्याण में बेहतर निष्पादन दर्शाते हैं, उन्हें बजट में अधिक आवंटन मिलते हैं जो विशेष रूप से गर्भ निरोधकों की आपूर्ति, बंध्यीकरणों/आईयूडी निवेशन के लिए मुआवजे और क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में हुए कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है।

टाइफाइड वैक्सीन का उत्पादन

1219. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हॉफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लि. (एचबीपीसीएल) द्वारा उत्पादित टाइफाइड वैक्सीन का उत्पादन वर्ष 1997 में बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वैक्सीन का उत्पादन पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) होल सैल किल्ड टाइफाइड वैक्सीन का विनिर्माण 1996 में बंद कर दिया गया था क्योंकि फील्ड प्रैक्टिस में इस वैक्सीन को कम प्रभावी पाया गया था।

(ग) और (घ) सरकार ने केवल रक्षा कर्मिकों के सीमित उपयोग के लिए होल सैल किल्ड (ए.के.डी. टाइप) टाइफाइड वैक्सीन के विनिर्माण की अनुमति 2002 में मैसर्ज हाफकीन बायो-फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच.बी.पी.सी.एल.), मुम्बई को दी है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

1220. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अब से लगभग दो दशकों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी से महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से ''महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी'' नामक स्कीम का कार्यान्वयन करता आ रहा है। इस स्कीम के व्यापक उद्देश्यों में महलाओं के लाभ के लिए उचित प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुकूलन को बढ़ावा देना, परीक्षित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और लाइव टैक्नोलॉजी मॉडलों का प्रदर्शन शामिल है। अपारम्परिक उपायों, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और आधार स्तरों पर सुदृढ़ संपर्कों वाले एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार वाले स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के कारण इस कार्यक्रम का विशिष्ट प्रभाव पड़ा है।

महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2002 में महिला वैज्ञानिकों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं:

आधारिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, कमजोर वर्गों की समस्याओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग और आईपीआर से संबधित स्वरोजगार अवसरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से महिलाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्धारण के लिए ''जैव प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण एवं महिला विकास कार्यक्रम'' नामक एक स्कीम कार्यान्वित करता है। महिला जैव वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और उनके कार्य को मान्यता देने के लिए वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार (वरिष्ठ एवं युवा) की घोषणा की जाती है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मोबाइल कनेक्शन

1221. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीएसएनएल को जम्मू और कश्मीर सर्किल से मोबाइल कनेक्शनों के आवेदन-पत्रों की ध्यानपूर्वक जांच करने के निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने कनेक्शन मंजूर किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस-शर्तों के अनुसार, पूर्व-शर्त के रूप में फोटो-पहचान पर जोर देते हुए तथा कनैक्शन देने से पहले सदाशयता की जांच करने संबंधी कंपनी की विद्यमान वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सहित देश भर के मोबाइल सेवा उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाता है।

(ग) जम्मू-कश्मीर में सेल्यूलर मोबाइल कनैक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 30.11.2003 के अनुसार 39849 है तथा 26000 कनैक्शन मंजूर किए गए हैं।

आपातकालीन सेवाओं के लिए भुगतान

1222. श्री रामजी मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 1 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री मदन मोहन शर्मा बनाम भारत संघ द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका संख्या 4942/1998 में दिनांक 8.1.2002 के आदेश के तहत कहा कि:

''यह याचिका केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और लाभार्थियों के चिकित्सीय दावों से संबंधित प्रतिपूर्ति पद्धति को हटाने और इसके बजाय लाभार्थियों को किसी भी कार्रवाई में शामिल किए बिना संबंधित अस्पताल को सीधे ही उपचार/नैदानिक जांचों की पूरी लागत का भुगतान करने हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध दिशा-निर्देशों की मांग करने के लिए श्री एम.एम. शर्मा द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका की विचाराधीन अवधि के दौरान भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2001 को कार्यालय ज्ञापन आर ई सी-24/2001/जेडी(एम)/सी.जी.एच.एस./दिल्ली/सी.जी.एच.एस. (पी) जारी किया गया है। याचिकादाता ने इसका उल्लेख किया है और कहा कि इस कार्यालय ज्ञापन को जारी करने पर याचिका दायर करने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है और यह भी कहा है कि इस रिट याचिका पर आगे और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकादाता के वक्तव्य को देखते हुए यह याचिका निष्फल है इसलिए यह खारिज की जाती है।''

(ग) चूंकि उपर्युक्त सिविल रिट याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.1.2002 को खारिज किया जा चुका है, इसलिए उक्त न्यायालयी मामले में सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

सुई के माध्यम से पोलियो वैक्सीन देने की शुरुआत

1223. श्री सईदुज्जमा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 14 नवम्बर, 2003 के 'इकोनॉमिक्स टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार क्या देश में पहली बार सुई से पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) देने की शुरुआत होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस वैक्सीन के कब तक आ जाने की सम्भावना है; और

(घ) विभिन्न प्रकार की वैक्सीनों के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जिन देशों में पोलियो का उन्मूलन हो चुका है वे देश अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के लिए इजेक्शन द्वारा दी जाने वाली (इंजैक्टीबल) पोलियो वैक्सीनों का प्रयोग कर रहे हैं। अत: इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली (इंजैक्टीबल) पोलियो वैक्सीनें देश से पोलियो उन्मूलन के पश्चात ही प्रयोग की जाएंगी।

(घ) भारतीय पाश्च्योर संस्थान, कुन्नूर ने संयुक्त वैक्सीन पर, अर्थात् वैक्सीन के डी.पी.टी. समूह को हेपाटाइटिस-बी के साथ मिलाने हेतु अनुसंधान और विकास आरंभ किया है ताकि यह ई.पी.आई. कार्यक्रम में प्रयोग की जा सके।

टिशु कल्चर जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन के निर्माण करने के लिए वेरो कोशिका श्रृंखला (लाइन) पर जापानी एन्सेफलाइटिस विषाणु को अपनाने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य किये जा रहे हैं।

अविकसित (एम्ब्रायोनेटिड) मुर्गी के अंडों में रेबीज विषाणु के प्रति एण्टीबाडी पैदा करने की संभावना का पता लगाने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य भी शुरू किया गया है।

मैसर्स पेनेशिया बायोटैक को आई.पी.वी. संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यकलाप करने के लिए अनुमति दी गई है।

गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक महाविद्यालय

1224. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा गेट और डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत किए गए करारों के परिप्रेक्ष्य में गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों का वर्ष 2004 के बाद भविष्य क्या होगा;

(ख) क्या विदेशी निजी विश्वविद्यालय भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों से पूछताछ करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी

1225. श्री बाल कृष्ण चौहान: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** 30.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) और (ख) दिनांक 30.7.2003 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1290 का उत्तर सभा पटल पर रखे जाने के लिए दिनांक 9.10.2003 को संसदीय कार्य मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले

1226. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 6.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, नहीं। अपेक्षित सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

केरल में केबल की कमी

1227. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल केबल की अनुपलब्धता के कारण केरल में नए कनेक्शन, विशेषकर नए शुरू हुआ टेलीफोन एक्सचेंजों को, जारी नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-03 के लिए केरल दूरसंचार सर्किल के लिए 29.686 एल सी के एम केबलों की आवश्यकता थी। बोलीदाताओं द्वारा केबलों की पूर्ण निविदा मात्रा स्वीकार न करने के कारण केवल 15.08 एलसीकेएम के क्रय-आदेश दिए गए थे।

(ग) (1) केरल दूरसंचार सर्किल को आपूर्ति करने के लिए दिनांक 17.11.2003 को मैसर्स एचसीएल को 4.6 एलसीकेएमपीआईजेएफ केबलों का आर्डर दिया गया है।

(2) दिनांक 3.9.2003 को वर्ष 2003-04 के लिए 120 एल सी के एम के प्रापण के लिए निविदा खोली जा चुकी है। तीन विक्रेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बी एस एन एल को कतिपय अनुदेश जारी किए हैं। तदनुसार, निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है। केबलों के लिए प्रापण-आदेश, निविदा को अंतिम रूप देने के बाद दिये जा सकेंगे।

विश्व बैंक सहायता

1228. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक से कोई सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विकास के लिए इस सहायता के एक भाग का उपयोग किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) केन्द्र सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो चुकी है।

(ख) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र में बेसिन क्रीक से मनोर (58 कि.मी.) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के खंड की 4 लेन लगभग 250 करोड़ रु. की लागत से द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग विश्व बैंक परियोजना के तहत 2001 में पूरी हो गई थी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	ऋण संख्या/ धनराशि	लंबाई कि.मी.	स्थिति
1.	विश्व बैंक प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	2534-इन/133 मिलियन अमरीकी डालर	496	पूर्ण
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल	3470-इन/306 मिलियन अमरीकी डालर	290.90	पूर्ण
3.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टीएनएचपी)	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड	4559-इन/516 मिलियन अमरीकी डालर	477	जारी
4.	ग्रांड ट्रंक सुधार परियोजना (जीटीआरआईपी)	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड	4622-इन/589 मिलियन अमरीकी डालर	420	जारी
5.	इलाहाबाद बाइपास	उत्तर प्रदेश	4719-इन/240 मिलियन अमरीकी डालर	85	अभी सौंपा जाना है।

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना

1229. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान प्रत्येक वर्ष बालिका समृद्धि योजना में बालिकाओं के खाते में जमाराशि पर कितनी ब्याज राशि देय है; और

(ख) राज्यों में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत राशि, लाभार्थी बालिका के नाम नजदीकी बैंक या डाकघर में खोले गए ब्याजधारी खाते में जमा की जाती है और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक अधिकारी पदनामित किया जाता है। खाता खोलने के उद्देश्य से बैंक या डाकघर के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है। खाते पर ब्याज की अधिकतम दर देनी चाहिए। इस संबंध में, भविष्य निधि स्कीम या राष्ट्रीय बचत पत्र स्कीम को सर्वोच्च प्राथमिकता और बचत खाता स्कीम को न्यूनतम प्राथमिकता दी जाती है। इस खाते में अर्जित ब्याज उस स्कीम पर निर्भर करेगा, जिसके अंतर्गत खाता खोला गया है।

(ख) स्कीम के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पोस्टरों, विवरणिकाओं, दूर-संचार एवं अन्य माध्यमों से बालिका समृद्धि योजना के लाभों एवं आवेदन के तरीकों को उजागर करते हुए इस स्कीम का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा।

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना

1230. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तकनीकी संस्थानों में सामान्य प्रक्रिया से हटकर कुछ विशिष्ट आधारों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान करने की भी योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने अथवा उन्हें तकनीकी संस्थाओं में सामान्य प्रक्रिया से हटकर प्रवेश की अनुमति देने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आयुर्वेद संबंधी संपाकों पर सीडी

1231. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स कम्यूनिकेशन एण्ड इनफॉर्मेशन रिसोर्सिज(सीएसआईआर) में ट्रेडिशनल नॉलिज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) प्रोजेक्ट में आयुर्वेद संबंधी संपाकों पर अक्टूबर, 2003 में सीडी जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें आयुर्वेद संबंधी कितने संपाकों का प्रतिपादन किया गया है;

(ग) क्या आयुर्वेद संबंधी 35000 संपाकों का प्रतिपादन करने वाले इस टीकेडीएल को दिसम्बर, 2002 तक पूरा कर लिए जाने और इसके वेबसाइट को सितम्बर, 2002 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख में आयुर्वेद संबंधी कितने संपाकों को पूरा कर लिया गया है;

(ङ) वेबसाइट की वर्तमान स्थिति क्या है और वेबसाइट में आयुर्वेद संबंधी कितने संपाक उपलब्ध/लिप्यन्तरित हैं;

(च) क्या यह वेबसाइट सब के लिए उपलब्ध है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) जी हां। इसमें पांच सौ आयुर्वेदिक संपाक सम्मिलित हैं।

(ग) परियोजना प्रायोजक (प्रायोजकों) द्वारा स्वीकृत संशोधित कार्यक्रम 31.8.2003 था।

(घ) 31.8.2003 तक आयुर्वेदिक संबंधी 36000 संपाकों को पूरा कर लिया गया था।

(ङ) से (छ) माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रथमतः पेटेंट कार्यालयों को अप्रकटीकरण समझौते के लिए सहमत किये जाने के बाद ही टीकेडीएल वेबसाइट तक उन्हें पहुंचने (एक्सेस) दिया जाएगा। तदुपरान्त इस वेबसाइट की पहुंच को अंतःमंत्रालयी पहुंच नीति समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा।

गुजरात और केरल में नवोदय विद्यालय

1232. श्री जी.जे. जावीया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और केरल में किन-किन जिलों में नवोदय विद्यालय चल रहे हैं/किन-किन जिलों में इन्हें खोलने के लिए अनुमोदन किया गया अथवा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बित प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) गुजरात के 19 जिलों हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 17 विद्यालय कार्य कर रहे हैं। केरल में संस्वीकृत किये गये सभी 13 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

गुजरात के दो जिलों तथा केरल के एक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा यदि ये प्रस्ताव विद्यालय खोलने संबंधी अपेक्षाएं पूरी करते हों तो ये विद्यालय संस्वीकृत किये जाएंगे। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

गुजरात और केरल के राज्यों में जहां जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं उन जिलों का ब्यौरा

राज्य का नाम	उस जिले का नाम जहां नवोदय विद्यालय को संस्वीकृति दी गई	कार्यात्मक/ गैर-कार्यात्मक
1	2	3
गुजरात		
1	बनासकंठा	कार्यात्मक
2	भड़ौच	कार्यात्मक
3	भावनगर	कार्यात्मक
4	दाहोद	गैर-कार्यात्मक
5	डांग्स	कार्यात्मक
6	गांधी नगर	कार्यात्मक
7	जाम नगर	कार्यात्मक
8	जूनागढ़	कार्यात्मक
9	खेड़ा	कार्यात्मक
10	कच्छ	कार्यात्मक
11	मेहसाना	कार्यात्मक
12	पाटन	कार्यात्मक
13	पोरबन्दर	कार्यात्मक
14	राजकोट	कार्यात्मक
15	साबरकंठा	कार्यात्मक
16	सूरत	कार्यात्मक
17	सुरेन्द्र नगर	कार्यात्मक
18	बड़ोदरा	कार्यात्मक
19	पंचमहल	गैर-कार्यात्मक
केरल		
1	एर्नाकुलम	कार्यात्मक
2	पठानामथित्ता	कार्यात्मक
3	कासरगोड	कार्यात्मक
4	इदुकी	कार्यात्मक
5	कन्नौर	कार्यात्मक
6	कालीकट	कार्यात्मक
7	कोट्टायम	कार्यात्मक
8	मालापुरम	कार्यात्मक
9	पालाघाट	कार्यात्मक
10	त्रिचूर	कार्यात्मक
11	एलीपी	कार्यात्मक
12	कोवलम	कार्यात्मक
13	त्रिवेन्द्रम	कार्यात्मक

विवरण II

विचाराधीन/अनुमोदनार्थ प्रस्तावों का ब्यौरा

राज्य का नाम	उस जिले का नाम जिसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए	प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3
गुजरात	1. अमरेली	जिले के मोटा भंडारिया गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पानी की उपलब्धता पुष्टि के लिए लंबित है।
	2. नवसारी	जिले के परुजन गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने

1	2	3
		के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि ऐसा पाया गया है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क सम्पर्क इत्यादि गांव में उपलब्ध नहीं है जिला प्रशासन को इन चीजों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जवाब की प्रतीक्षा है।
केरल	1. वायनाड	जिले के व्यथीरी गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्रक्रिया में है और स्थान पर पानी/दूसरी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि हेतु लंबित है।

[हिन्दी]

एनसीटीई एक्ट को लागू किया जाना

1233. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य वेस्टर्न रिजनल कमिटि ऑफ नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स ऑफ भोपाल को महाराष्ट्र में एनसीटीई एक्ट को लागू करने में कठिनइयों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डब्ल्यूआरसी भोपाल द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लंबित विधेयक

1234. श्री रामशकल: क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विधेयक दशकों से लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): (क) हां, महोदय।

(ख) निम्नलिखित छः विधेयक राज्य सभा में एक दशक से ऊपर से लंबित पड़े हैं:-

1. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987
2. संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988
3. प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक, 1990
4. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1992
5. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992
6. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992

(ग) इन विधेयकों के साथ-साथ लोक सभा और राज्य सभा में लंबित अन्य विधेयकों की स्थिति की संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होने से पहले और समय-समय पर सत्रावधि एवं अंतःसत्रावधि के दौरान भी सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं कि वह संसद में इन विधेयकों पर अपना विचार और पारित करना अथवा वापिस लौटाने का कार्य, यथास्थिति, शीघ्र निपटाएं। उपरोक्त छः विधेयकों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों में इस उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है कि: (1) उनमें आगे संशोधन किए जाएं; या (2) संसद में राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के सथ परामर्श करके विधेयक(ों) के उपबंधों पर मतैक्य बन सके; या (3) विधेयक को वपिस लेना और एक नया व्यापक विधेयक पेश करना; इत्यादि। जैसे ही इस मामले में आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाती है और सक्षम प्राधिकारी से यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है, इन्हें संसद में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

आईओसीएल की खुदरा बिक्री आधारभूत संरचना का निजीकरण

1235. श्री सुनील खां: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) की खुदरा बिक्री आधारभूत संरचना के निजीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईओसीएल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के निजीकरण से कम्पनी की सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम की स्थिति को नुकसान पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (घ) सरकार, एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.9.2003 के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

अलग-अलग कम्पनियों का सृजन

1236. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) को तीन अलग-अलग कम्पनियों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) सरकार, एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.9.2003 के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं की भागीदारी

1237. श्री प्रदीप यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परिणामों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है। तथापि, विभिन्न सहायतानुदान स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय, विभाग यह सुनिश्चित करने की ओर समुचित ध्यान देता है कि अनुदानग्राही गैर-सरकारी संगठनों के शासी निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1238. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों को केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को इस संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों/सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये गये निवेशों की राशि निम्नलिखित है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

2000-2001	2001-2002	2002-2003
12,873	12,192	15,174

(ग) और (घ) अप्रवासी भारतीय जब भी कठिनाइयों के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार इस मामले में उपयुक्त कदम उठाती है।

विवरण

अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों/सुविधाओं के ब्यौरे

(1) बैंक खाते और जमा:

(क) एन आर ई खाते (वापस भेजे जाने योग्य मूलधन/ब्याज)

(ख) एफसीएनआर (बी मूलधान/वापस भेजने जाने योग्य)

(ग) एन आर ओ खाते (वर्तमान आय वापस भेजे जाने योग्य) प्राधिकृत डीलर लागू करों के भुगतान के अध्यधीन एन आर ओ खाते की राशि में से किसी भी कार्य के लिए प्रति वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर तक के प्रेषण की अनुमति दे सकते है।

(2) वापिस के आधार पर अन्य निवेश:

- सरकारी तिथियों वाली प्रतिभूतियाँ/सरकारी हुण्डियां।
- घरेलू म्युचुअल फंडों की इकाइयां।
- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये गये बंधपत्र।
- पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत निवेश।
- भारतीय कंपनियों/वित्तीय संस्थानों के पास जमा राशि।

(3) वापिस नहीं किये जाने के आधार पर अन्य निवेश:

- भारत में मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों की इकाइयां।
- किसी ऐसे फर्म की पूंजी जिसका भारत से मालिकाना संबंध है और जो किसी कृषि अथवा रोपण गतिविधियों अथवा रीयल इस्टेट व्यापार में शामिल नहीं है।

(4) अचल संपत्ति में निवेश: भारत में कृषि/रोपण संपत्ति अथवा फार्महाउस को छोड़कर भारत में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीद सकते हैं।

(5) वापिस आने वाले अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोगों को सुविधायें:

वापिस आने वाले अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग

- विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत में अवस्थित किसी चल संपत्ति को रख सकते हैं, इसका स्वामित्व रख सकते हैं, अथवा निवेश कर सकते हैं यदि ये मुद्रा, प्रतिभूति अथवा संपत्ति उनके भारत से बाहर रहते हुए प्राप्त की गयी, खरीदी गयी अथवा स्वामित्व में रखी गयी।
- भारत में किसी प्राधिकृत डीलर के पास एक आवासी विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, और रख सकते हैं ताकि एन आर ई/एफ सी एन आर (बी) खातों की शेष राशि को हस्तांतरित किया जा सके। वापसी के समय भारत से बाहर की परिसंपत्तियों से होने वाले अर्थागम को आर एफ सी खातों में जमा किया जा सकता है। आर एफ सी में निधियां भारत से बाहर किसी भी स्वरूप में किये गये निवेश पर किसी प्रतिबंध सहित विदेशी मुद्रा प्रतिभार के उपयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त हैं।

आई.टी. विशेषज्ञों का पलायन

1239. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिवर्ष कितने आई.टी. विशेषज्ञ भारत छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं;

(ख) अमेरिकी कम्पनियों द्वारा उन्हें डॉलर के रूप में कितना भुगतान करने का ऑफर दिया जा रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (सु. तिरुनावुकरसर): (क) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नेसकॉम) के अनुसार, प्रतिवर्ष भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या लगभग 40,000 है। इसमें सभी श्रेणियों के अल्प, मध्यम तथा दीर्घावधि रोजगार शामिल हैं।

(ख) और (ग) अमेरिकी कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले वेतन के निश्चित आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं क्योंकि यह व्यक्तियों के अनुभव, कार्य की शर्तों, अनुबंध के प्रकार आदि जैसी कई पहलुओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून

1240. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून केवल दो ही बार अर्थात् 1984 और 1986 में संशोधित किए गए हैं, जबकि अन्य कानून समय-समय पर संशोधित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने बच्चों के यौन शोषण के लिए अलग से कानून बनाने की वकालत की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) महिलाओं अथवा बच्चों से संबंधित अथवा उन्हें प्रभावित करने वाले अनेक कानून हैं। इन अधिनियमों के संचालन तथा आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन के लिए विभिन्न मंत्रालय/विभाग उत्तरदायी हैं। इस संबंध में अभिनिर्धारित कानूनों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महिलाओं/बच्चों से संबंधित 39 कानूनों की सूची

क्र.सं.	अधिनियम का नाम तथा प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग का नाम
1	2
1.	सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 (महिला एवं बाल विकास विभाग)
2.	दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (महिला एवं बाल विकास विभाग)
3.	स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 (महिला एवं बाल विकास विभाग)
4.	अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 (महिला एवं बाल विकास विभाग)
5.	पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (न्याय विभाग)
6.	बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 (श्रम मंत्रालय)
7.	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (श्रम मंत्रालय)
8.	बन्धुआ श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (श्रम मंत्रालय)
9.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1979 (श्रम मंत्रालय)
10.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (श्रम मंत्रालय)
11.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (श्रम मंत्रालय)
12.	कारखाना अधिनियम, 1948 (श्रम मंत्रालय)
13.	अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) 1979 (श्रम मंत्रालय)
14.	शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलें और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (महिला एवं बाल विकास विभाग)
15.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (श्रम मंत्रालय)
16.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (श्रम मंत्रालय)
17.	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (श्रम मंत्रालय)
18.	बागान श्रम अधिनियम, 1951 (श्रम मंत्रालय)
19.	कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 (श्रम मंत्रालय)
20.	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (परिवार कल्याण विभाग)
21.	प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकें (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (परिवार कल्याण विभाग)
22.	किशोर अपराध न्याय अधिनियम, 1986 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)
23.	बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (विधायी विभाग)
24.	विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (विधायी विभाग)

1	2
25.	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (विधायी विभाग)
26.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (विधायी विभाग)
27.	विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874 (विधायी विभाग)
28.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (विधायी विभाग)
29.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (विधायी विभाग)
30.	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (विधायी विभाग)
31.	हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (विधायी विभाग)
32.	हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (विधायी विभाग)
33.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (विधायी विभाग)
34.	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (विधायी विभाग)
35.	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (विधायी विभाग)
36.	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (परिवार कल्याण विभाग)
37.	सिनेमा कर्मकार तथा सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (श्रम मंत्रालय)
38.	खान अधिनियम, 1952 (खान मंत्रालय)
39.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (विधायी विभाग)

दोहरी पासपोर्ट प्रणाली

1241. डा. नीतिश सेनगुप्ताः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों को दोहरी पासपोर्ट प्रणाली प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिए क्रियात्मक कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अन्य संबद्ध ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (घ) सरकार ने कुछ देशों के भारतीय मूल के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक सम्बद्ध संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। संसद द्वारा विधेयक को पारित करने के पश्चात अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूपरेखा बनाई जाएगी।

निदान संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता

1242. श्री भर्तृहरि महताबः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निदान संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उड़ीसा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। प्रस्तावों की प्राप्ति और उनकी स्थिति इस प्रकार है:

(1) उड़ीसा सरकार से एक प्रायोगिक परियोजना के अधीन एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक; वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला और एम.के.जी.सी. मेडिकल कालेज, बरहामपुर में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मांगने का एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकारी मेडिकल कालेजों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को जिस प्रायोगिक परियोजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी

उसे बन्द कर दिया गया है। इसलिए, वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सका।

(2) निम्नलिखित की भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने का एक प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता लेने के लिए उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था:

(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल स्नातकोत्तर संस्थान, कटक

(2) वी.एस.एस. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बुरला

(3) एस.सी.बी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कटक

(4) एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बरहामपुर

उड़ीसा राज्य सरकार से जनवरी, 2003 में यह अनुरोध किया गया था कि वे राज्य में सभी मेडिकल कालेजों के लिए एक समेकित प्रस्ताव भेजें। राज्य सरकार से अब तक समेकित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अल्पपोषण

1243. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एफएओ के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में अल्पपोषण के 51 फीसदी मामले दक्षिण एशिया क्षेत्र से हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत की भागीदारी कितनी है;

(ग) अल्पपोषण और बच्चों के अल्पविकास का प्रतिशत कितना है;

(घ) भारत में बड़े पैमाने पर अल्पपोषण के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर राणा): (क) जी, नहीं। खाद्य एवं कृषि संगठन के ''विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति, 2003'' नामक प्रकाशन के अनुसार, विकासशील विश्व के कुल अल्प-पोषित लोगों में से 36.7% लोग दक्षिण एशिया में थे।

(ख) विश्व के कुल अल्प-पोषित लोगों में से 26.8% भारत में थे।

(ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, भारत में 3 वर्ष से कम आयु के अल्प-पोषित तथा अवरुद्ध विकास बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 47 तथा 45.5 है।

(घ) कुपोषण, निर्धनता और कम क्रय शक्ति, बाल आहार पद्धतियों के बारे में अनभिज्ञता, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और अन्य सामाजिक सेवाएं सुलभ न होने तथा जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण परिवारिक स्तर पर खाद्य असुरक्षा जैसे परस्पर जुड़े हुए कारकों का परिणाम है। सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं इस समस्या को बदतर बना देती हैं।

(ङ) सरकार कुपोषण की समस्या से अवगत है तथा कुपोषण की बहु-आयामी समस्या से निपटने के लिए अपने विभिन्न क्षेत्रों के जरिए पोषाहार संबंधी अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। देश में अल्प-पोषण की समस्या के निराकरण के लिए इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: महिला एवं बाल विकास विभाग की राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवा स्कीम तथा पोषाहार शिक्षा कार्यक्रम; परिवार कल्याण विभाग का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और विटामिन 'ए' की कमी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम; स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय आयोडीन विकृति नियंत्रण कार्यक्रम; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण विकास विभाग के निर्धनता उपशमन तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम; शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन स्कीम।

नए दूरभाष केन्द्रों का खोला जाना

1244. श्री भान सिंह भौरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। देश में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि 1499.267 करोड़ रु. है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रस्तावित संख्या	निर्धारित निधियां (करोड़ में)
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1	0.400
2.	आंध्र प्रदेश	26	24.330
3.	असम	20	20.500
4.	बिहार	58	187.850
5.	छत्तीसगढ़	0	0
6.	दिल्ली	25	185.000
7.	गुजरात	1	0.277
8.	हरियाणा	15	4.600
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1.550
10.	जम्मू और कश्मीर	3	98.180
11.	झारखण्ड	8	4.000
12.	कर्नाटक	5	3.000
13.	केरल	29	73.000
14.	मध्य प्रदेश	12	113.230
15.	महाराष्ट्र	35	308.080
16.	उत्तर-पूर्व	0	0
17.	उड़ीसा	19	7.220
18.	पंजाब	21	41.010
19.	राजस्थान	32	59.450
20.	तमिलनाडु	15	4.500
21.	उत्तरांचल	22	10.500
22.	उत्तर प्रदेश	28	175.860
23.	पश्चिम बंगाल	50	176.730
	योग	426	1499.267

स्वत: प्रतिदेय प्रणाली

1245. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के लिए उन जगहों पर स्वत: प्रतिदेय प्रणाली शुरू की है जहां टेलीफोन सात से अधिक दिनों तक खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि इस योजना को अक्षरश: लागू किया जाए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल की व्यवस्था के अन्तर्गत, "फाल्ट रिपोर्ट" के आधार पर किराए में छूट उन सभी उपभोक्ताओं को स्वत: ही दी जाती है जिनके टेलीफोन सात दिन या इससे अधिक समय तक खराब रहे हों। तथापि भुगतान न करने पर टेलीफोन काटे जाने की स्थिति में किराए में कोई छूट अनुमत्य नहीं है।

(ग) उक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डिजिटल वितरण प्रणाली

1246. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी कंपनियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाने हेतु एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक कितने गांव डिजिटल वितरण प्रणाली से जोड़े गये हैं;

(घ) नगरों, शहरों और गांवों को जोड़ने वाली डिजिटल वितरण प्राली बिछाने हेतु अब तक कौन-कौन सी कंपनियां आगे आयी हैं; और

(ङ) किन राज्यों में सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकिरण सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

1247. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नाभिकीय औषधि केन्द्र विभिन्न विकिरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने औषधि केन्द्र सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का स्टाफ अपने नियामक कार्थ के एक भाग के रूप में, देश के विभिन्न भागों में स्थित नाभिकीय चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों से कई बार यह पता चला है कि कुछ संस्थान सुरक्षा संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) अप्रैल, 2002 से लेकर नवम्बर, 2003 तक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने पाया कि 27 निरीक्षित संस्थानों में से 12 ने कुछेक सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन किया था।

निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने, नियामक प्रतिबंध लगाने, जिनमें विकिरणसक्रिय सामग्री प्राप्त करने के प्राधिकार को निलंबित किया जाना भी शामिल है, से पहले इन संस्थानों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए थे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कुछ संस्थानों को, संशोधित ले-आउट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के निदेश भी दिए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कुछ संस्थानों को वैकिरणकी सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है। संस्थानों को अपना काम फिर से शुरू करने की अनुमति, आवश्यक सुरक्षोपाय क्रियान्वित कर दिए जाने का बाद ही दी गई थी।

सी.बी.आई. के छापे

1248. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पर औचक छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सी.बी.आई. के अधिकारियों के एक दल ने 9.9.03 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की रेखा पुस्तकों की औचक जांच की थी। जांच के दौरान इस दल को निम्नलिखित तथ्य मिले:

1. आहरण तथा संवितरण अधिकारी (रजिस्ट्रार) द्वारा 2001-2002 से रोकड़ बही के दैनिक प्रिंट-आउट नहीं लिए गए थे तथा इन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
2. जांच के दौरान रोकड़िये के पास 347.00 रु. की अधिक राशि पाई गई थी.
3. उन दो वरिष्ठ प्रोफेसरों के नाम पर यात्रा भत्ता अग्रिम राशि (5,80,000.00 रु. तथा 2,77,565.00 रु.) बकाया थी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसके बावजूद, दोनों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी द्वारा इस मामले की जांच की गई और सी.बी.आई. के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

1. चूंकि सम्पूर्ण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है अत: रोकड़ खाते के दैनिक प्रिंट-आउट निकालने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। हालांकि, अब यह कार्य किया जा रहा है।
2. किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।
3. दोनों मामलों में इस संस्थान के पूर्व निदेशक और एक प्रोफेसर के नाम पर क्रमश: 5,80,000 रु. तथा 2,77,565 रु.

का बकाया अग्रिम दिखाया गया है। इन दोनों मामलों में बकाया अग्रिम राशि को समायोजन बिलों में समायोजित नहीं किया गया था। समायोजन प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है और इस समय कोई बकाया शेष नहीं है।

(ङ) किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया। लेखा-अनुभाग से अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने को कहा गया है। लेखा अनुभाग में और अधिक कर्मचारियों की तैनाती से कार्यकुशलता बढ़ने की संभावना है।

आसियान देशों के साथ संबंध सुदृढ़ किया जाना

1249. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में हुए सम्मेलन में दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत करने हेतु भारत और आसियान देशों के बीच मोटर कार रैली आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर आसियान देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) 8 अक्तूबर, 2003 को इण्डोनेशिया के बाली में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने एक मोटर कार रैली आयोजित करने का विचार इस दृष्टि से सामने रखा था कि आसियान देशों के साथ "हमारी भौगोलिक सामीप्यता की ओर नाटकीय रूप से ध्यान आकर्षित किया जा सके।" इस रैली से मार्गस्थ स्थानों पर ढांचागत विकास, पर्यटन विकास और क्षेत्र में दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग में स्वाभाविक रूप से वाणिज्यिक रुचि बढ़ेगी। इस उपक्रम से हमारी "पूर्वाभिमुख नीति" के एक हिस्से के रूप में भारत-आसियान के बीच विकासमान सम्बन्धों के बारे में भी जनता में जागरूकता पैदा होगी।

(ख) प्रधानमंत्री के विचार का आसियान देशों ने स्वागत किया है।

भूमि से बेदखल किए गए लोगों को रोजगार

1250. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के कुडानकुलम में कितने परिवार विस्थापित हुए हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कितने किसानों की जमीन अधिगृहीत की गयी है;

(ख) अब तक कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) अन्य परिवारों के बच्चों को कब तक रोजगार प्रदान किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गैर-कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां कोई नहीं रहता था, का अधिग्रहण कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (के के एन पी पी-1 तथा 2 2×1000 मेगावाट) के लिए किया गया था। इस भूमि का अधिग्रहण तमिलनाडु राज्य सरकार के माध्यम से 1989 में किया गया था। भूमि अधिग्रहण के सिलसिले में किन्हीं भी लोगों को विस्थापित नहीं किया गया है।

(ख) 44 प्रभावित परिवारों (भू-स्वामियों) को रोजगार दिया गया है।

(ग) भूमि खोने वालों के नजदीकी रिश्तेदारों की तरफ से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या समय गुजरने के साथ काफी कम हो गई है। भूमि खोने वालों के नजदीकी रिश्तेदारों, यदि कोई हों तो, को और आगे रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते वे पात्रता के मानदण्ड पूरे करते हों, इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने, उन विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से जोकि परियोजना के लिए विभिन्न ठेकों को निष्पादित कर रहे हैं, आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध कराए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पी.सी.ओ.

1251. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को आबंटित पी.सी.ओ. का दुरुपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सरकार के ध्यान में से कितने मामले आये हैं;

(ग) किन कारणों ने विकलांग व्यक्तियों को अपने पी.सी.ओ. बेचने के लिए मजबूर किया;

(घ) सरकार की इस संबंध में नीति क्या है;

(ङ) क्या पी.सी.ओ. को उप किराये पर देने को अनुमति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कुल 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 दिल्ली और 7 उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल के हैं।

(ग) पीसीओ बेचने की अनुमति नहीं है।

(घ) पीसीओ का दुरुपयोग करने की स्थिति में सेवाएं वापिस ले ली जाती हैं तथा करार समाप्त कर दिया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

कैपीटेशन फीस

1252. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों के कैपीटेशन फीस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फीस ढांचे को स्वीकृति प्रदान करने और प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने हेतु दो समितियां नियुक्त की हैं और इनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा;

(घ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा फीस ढांचे के संबंध में निजी महाविद्यालयों से संबंधित क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) सरकार इससे कितनी सहमत है;

(च) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (छ) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 14 अगस्त, 2003 को दिए गए निर्णय में टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए यह व्यवस्था दी है कि शैक्षणिक संस्थाएं कैपीटेशन फीस नहीं ले सकती हैं। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अलग-अलग राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में दो समितियां गठित करेंगे जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और ये समितियां क्रमशः शुल्क संरचना की जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेज संघ द्वारा आयोजित परीक्षाएं निष्पक्ष एवं पारदर्शी हों। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को सभी संबद्ध दस्तावेजों सहित अपनी प्रस्तावित फीस संरचना समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। समिति द्वारा निर्धारित फीस तीन वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य होगी। राज्य सरकारों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एन.एच.डी.सी.एल.) और पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.एल.) का विनिवेश

1253. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियों राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एन.एच.डी.सी.एल.) और पूर्वोत्तर विद्युत निगम लमिटेड (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.एल.) का विनिवेश करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का विनिवेश तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सूत विनिर्माण मिलों के लिए ''हैंक यार्न ऑब्लिगेशन स्कीम'' तथा ''मिल गेट प्राइस स्कीम'' जारी रहती हैं क्योंकि मिल गेट प्राइस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ही एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी हैं। यदि मिल गेट प्राइस स्कीम बन्द कर दी जाती है तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का विनिवेश कर दिया जाना चाहिए। उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के मामले में, आयोग ने श्रम शक्ति का आवश्यक यौक्तिकीकरण तथा पूंजी पुनर्संरचना करने के साथ, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया का रास्ता अपनाने के माध्यम से 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार के पक्ष में करने की

सिफारिश की है। विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटनाओं संबंधी कार्य समूह द्वारा अध्ययन

1254. श्री मानसिंह पटेल:
श्री शिवाजी माने:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2000 में स्थापित सड़क दुर्घटना और चोट रोकथाम और नियंत्रण के कार्य समूह ने कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक के सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजार्ग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) योजना आयोग ने सड़क दुर्घटना, चोट बचाव और नियंत्रण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए मई, 2000 में सड़क दुर्घटना, चोट बचाव और नियंत्रण से संबंधित एक कार्यदल का गठन किया था। इस दल ने जुलाई, 2001 में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में सड़क यातायात संबंधी मौतों और चोटों का परिमाण, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अन्य देशों के मुकाबले में भारत में यातायात की स्थिति, यातायात टक्कर सूचक संबंधी जटिलताएं, संकेत और चिह्नांकन वाहन डिजाइन, मानवीय कारण और शिक्षा, यातायात नियमों का प्रवर्तन, परिवहन मांग प्रबंधन, टक्कर हो जाने के बाद प्रबंधन, अस्पताल चिकित्सा, सड़क दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्तियों का पुनर्वास, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक लागत आदि जैसे अनेक मुद्दे शामिल थे।

(ग) केन्द्र सरकार विभिन्न संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े संकलित करती है। गत तीन वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	मृत व्यक्ति (सभी सड़कें)
2000	78911
2001	80888
2002	61045 (अनंतिम)

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंधेपन की घटनाएं

1255. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्री के.पी. सिंहदेव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों की पहचान कर ली है जिनमें अंधेपन की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में अंधेपन को नियंत्रित करने हेतु कोई नयी कार्य योजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों में किए गए हाल ही के सर्वेक्षणों के अनुसार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटी है। दृष्टिहीनता की राज्य-वार व्याप्तता संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने 'विजन 2020 : दृष्टि का अधिकार', जो 2020 तक परिहार्य दृष्टिहीनता का उन्मूलन करने के लिए विश्वव्यापी पहल है, के अंतर्गत कार्यनीतियां कार्यान्वित करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। 10वीं योजना के अधीन राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित सहायता के पैटर्न में बालावस्था की दृष्टिहीनता, ग्लूकोमा, मधुमेह रेटिनापैथी, कोर्नियल दृष्टिहीनता आदि के नियंत्रण के लिए कार्यनीतियां शामिल हैं। 10वीं योजना के दौरान दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए 445 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

विवरण I

भारत के प्रमुख राज्यों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता

राज्य	दृष्टिहीनता की व्याप्तता (%)		
	सर्वेक्षण 1986-89	सर्वेक्षण 2001-03	भिन्नता प्रतिशत में +/–
आंध्र प्रदेश	1.50	1.42	-5.33
असम	1.34	3.05	127.61
बिहार	1.28	0.78	-39.06
छत्तीसगढ़	2.01	1.61	-19.90
गुजरात	1.44	1.07	-25.69
हिमाचल प्रदेश	0.87	0.70	-19.54
कर्नाटक	1.28	1.78	39.06
केरल	1.31	0.56	-57.25
मध्य प्रदेश	2.01	1.16	-42.29
महाराष्ट्र	1.64	0.95	-42.07
उड़ीसा	1.72	1.40	-18.60
पंजाब	0.73	1.01	38.36
राजस्थान	2.24	1.55	-30.80
तमिलनाडु	1.65	0.78	-52.73
त्रिपुरा	1.18	0.77	-34.75
उत्तर प्रदेश	1.58	0.94	-40.51
पश्चिम बंगाल	0.96	1.19	23.96
सभी राज्य	1.49	1.10	-26.17

विवरण II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद, वस्तुगत रूप में निर्मुक्त निधियों और व्यय तथा जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी/राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी/गैर-सरकारी संगठनों को दी गई भारत सरकार सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001 कुल निर्मुक्ति	2001-2002 कुल निर्मुक्ति	2002-2003 कुल निर्मुक्ति	2003-2004 कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6
प्रमुख राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	689.05	1063.81	834.82	342.99
2.	बिहार	306.30	72.50	157.97	190.13

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	126.98	302.74	165.23	127.61
4.	गोवा	41.20	33.95	10.52	17.23
5.	गुजरात	384.00	245.85	231.45	208.00
6.	हरियाणा	178.00	104.63	45.36	93.95
7.	हिमाचल प्रदेश	131.00	64.03	54.11	64.75
8.	जम्मू और कश्मीर	106.50	110.04	66.79	72.87
9.	झारखंड	54.00	29.30	118.57	128.53
10.	कर्नाटक	305.89	454.43	368.30	447.78
11.	केरल	294.20	184.85	153.22	153.38
12.	मध्य प्रदेश	832.39	908.02	667.29	285.71
13.	महाराष्ट्र	766.38	1251.09	627.15	306.38
14.	उड़ीसा	1,187.45	468.35	324.80	191.25
15.	पंजाब	117.60	65.05	189.25	84.58
16.	राजस्थान	946.45	1128.85	526.93	266.20
17.	तमिलनाडु	1,111.05	1972.99	1653.03	772.24
18.	उत्तर प्रदेश	940.39	2166.92	1063.20	654.92
19.	उत्तरांचल	80.34	175.03	115.02	95.20
20.	पश्चिम बंगाल	275.00	180.76	305.12	218.68
	कुल	8874.17	10983.19	7678.13	4722.38
पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	48.82	43.81	16.22	18.74
2.	असम	207.09	62.67	35.70	70.50
3.	मणिपुर	55.94	50.73	20.13	18.00
4.	मेघालय	153.84	78.28	25.12	21.75
5.	मिजोरम	79.57	35.56	31.72	16.35
6.	नागालैंड	40.58	51.10	23.22	12.51

1	2	3	4	5	6
7.	सिक्किम	103.39	6.61	20.56	15.43
8.	त्रिपुरा	68.80	397.74	39.88	40.74
	कुल	758.03	726.50	212.56	214.02
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंड. और निको. द्वीप समूह	3.75	16.80	1.59	5.50
2.	चंडीगढ़	11.00	20.15	10.07	13.97
3.	दादर और नगर हवेली	105.64	16.92	4.16	6.47
4.	दमन और दीव	12.60	12.86	4.97	4.54
5.	दिल्ली	61.29	22.15	22.30	15.05
6.	लक्षद्वीप	229.59	5.02	1.56	4.52
7.	पांडिचेरी	14.50	15.50	2.04	9.95
	कुल	438.37	109.40	46.69	60.00
	महायोग	10070.57	11819.10	7937.37	4996.40

*(8.12.2003 तक)

औषधि नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

1256. **श्री अनिल बसु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव औषधि नियंत्रण (संशोधित) अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनाधीन ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। तथापि, माशेलकर समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1954 के विभिन्न उपबंधों को संशोधित करने के लिए विधान लाने के लिए कदम उठाए हैं। माशेलकर समिति की अंतरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1954 में अपराधों के लिए दण्ड देने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि:

(क) जीवन के लिए हानिकारक एवं मृत्युकारक नकली दवाइयों की बिक्री और विनिर्माण के लिए दण्ड को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड किया जाना चाहिए। जिन नकली दवाइयों में गम्भीर क्षति अथवा मृत्यु नहीं भी होती है, उनके विनिर्माण एवं बिक्री के लिए भी दण्ड को और कड़ा बनाया जाना चाहिए।

(ख) नकली दवाइयों से संबंधित अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया जाना चाहिए। यदि अदालत द्वारा जमानत पर विचार किया जाता है तो वह केवल तीन माह की अवधि के बाद ही प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) डीलर द्वारा दवाई की खरीद का स्रोत न बताए जाने के लिए दण्ड को कड़ा बनाया जाना चाहिए।

(घ) नकली दवाइयों के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष अदालतें अधिकृत करने हेतु औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में उपबंध शामिल किया जाना चाहिए।

(ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अपराधों के लिए अर्थ दण्ड (कम्पाउन्डिंग) के उपबंध को शामिल किया जाना चाहिए।

(च) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत औषध निरीक्षकों के अलावा पुलिस को भी घटिया औषधों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए धनराशि का आवंटन

1257. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सूचा प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए धनराशि का आबंटन आरंभ में धनराशि के नियोजित आबंटन की तुलना में बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कटौती से भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास का एक सार्वभौमिक केन्द्र बनाने की योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कतिपय मौजूदा अभियांत्रिकी संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वोत्कृष्ट संस्थानों के रूप में उन्नयन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार चुने गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संस्थान कौन-कौन से हैं;

(च) इस प्रयोजनार्थ इनमें से प्रत्येक संस्था के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(छ) इस समय देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितने पी.एच.डी. और एम.टेक हैं और भविष्य में इस संबंध में यदि कोई है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, 30.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान संशोधित अनुमान के स्तर पर रखा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष कम्प्यूटर विज्ञान में लगभग 25 पी.एच.डी. तथा 300 एम.टेक. डिग्रीधारी तैयार होते हैं। इस संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के आरोपियों का प्रत्यावसन

1258. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के 10 वर्षों के बीत जाने के बावजूद इसके लिए जिम्मेदार कंपनी के चेयरमैन के प्रत्यावसन के लिए आवेदन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी नहीं, सरकार ने 5 मई, 2003 को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के माध्यम से अमरीकी सरकार से यूनियन कारबाइड कार्पोरेशन के अध्यक्ष वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. और सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में शेयरों की बिक्री

1259. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री के. मुरलीधरन:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ओ.एन.जी.सी. और सरकारी क्षेत्र के अन्य तेल उपक्रमों में उनके कुछ शेयर बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम के निजीकरण न किए जाने की पूर्व वचनबद्धता के पूर्णतः विपरीत है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) आईबीपी कंपनी लिमिटेड को छोड़कर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के बोझ को कम करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं है।

(ख) से (ग) अपनी विनिवेश नीति के अनुसरण में सरकार ने, जुलाई, 2003 में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से घरेलू बाजार में आईबीपी में अपनी शेष बची 26 प्रतिशत इक्विटी धारिता के बोझ को कम करने का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नहीं। आईबीपी ने शेष बची इक्विटी धारिता की बिक्री का मौजूदा निर्णय सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप ही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सफदरजंग अस्पताल में सुरक्षा उपाय

1260. श्री नरेश पुगलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) मुंबई ने नयी दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल को रेडियो-थेरेपी विभाग में नये रोगियों की भर्ती रोकने का निर्देश दिया है क्योंकि अस्पताल आवश्यक सुरक्षा उपायों को पूरा नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल के विकिरण-चिकित्सा विभाग में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा तकनीकी पैरामीटरों की लगाई गई शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण कुछ समय के लिए नए रोगियों को विकिरण चिकित्सा उपचार देने से रोक दिया गया था। वैसे, इस अवधि के दौरान नए रोगियों को दो सरकारी अस्पतालों, नामतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लोक नायक अस्पताल के विकरण-चिकित्सा विभागों में रेफर किर दिया गया था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इनका निरीक्षण किया है और उन्होंने विकिरण-चिकित्सा हेतु नए रोगियों के दाखिले की अनुमति पहले ही दे दी है। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का विकिरण चिकित्सा विभाग अब पूरी तरह से कार्य कर रहा है।

कैंसर का अनुसंधान

1261. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कैंसर पर अनुसंधान अभी भी प्रारंभिक चरण में है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस पर अधिक अनुसंधान को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सितम्बर, 2003 को दिल्ली में "राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस" आयोजित किया गया था;

(च) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन मुद्‌दों की चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो चिकित्सा अनुसंधान में नोडल शीर्ष एजेन्सी है, के अनुसार देश में कैंसर अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में उन द्वारा लगभग 70 अनुसंधान परियोजनाओं हेतु सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है जो कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलाप करने में भी जुटे हुए हैं। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सी.एन.सी.आई.) कोलकाता जो मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय अनुसंधान

केन्द्रों में से एक है, में इस समय 38 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं होगा कि देश में कैंसर पर अनुसंधान आरम्भिक अवस्था में है।

(ङ) से (ज) इस मंत्रालय ने दिल्ली में सितम्बर, 2003 में आयोजित राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन (कांग्रेस) का ना तो आयोजन किया, न ही उसका वित्त पोषण किया है।

भारतीय तटीय पानी में तंत्रिका जहर

1262. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारा (मरकरी) आधारित प्रसंस्करण प्रक्रिया और उत्पाद तंत्रिका जहर की तरह कार्य करते हैं और अन्य देशों में इस हेतु विपरीत प्रकृति के बावजूद देश में इसका उपयोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) क्या देश के तटीय पानी में पाई जाने वाली मछलियों में पारे की अधिक मात्रा पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो पारा आधारित प्रसंस्करणों और उत्पादों को सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (घ) विश्व भर में किए गए विभिन्न अनुसंधानों से यह एक सुपरीक्षित तथ्य सामने आया है कि पारा एक "न्यूरोटॉक्सिकेंट" (तंत्रिकाओं के लिए विशाक्त) पदार्थ है। भारत में पारे वाले योगिकों के अधिक उपयोग को दर्शाने वाले विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारतीय मछली, मछली उत्पादों और तटीय जल की मछलियों में पारे के स्वीकृत स्तरों से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो पारे के बढ़े हुए स्तरों को प्रदर्शित करता हो।

एन.आई.सी.डी. द्वारा किए गए कार्य

1263. **श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एन.आई.सी.डी. की राज्य स्तर पर शाखाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.आई.सी.डी. संकट की स्थिति में तत्काल कार्य करने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2002-2003 और चालू वर्ष के दौरान एन.आई.सी.डी. को कितनी धनराशि दी गई; और

(च) एन.आई.सी.डी. की भूमिका की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान निम्नलिखित कार्य करता है:

- देश में संचारी रोगों के नियंत्रण से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- संचारी रोगों के संबंध में छान-बीन करना और जांच करना।
- क्षेत्र में जांच के कार्य में राज्यीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता करना और जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ऑपरेशनल अनुसंधान चलाना।
- संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु सलाह देना और इससे संबंधित विभिन्न अन्वेषण करने में सहायता करना और उनका वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करना।

(ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की आठ शाखाएं हैं और ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2002-2003 और मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को आबंटित धनराशि इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	प्लान	नॉन प्लान	कुल
2002-2003	19.50	9.47	28.97
2003-2004	10.40	9.45	19.85

(च) चूंकि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहा है इसलिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, इस संस्थान के कार्यकलापों को और ज्यादा सुदृढ़ करने हेतु दसवीं योजना के दौरान कतिपय प्लान स्कीमें प्रतिपादित हैं।

[हिन्दी]

हेपेटाइटिस का उन्मूलन

1264. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 2003 तक देश में हेपेटाइटिस मरीजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों से सरकार द्वारा कोई हेपेटाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को हेपेटाइटिस रोधी टीके लगाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जबकि दिनांक 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार हेपाटाइटिस के रोगियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, फिर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सी.बी.एच.आई.) द्वारा उपलब्ध कराया गया वर्ष 2002 में वाइरल हेपाटाइटिस का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) से (घ) जब कि हेपाटाइटिस-सी संक्रमण के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और हेपाटाइटिस-ए, हेपाटाइटिस-बी और सी की तुलना में सुसाध्य है, भारत सरकार ने केवल एक साल की आयु से कम बच्चों के लिए हेपाटाइटिस-बी की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। वर्ष 2002-2003 के दौरान 15 शहर और वर्ष 2003-2004 के दौरान 32 जिलों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हेपाटाइटिस-बी टीकाकरण के लिए चुना गया है।

इस समय, वर्ष 2002-2003 से चुनिंदा शहरों में स्लम क्षेत्र के नवजात शिशुओं को हेपाटाइटिस-बी का टीकाकरण शुरू किया गया है। स्लम क्षेत्र के नवजात शिशुओं को दी गई हेपाटाइटिस-बी की खुराकों की राज्य-वार संख्या (सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार) विवरण-II में दी गई है।

(ङ) सरकार ने हेपाटाइटिस के फैलाव की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

हेपाटाइटिस ए: यह एक जल जनित रोग है और यह मल तथा मुख के जरिए फैलता है। हेपाटाइटिस-ए की रोकथाम हेतु वैक्सीन देश में नहीं बनाई जाती है लेकिन यह बाजार में व्यावसायिक दृष्टि से उपलब्ध है। चूंकि हेपाटाइटिस-ए संदूषित जल के जरिए फैलता है, इसलिए महत्वपूर्ण निरोधक और नियंत्रण उपाय है— सभी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और सफाई की व्यवस्था।

हेपाटाइटिस-बी: यह असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्ताधान, असुरक्षित टीकों आदि के जरिए और मां से बच्चे तक फैलता है। सुरक्षित रक्ताधान, सुरक्षित यौन संबंध और टीके लगाने की सुरक्षित विधियों आदि को सुनिश्चित करके इसका निवारण किया जा सकता है। हेपाटाइटिस-बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हेपाटाइटिस-बी के निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* केन्द्रीय सरकार के जिन कार्मिकों को इसका अधिक खतरा रहता है उनका हेपाटाइटिस-बी के लिए रोग प्रतिरक्षण किया जाता है। राज्य सरकारों को भी इसी तरह के कदम उठाने की सलाह दी गई है;
* सभी रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन संबंधों को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है;
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किये जाते हैं;
* राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक टीके के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंज और सुइयां इस्तेमाल की जाएं;
* परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित नगरों/जिलों में हेपाटाइटिस-बी के प्रति बच्चों को प्रतिरक्षित करने की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है।

हेपाटाइटिस सी: यह असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्ताधान, असुरक्षित टीकों के जरिए और मां से बच्चे तक फैलता है। सुरक्षित रक्ताधान, सुरक्षित यौन संबंध, टीके लगाने की सुरक्षित विधियां आदि सुनिश्चित करके इसका निवारण किया जा सकता है। हेपाटाइटिस सी के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हेपाटाइटिस सी के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

* सभी रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच;
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित यौन संबंधों को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है;
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किये जाते हैं;
* राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक टीके के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंज और सुइयां इस्तेमाल की जाए।

विवरण I

वर्ष 2002 के दौरान वायरल हेपाटाइटिस के सूचित रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वायरल हेपाटाइटिस
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16224
2.	अरुणाचल प्रदेश	621
3.	असम	**
4.	बिहार	**
5.	छत्तीसगढ़	**
6.	गोवा	71
7.	गुजरात	2365
8.	हरियाणा	1079
9.	हिमाचल प्रदेश	1648
10.	जम्मू-कश्मीर	6245
11.	झारखंड	**
12.	कर्नाटक	25601
13.	केरल	5323
14.	मध्य प्रदेश	6112
15.	महाराष्ट्र	29525
16.	मणिपुर	397
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	1164
19.	नागालैंड	131
20.	उड़ीसा	648
21.	पंजाब	3141
22.	राजस्थान	1758
23.	सिक्किम	210
24.	तमिलनाडु	3177
25.	त्रिपुरा	105
26.	उत्तरांचल	**
27.	उत्तर प्रदेश	518
28.	पश्चिम बंगाल	7032
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	368
30.	चंडीगढ़	451
31.	दादरा व नगर हवेली	232
32.	दमन व दीव	23
33.	दिल्ली	5053
34.	लक्षद्वीप	22
35.	पांडिचेरी	534
	कुल	120250

**सूचित नहीं

विवरण II

राज्य का नाम	नगर का नाम	खुराकों की संख्या
महाराष्ट्र	मुम्बई	73067
	पुणे	8088
गुजरात	वड़ोदरा	2620
	अहमदाबाद	7366
मध्य प्रदेश	भोपाल	9706
	इन्दौर	7835
दिल्ली	–	23031
राजस्थान	जयपुर	5841
तमिलनाडु	चेन्नई	40574
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	34522
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	11891
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	
	कानपुर	
बिहार	पटना	
कर्नाटक	बेंगलौर	16792

मोबाइल चिप्स के लिए धातु का विकास

1265. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी धातु विकसित की है जिसक. उपयोग देश में ही मोबाइल फोनों के चिप्स के निर्माण में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धातु बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) भारतीय वैज्ञानिक मोबाइल फोन की चिप्स के विकास सहित विभिन्न सम्भावित अनुप्रयोगों के लिए सामग्रियों के विकास पर कार्य कर रहे हैं। इस विशिष्ट विकास को सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय

1266. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने विद्यालयीय पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विषय को शामिल नहीं करने के कारण अनेक राज्य-सरकारों पर अर्थ दंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राप्ती नदी पर उपरि पुल

1267. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर ताप्ती नदी के ऊपर दो-लेनों वाला पुल बनाने का प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में रारा. 28 पर ताप्ती नदी पर पुल का स्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-2 के संरेखण पर पड़ता है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

यू.एन.एस.सी. की स्थायी सदस्यता

1268. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री तूफान सरोज:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इक्कीसवीं शताब्दी के भू-राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद के विस्तार करने को नई नीति के बनाए जाने की सिफारिश की है ताकि इसमें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या महासचिव का प्रस्ताव है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए;

(ग) क्या उनका यह भी सुझाव है कि जिन सदस्यों के सामने समस्याएं हैं उन्हें परिषद के लिए निर्वाचित न किया जाए;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र की महासभा के हाल ही के अधिवेशन में महासचिव ने इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस पर महासभा में चर्चा की गई और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(च) क्या हाल ही में विभिन्न देशों के नेताओं के साथ भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के मामले पर चर्चा की गई; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (छ) सहस्त्राब्दि घोषणा और संगठन के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58वें अधिवेशन को दी गयी अपने रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने माना कि यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद राज्यों और विश्व जनमत का विश्वास पुन: प्राप्त करे और यह ऐसा बेहतर तरीके से तभी कर सकेगा जब ऐसा लगे कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा समसामयिक विश्व की भू-राजनैतिक वास्तविकताओं का प्रतिनधित्व करता है। तथापि, महासचिव महोदय ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा, खतरों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार पर एक 16 सदस्यीय उच्च-स्तरीय पैनल का गठन किया है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावी सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का कार्य दिया गया है परन्तु जो अपने कार्य क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं रखेगा। यह पैनल सदस्यों द्वारा विचार किये जाने के लिए अपनी अनुशंसाओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र के आरंभ में प्रस्तुत करेगा।

सरकार ने हाल के उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय क्रियाकलापों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के भारत के मामले को उठाया है।

क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

1269. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक खोले जो की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की एक शाखा राजमुंद्री में पहले ही कार्य कर रही है। हैदराबाद में निरोधक चिकित्सा संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन) में विषाणु विज्ञान नैदानिक केन्द्र सहित संचारी रोगों के लिए उन्नत नैदानिक केन्द्र की स्वीकृति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए एक अनुरोध की जांच की जा रही है।

गरीबी उपशमन हेतु विशिष्ट कार्यक्रम

1270. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन राज्यों में गरीबी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहां गरीबी उपशमन हेतु दसवीं योजना अवधि के दौरान चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा, जहां गरीबी का अनुपात इसकी आबादी का 47 प्रतिशत से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग दुगुना है उस गरीबी के अनुपात को कम करके राष्ट्रीय औसत तक लाने हेतु प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि सहित क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु आरम्भ किए गए प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) हैं और शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

तथा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) हैं। उन राज्यों के लिए अलग से कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जहां पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक गरीबी है। तथापि, दसवीं योजना में राष्ट्रीय सम विकास योजना शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से उन कार्यक्रमों को लागू करना है जिससे विकास में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, विकास प्रक्रिया तीव्र होगी और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

(ख) वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा के अविभक्त कोरापुट-बोलांगीर-कालाहांडी (केबीके) जिलों हेतु एक विशेष योजना तैयार की गई है जिसका राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर वित्तपोषण किया जा रहा है। इस योजना में सूखा प्रूफिंग, आजीविका सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और गरीब वर्गों हेतु स्कीमें शामिल हैं जिससे इस क्षेत्र की गरीबी से संबंधित समस्याओं को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

बाल विकास योजना

1271. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बाल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत स्थान-वार कितने भवन बनाए गए तथा शेष भवन कब तक बनाए जाने की संबावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) जी, हां। बिहार में 294 परियोजनाओं (ब्लाकों) में आई.सी.डी.एस. स्कीम स्वीकृत की गई है, जिनमें से 171 परियोजनाएं परिचालित हैं।

(ग) 146 परियोजनाओं में सिविल कार्य स्वीकृत किए गए थे, जो विश्व बैंक सहायता प्राप्त थे। सिविल कार्यों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में है। सिविल कार्यों के समापन के संबंध में सूचना राज्य सरकार से मांगी जा रही है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, आई.सी.डी.एस.-II परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि इस प्रकार है:

2000-01	कुछ नहीं
2001-02	10 करोड़ रुपए
2002-03	52.51 करोड़ रुपए

विवरण

(1) बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय-सह-गोदामों का निर्माण

जिला	ब्लाक	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
पटना	नौबतपुर	1	1
	फुलवारी शरीफ	1	1
	बाढ़	1	1
	बीकन	1	1
	बख्तियारपुर	1	1
भोजपुर	बधारा	1	1
	तरारी	1	1
	उदवतनगर	1	1
	सहार	1	1
कैुद	दुर्गावती	1	1
	कुदरा	1	1
	चांद	1	1
रोहतास	सासाराम	1	1
बक्सर	राजपुर	1	1
नालन्दा	नूर सराय	1	1
	बिहार शरीफ (ग्रामीण)	1	1
	सरबेरा	1	1
	इस्लामपुर	1	1
	अस्थावो	1	1

1	2	3	4
	हारनौट	1	1
औरंगाबाद	दाउदनगर	1	1
	मदनपुर	1	1
	वरुण	1	1
	हंसपुरा	1	1
	ओबरा	1	1
	रफीगंज	1	1
गया	गया (ग्रामीण)	1	1
	मोहनपुर	1	1
	गुरवा	1	1
	वजीरगंज	1	1
	पेरिया	1	1
	अत्री	1	1
नवादा	गोविन्दपुर	1	1
	राजोली	1	1
	हिसुइया	1	1
	वरसालीगंज	1	1
	नारहट	1	1
	पाकरी बारायन	1	1
	कउआकोल	1	1
मुजफ्फरपुर	बौचाहा	1	1
	कान्ति	1	1
	बोर्ली (मुरोल)	1	1
	मीनापुर	1	1
वैशाली	हाजीपुर	1	1
	महुआ	1	1
	लालगंज	1	1
	जान्दाहा	1	1
	मेहनार	1	1
	गोरोल	1	1
पश्चिम चम्पारन	रामनगर	1	1
	बाघा	1	1
	नरकटियागंज	1	1
सीतामढ़ी	मेजरगंज	1	1
शिवहार	पिपराही	1	1
दरभंगा	बिरोल	1	1
	बहादुरपुर	1	1
	बहेडी	1	1
समस्तीपुर	समस्तीपुर (ग्रामीण)	1	1
	रोसदा	1	1
	उजियापुर	1	1
	तेजपुर	1	1
गोपालगंज	बरोली	1	0
	विजयपुर	1	0
सिवान	रघुनाथपुर	1	1
	गुथनी	1	1
सहरसा	सोनबरस	1	1
	सलखुआ	1	1
सूपोल	बसन्तपुर	1	1
	राधोपुर	1	1
पूर्णिया	कार्तियनन्दनगर	1	1
	बाढहरकोठी	1	1
अररिया	नारगामा	1	0
	सिकती	1	1
कटिहार	फाल्का	1	1
	कोदा	1	1

1	2	3	4
बाँका	राजोन	1	1
मुंगेर	संग्रामपुर	1	1
लखीसराय	हसली	1	1
शेखपुरा	अरियारी	1	1
	शेखपुरा	1	1
बेगुसराय	बचपाड़ा	1	1
	भगवानपुर	1	1
	चेरियारीयारपुर	1	1
जमुइ	खैरा	1	1
कुल		84	81

(2) आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

1	2	3	4
पटना	नौबतपुर	1	35
	फलवारी शरीफ	1	42
	बाढ़	1	47
	बीकन	1	47
	बख्तियारपुर	1	30
भोजपुर	बधारा	1	43
	तरारी	1	29
	उदवतनगर	1	22
	सहार	1	27
कैमुद	दुर्गावती	1	20
	कुदरा	1	23
	चांद	1	14
रोहतास	सासाराम	1	40
बक्सर	राजपुर	1	21
नालन्दा	नूर सराय	1	31
	बिहार शरीफ (ग्रामीण)	1	38
	सरबेरा	1	17
	इस्लामपुर	1	32
	अस्थावो	1	42
	हारनौट	1	25
औरंगाबाद	दाउदनगर	1	27
	मदनपुर	1	31
	वरुण	1	27
	हंसपुरा	1	24
	ओबरा	1	31
	रफीगंज	1	40
गया	गया (ग्रामीण)	1	37
	मोहनपुर	1	31
	गुरवा	1	27
	वजीरगंज	1	44
	पेरिया	1	31
	अत्री	1	41
नवादा	गोविन्दपुर	1	29
	राजोली	1	28
	हिसुइया	1	27
	वरसालीगंज	1	30
	नारहट	1	18
	पाकरी बारायन	1	21
	कउआकोल	1	20
मुजफ्फरपुर	बौचाहा	36	30
	कान्ति	62	57
	बोली (मुरोल)	38	34
	मीनापुर	48	47

1	2	3	4
वैशाली	हाजीपुर	21	19
	महुआ	58	51
	लालगंज	55	45
	जान्दाहा	44	44
	मेहनार	22	21
	गोरोल	53	35
पश्चिम चम्पारन	रामनगर	39	22
	बाघा	31	15
	नरकटियागंज	50	0
सीतामढ़ी	मेजरगंज	30	29
शिवहार	पिपराही	31	30
दरभंगा	बिरोल	49	42
	बहादुरपुर	41	41
	बहेडी	44	23
समस्तीपुर	समस्तीपुर (ग्रामीण)	46	40
	रोसदा	53	53
	उजियापुर	44	44
	तेजपुर	39	36
गोपालगंज	बरोली	51	49
	विजयपुर	22	22
सिवान	रघुनाथपुर	35	35
	गुथनी	21	21
सहरसा	सोनबरस	39	13
	सलखुआ	37	0
सूपोल	बसन्तपुर	24	22
	राधोपुर	45	34
पूर्णिया	कार्तियनन्दनगर	49	26
	बाढ़हरकोठी	31	22
अररिया	नारगामा	36	0
	सिकती	23	23
कटिहार	फाल्का	36	26
	कोदा	37	28
बाँका	राजोन	30	15
मुगेर	संग्रामपुर	20	20
लखीसराय	हसली	31	20
शेखपुरा	अरियारी	27	27
	शेखपुरा	29	29
बेगूसराय	बचपाड़ा	38	35
	भगवानपुर	33	29
	चेरियारीयारपुर	27	21
जमुई	खैरा	39	39
कुल		3008	2503

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरभाष केन्द्र

1272. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में 2003-2004 के दौरान नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 1118।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्य में स्थापना के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य में वर्ष 2003-2004 के दौरान स्थापना के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित एक्सचेंज का नाम
1.	बालासोर	बरतना
2.	गंजाम	गौड़गोठ
3.	गजपती	मंडलसाही
4.	कालाहाडी	बंधाकाना
5.	कालाहांडी	मदनपुर
6.	कालाहांडी	किराकाकानी
7.	नुआपाड़ा	कुलियाबंध
8.	नयागढ़	कोशका
9.	बोलांगीर	घुमसर
10.	कटक	कुलश्री
11.	कटक	सालेपडा
12.	जयपुर	जनक
13.	अनुगुल	नालाम
14.	क्योंझर	बेनामुंडा
15.	क्योंझर	सलिनिया
16.	कोरापुर	दिगपुर
17.	रायगडा	डांगसोरदा
18.	रायगडा	जगदलपुर
19.	सम्बलपुर	झरिबाहाल

चण्डीगढ़ में छोटे कल्याण केन्द्रों को बन्द करना

1273. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चण्डीगढ़ की मलिन बस्तियों में अभी हाल ही तक कुछ छोटे कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उससे कितने लोग प्रभावित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। चण्डीगढ़ में भारत सरकार की सहायता से 1995-96 से 1997-98 तक भारत जनसंख्या परियोजना (आई.पी.पी.)-VII के अधीन आठ मिनि परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे थे। आई.पी.पी.-VII के अधीन भारत सरकार की वित्तीय सहायता आई.पी.पी.-VII समाप्त होने के बाद 31.12.1997 को बन्द कर दी गई। उसके बाद चण्डीगढ़ प्रशासन ने पांच केन्द्र नामत: पलसोरा कालोनी, कालोनी संख्या-5, कालोनी संख्या 4, सैक्टर 31 और मौली जगरान बन्द कर दिए। खुड्डा अलीशेर, किशनगढ़ और बापू धाम कालोनी स्थित शेष तीन केन्द्र चल रहे हैं और इन्हें किसी वित्तीय सहायता के बिना गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है।

(ङ) इन केन्द्रों के बन्द होने से सीधे कोई लाभार्थी प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि बन्द हुए केन्द्रों के नजदीक रह रहे लोगों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) की सिफारिशें

1274. श्री सुरेश कुरुप:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) ने सरकार से यह सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा कर चुके चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एक विशेष तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) की सिफारिशों के बावजूद चिकित्सक ग्रामीण लोगों की सेवा करने में बहुत कम रुचि दिखा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा एम.सी.आई. की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सरकार को कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है।

समुद्री जल से पेयजल बनाना

1275. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने समुद्र से पेयजल बनाए जाने के लिए कोई परमाण्विक प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने समुद्री जल को विलवणीकृत करने के लिए दो प्रक्रियाएं नामतः 'बहु-चरणीय फ्लैश (एम एस एफ)' और 'प्रतिलोम परासरण (आर ओ)' विकसित की हैं। प्रतिलोम परासरण (आर ओ) प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से प्रतिदिन 1800 घन मीटर विलवणीकृत जल का उत्पादन करने के लिए कलपाक्कम, तमिलनाडु में एक संयंत्र अगस्त, 2002 में कमीशन किया जा चुका है। बहु-चरणीय फ्लैश (एम एस एफ) प्रौद्योगिकी वाला संयंत्र समुद्री-जल से प्रतिदिन 4500 घन मीटर लवणीकृत जल का उत्पादन करेगा और यह भी कलपाक्कम में ही स्थित है। यह संयंत्र निर्माण के अंतिम चरण में है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

1276. श्री अमीर आलम: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों से कितने जिले जुड़े हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के शेष जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो ततत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) उत्तर प्रदेश से 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों से 60 जिले जुड़े हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी हेतु धनराशि

1277. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के विकास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के विकास हेतु और अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटन 364.43 करोड़ रु. था।

(ख) और (ग) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 775.00 करोड़ रु. का आबंटन है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग को रोजगार के अवसर

1278. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर समूह 'क' और 'ख' वर्ग में कुल कर्मचारी संख्या की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की संख्या काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी सरकारी विनियमों में प्रावधान है कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों और सिविल सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही, सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदण्डों के समान मानदण्डों के आधार पर खुली प्रतियोगिता से गुणानुक्रम के आधार पर भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों का समायोजन, आरक्षण कोटे में नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी सीधी भर्ती का प्रावधान है वहां सभी श्रेणियों में सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करती रही है।

1995 में जब से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया गया तब के बाद से विदेश मंत्रालय सचिवालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के बीच में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

विदेश मंत्रालय सचिवालय

समूह	भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या
क	35
ख	60
ग	42
घ	22
योग	159

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत के समय से ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रारम्भ किये जाने अर्थात् 1995 से लेकर अब तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् में भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या शून्य है।

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन

समूह*	भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या**
ग	112
घ	111
योग	223

(*केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में समूह क एवं ख स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती और इसीलिए समूह क एवं ख में भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या शून्य है)

(**आंकड़े 1995 के बाद के हैं जब से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया गया था)

(ग) से (ङ) विदेश मंत्रालय में समूह क एवं ख में अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के लिए आरक्षण को लागू किए जाने की स्थिति निम्नलिखित सांख्यिकी से स्पष्ट हो जाएगी–

समूह	अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी द्वारा भरे गए पदों का प्रतिशत (27% की निर्धारित सीमा के आलोक में)
क	29%
ख	28.7%

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, एतद् संबंधी मानदण्डों और दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध करा रही है। सरकार, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करती आ रही है।

चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाना

1279. श्री वाई.वी. राव:
श्री अलकेश दास:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने चिकित्सा महाविद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से चिकित्सा महाविद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार नए महाविद्यालयों के कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार से दो प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) इन प्रस्तावों की स्वीकृति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के "नए चिकित्सा कालेजों की स्थापना नियम, 1999" में निर्धारित अहंक मानदण्ड पूरे करने, आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता तथा उन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की संस्तुतियों पर निर्भर करती है।

विवरण

8.12.2003 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार चिकित्सा कालेजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा कालेजों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	असम	3
3.	बिहार	8
4.	चण्डीगढ़	1
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	5
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	12
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	2
11.	जम्मू-कश्मीर	4
12.	झारखंड	3
13.	कर्नाटक	30
14.	केरल	13
15.	मध्य प्रदेश	6
16.	महाराष्ट्र	38
17.	मणिपुर	1
18.	उड़ीसा	3
19.	पांडिचेरी	5
20.	पंजाब	6
21.	राजस्थान	7
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	19
24.	उत्तर प्रदेश	12
25.	उत्तरांचल	2
26.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	221

दक्षिण अण्डमान में सड़कों का निर्माण

1280. श्री विष्णुपद राय: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस पंचवर्षीय योजना में समुद्र से ऊपरी कचाल तक सड़क का निर्माण करना शामिल किया गया है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उक्त निर्माण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या हंगसापुरी और शोलबे 19 में सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ली गई है;

(घ) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) वार्षिक योजना 1995-96, 1996-97 और पंचवर्षीय योजना 2002-2007।

(ख) 11 कि.मी. में से 2 किमी. लंबाई 1995-96 से 1996-97 के दौरान पूरी कर ली गई थी और 2-11 कि.मी. तक शेष लंबाई के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। प्राक्कलन के अनुमोदन के पश्चात् चरणबद्ध रूप में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) हंगसापुरी में सड़क के निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। शोलबे 19 में सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई), नागपुर के साथ पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से रिपोर्ट मिलने के बाद पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) शोलबे 19 में सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर से पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट मार्च, 2004 तक मिलने की संभावना है और तत्पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) इन सड़कों का निर्माण, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

केरल में समुद्री अकादमी की स्थापना

1281. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के विजहिनजम में एक समुद्री अकादमी तथा जलसर्वेक्षण विभाग की एक इकाई की स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु विजन दस्तावेज

1282. श्रीमती प्रभा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को एक प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में बदलने हेतु एक विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यबल ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और देश में वे प्रमुख केन्द्र कौन से हैं जिन्हें स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है;

(घ) क्या इन केन्द्रों को निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा अकेले सरकार द्वारा विकसित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों के विकास पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी.जी.एच.एस. यूनानी दवाओं की खरीद में अनियमितताएं

1283. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 23 जलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जांच रिपोर्ट की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

सरकार ने जांच रिपोर्ट की छानबीन कर ली है और इसे पूर्णतः स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

समिति सिफारिश करती है कि निम्नलिखित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए:

(क) यूनानी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपों के तत्कालीन प्रभारी और क्रय सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव डा. एम. शमूम, गोली न्यूरोटोन की अनुमोदित आपूर्ति प्राप्त नहीं करने और पी.ए.सी. द्वारा रिकार्ड किए गए नोट के बावजूद कम वजन की गोलियों की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अकेले जिम्मेवार हैं। आपूर्ति आदेश देते समय उन्होने इस मामले को संबंधित फर्म के साथ नहीं उठाया। न केवल आपूर्तियां प्राप्त की गई बल्कि उनको आगे वितरण के लिए औषधालयों को भी भेज दिया गया। इसलिए, इस अधिकारी का कार्य और आचरण ऐसा है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए शोभनीय नहीं है और वे अपने पद से जुड़े कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को हानि हुई है क्योंकि फर्म से प्राप्त कम वजन की आपूर्तियों के लिए पूरा भुगतान किया गया है। इसके अलावा, उन्होने फर्म के गैर-कानूनी कार्य उचित ठहराकर प्राधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की है।

(ख) क्रय सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में पूर्णतया असफल रहे हैं क्योंकि वे कम वजन की दवाइयों की शर्त के साथ अनुमोदित करते समय उन्हें पूर्णतया अस्वीकार नहीं कर पाए। यहां तक कि अनुमोदन विवरण पर रिकार्ड किए गए नोट के अनुपालन हेतु अगली बैठक में निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया।

(ग) निरीक्षण समिति के सदस्य भी पी.ए.सी. द्वारा रिकार्ड की गई कम वजन की दवाइयों के बारे में आपत्ति को विशेष रूप से जानते हुए अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में और उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे।

(घ) तत्कालीन अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और अध्यक्ष, पी.ए.सी. और निरीक्षण समिति में समान सदस्य रखने के लिए और शिकायतों के बावजूद उपयुक्त और समयोचित कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए जिम्मेवार है यद्यपि वह पी.ए.सी. का अध्यक्ष था।

सिफारिशें:

(क) वर्तमान में खरीद सलाहकार समिति में अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, उप सलाहकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति, 4 यूनानी चिकित्सक, लेखा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो और उप-सलाहकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के सबसे वरिष्ठ दो प्रभारियों वाली निरीक्षण समिति शामिल हैं। समिति सिफारिश करती है कि चूंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अलग विभाग है; कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धतियों (स्ट्रीम्स) से संबंधित डाक्टरों के संवर्ग को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण है; कि यह विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विषयों से संबंधित कई परिषदों का संचालन करता है, इसलिए एलोपैथी पद्धति के डाक्टरों के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि के लिए औषधियों हेतु खरीद समितियों/निरीक्षण समिति का अध्यक्ष बनना उपयुक्त नहीं है। वास्तव में चिकित्सा डाक्टरों की आधुनिक पद्धति द्वारा अध्यक्षता वाली ऐसी समितियों की सिफारिशों की विश्वसनीयता स्वयं में ही संदेहास्पद है। इन बातों को देखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि पी.ए.सी. और निरीक्षण समिति दोनों को, प्रत्येक समिति के पृथक रूप से विचारार्थ विषय के साथ, गठित करने का उत्तरदायित्व अपने स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का है। विभाग द्वारा अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञों/डाक्टरों में से चुने जा सकते हैं। पी.ए.सी. फार्मूलरी को अंतिम रूप देने, फर्मों के पंजीकरण और आपूर्ति आदेशों को देने के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि ये समितियां निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को रिपोर्ट करेंगी।

(ख) समिति ने यह पाया कि पी.ए.सी. तथा निरीक्षण समिति के कुछ सदस्य साझा सदस्य थे। समिति सिफारिश करती है कि दोनों समितियों के सदस्य अलग-अलग होने चाहिएं और इनका सी.बी.सी. दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

(ग) समिति ने यह पाया कि पी.ए.सी. अथवा निरीक्षण समिति के लिए अथवा स्टोर प्रभारी के लिए कोई स्पष्ट

दिशा-निर्देश नहीं थे। यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु और विश्वसनीय फार्मों के पंजीकरण के लिए पी.ए.सी. निरीक्षण समिति की और स्टोर प्रभारी की शक्तियां और उत्तरदायित्व सुस्पष्टता से वर्णित हो।

(घ) समिति को यह देखकर निराशा हुई कि यूनानी स्टोर में आधारभूत भारण तंत्र भी उपलब्ध नहीं थे। स्टोर कम से कम पर्याप्त रूप से कुछ आधारभूत जांच यंत्रों से सुसज्जित होना चाहिए।

(ङ) केवल शिकायतों पर प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा सभी स्तरों पर पहले मानिटरिंग की आवश्यकता है। निरन्तर निरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

(च) यूनानी फार्माकोपिया में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी डाक्टरों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण उनके ज्ञान/कार्यकुशलता को अद्यतन करेगा और उसमें वृद्धि करेगा।

(छ) चूंकि इन औषधियों के लिए कोई विशिष्ट प्रयोगशाला परीक्षण नहीं है इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि पी.ए.सी. अपेक्षित मानदण्डों/विनिर्देशों के अनुरूप होने में असफल रहने वाली आपूर्तिकर्त्ता फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु संविदाओं में दण्डात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करने पर विचार करें।

(ज) समिति यह सिफारिश करती है कि सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों में विगत तीन वर्षों हेतु विशेष लेखा परीक्षा और दवाइयों का शत प्रतिशत प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाए।

प्रमुख पत्तनों पर कार्गो संभलाई

1284. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान प्रमुख पत्तनों पर कार्गो सम्भलाई में धीमी गति से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैश्विक गंतव्यों के लिए तीव्र और सीधी सेवा प्रदान करने हेतु मुख्य कंटेनर पोतों को आकर्षित करने हेतु कार्गो का विस्तार करने के लिए वर्तमान पत्तनों में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महापत्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाये जाने, कम लागत की सेवाओं की व्यवस्था तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। परंपरागत बर्थों को आवश्यकतानुसार रूपांतर/उच्च उन्नयन करने, नई बर्थों के निर्माण, कार्गो हैंडलिंग उपकरणों और मरम्मत प्रक्रियाओं के उन्नयन, आंतरिक सड़क तंत्र और सर्कुलर प्रणाली जहां आवश्यक हो, की पुन: संरचना तथा उन्नयन, भंडारण सुविधाओं तथा अन्य पत्तन आधारभूत संरचना के उन्नयन, उपकरणों और श्रम उत्पादकता को बढ़ाने, कार्य बल को बेहतर बनाने, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग इत्यादि द्वारा इसे प्राप्त करने की योजना है।

देश के पूर्व तथा पश्चिमी तटों क्रमश: चैन्नई तथा जवाहर लाल नेहरू पत्तनों में प्रत्येक पर एक हब पत्तन के विकास तथा वल्लारपदम, कोचीन पत्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय यानांतरण टर्मिनल के विकास का भी निर्णय लिया गया है ताकि कंटेनर यातायात के लिए बढ़ती संभाव्यता का लाभ उठाने तथा विश्वव्यापी गंतव्यों के लिए तीव्र तथा सीधी सेवा के लिए मुख्य कंटेनर पोतों को आकर्षित किया जा सके

[हिन्दी]

सेल्यूलर फोन कालों की पल्स दर

1285. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 13 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2962 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) संगत समय में यथा लागू सूचना निम्नानुसार है:

24 जनवरी, 2003 को ''ट्राई'' द्वारा जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश के 24वें संशोधन में सेल्यूलर मोबाइल एयर टाइम प्रभारों

के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख है।" फॉरबियरेंस में यह व्यवस्था है कि: "सेवा प्रदाता के रैफरेंस टैरिफ पैकेज" के रूप में, प्रत्येक सेवा प्रदाता 30 सेकेण्ड की पल्स अवधि सहित प्रति मिनट एयर टाइम प्रभार और मासिक किराए का उल्लेख करेगा, प्रचालकों को उपभोक्ताओं की प्रयोग पद्धति (यूसेज पैटर्न) को देखते हुए वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश करने की स्वतंत्रता है। ट्राई को प्रचालकों द्वारा दायर टैरिफ योजनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पल्स दर भी विनिर्दिष्ट की जाती है। यह पल्स दर प्रचालकों द्वारा दायर विविध वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में भिन्न-भिन्न होती है। सरकार ने अभी तक किसी भी प्रचालक की कोई मॉनिटरिंग या जांच नहीं की है। इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यबल

1286. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 22.5.1998 की अधिसूचना के जरिए गठित राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने "सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना-भाग 1" के रूप में 108 सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति के अनुसार 108 सिफारिशों में से 64 का कार्यान्वयन कर दिया गया है, 04 का कार्यान्वयन नहीं किया गया, 37 "चालू कार्य" की प्रकृति के हैं तथा 03 को स्वीकार नहीं किया गया है।

बोगीबील पुल का निर्माण

1287. **श्री एम. के. सुब्बा:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का निर्माण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय निर्माण कार्य की क्या स्थिति है; और

(घ) इसका निर्माण कब तक होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) बोगीबील पुल का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस पुल का निर्माण की लागत 1760 करोड़ रु. आंकी गई है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण, बोल्डरों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पुल स्थल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों के लिए पहुंच सड़क का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। जहां भूमि उपलब्ध कराई गई है, रेलवे तटबंध के लिए भराव, छोटे और बड़े पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(घ) इस परियोजना को अप्रैल, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उड़ीसा में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

1288. **श्री अनन्त नायक:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में कितने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या राज्य के अनुसूचित जिलों में राज्य के विकसित जिलों की अपेक्षा काफी कम ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं योजना में इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) नौवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में 19175 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) स्थापित किए गए।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 10295 वीपीटी प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें 701 जनसंख्यारहित (डिपॉपुलेटेड) गांव तथा घने जंगलों अथवा नक्सलवाद प्रभावित इलाकों के 636 गांव शामिल नहीं हैं। 31.10.2003 तक 5190 वीपीटी लगाए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) सरकार की राज्यों के सभी अनुसूचित तथा कम विकसित जिलों के सभी राजस्व गांवों को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। पहाड़ी, दूरस्थ तथा दुर्गम स्थानों के लिए उपग्रह-आधारित वीपीटी की योजना है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा सरकार से निधियों के आबंटन की प्रतीक्षा है।

उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करना

1289. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना 150 उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चुने गए संभावित महाविद्यालयों के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं योजना के दौरान ''उत्कृष्टता की सम्भावना वाले कॉलेज'' स्कीम के अन्तर्गत 100 कॉलेजों का पता लगाए जाने का प्रस्ताव है। इन कॉलेजों की 2 स्तरों पर जांच की जाएगी। स्थाई समिति के सहयोग से पहले विश्वविद्यालय स्तर पर और फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालयों के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त प्रस्तावों पर तदनुसार स्कीम के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मंत्रालय में श्रेणी-वार कर्मचारी

1290. श्री बाल कृष्ण चौहान: क्या **प्रधान मंत्री** 6 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2214 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मिकों के ब्यौरे समूहवार नीचे दिए गए हैं:

समूह	कार्मिकों की संख्या
''क''	375
''ख''	1827
''ग''	2788
''घ''	731

ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	कार्मिकों की संख्या
अन्य पिछड़ी जातियां	537
अनुसूचित जनजाति	373
अनुसूचित जाति	1042

समूह	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
''क''	7	12	39
''ख''	127	129	282
''ग''	321	161	457
''घ''	81	69	232

प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता

1291. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और वर्षवार कितने प्रौद्योगिकी संस्थानों का वित्तपोषण किया है;

(ख) सरकार द्वारा देश में मानव संसाधन विकास संबंधी परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन परियोजनाओं हेतु आबंटित राशि को अन्यत्र प्रयोग करने के मामलों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा धनराशि का अन्यत्र प्रयोग रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, शिल्पकला, प्रबन्धन, एम सी ए इत्यादि के क्षेत्र में पांच हजार से भी अधिक अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं केन्द्र, राज्य, स्व-वित्तपोषित इत्यादि जैसी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। यह मंत्रालय राज्यों में डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्यों को अक्सर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र रूप से सुधार करने की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आधुनिकीकरण और अप्रचलित उपस्करों को हटाना, अनुसंधान और विकास तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं को भी चलाती है जिसके अंतर्गत राज्य में तकनीकी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राशि को अन्यत्र प्रयोग करने का कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

अभिघात केन्द्र

1292. श्री रामजी मांझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजधानी में चल रहे पूर्ण सुविधाओं से युक्त अभिघात केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ केन्द्र तंत्रिका शल्य चिकित्सक के बगैर चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल में काफी पहले एक अभिज्ञात केन्द्र स्थापित किया जाना था परन्तु अभी तक उक्त की स्थापना नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) अस्पताल में कब तक अभिघात केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जहां तक राजधानी में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, वहां अभिघात (ट्रामा) पीड़ितों के उपयुक्त उपचार की उचित व्यवस्था है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तंत्रिका शल्य-चिकित्सक कार्यरत हैं।

(घ) से (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यूएनईपी की एशियन ब्राउन क्लाउड पर रिपोर्ट

1293. श्री राम मोहन गाड्डे
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूरे दक्षिण एशिया के ऊपर ''एशियन ब्राउन क्लाउड'' कहे जाने वाले प्रदूषकों की तीन किलोमीटर मोटी परत की उपस्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट की जानकारी है, जैसाकि दिनांक 19 नवम्बर, 2003 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने 1996-1999 के सर्दी के महीनों में किए गए एक प्रेक्षणात्मक अभियान के दौरान हिन्द महासागर के ऊपर देखी गई वातावरणीय प्रदूषकों की एक परत का उल्लेख करते हुए अगस्त, 2002 में पहली बार ''एशियन ब्राऊन क्लाउड'' शब्दों का प्रयोग किया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदूषक की परत का कारण दक्षिण एशिया में जलने वाले बायोमास है और इसका जलवायु पर काफी प्रभाव है।

(ग) और (घ) यूएनईपी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग थे। अपने निष्कर्षों में समिति ने बताया कि प्रेक्षित आंकड़ों की व्यार ा में अनिश्चितताएं हैं और सुनिश्चित रूप से न तो कारण बताया जा सका है न ही प्रभाव बताया जा सका है। स्वयं यू एन ई पी ने, यह स्वीकारते हुए कि यह आवश्यक रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, बाद में इसे ''एटमॉस्फेरिक ब्राऊन क्लाउड'' कहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग एरोसोल एवं अन्य प्रदूषक गैसों का प्रेक्षण करते हुए स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है ताकि स्थानीय रूप से उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लम्बी दूरियों तक जाने वाले प्रदूषण का पता लगाया जा सके और क्षेत्र के ऊपर वातावरणीय एरोसोल्स का एक बजट तैयार किया जा सके।

[हिन्दी]

विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को दंडित करना

1294. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता-पिताओं को दंडित/शिक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की आवश्यकता के संबंध में अभिभावकों में जागरूकता के स्तर को बुनियादी स्तर की शिक्षा समितियों और मीडिया अभियानों के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर पर आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कंट्रीज का संकल्प

1295. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर पर आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज द्वारा हाल में अपनाए गए संकल्प की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी हां।

(ख) शिखर (पुतराजाया) घोषणा में किसी देश/क्षेत्रीय मसलों (जम्मू और कश्मीर सहित) का जिक्र नहीं है। तथापि, ओआईसी शिखर सम्मेलन विज्ञप्ति, ओआईसी महासचिव के वक्तव्य, जम्मू और कश्मीर पर ओआईसी सम्पर्क ग्रुप की घोषणा और अन्य ओआईसी दैनिक संकल्पों में पहले के समान, परन्तु कुछ परिवर्तन के साथ जम्मू और कश्मीर का जिक्र है।

(ग) ओ आई सी को आन्तरिक मामलों में दखल का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारत सरकार ऐसे सभी संकल्पों और संदर्भों को सीधा ही खारिज करती है।

[अनुवाद]

विशेषकृत उपचार के गंतव्यस्थल के रूप में भारत

1296. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपनी सक्षम एवं अल्प-लागत वाली चिकित्सा सुविधाओं के कारण विशेषकृत उपचार के गंतव्यस्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अफ्रीकी देशों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली तैयार करने हेतु उनको अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबध में भारत से सहायता प्राप्त करने में अपनी रुचि दर्शाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अस्पतालों द्वारा प्रदान किए जा रहे कम लागत व अच्छी गुणवत्ता वाले उपचार का लाभ उठाने के लिए हाल के

वर्षों में अनेक विदेशी, विशेषकर अफ्रीकी देशों से, भारत आते रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अफ्रीकी देशों की सहायता करने संबंधी द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत समय-समय पर सहायता प्रदान करती रही है।

(ङ) भारतीय वाणिज्य मण्डल और उद्योग परिसंघ (इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए अनुसार निम्नलिखित देशों ने भारत से सहायता लेने में अपनी रुचि दर्शाई है-घाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, सुडान, तंजानिया, युगान्डा, जाम्बिया, कीनिया, मोरक्को, अंगोला और जिम्बाब्वे। सिशली, सुडान और तंजानिया के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन

1297. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक से सहायता ली जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने और इनका उन्नयन करने का प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 2001 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे विश्व बैंक की सहायता से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने तथा सरकारी चिकित्सा कालेजों एवं संबद्ध अस्पतालों की भौतिक अवसंरचना में सुधार लाने के लिए उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव तैयार करें।

(ङ) और (च) जनवरी, 2002 में विश्व बैंक की सहायता हेतु 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। इसे विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया। यह देखते हुए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में विश्व बैंक वित्तपोषण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, आर्थिक कार्य विभाग ने बतलाया है कि चिकित्सा कालेजों तथा संबद्ध अस्पतालों के लिए बाह्य वित्तपोषण से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या इत्यादि से ध्यान हट जाएगा और इसने, उक्त परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के प्रस्ताव

1298. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु उड़ीसा द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावों को प्रक्रिया में ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उड़ीसा सरकार से क्रमशः 126.65 करोड़ रु. लागत के 111 प्रस्ताव और 147.70 करोड़ रु. लागत के 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) अब तक 98.89 करोड़ रु. लागत के 101 प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा वार्षिक राशि के दोगुने तक स्वीकृति की मात्रा बनाए रखी जाती है। स्वीकृति की मात्रा के मानदंड के अध्यधीन राज्य सरकार से उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् और प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी।

दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार/आधुनिकीकरण

1299. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर व्यय की गई और इस हेतु नियत धनराशि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) बीएसएनएल द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु उठाए गए कदम निम्नवत हैं:

(1) सभी एक्सचेंजों को विश्वस्त माध्यमों से जोड़ना (अधिकतर आप्टिकल फाइबर केबल पर आधारित)।

(2) सभी एनालॉग एक्सचेंजों को डिजीटल एक्सचेंजों में बदलना।

(3) पर्याप्त स्विचिंग क्षमता प्रदान करना।

(4) सभी एसबीएम स्विचों को आरएसयू में बदलना।

(5) 256 पी आरएएक्स स्विचों को एएन आरएएक्स में बदलना।

(6) डब्ल्यूएलएल एवं जीएसएम मोबाइल सेवा शुरू करना।

(7) आईएसडीएन, इंटरनेट, ब्रौडबैंड और आईएन सेवाएं जैसी नई सेवाएं शुरू करना।

(8) आधुनिक "कस्टमर केयर" केन्द्र खोलना।

वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के दौरान मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के विभिन्न दूरसंचार पैरामीटरों की उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सर्किलों के लिए बजट आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	मध्य प्रदेश		उड़ीसा	
	निर्धारित राशि	खर्च की गई राशि	निर्धारित राशि	खर्च की गई राशि
2002-2003	392.79 करोड़ रु.	466.69 करोड़ रु.	232.14 करोड़ रु.	361.60 करोड़ रु.
2003-2004	372.73 करोड़ रु.	वित्तीय वर्ष 2003-2004 अभी जारी है, अत: इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	190.85 करोड़ रु.	वित्तीय वर्ष 2003-2004 अभी जारी है, अत: इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	पैरामीटर	उपलब्धियां			
		2002-03		2003-04 (31.10.2003 तक)	
		मध्य प्रदेश	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	उड़ीसा
1	2	3	4	5	6
1.	स्विचन क्षमता (लाइनें)	161516	144404	69276	94724
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (सं.)	167874	151395	82002	93313
3.	ट्रंक ऑटो एक्सचेंज (सीसीटीएस)	20500	20500	19500	16000
4.	वीपीटी (सं.)	0	5078	4	112

1	2	3	4	5	6
5.	ओएफसी (रूट कि.मी.)	4422	1609	363	142
6.	इंटरनेट कनेक्शन (सं.)	11505	5556	8417	3907
7.	एक्सचेंज (सं.)	82	41	8	14

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों का टीकाकरण

1300. श्री ए. नरेन्द्र: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के कार्यों में एक कार्य इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों का टीकाकरण करना भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत टीकाकरण पर कोई विशेष बल दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (घ) जी, हां। डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा, पोलियो तथा तपेदिक प्रतिरक्षण टीकाकरण समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रदत्त सेवाओं में से एक सेवा है।

हालांकि, वास्तविक सेवाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं, लेकिन आगनवाड़ी कार्यकत्रियां टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करती है।

सर्वेक्षण करने वाले पोतों/मत्स्यन नौकाओं हेतु विदेशी अभिकरण

1301. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत के अधीन अथवा भारतीय समुद्री सीमा में कार्य करने के इच्छुक विदेशी अभिकरणों को सर्वेक्षण पोतों और मत्स्यन नौकाओं हेतु अपनी सेवाएं देने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु अनुबंधित विदेशी सर्वेक्षक फर्मों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य का निजीकरण करने का है जिसे वर्तमान में व्यापारिक समुद्री विभाग द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में व्यापारिक समुद्री विभाग के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पहले से ही सर्वेक्षण के प्राधिकार विदेशी वर्गीकरण सोसाइटियों तथा एक भारतीय वर्गीकरण सोसाइटी, नामत: इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) को दे दिए हैं। जहां तक विदेशी ध्वज-पोतों तथा मत्स्य जलयानों के सर्वेक्षण का प्रश्न है, वे अपने-अपने ध्वज नियमों से प्रशासित होते हैं। विदेशी वर्गीकरण सोसाइटियां, जिन्हें भारतीय ध्वज-पोतों के सर्वेक्षण का प्राधिकार दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

1. अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग
2. लॉयडस रजिस्टर
3. ब्यूरो वेरिटास
4. डैट नोरस्के वेरिटास
5. जरमैनिस्वर लॉयड
6. निप्पोन कैजी क्योकल

(ग) और (घ) जी नहीं। एम एम डी द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक सर्वेक्षण कार्य का निजीकरण करने की कोई संभावना नहीं है। सरकार द्वारा जहाजों की सुरक्षा तथा प्रदूषण से रक्षा पर कई अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की अभिपुष्टि की गई है तथा इन अभिसमयों के प्रावधानों के अंतर्गत वह प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि भारतीय जहाज इसके द्वारा अभिपुष्ट

किए गए सभी अभिसमयों की शर्तों का पालन करें। यद्यपि, भारतीय जहाजों के सर्वेक्षण का मुख्य कार्य वर्गीकरण सोसाइटियों को सौंपा गया है, तथापि, एम एम डी को उनके कार्य/सर्वेक्षण रिपोर्टों की निगरानी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नौवहन प्रशासन से आशा की जाती है कि वह आई एम ओ प्रपत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत इसके पत्तनों पर आने वाले विदेशी जहाजों का पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण पर्याप्त संख्या में करें ताकि निम्न कोटि के जहाज इसके पत्तनों पर न आ सकें। पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण केवल भली-भाति प्रशिक्षित प्रशासनिक सर्वेक्षणकर्त्ताओं द्वारा ही किया जाना चाहिए।

आपातकालीन वार्डों की स्थिति

1302. **श्री ए. जनार्दन रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों में जाने वाले रोगियों पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसाकि दिनांक 8 सितम्बर, 2003 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, वहां आपाती विभाग में आने वाले सभी रोगियों को उचित परिचर्या मुहैया कराने और उनकी ओर पर्याप्त ध्यान देने का प्रयास किया जाता है। तथापि, यदा-कदा रोगियों की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां उनको उपचार प्राप्त करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।

हिन्दू देवता का आपत्तिजनक चित्रण

1303. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री पदमसेन चौधरी:
डा. अशोक पटेल:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में रहने वाले भारतीय हिन्दु समुदाय ने हाल में कई आपत्तिजनक लेखों वाली पुस्तक के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित भगवान गणेश की नग्न छवि के विरुद्ध प्रधान मंत्री को एक याचिका दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) मैसर्ज मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित पाल कोर्टराईट की पुस्तक गणेश: लार्ड आफ ओब्सेकल्स, लार्ड आफ बिंगनिंग के 2001 के संस्करण में दिए गए कुछ परिच्छेदों एवं व्याख्याओं के विरुद्ध हाल ही में अमरीका में भारतीय हिन्दू समुदाय के सदस्यों द्वारा एक इन्टरनेट याचिका पर हस्ताक्षर किए। इस याचिका को अन्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री को सम्बोधित किया।

(ग) वाशिंगटन डी सी स्थित भारत के राजदूतावास के जरिए सरकार भारतीय अमरीकी समुदाय के संपर्क में है और इस मामले को लेखक के साथ-साथ एमोरी विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया है जहां प्रकाशक इस तरह काम कर रहा है। इन्टरनेट याचिका तथा विरोध ई-मेल के बाद प्रकाशक ने पुस्तक वापस ले ली और क्षमा याचिका जारी की। लेखक ने इस बात की पुष्टि की कि पुस्तक के मुख पृष्ठ का चयन करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है तथा यह भी कहा कि ''वह इस बात से दुखी है कि किसी ने भगवान गणेश के प्रति उनकी चर्चाओं को आपत्तिजनक पाया।''

बीएसएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए योजनाएं

1304. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कोई नई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अन्य मोबाइल फोन संचालकों और उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी हां।

(ख) क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, कुछ प्रोत्साहन योजनाएं अखिल भारतीय आधार पर तथा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए थीं।

22 सितम्बर, 2003 से 31 दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के लिए लागू की गई रिचार्ज कूपनों पर पूर्ण टॉक टाइम देने एवं 2 सितम्बर, 2003 से 31 अक्तूबर, 2003 तक की अवधि के लिए लागू की गई स्टूडेण्ट पावर-99 जैसी योजनाएं अखिल भारतीय आधार पर थीं।

कुछ योजनाएं क्षेत्रीय आधार पर आरंभ की गईं: 19.8.2003 से 31.8.2003 तक बिना एक्टिवेशन शुल्क के 600 रु. का फ्री टॉक टाईम, 1.11.2003 से 31.1.2004 तक स्टुडेंट पॉवर-99, 1.7.2003 से 31.7.2003 तक एक + एक योजना (एक सेलवन कनेक्शन लेने पर एक सेलवन कनेक्शन मुफ्त) और 24.7.2003 से 15.8.2003 तक नए सेलवन उपभोक्ताओं को छः माह के लिए 600 रु. का फ्री टॉक टाईम देना, इत्यादि।

बीएसएनएल ने एसबीआई और आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड हॉल्डरों को आकर्षक मासिक किश्तों पर प्रमुख ब्राण्डों के सेल्यूलर हेण्डसैट प्रदान करने के लिए एसबीआई और आईसीआईसीआई के साथ गठजोड़ किया है।

(ग) समाचार-पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अन्य सेल्यूलर प्रचालकों ने भी इस पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया दिखाई तथा पोस्ट-पेड और प्री-पेड दोनों श्रेणियों के अंतर्गत मिलती-जुलती योजनाएं शुरू कीं।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। इन योजनाओं को लागू करने से, बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ गई।

[हिन्दी]

रोबोट का विकास

1305. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल मैरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमईआरआई), दुर्गापुर ने 'आर ओ बी-200 एम के-II' नामक रोबोट विकसित किया है जिसका उपयोग समुद्र के अन्दर अन्वेषण के लिए किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई), दुर्गापुर ने रिमोट चालित वाहन (आर ओ वी-200 एम के-2) विकसित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव ओशियन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी), चेन्नै की सहायता से चेन्नै तट से दूर 200 मीटर की गहराई में भूगत कार्यों के लिए सफलतापूर्वक इसकी जांच की गई। आर ओ वी में एक ओपन फ्रेम ढांचा होता है जिसमें बेलनाकार उत्प्लावकता पैकेज, लैंडिंग पैड, एक सब-सी कंट्रोल बॉक्स, जलगत सेंसर, एक कैमरा प्रणाली और पांच ए.सी. थ्रस्टर लगे हुए होते हैं। इसका पेलोड 60 कि.ग्रा. (अधिकतम) होता है और इसकी नोदन गति 2.0 नॉट है।

[अनुवाद]

लिमिटेड मोबिलिटी हेतु बोली लगाना

1306. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राइवेट फिक्सड लाइन ऑपरेटर लिमिटेड मोबिलिटी हेतु बोली लगाते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऑपरेटरों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है तथा किन क्षेत्रों में उनके द्वारा सेवा संचालित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त सेवाओं के लिए समझौते की शर्तें क्या हैं और ऑपरेटरों और दूरभाष उपभोक्ताओं पर प्रभारित शुल्क कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) प्राइवेट फिक्सड लाइन (बुनियादी सेवा) प्रचालकों को बिना किसी निविदा प्रक्रिया के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। प्रचालकों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार, सेवा क्षेत्रों सहित प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। बुनियादी सेवा प्रचालकों से यह अपेक्षित था कि वे लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, संदेय प्रवेश शुल्क के भुगतान के अलावा, समायोजित सकल राजस्व के 12.10 तथा 8% की दर पर लाइसेंस शुल्क और बेतार अभिगम्यता स्पैक्ट्रम के लिए वायरलैस लोकल लूप उपभोक्ता से अर्जित समायोजित सकल राजस्व के 2% की दर पर अतिरिक्त स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करे। तथापि, ऐसे निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों ने 1643.51 करोड़

रुपए का भुगतान करने के बाद एकीकृत अभिगम्यता सेवा लाइसेंस व्यवस्था में माइग्रेट कर लिया है। इनमें से एक सेवा प्रचालक पर 525.24 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सीमित मोबिलिटी के संबंध में टैरिफों के लिए फोरबियरेंस निर्धारित किया है।

विवरण

प्राइवेट बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	प्राइवेट बुनियादी सेवा लाइसेंसधारकों के नाम
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
2.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
5.	दिल्ली	मैसर्स भारतीय टेलीनेट लिमिटेड,
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड,
		मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
6.	गुजरात	मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड,
		मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
7.	हरियाणा	मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड,
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
8.	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड,
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड,
		मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
11.	केरल	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
12.	मध्य प्रदेश	मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
13.	महाराष्ट्र	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज (महाराष्ट्र) लिमिटेड

1	2	3
14.	पूर्वोत्तर	शून्य
15.	उड़ीसा	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
16.	पंजाब	मैसर्स एचएफसीएफ इन्फोटेल लिमिटेड
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
17.	राजस्थान	मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड,
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
18.	तमिलनाडु	मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड,
		मैसर्स रिलायन्स इन्फोकाम लिमिटेड,
		मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड
21.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड

राष्ट्रीय रोगाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1307. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में देश में राष्ट्रीय रोगाणु-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस हेतु नियत धन कितना है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) इस समय चल रहे तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात्: राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम तथा डेंगू और जापानी इनसेफलाइटिस रोकथाम और नियंत्रण को शामिल करके एक राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का आर्थिक कार्यों संबधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 15 अक्तूबर, 2003 को अनुमोदन कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 1370 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है जिसमें से पहले वर्ष के दौरान 206.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और दूसरे वर्ष के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्तमान पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 918.18 करोड़ रुपए की धनराशि शेष है।

वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण की व्यापक कार्यनीति में निगरानी, शुरू में ही निदान करना और तुरन्त उपचार करना तथा इसमें घरों में कीटनाशी औषध युक्त बेड-नेट्स का उपयोग, सतत वैक्टर नियंत्रण और इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण भी शामिल हैं।

मलेरिया नियंत्रण के लिए भारत सरकार अनुमोदित नीति के अनुसार औषधियों, कीटनाशकों और लावानाशक प्रदान करती है। यह कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और वे ही इसकी मानीटरिंग करते हैं तथा प्रचालन व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों को दिसम्बर, 1994 से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शतप्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है जिसमें प्रचालन व्यय भी शामिल है। सिक्किम को भी वर्तमान वर्ष से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भाग के रूप

में शामिल किया गया है। आठ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के आदिवासी बहुल 100 जिलों को भी विश्व बैंक सहायता से वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत सितम्बर, 1997 से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें प्रचालन व्यय भी शामिल है।

फाइलेरिया नियंत्रण के लिए लार्वासाइड्स, एडल्टीसाइड्स और एंटी फाइलेरिया दवाइयां केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही हैं। काला-आजार समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वैक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को नियमित कर्मचारियों को छोड़कर शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

डेंगू और जापानी इन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यकता आधारित तकनीकी सहायता तथा रोग के प्रकोप की जांच, प्रशिक्षण के द्वारा क्षमता निर्माण तथा प्रकोप को रोकने के लिए फॉगिंग हेतु कीटनाशक प्रदान किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में जवाहर वाटिका का गिराया जाना

1308. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में स्थित और प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में निर्मित जवाहर वाटिका को गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय पुरानी वाइस रीगल लॉज में है जिसे आई.एन.टी.ए.सी.एच. ने दिल्ली में स्थित विरासत भवनों में सूचीबद्ध किया है। विश्वविद्यालय इस भवन को पुन:प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया में है और इस प्रक्रिया के अंग के रूप में जवाहर वाटिका सहित इसके आस-पास के क्षेत्र का भी इतिहास तथा पारिस्थितिकी के अनुरूप नैसर्गिक स्वरूप बहाल किया जा रहा है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

1309. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में आज तक नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदक प्रतीक्षारत हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य में कितने नए कनेक्शन जारी किये गये हैं और उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बैकलॉग को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार पंजाब में नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 1,02,990 है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य में प्रदान किए गए नए कनेक्शनों की संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बीएसएनएल द्वारा प्राप्त किए गए कुल आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या
2001-02	384704	246122
2002-03	121002	166264

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अधिकांश बैकलॉग को समाप्त करने के लिए, वर्ष 2003-04 के दौरान 2,20,000 सेल्यूलर डीईएल के अतिरिक्त, स्थिर और डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) पर कुल 1,69,000 डीईएल (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान किये जाने की योजना बनाई है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

1310. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक में सभी ग्राम पंचायतों को एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोनों से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) महाराष्ट्र में, 24937 ग्राम पंचायतों में से 22917 ग्राम पंचायतों को बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है और इनमें से 160 ग्राम पंचायतों में एसटीडी की सुविधा दी गई है। कर्नाटक के मामले में समस्त 5692 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं और इनमें से 455 ग्राम पंचायतों के टेलीफोनों पर एसटीडी की सुविधा है।

(ग) बीएसएनएल ने ग्राम पंचायत टेलीफोन प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा कर दिया है परंतु निजी प्रचालकों की ओर से इस दिशा में चूक हुई है। तथापि, कवर नहीं किए गए शेष ग्रामों को ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क कार्यक्रम के भाग के रूप में वैश्विक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के माध्यम से टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे।

(घ) जहां तक एसटीडी सुविधा प्रदान करने का संबंध है, यह किसी भी ग्राम के टेलीफोन पर प्रदान की जा सकती है क्योंकि एसटीडी की सुविधा सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में उपलब्ध है और ग्राम पंचायत अथवा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों पर एसटीडी सुविधा प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की आपूर्ति

1311. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. औषधालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है और इनमें से अधिकतर दवाओं को स्थानीय खरीद के लिए इन्डेंट किया जाता है जिससे लाभार्थियों की असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सी.जी.एच.एस. औषधालयों की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सीजीएचएस औषधालयों में दवाओं/औषधों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। सीजीएचएस चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो/सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के माध्यम से इन दवाओं की आपूर्ति औषधालयों को की जाती है। ऐसी दवाएं, जो औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं, उनका लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप से लिखे गए नुस्खे के आधार पर सीजीएचएस द्वारा नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से मांग की जाती है। मांग की गई दवाएं सामान्यतया अगले कार्य दिवस को लाभार्थियों को दे दी जाती हैं। तत्काल रूप से आवश्यक दवाओं के लिए लाभार्थियों को प्राधिकार पर्चियां दी जाती हैं जिनके आधार पर वे बिना कोई भुगतान किए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से सीधे ही दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभार्थियों को कोई असुविधा नहीं होती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

खाद्य वस्तु में पेयजल को शामिल किया जाना

1312. **श्री कमलनाथ:**
श्री भास्करराव पाटील:
डा. चरण दास महंत:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेयजल को खाद्य वस्तु की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार जल को खाद्य सामग्री की परिभाषा के अंतर्गत लाने हेतु खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

दंत रोग कार्यक्रम

1313. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चॉकलेट, टॉफी और शीतल पेयों के उपयोग में लगातार वृद्धि के कारण बच्चों और नौजवानों में दंत रोग महामारी का रूप ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या "एम्स" और दंत एसोसिएशनों ने दंतरोग कार्यक्रम को राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) यह सही है कि चाकलेट, टॉफी और शीतल पेय के बढ़ते उपभोग से दांतों के रोगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार ने पांच राज्यों-दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और उत्तरपूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय मुख-स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम पर एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किफायती, सतत और सुगम निवारक कार्यक्रम तैयार करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य घटक समुदाय को मुखीय स्वास्थ्य शिक्षा देना है अर्थात् लोगों में अच्छे मुखीय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना और कठोर खाद्य वस्तुओं को सीमित करना तथा स्वस्थ पद्धति का पालन करना है।

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन

1314. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर 2003 में ढाका में 49वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान को अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सम्मेलन में किए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) 49वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 4 से 12 अक्तूबर, 2003 तक ढाका, बंगलादेश में हुआ। इस सम्मेलन में स्थायी विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास, अच्छा लोकतांत्रिक शासन, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन का सुधार, सार्वभौम शांति, मानवाधिकार एवं लिंग से सम्बद्ध मसलों को संवर्धित करने के लिए सार्वभौम तथा अंतरा-राष्ट्रमंडल भागीदार पर चर्चा हुई।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1999 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्ता पलटने के कारण नवम्बर, 1999 में डर्बन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों ने पाकिस्तान की राष्ट्रमंडल परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी। राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य दल ने 26 सितम्बर, 2003 में न्यूयार्क में उसके निर्णय की पुनः पुष्टि की।

(ङ) सम्मेलन की सिफारिशों को जैसा उपयुक्त समझा जाय कार्यवाही के लिए सदस्य देशों को भेजा जाता है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1315. **श्री मोहन रावले:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एम.टी.एन.एल. ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों और इसकी यूनियन ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक एमटीएनएल के प्रस्ताव को अनुमोदन नहीं मिला है।

(ग) एमटीएनएल के अनुसार, प्रारम्भिक चर्चा के दौरान कर्मचारियों और उनके संघों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

(घ) एमटीएनएल लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार, एमटीएनएल बोर्ड वीआरएस तैयार करने में सक्षम है।

[हिन्दी]

चिकित्सकों का स्क्रीनिंग टेस्ट

1316. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से बाहर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट लागू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। पिछले कुछ समय से नोट किया गया है कि विश्व के विभिन्न देशों में आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों में एकरूपता नहीं थी। अत: यह महसूस किया गया कि भारत में चिकित्सीय प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति देने से पहले ऐसी अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों के ज्ञान और कौशलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तद्नुसार जांच परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 2001 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का संशोधन किया गया।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता

1317. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार कितने स्वायत्तशासी महाविद्यालय है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को और वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय देश में स्वायत्त कॉलेजों की संख्या 133 है। इन कालेजों की राज्यवार और विश्वविद्यालयवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कालेजों को वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान क्रमश: 853.67 लाख रु., 121.00 लाख रु. और 423.27 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी।

(ग) और (घ) स्वायत्त कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12.00 लाख रु. प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग शिक्षकों के प्रबोधन और पुनर्प्रबोधन; पाठ्यक्रमों के पुनर्विर्निदेशन अध्यापन/अध्ययन सामग्री के विकास; परीक्षा में सुधार; उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद इत्यादि के लिए किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	(1) आंध्र विश्वविद्यालय	8
		(2) नागार्जुन विश्वविद्यालय	4
		(3) उस्मानिया विश्वविद्यालय	6

1	2	3	4
2.	छत्तीसगढ़	(1) गुरु घासी दास विश्वविद्यालय	4
		(2) पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	7
3.	गुजरात	(1) गुजरात विश्वविद्यालय	1
4.	हिमाचल प्रदेश	(1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	5
5.	मध्य प्रदेश	(1) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	4
		(2) बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	2
		(3) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	6
		(4) डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	4
		(5) जिवाजी विश्वविद्यालय	3
		(6) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	5
		(7) विक्रम विश्वविद्यालय	1
6.	महाराष्ट्र	(1) डा. बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	1
		(2) पुणे विश्वविद्यालय	1
		(3) शिवाजी विश्वविद्यालय	1
		(4) एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	1
7.	उड़ीसा	(1) बरहामपुर विश्वविद्यालय	2
		(2) सम्बलपुर विश्वविद्यालय	6
		(3) उत्कल विश्वविद्यालय	9
8.	तमिलनाडु	(1) भरतिहार विश्वविद्यालय	11
		(2) भारतीदासन विश्वविद्यालय	9
		(3) मद्रास विश्वविद्यालय	14
		(4) मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	10
		(5) मनोन्मण्यम सुन्दरनर विश्वविद्यालय	2
		(6) पेरियार विश्वविद्यालय	2
9.	उत्तर प्रदेश	(1) इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1
		(2) कानपुर विश्वविद्यालय	1
		(3) पूर्वांचल विश्वविद्यालय	2

दूरसंचार सेवा

1318. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
डा. चरण दास महंत:
श्री भेरूलाल मीणा:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
डा. महेन्द्र सिंह पाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी संचालक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के नाम पर फारवर्डिंग कॉलों द्वारा पूर्णत: रोमिंग सुविधाएं देने की पेशकश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. तथा निजी संचालकों द्वारा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) कुछ निजी प्रचालकों ने अपने उपभोक्ताओं को बहु पंजीकरण के साथ-साथ एक ही हैंडहैल्ड वॉयरलैस टर्मिनल का प्रयोग करके कॉलों को फारवर्ड करने की सुविधा प्रदान की। कुछ क्षेत्रों में इन सुविधाओं को हैंडसेट सुविधाओं के ओवर दि एयर एक्टिवेशन का प्रयोग करके प्रदान किया जा रहा था। ऐसी विशेषताओं के संयोजन से कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के भीतर लिमिटेड मोबिलिटी सुविधाओं तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के बीच अंतर अस्पष्ट हो गया था, अत: प्रचालकों को निदेश दिया गया कि वे बहु पंजीकरण या अस्थायी उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए ओवर दि एयर एक्टिवेशन के साथ-साथ वायरलेस एक्सेस सिस्टम में एक से अधिक एसडीसीए में एक ही हैंडसेट के प्रयोग की सुविधा को बंद करें।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा पैरामीटरों जिसमें कॉल समापन दर, कॉल ड्राप दर, दोष दर, पुन:स्थापन समय तथा बिलिंग शिकायतें शामिल हैं, की गुणवत्ता के संदर्भ में बीएसएनएल/एमटीएनएल सहित विभिन्न प्रचालकों के निष्पादन का व्यापक प्रचार किया। विभिन्न प्रचालक उपस्कर/नेटवर्क को उन्नत बनाने, प्रतिस्पर्धी वातावरण में उपभोक्ताओं को प्रतिधारित करने/नये उपभोक्ताओं को शामिल करने को ध्यान में रखकर टेलीफोन शिकायतों में कमी लाने के लिए स्टॉफ को प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि जैसे सुधारात्मक उपायों को पसंद करते हैं।

बौद्ध अध्ययन संबंधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

1319. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार धर्मशाला में बौद्ध अध्ययन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालय को अपने भवन के निर्माण हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में यूनेस्को से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1320. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवंटित राशि का अन्यत्र प्रयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी की गई राशि और 1.4.2003 को संबंधित परियोजना राज्यों के पास अव्ययित शेष संलग्न विवरण में दिया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों के पास काम में नहीं ली गई निधियां निश्चित गतिविधियों पर प्रत्याशित व्यय से कम खर्च के कारण हैं और इनमें परियोजना पर अगले वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए जारी की गई अग्रिम निधियां शामिल हैं।

(घ) से (च) उक्त निधियों का जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से इतर गतिविधियों के लिए प्रयोग किये जाने का कोई मामला केन्द्र सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01 से 2002-03 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि	1.4.2003 को अव्ययित शेष
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	29900	7737
2.	असम	13695	2133
3.	बिहार/झारखण्ड	14400	5539
4.	झारखण्ड	6300	982
5.	गुजरात	8388	2617
6.	हरियाणा	14746	4405
7.	हिमाचल प्रदेश	5000	0
8.	कर्नाटक	18700	0
9.	केरल	6650	114
10.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	42100	1241
11.	छत्तीसगढ़	5900	0
12.	महाराष्ट्र	18748	0
13.	उड़ीसा	16100	1658
14.	राजस्थान	21800	4019
15.	तमिलनाडु	9501	0
16.	उत्तर प्रदेश	80700	7586
17.	उत्तरांचल	3800	5337
18.	पश्चिम बंगाल	15612	4441

टिप्पणी: अव्ययित निधियां 1.4.2003 तक संचयी विमोचन और व्यय पर आधारित है।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु धनराशि

1321. श्री नरेश पुगलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कतिपय धनराशि स्वीकृत की है जैसाकि 14 अगस्त, 2003 के नवभारत टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि के उपभोग हेतु पहचान किए गए राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्यों और जिलों की पहचान हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

यूएनएफपीए वर्ष 1974 से ही यू एन एफ पी ए कंट्री कार्यक्रमों के रूप में विख्यात पंचवर्षीय कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयास को सहायता प्रदान कर रहा है। अभी तक ऐसे पांच कंट्री कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। पिछला कंट्री कार्यक्रम (सीपी-5) (1997-2000) दिसम्बर, 2002 में समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन उप-कार्यक्रम घटकों से संबंधित कार्यकलापों को कार्यान्वित किया गया जो इस प्रकार है-(1) प्रजनन स्वास्थ्य (2) जनसंख्या और विकास कार्यनीतियां, और (3) समर्थन। छठे कंट्री कार्यक्रम (सी पी 6) में इन कार्यकलापों को जारी रखने के अलावा चार पूरक

कार्यकलाप भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कार्यान्वित किये जाने हैं। ये हैं (1) एच आई वी/एड्स, (2) किशोर स्वास्थ्य, (3) लिंग से संबंधित विषय, और (4) परिणाम आधारित प्रोग्रामिंग के द्वारा मानीटरिंग वर्ष 2003-07 की अवधि में इन पर 365 करोड़ रुपए का खर्च होगा।

राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 5 राज्यों अर्थात् राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात के 32 जिले शामिल हैं। केरल में केवल राज्य स्तरीय कार्यकलाप किए जा रहे हैं। राज्यवार 32 जिले इस प्रकार हैं-

1.	राजस्थान (8 जिले)	सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और राजसमन्द
2.	मध्य प्रदेश (5 जिले)	सतना, रीवा, सीधी, पन्ना और छत्तरपुर
3.	उड़ीसा (4 जिले)	कोरापुट, रायगढ़, मल्कानगिरी और नवरंगपुर
4.	महाराष्ट्र	थाणे, पुणे, कल्याण, भिवन्डी और उल्हासनगर
	पांच नगर निगम (शहरी)	थाणे, नन्दुरबार, गुड़चिरोली धुले, चन्द्रपुर
	पांच जिले (ग्रामीण)	.
5.	गुजरात (5 जिले)	बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, सुरेन्द्रनगर और कच्छ
6.	केरल (विशिष्ट रूप से कोई जिला नहीं	कार्यक्रम राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रम संबंधित राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार के अन्य विभागों अर्थात् युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग के अंत:क्षेत्रीय समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव (परिवार कल्याण) की अध्यक्षता वाली विषय निर्वाचन समिति तथा राज्य स्तरों पर समीक्षा समितियां ठोस मॉनीटरिंग तंत्र के रूप में काम करती हैं।

जहां तक इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों एवं जिलों की पहचान करने के लिए मानदंड अपनाने का संबंध है, 5वें कंट्री कार्यक्रम के वास्ते सामाजिक-जनांकिकीय सूचकों को अपनाया गया है क्योंकि कंट्री कार्यक्रम 6, कंट्री कार्यक्रम 5 के अनुक्रम में है। जिलों के चयन हेतु कंट्री कार्यक्रम 5 में अपनाए गए पांच सामाजिक-जनांकिकीय सूचक हैं: (1) विवाह की आयु (2) लिंग अनुपात, (3) महिला साक्षरता दर, (4) शिशु मृत्यु दर और (5) कुल प्रजननता दर। देश के तीन राज्यों अर्थात्, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में निम्नतम सामाजिक जनांकिकीय सूचक हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य तीन राज्यों में अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में लिंग भेद, अपूरित आवश्यकताएं, आदिवासी वर्गों और शहरी मलिन बस्तियों में एचआईवी/एड्स की बढ़ रही घटनाएं देखने को मिली हैं।

[हिन्दी]

बकाया राशि की वसूली

1322. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री शिवाजी माने:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई उपभोक्ताओं और कंपनियों ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को अपने टेलीफोन बिलों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 अक्तूबर, 2003 तक कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत तीन माह के दौरान कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों टेलीफोन प्रदाता महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), टेलीफोन की बकाया देय राशि की सूचना नम्बर-वार रखते हैं, कंपनी-वार नहीं तथापि, 31 अक्तूबर, 2003 की स्थिति के अनुसार चूककर्त्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया राशि की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1.10.2000 से सरकार के प्रचालनात्मक अंग का निगमीकरण होने के पश्चात सरकार अब बकाया राशि की वसूली सहित प्रचालन का संचालन नहीं करती। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ही इन देय राशियों की वसूली के लिए जिम्मेदार हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा बकाया देय राशि की वसूली हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयां की जाती हैं, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

1. देय राशि का भुगतान लगातार न होने पर चूककर्ता के टेलीफोन काट दिये जाते हैं।
2. देय राशि के परिसमापन को सुकर बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और परिसमापन बोर्डों का गठन किया गया है।
3. प्रत्येक वर्ष बकाया राशि के परिसमापन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उनके निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।
4. प्रति माह संग्रहण कुशलता की मानीटरिंग की जाती है।
5. निगमित स्तर और सर्किल स्तरों पर भी बकाया राशि निपटान अनुसरण प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
6. जहां आवश्यक हो, टेलीफोन कनेक्शन काटे जाने के बाद, देय राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाती है।
7. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत विवादित मामलों को विचारकों को भेजा जाता है।

पिछले तीन माह के दौरान वसूली गयी राशि की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.आई.एम. को निधियों का आबंटन

1323. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोलकाता, अहमदाबाद और बंगलौर में स्थित तीन आई.आई.एम. को कितनी निधियां आबंटित/जारी की गई हैं;

(ख) क्या ये आई.आई.एम. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए सस्ते सुप्रशिक्षित कार्यपालक उपलब्ध करा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी संस्थाएं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु राजसहायता से प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं, के लिए कितनी सरकारी वित्तीयन की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन आई.आई.एम्स. का वित्त पोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक अहमदाबाद, बंगलौर तथा कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबन्धन संस्थानों को योजनागत और योजनेतर के तहत दी गई राशि इस प्रकार है:

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, अहमदाबाद	3640.22 लाख रु.
भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलौर	3002.56 लाख रु.
भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कलकत्ता	3468.22 लाख रु.
कुल	10111.00 लाख रु.

(ख) से (घ) व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यावसायिक रूप से सक्षम तथा मूल्योन्मुख प्रबन्धन विशेषज्ञ निरन्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय प्रबन्धन संस्थानों की स्थापना की गई है। भारतीय प्रबन्धन संस्थानों से उत्तीर्ण प्रबन्धन स्नातक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, परामर्शदात्री फर्मों, आईटी/साफ्टवेयर उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए जा रहे हैं। अहमदाबाद, बंगलौर तथा कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों से उत्तीर्ण स्नातकों के विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नियोजन के संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा उन संस्थानों से एकत्र किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय प्रबंधन संस्थान केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इस समय इन संस्थाओं का वित्तपोषण रोकने का कोई मामला नहीं बनता है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में प्लेटलेट किटों की कमी

1324. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में अनेक सरकारी अस्पतालों के रक्त बैंकों में प्लेटलेट किटों की कमी है जैसाकि 8 अक्तूबर, 2003 के "राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में प्लेटलेट कंसेन्ट्रेट (संकेन्द्रित प्लेटलेट किटों) की कोई कमी नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि जी.टी.बी. और एल.एन.जे.पी.एन. अस्पतालों के रक्त बैंकों में प्लेटलेंटों की कोई कमी नहीं हो रही है। इन अस्पतालों में सेल सेपरेटर नहीं है।

(ग) जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है, सेल सेपरेटरों के अधिप्रापण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गरीब बच्चों को नगद प्रोत्साहन

1325. श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु गरीब बच्चों को नगद प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी लागत आई और उससे कितनी सफलता प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने रिपोर्ट दी है कि वे नगद प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। शेष राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यापकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

1326. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री अम्बरीश:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय विद्यालयों के पांचवीं से बारहवीं तक के छात्र अपने अध्यापकों के कार्य-निष्पादन का आकलन और मूल्यांकन करेंगे और उनके भविष्य का फैसला करेंगे जैसाकि 18 सितम्बर, 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार को किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाना पड़ा; और

(घ) इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 6 अगस्त, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 11-12/2003/के.वी.एस. (सतर्कता) द्वारा अनुच्छेद 81 (ई) को शिक्षा संहिता में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें इस अनुच्छेद द्वारा यथापरिभाषित कर्तव्यों के प्रति अवहेलना के तथ्य के संबंध में विद्यार्थियों से सीधी तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के संबंध में एक पारदर्शी तथा पूर्णतः निरापद तन्त्र की परिकल्पना की गई है। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि विद्यार्थियों द्वारा जिन शिक्षकों/कर्मचारियों के बारे में प्रथम मूल्यांकन के बाद यह पाया जाता है कि उन्होंने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना बरती है तो उन्हें अपने में सुधार करने के लिए नोटिस तथा एक मौका देने हेतु एक उपचारी तन्त्र भी होना चाहिए। जिन अध्यापकों/कर्मचारियों के बारे में विद्यार्थियों द्वारा किए गए द्वितीय मूल्यांकन के बाद यह पाया जाता है कि उन्हें प्रथम मूल्यांकन के बाद अपने में सुधार लाने का मौका देने के पश्चात् भी अपने में सुधार नहीं किया है तो उन्हें नौकरी से हटाने का बड़ा अर्थदण्ड देने का भी प्रावधान इस अनुच्छेद में है। अर्थ दण्ड देने से पूर्व उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। इस अनुच्छेद की रूप रेखा में अपील का प्रावधान भी निहित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार शिक्षा संहिता में इस अनुच्छेद को सम्मिलित करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी के साथ उसके स्कूल के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों जिनके साथ उसका सीधा सम्पर्क रहता है, संबंध सम्पर्क एक अद्वितीय संबंध सम्पर्कों की श्रेणी में आते हैं जिनके कारण किसी शिक्षण अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को, जिसका प्रमुख गवाह अथवा उत्पीड़ित व्यक्ति विद्यार्थी ही होता है, सामान्यत: सी सी एस (सी सी ए) नियम, 1965 के प्रावधानों का अनुसरण करके साबित नहीं किया जा सकता। इन अद्वितीय संबधों के चलते विद्यार्थी से यह अपेक्षा करना कि वह निर्भय होकर साक्ष्य देने के लिए सामने आए तथा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी को उसके साथ जिरह करने की अनुमति देने के परिणामत: विद्यार्थी को यह आशंका होगी कि संबंधित शिक्षक/कर्मचारी अथवा उसके सहयोगी गण उससे बदला ले सकते हैं। चूंकि विद्यार्थियों से ऐसा जोखिम उठाने की आशा नहीं की जा सकती इसलिए ऐसे दुर्व्यवहार जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो विद्यालय के सामान्य कार्यचालन की दृष्टि से विपरीत प्रभाव वाले हैं, करने वाला व्यक्ति दंडित होने से बच जाता है और ऐसा दुर्व्यवहार करने की भविष्य में भी आशंका होती है। चूंकि यह समझा गया था कि स्कूल के कार्यकरण की दृष्टि से ऐसे दुर्व्यवहारों को रोकना आवश्यक है इसलिए इस प्रकार के दुर्व्यवहार को साबित करने के उद्देश्य से सीसीएस (सीसीए) 1965 नियम द्वारा निर्धारित कार्यविधि को अनावश्यक ठहराया जाना था। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में इस मुद्दे की पुन: जांच करने का निर्णय लिया गया है।

नए दूरभाष केन्द्र खोलने हेतु लक्ष्य

1327. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए दूरभाष केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना प्राप्त किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10108 के लक्ष्य के स्थान पर 9188 नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। छिटपुट मांग और आर्थिक व्यवहार्यता के कारण टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए शेष नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के स्थान पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली के उपयोग को तरजीह दी गई।

एमटीएनएल ने 22.85 लाख लाइनों की स्विचन क्षमता के लक्ष्य के स्थान पर 19.95 लाख लाइनें जोड़ी। स्विचन क्षमता की लक्ष्य प्राप्ति में मामूली कमी नये टेलीफोन कनेक्शनों की घटी हुई मांग के कारण थी।

(ग) बीएसएनएल के मामले में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धि का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है। एमटीएनएल के मामले में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में बीएसएनएल का लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	सर्किल	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	23	41
2.	आंध्र प्रदेश	923	874
3.	असम	219	180
4.	बिहार	638	466
5.	मध्य प्रदेश	290	393
6.	गुजरात	868	756
7.	हरियाणा	180	178
8.	हिमाचल प्रदेश	265	217
9.	जम्मू और कश्मीर	179	74
10.	कर्नाटक	600	407
11.	केरल	282	142
12.	महाराष्ट्र	1691	1848
13.	उत्तर पूर्व	180	122
14.	उड़ीसा	227	240
15.	पंजाब	468	377
16.	राजस्थान	530	633

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	344	325
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1203	1043
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	333	343
20.	पश्चिम बंगाल	665	529
	जोड़	10108	9188

विवरण II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्विचन क्षमता के संबंध में एमटीएनएल का लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	एमटीएनएल	लक्ष्य (लाख लाइनें)	उपलब्धि (लाख लाइनें)
1.	दिल्ली	11.00	10.06
2.	मुम्बई	11.85	9.89
	जोड़	22.85	19.95

नाभिकीय अपशिष्टों को भूमि में दबाने हेतु भराव स्थल

1328. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय अपशिष्टों को स्थायी रूप से भूमि में दबाने हेतु भराव स्थलों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) परमाणु रिएक्टरों के परिचालन और रख-रखाव के दौरान विभिन्न कोटि के रेडियोसक्रिय अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जिन रेडियोसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों में सक्रियता की मात्रा निम्न होती है, उनका निपटान भूमि की सतह के ठीक नीचे बनाई गई सुविधाओं में स्थायी रूप से किया जाता है। इन सुविधाओं को बड़े नाभिकीय प्रतिष्ठानों के साथ नियंत्रित गम्य क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र में उत्पन्न होने वाले उच्च-स्तरीय अपशिष्ट पदार्थों को इस समय संयंत्र में ही भंडारित किया जा रहा है। उच्च-स्तरीय अपशिष्ट पदार्थों का स्थायी रूप से निपटान करने के लिए अभी तक किसी स्थल का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिए सभी मौजूदा सुविधाओं में सुरक्षोपाय अपनाए हुए हैं। अपशिष्ट पदार्थों को स्थिर और सक्रिय रूप में सीमेंट जैसी सामग्री में अचलीकृत किया जाता है और धात्विक पात्रों में बंद किया जाता है। इन अपशिष्ट-पदार्थ पैकेजों को भूमि की सतह के नीचे बनाई गई संरचनाओं में रख कर सीलबंद कर दिया जाता है। इनका डिजायन, निर्माण और परिचालन अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप है। निपटान संबंधी कार्यों को विनियामक प्राधिकारियों की निगरानी में किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक मॉडल स्थापित करना

1329. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव प्रत्येक राज्य में एक भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का मॉडल संस्थान विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने की संभावना वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में प्रति चिकित्सा पद्धति एक मॉडल संस्थान विकसित करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष से एक केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम अर्थात् "आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथी का राज्य मॉडल कॉलेज" कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है और निम्न रूप से स्वीकृति दी गई है:

कर्नाटक

1. राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज, बंगलौर
   – 150 लाख रुपये जारी किए गए।

हिमाचल प्रदेश

2. एच.पी. गवर्नमेंट इंस्टीच्यूट ऑफ पी.जी. एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, पपरौला, हिमाचल प्रदेश
   –140 लाख रुपये जारी किए गए।

उत्तरांचल

3. ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार
 –100 लाख रुपये जारी किए गए।

केरल

4. राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरूवनंतपुरम
 –150 लाख रुपए जारी किए गए।

महाराष्ट्र

5. आर.ए. पोद्दार राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, मुंबई
 –55 लाख रुपये जारी किये गये।

उड़ीसा

6. डॉ. ए.सी. होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल, भुवनेश्वर
 –150 लाख रुपये जारी किए गए।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के अवसर

1330. श्री पी.डी. एलानगोवनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर समूह क और ख में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या की तुलना में बहुत कम हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा ओबीसी को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सिविल पदों/सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का मंत्रालय द्वारा पालन किया जाता है। इस मंत्रालय में नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नामन के आधार पर की जाती हैं।

(च) और (छ) इस मंत्रालय में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक समेकित वार्षिक विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव

1331. श्री सुरेश कुरूपः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में एक व्यापक अध्ययन कराया है और इस पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपोलो हेल्थ स्ट्रीट लिमिटेड की सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं में सीमा पार व्यापार (क्रास बार्डर ट्रेड) (ई-हेल्थ) पर अध्ययन किया है। रिपोर्ट में मोड-I अर्थात सीमा पार व्यापार (क्रास बार्डर ट्रेड) के संबंध में व्यापार करारों के वैश्वीकरण (गेट्स) के अनिवार्य घटक और कठिनाइयां दी गई हैं। अध्ययन के विस्तृत क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ नीति एवं कार्यनीतिक ढांचा, कानूनी ढांचा, मानव संसाधन ढांचा, प्रौद्योगिकी ढांचा, वित्तीय ढांचा और सीमापार व्यापार (क्रास बार्डर ट्रेड) के स्तर शामिल किए गए हैं, जिन सब का उठाए गए कदमों की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है।

इंजीनियरिंग कालेजों का उन्नयन

1332. श्री वी.एस. शिवकुमारः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संस्थान में कोई प्रशासनिक सुधार किए बिना केवल शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करके इंजीनियरिंग कालेजों का उन्नयन उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान इस प्रयोजनार्थ चयनित कालेजों का राज्य-वार/कालेज-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वह तकनीकी संस्थाओं को 'उत्कृष्ट केन्द्र' बनाने की दृष्टि से उन्हें शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। स्वायत्तता प्रदान करने का एक मुख्य मानदंड यह होगा कि ऐसी संस्थाओं के सभी कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित होने चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश समेकित करने शुरू कर दिए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान अभी तक कोई भी कालेज शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु चुना नहीं गया है।

महिला समाख्या कार्यक्रम (डब्ल्यू सी डी)

1333. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु महिला समाख्या कार्यक्रम को देश में विशेषकर कर्नाटक में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु 2003-04 के दौरान कर्नाटक को कितनी राशि जारी की गई अथवा जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में उपर्युक्त कार्यक्रम को लागू करने के कारण महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) महिला समाख्या कार्यक्रम कर्नाटक सहित देश के नौ राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) महिला समाख्या ग्रामीण क्षेत्रों की, विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों की, महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए एक कार्यक्रम है।

(ग) चालू वर्ष 2003-04 में कर्नाटक के लिए महिला समाख्या बजट 390.00 लाख रु. है जिसमें से 100.00 लाख रु. अब तक जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न अध्ययनों ने दर्शाया है कि महिला समाख्या का महिला शिक्षा के साथ-साथ विद्यालयों में बच्चों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों की बालिकाओं, जहां यह कार्यक्रम चल रहा है, के नामांकन एवं उन्हें विद्यालय में बनाए रखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। महिला साक्षरता के लिए मांग भी उत्पन्न हुई है और महिलाएं अपने बच्चों विशेषत: बालिकाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को सक्रिय रूप से सुनिश्चित कर रही है।

एनबीसीसी का विनिवेश

1334. श्री वाई.वी. राव: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.बी.सी.सी. (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी) का विनिवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतिम बोलीदाता के नाम पर निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत इक्विटी की पेशकश की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ, राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी में 74 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्तियां एक खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी लिमिटेड में हित की अभिव्यक्तियां 74 प्रतिशत इक्विटी के लिए आमंत्रित की गई हैं।

[हिन्दी]

मंत्रालय में श्रेणी-वार कार्मिक

1335. श्री बाल कृष्ण चौहान: क्या **पोत परिवहन मंत्री** 30 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1412 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पोत परिवहन मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों के संबंध में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की श्रेणी-वार सूचनाएं

वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	सामान्य	जोड़
श्रेणी 'क' (लोक उपक्रम के अधिकारियों सहित)	460	88	251	2766	3565
श्रेणी 'ख' (राजपत्रित)	21	6	2	108	137
श्रेणी 'ख' (अराजपत्रित)	171	51	43	1260	1525
श्रेणी 'ग'	1008	250	151	6545	7954
श्रेणी 'घ' (लोक उपक्रम सहित)	672	159	36	2240	3107

बाल कल्याण परियोजनाएं

1336. **श्री राजो सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चल रही बाल कल्याण परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं को लागू करने हेतु राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्र की स्थापना करना

1337. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा ने भुवनेश्वर में एक प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक गांव में टेलीफोन बूथ

1338. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक गांव में टेलीफोन बूथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन बूथ लगाने हेतु राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) अभी तक कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है;

(घ) उन गांवों में कितने टेलीफोन बूथ स्वीकृत किए गए और कितने बूथ कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रिलायंस द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

1339. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिलायंस इंफोकॉम द्वारा लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने के पश्चात् उसे हुए लाभ का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिलायंस इंफोकॉम से लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए बकाया दंड सहित दंड वसूलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने स्वतंत्र विनियामक अर्थात् भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सुविज्ञ अभिमत को स्वीकार कर लिया है जो लाइसेंस की निबंधन और शर्तों को ध्यान में रखते हुए स्थिति के संबंध में विनियामक के अपने विश्लेषण पर आधारित है। तदनुसार ही 525.24 करोड़ रुपये का अर्थ-दण्ड लगाया गया था।

(घ) रिलायंस इन्फोकॉम को संबंधित सेवा क्षेत्र में चौथे सेल्यूलर प्रचालक द्वारा प्रदत्त प्रवेश शुल्क के अलावा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एकीकृत अभिगम्यता सेवा व्यवस्था में माइग्रेट होने की तारीख तक दण्डात्मक ब्याज का भी भुगतान करा है। दण्डात्मक ब्याज सेल्यूलर मोबाइल सर्विस लाइसेंस की निबंधन और शर्तों के अनुसार किसी देय बकायों के भुगतान में विलम्ब होने पर प्रभारित किया जाता है। पूरी राशि अदा कर दी गयी थी और आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कोई भी राशि बकाया नहीं है।

[अनुवाद]

पोत आयात

1340. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पोतों का आयात किया गया और कितने उपयोग में लाए गए (सेकेण्ड हैंड) पोतों का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इंडियन मर्चेन्ट बेड़े की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पोतों के आयात पर सीमा शुल्क हटाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सेकेंड हैंड पोतों सहित आयात किए गए पोतों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नये पोतों की संख्या	सेकेंड हैंड पोत	कुल
2001-02	1	19	20
2002-03	2	9	11
2003-04 (30-11-2003 तक)	6	11	17

(ख) और (ग) जी हां। सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय बेड़े को आधुनिक बनाने तथा प्रतिस्थापन के लिए 3.26 मिलियन सकल टन के 156 पोतों के अधिग्रहण की योजना है। भारतीय वाणिज्यिक बेड़े की उन्नति एवं वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) राकेश मोहन समिति द्वारा संस्तुत टनेज कर की पुरःस्थापना के लिए अध्ययन करने तथा कानून बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(2) परिसंपत्तियों को अधिकार में रखने वाली अवधि को वर्तमान आठ वर्ष की अवधि से कम करके तीन वर्ष करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा 33कग में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। इस समय समुद्रगामी जहाजों के आयात पर कोई सीमा शुल्क लागू नहीं है तथापि, टग तथा ड्रेजरों के आयात पर इस समय 5% का सीमा शुल्क लागू है।

व्यापारिक समुद्री विभाग (एम.एम.डी.) के कार्यालय

1341. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापारिक समुद्री विभाग (एमएमडी) के देश में विभिन्न बंदरगाहों में कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो उन बंदरगाहों का ब्यौरा क्या है जहां एमएमडी के कार्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार ने एमएमडी के कार्यालय की संख्या नहीं बढ़ायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) एमएमडी के कुल कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) एमएमडी द्वारा कितने नए कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (घ) जी हां। देश के विभिन्न पत्तनों में 9 वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग (एम एम डी) हैं। इन्हें मुंबई, चेन्नै तथा कोलकाता में 3 नौवहन जिलों में विभाजित किया गया है। मुंबई, कोची, गोवा तथा जामनगर स्थित एम एम डी कार्यालय मुंबई जिले के नियंत्रण में है, चेन्नै, तूतीकोरिन तथा विजाग स्थित एम एम डी कार्यालय चेन्नै जिले द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर स्थित कार्यालय कोलकाता जिले के अंतर्गत आते है। कई एम एम डी कार्यालयों का विस्तार सरकार के किफायती के निदेशों के कारण नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) लगातार बढ़ते हुए कार्य भार को तथा भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित कई अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संगठन अभिसमयों/संलेखों को देखते हुए एमएमडी के कार्य की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

मरीज की निगरानी के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली

1342. श्री रामजीवन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई आई टी, कानपुर ने एनीस्थिसिया की अवस्था से गुजर रहे मरीजों की निगरानी के लिए एक कम लागत की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आविष्कार आई आई टी, कानपुर में धूल चाट रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। एनीस्थिसिया की अवस्था से गुजर रहे रोगी की निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने कम लागत की एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का आविष्कार किया है। एनीस्थिसिया मॉनीटर, एनीस्थिसिया में आपरेशन के दौरान होश का स्तर और मांस पेशियों की संपूर्ण शिथिलता को माप सकता है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस प्रणाली का विकास अभी हाल ही में पूरा हुआ है और इसके लिए पेटेंट का आवेदन दे दिया गया है। बौद्धिक अधिकार के सुकर बनाने के प्रयोजन से सृजित की गई प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद नाम सरकारी संगठन पेटेंट संबंधी आवेदन पत्र के मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की मदद कर रहा है। पेटेंट अटार्नी के साथ 30 दिसम्बर, 2003 को एक बैठक निर्धारित की गई है।

शिक्षा पर भारत-पाक वार्ता

1343. श्री राम मोहन गाड्डे:

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के उच्चायुक्त हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री से मिले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर हितों के मुद्दों पर वार्ता की जैसा कि 18.11.03 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, हां। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस बात का भी उल्लेख हुआ कि एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता आरंभ होने के पश्चात दोनों देशों के

बीच मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जाली व्यापार

1344. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर में जाली कारोबार बढ़ा है और इसका प्रमुख आई.टी. हार्डवेयर उत्पादनों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकार की सहायता से आई.टी. उत्पादों के जाली बाजार के विस्तार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर में जाली व्यापार की मात्रा से संबधित कोई सूचना नहीं है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर संरक्षित है लेकिन हार्डवेयर नहीं है। व्यापार चिन्हों का उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है और केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर प्रवर्तन एजेंसियां इन्हें गंभीरता से लागू कर सकती हैं। राजस्व आसूचना विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 4 मामलों में कम्प्यूटर के पुर्जे जब्त किए हैं जिनका मूल्य 2.31 करोड़ रुपए था जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारत में तस्करी से लाने का प्रयास किया जा रहा था। जाली व्यापार तथा ग्रे बाजार पर रोक लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर पर उगाही एवं टैरिफ कम करने की सिफारिश की है।

आई.टी. सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना

1345. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुड़गांव में 160 एकड़ में आई.टी. सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) एसटीपीआई ने गुड़गांव में एक एकड़ भूमि पर एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के साथ 18 जुलाई, 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुड़गांव स्थित एसटीपीआई केन्द्र सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग को सांविधिक सेवाएं, उच्च गति की आंकड़ा संचार तथा आरंभिक सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। गुड़गांव में एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए परियोजना की कुल अनुमानित लागत 985 लाख रुपए है।

हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में निजी क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर पार्क/साइबर सिटी का विकास करने के लिए निजी निर्माताओं को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लाइसेंस दिया है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	एकड़ में क्षेत्र
1.	मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लि.	साइबर सिटी	78.12
2.	मेसर्स कंवर सैन जैन एण्ड अदर्स	साइबर सिटी	13.584

[हिन्दी]

सुपर हाइवे का निर्माण

1346. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 204 और 211 पर सुपर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनसे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 204 और 211 गुजरेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 204 रत्नागिरि और कोल्हापुर जिलों से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 कोल्हापुर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड़, चालीस गांव और धुले जिलों से गुजरता है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड सुविधा

1347. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका, इंग्लैंड और यूरोपीय संघ के देशों से भारतीय आई.टी. पेशेवरों को वर्ष 2004 के अंत तक ग्रीन कार्ड सुविधा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर प्रत्येक देश की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) अप्रैल 2003 तक ऐसे ग्रीन कार्ड के लिए भारतीय पेशेवरों और उद्यमियों से प्राप्त कितने अनुरोध सरकार के पास लम्बित है और इनमें से कितनों को पहले ही कार्ड जारी किए जा चुके हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) ग्रीन कार्ड योजना केवल जर्मनी में लागू है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नेसकॉम) ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव किया था। जर्मन संघीय मंत्रिमंडल ने विदेशी सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए 31 दिसम्बर, 2004 तक "ग्रीन कार्ड इनशिएटिव" का विस्तार करने का अनुमोदन किया है। नए विनियम में पहले निर्धारित 20,000 कार्य परमिटों की सीमा को भी निकाल दिया गया है।

(ग) ग्रीन कार्ड योजना जर्मन सरकार द्वारा अगस्त 2000 में लागू की गई थी। 30 अक्तूबर, 2003 तक कुल 15,360 ग्रीन कार्ड प्रदान किए गए हैं जिनमें से 4,174 कार्ड भारतीय नागरिकों को दिए गए, जो किसी भी राष्ट्र के जर्मन ग्रीन कार्ड धारकों के समूह की सबसे बड़ी संख्या है।

लघु औषधि इकाइयों का आधुनिकीकरण

1348. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 के जी एस आर सं. 894 के अंतर्गत अधिसूचना को निर्धारित समय-सीमा के कार्यान्वयन के कारण लघु औषधि इकाइयों पर भारी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु औषधि इकाइयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन योजना के अंतर्गत ऋण/राजसहायता उपलब्ध करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) दिनांक 11.12.2003 को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की जी.एस.आर. सं. 894(अ) के तहत प्रकाशित संशोधित अनुसूची एम का उद्देश्य उत्पादित औषधों के एक-समान मानकीकरण और उनकी गुणवत्ता का उन्नयन करना है। औषध निर्माताओं को अपनी इकाइयों को संशोधित अनुसूची एम के अंतर्गत मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त निवेशों की आवश्यकता होने और उनकी व्यवस्था करने की आशा है।

लघु उद्योग मंत्रालय ने अक्तूबर, 2000 में ऋण सम्बद्ध पूंजीगत सहायता योजना नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना में औषध इकाइयों सहित 30 विनिर्दिष्ट उत्पादों/उप-क्षेत्रों से संबंधित योजना के अंतर्गत अनुमोदित सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए 28 बैंकों, 12 राज्य वित्तीय निगमों, 34 कारपोरेशन बैंकों, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से उन द्वारा लिए गए संस्थागत धन पर छोटी इकाइयों सहित लघु उद्योग की इकाइयों को 12 प्रतिशत अपफ्रंट कैपिटल सबसिडी की व्यवस्था है। इस योजना को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नामक दो नोडल अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

एक अक्तूबर, 2000 से शुरू योजना में 5 वर्षों की अवधि अथवा ऐसे समय तक जब तक नोडल अभिकरणों द्वारा मंजूर की जाने वाली सहायता 600 करोड़ रुपए तक न पहुंच जाए, जो भी पहले हो, इस योजना के वास्ते आबंटन 600 करोड़ रुपए है।

इन इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आईएसओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के वास्ते ए.आई.डी.बी.आई. द्वारा लघु उद्योग की इकाइयों द्वारा आगे आवश्यकता पर आधारित सहायता भी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन फॉर एड्स द्वारा सहायता

1349. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्यः
श्री आर.एल. जालप्पाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में एड्स की रोकथाम के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउण्डेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि प्राप्त की गयी है; और

(ग) बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउण्डेशन से प्राप्त सहायता के प्रभावी उपयोग के लिए साक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार को बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन से अभी तक कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे के लिए मानदण्ड

1350. श्री लक्ष्मण गिलुवाः
श्री हरिभाई चौधरीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए तय मानदण्ड को हाल ही में पुनरीक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण और शहरी आबादी के प्रतिशत तथा अनुमानित संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए मानदण्ड की सिफारिश मूल रूप से 'न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग संबंधी कार्यदल' द्वारा 1979 में की गई थी। कार्यदल ने गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति व्यय स्तर के अनुसार परिभाषित किया था जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी ग्रहण करना था। इन मानकों की मौद्रिक समतुल्यता 1973-74 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये के मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में परिकलित की गई थी। इसके पश्चात 1993 में गरीबी के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल ने राज्य विशिष्ट कीमत सूचकांकों और अन्तर-राज्यीय कीमत विभेदकों का प्रयोग करते हुए इन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में विघटित करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग ने मार्च 1997 में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को लघु संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान विशेषज्ञ दल की पद्धति का प्रयोग करते हुए लगाए जा रहे हैं।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग 5 वर्षों के अन्तराल पर कराए जाने वाले पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर लगाता है। इस प्रकार का नवीनतम सर्वेक्षण 1999-2000 (एन.एस.एस. 55वां दौर) में कराया गया था। वर्ष 1999-2000 के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की संख्या और प्रतिशतता 1999-2000

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.64	42.60
5.	गोवा	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू और कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैण्ड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	13.02	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चंडीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादर और नगर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	1714
29.	दमन और दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	20.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	अखिल भारत	1932.43	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

टिप्पणियां

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू और कश्मीर में गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर और नगर हवेली के व्यय वितरण का दादर और नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।
9. राजस्थान का शहरी गरीबी अनुपात अस्थायी माना जाए।

[अनुवाद]

निरक्षरता हटाने के लिए विश्व बैंक ऋण

1351. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में भागीदारिता को सशर्त होने पर अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक निरक्षरता हटाने के लिए भारत को सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा क्या मुख्य शर्तें रखी गयीं और सरकार का इस पर क्या रुख है;

(घ) विश्व बैंक कुल कितना ऋण देने पर सहमत हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सहायता से कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भेषज उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास

1352. श्री मोहन रावले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान भेषज उद्योग को सहायता देने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु सरकार द्वारा कोई धनराशि प्रस्तावित/नियत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए अब तक धनराशि स्वीकृत और जारी नहीं की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार फार्मा उद्योग के साथ संयुक्त रूप से औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1994-95 से "औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम" नामक एक योजना स्कीम चलाता आ रहा है। वर्ष 2000-01 के दौरान पांच सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है और चालू तथा नई परियोजनाओं की सहायता के लिए लगभग 4.0 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

फेफड़े का कैंसर

1353. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में फेफड़े के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सक इस बीमारी का आरंभिक अवस्था में पता नहीं लगा पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग को प्रारंभिक अवस्था में डाक्टरों द्वारा पता लगाने के लिए किस तकनीक को अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार देश में फेफड़े के कैंसर में कुछ बढ़ती प्रवृत्ति पाई गई है। फेफड़े के कैंसर का पता प्राय: अंतिम चरणों में लगता है तथा फेफड़े के कैंसर की जांच करने के लिए किये गये प्रयासों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। फेफड़े के कैंसर का पता छाती का एक्स-रे, ब्रोंकोस्कोपी आदि विभिन्न विधियों से लगाया जाता है जिसके लिए सुविधाएं सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के अंतर्गत विद्यमान होती हैं।

फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण विभिन्न तरीके से तम्बाकू पीना है जिससे जन-जागरूकता पैदा करके बचा जा सकता है। धूम्रपान के बुरे प्रभावों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार माध्यमों के जरिए विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं। तम्बाकू के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए हाल ही में संसद द्वारा एक कानून भी पास किया गया है।

कैंसर के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

1354. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि प्रति दस लाख लोगों पर विकासशील देशों को एक विकिरण थैरेपी मशीन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कैंसर के इलाज में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश का अनुसरण करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर के उपचार के लिए वहनीय और उपलब्ध सविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें विकासशील देशों में रेडियोथिरेपी मशीनें भी शामिल हैं और इस संबंध में अनुमान कैंसर की घटनाओं के पैटर्न, जनसंख्या वितरण और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित हो सकते हैं। इस समय देश में लगभग 300 टेलीथिरेपी मशीनें हैं। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्रमिक योजनाओं में प्रयास किये जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 285 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.)

1355. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मिशन का राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 और पोषण पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय योजना, 1995 में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा और पुनरीक्षा करने की भी संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मिशन के लिए कार्य कर रहे निकाय कौन से हैं; और

(च) मिशन के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-से कदम प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन नीति निर्देशन तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषाहार कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के विचारार्थ विषयों में देश की वर्तमान पोषाहारीय रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पोषाहार नीति, 1993 तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना, 1995 में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करना और इनमें संशोधन करना शामिल है।

(ङ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अध्यक्ष हैं तथा इसकी कार्यकारी समिति की अध्यक्षा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। इसके सदस्यों में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्री और कुछेक मुख्यमंत्री, शिक्षाविद्, तकनीकी विशेषज्ञ तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(च) मिशन को 31.7.2003 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) देश की वर्तमान पोषाहारीय रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पोषाहार नीति, 1993 तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना, 1995 में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करना और इनमें संशोधन करना।

(2) पोषाहार संबंधी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अंगीकृत मौजूदा कार्यनीतियों की समीक्षा करना तथा मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इनमें संशोधन करना।

(3) पोषाहार लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायतार्थ पोषाहार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों को समन्वित करने के उद्देश्य से कारगर तंत्र की स्थापना करना।

(4) आंकड़ा संचय तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों एवं विशेषकर कमजोर वर्गों की पोषाहारीय स्थिति के अनुवीक्षण की प्रणालियों की समीक्षा करना।

(5) पोषाहार के क्षेत्र में, विशेषकर कम लागत वाले संतुलित आहार, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के संबंध में शोध, विकास एवं प्रचार की समीक्षा करना।

(6) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष पोषाहारीय समस्याओं का निराकरण करना।

(7) समय-समय पर उठने वाला पोषाहार संबंधी अन्य कोई मुद्दा।

राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

1356. **श्री अनन्त नायक:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पानिकोइली से राजामुण्डा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) पानिकोइली से राजामुण्डा (रा.रा. 215) तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 269 कि.मी. है। इस सड़क को 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। तब से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लगभग 105 कि.मी. में सुधार किया जा चुका है। शेष 164 कि.मी. लम्बाई में से कुल 146 कि.मी. के लिए कुल 47.06 करोड़ रु. की लागत से 10 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन खंडों में कुछ कार्य चल रहे हैं और कुछ अन्य खंडों में कार्य सौंपे नहीं गए हैं। इन खंडों की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। मंत्रालय की स्वीकृतियों के अनुसार इन खंडों पर कार्य किये जा रहे हैं और तदनुसार धनराशि का उपयोग किया जा रहा है।

गांवों/शहरों में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय

1357. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री ए.सी. जोस:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अलग-अलग कितने गांवों और शहरों को कवर किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 30.9.1993 की स्थिति के मुताबिक प्राथमिक, अपर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों वाले गांवों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणिकों के स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

विभिन्न स्तरों पर शिक्षण सुविधाओं वाले गांवों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों में स्कूल			
		प्राथमिक स्तर संख्या	अपर प्राथमिक स्तर संख्या	माध्यमिक स्तर संख्या	उच्चतर माध्यमिक स्तर संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23535	8111	4317	464
2.	अरुणाचल प्रदेश	1411	365	114	44
3.	असम	16513	5701	2472	438
4.	बिहार	43810	11137	2908	394
5.	गोवा	322	192	153	29
6.	गुजरात	17298	11559	3431	740
7.	हरियाणा	5909	2661	1678	240
8.	हिमाचल प्रदेश	6571	1969	1031	179
9.	जम्मू-कश्मीर	5552	2233	825	110
10.	कर्नाटक	22725	10935	3428	678
11.	केरल	1327	1240	1022	247
12.	मध्य प्रदेश	55397	11430	2745	1243
13.	महाराष्ट्र	36982	17621	6821	1234
14.	मणिपुर	1835	613	260	35
15.	मेघालय	3337	777	276	11
16.	मिजोरम	596	367	134	2
17.	नागालैंड	1030	347	97	4
18.	उड़ीसा	31175	9500	4358	517
19.	पंजाब	10324	2946	1865	354
20.	राजस्थान	29157	9191	2811	445
21.	सिक्किम	378	180	80	21
22.	तमिलनाडु	13439	5638	2629	882

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	814	544	338	93
24.	उत्तर प्रदेश	60487	16049	4040	2346
25.	पश्चिम बंगाल	26815	5163	3353	642
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	226	88	54	29
27.	चंडीगढ़	19	13	11	2
28.	दादरा और नगर हवेली	69	29	11	5
29.	दमन और दीव	20	14	9	0
30.	दिल्ली	168	101	78	59
31.	लक्षद्वीप	6	5	5	1
32.	पांडिचेरी	175	73	36	12
	भारत	417422	136792	51390	11500

स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया गया छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण
(दिनांक: 30 सितम्बर, 1993)

विवरण II

शहरी क्षेत्रों में राज्यवार विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी क्षेत्रों की संख्या	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	264	4729	1657	2197	769
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	37	16	7	14
3.	असम	89	1306	458	409	161
4.	बिहार	280	2933	2029	839	257
5.	गोवा	31	207	26	128	29
6.	गुजरात	264	1501	4140	831	1066
7.	हरियाणा	94	526	229	508	284
8.	हिमाचल प्रदेश	58	251	52	109	74

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू-कश्मीर	75	652	432	221	126
10.	कर्नाटक	306	1758	4717	1761	580
11.	केरल	219	1192	848	565	90
12.	मध्य प्रदेश	465	8229	4432	998	1575
13.	महाराष्ट्र	337	5217	4123	3339	1064
14.	मणिपुर	34	441	146	155	22
15.	मेघालय	12	180	77	120	5
16.	मिजोरम	22	280	188	115	0
17.	नागालैंड	9	44	66	60	4
18.	उड़ीसा	124	2085	723	633	81
19.	पंजाब	125	1134	145	437	378
20.	राजस्थान	219	4181	2577	687	743
21.	सिक्किम	8	0	0	1	2
22.	तमिलनाडु	469	3465	1360	1041	1242
23.	त्रिपुरा	18	87	34	32	56
24.	उत्तर प्रदेश	702	12456	3975	684	1861
25.	पश्चिम बंगाल	382	8122	550	1405	656
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	7	6	6	10
27.	चंडीगढ़	5	28	25	58	41
28.	दादरा और नगर हवेली	1	2	4	1	2
29.	दमन और दीव	2	5	9	13	3
30.	दिल्ली	1	1664	445	273	835
31.	लक्षद्वीप	4	5	5	3	3
32.	पांडिचेरी	11	150	65	58	29
	भारत	4641	58145	31902	15497	11293

स्रोतः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया गया छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण।
(दिनांकः 30 सितम्बर, 1993)

डाक बचत प्रमाण-पत्र का डिमेटिरियलाइज किया जाना

1358. श्री नरेश पुगलिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक बचत प्रमाण-पत्र को डिमेटिरियलाइज करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक बचत प्रमाण-पत्र को डिमेटिरियलाइज किए जाने का उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में निवेशकों पर क्या प्रभार लगाया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) 16 अक्तूबर, 2003 से मुम्बई के 10 डाकघरों में 'बचत पत्रों (एनएससी/केवीपी) के डिमेटिरियलाइजेशन' पर निवेशकों को अपनी एनएससी और केवीपी को कागजी बचत पत्रों में उपलब्ध सभी वर्तमान सुविधाओं सहित डिमेटिरियलाइज्ड रूप में प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करने हेतु एक छमाही योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है।

(ग) निवेशक अनुकूल स्कीम होने के नाते 'बचत पत्रों (एनएससी/केवीपी) को डिमेटिरियलाइज' करने की इस छमाही प्रायोगिक योजना का उद्देश्य निवेशकों द्वारा इन बचत पत्रों की डीमैंट रूप में स्वीकार्यता का आकलन करना और यह जांच करना है कि यह संशोधित प्रक्रिया कितनी किफायती है।

(घ) निवेशकों पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगेगा।

कालाजार का उन्मूलन

1359. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य सन 2010 तक काला-अजार का उन्मूलन करना है और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के अधीन दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में काला-आजार के उन्मूलन के प्रयासों हेतु निम्नलिखित कार्यनीति के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है:

1. इस रोग से अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में घरों में अवशिष्ट कोटनाशकों द्वारा वेक्टर नियंत्रण
2. काला-आजार रोगियों का उपचार
3. लोगों की सहभागिता एवं क्षमता निर्माण के वास्ते सूचना शिक्षा सम्प्रेषण

भारत सरकार काला-अजार-रोधी औषधें, कीटनाशक एवं प्रचालनात्मक व्यय उपलब्ध कराती है जबकि राज्य सरकारें स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत सुविधा के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वित करती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 1370 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से काला-आजार के वास्ते 217 करोड़ रुपये का अंतरिम प्रावधान किया गया है।

शुल्क माफ करना

1360. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल का विचार स्थानीय फोनों के स्थानांतरण हेतु लगने वाले शुल्क को माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार आई.एस.डी. दरों को दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित आई.एस.डी. दरों तक घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बी.एस.एन.एल. को और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। स्थानीय तथा साथ ही साथ अखिल भारतीय स्थानांतरण प्रभार हटा दिए गए हैं।

(ख) बीएसएनएल ने दिनांक 24.11.2003 से इस स्कीम को लागू कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। बीएसएनएल ने सिंगापुर, हांगकांग, इण्डोनेशिया, मलेशिया तथा थाईलैण्ड में की जाने वाली आईएसडी

कॉलों के लिए प्रभार घटाकर 12 रु./मिनट (6 सैकण्ड पल्स) कर दिया है। यह पेशकश प्रोत्साहन हेतु की गई है तथा यह 15.01.2004 तक मान्य है।

(ङ) बीएसएनएल को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे

1. उपभोक्ता अनुकूल प्रशुल्क ट्राई के आदेश के दायरे में जारी किये जाते हैं।
2. प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बुनियादी, सेल्यूलर, डब्ल्यूएलएल, इंटरनेट सेवाओं इत्यादि के लिए प्रोत्साहन संबंधी अनेक स्कीमों की शुरुआत की गई हैं।
3. बीएसएनएल को लोकप्रिय बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है।
4. बीएसएनएल एकमात्र सेल्यूलर सेवा प्रचालक है जिसने दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर देशभर में मोबाइल सेवाओं का विकास किया है। असम तथा पूर्वोत्तर में मोबाइल सेवाओं का विकास चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है।

पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता

1361. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के हत्फ-तीन मिसाइल का परीक्षण करने के एक सप्ताह के भीतर ही 8 अक्तूबर, 2003 को 700 कि.मी. रेंज की नाभिकीय शस्त्र ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल हत्फ-चार का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इसका किस प्रकार मुकाबला करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। पाकिस्तान ने अक्तूबर, 2003 में तीन मिसाइल परीक्षण किए थे। 3 अक्तूबर, 2003 को इसने कम-दूरी की हत्फ-III (गजनी मिसाइल, जिसकी दूरी 290 कि.मी. बताई गई है) और 8 और 14 अक्तूबर, 2003 को इसने हत्फ-IV (शाहीन मिसाइल, जिसकी दूरी लगभग 700 कि.मी. बताई गई है) का परीक्षण किया।

(ख) और (ग) सरकार, पाकिस्तान के नाभिकीय और मिसाइल कार्यक्रमों से संबंधित सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रभावी रूप से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय महासागर तकनीकी संस्थान द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

1362. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय महासागर तकनीकी संस्थान ने एक सर्वेक्षण करवाया है और यह पाया है कि तटीय और अपतटीय भागों में पाये जाने वाले भारी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य कचरे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री सम्पदा के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और यहां की मूंगें की चट्टानों को क्षति पहुंचा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकार को पोत से प्रदूषण के वितरण हेतु अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का पालन करना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै में द्वीप समूह के तटीय समुद्र में किए गए एक नवीनतम सर्वेक्षण के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप के तट के इर्द-गिर्द प्लास्टिक और अन्य कचरे के अम्बार का निरीक्षण किया था।

(ख) मारपोल 73/78 विनियम (अनुबंध V) के अनुसार, समुद्र में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरे डालना निषिद्ध है, यह विनियम 1/7/1992 से प्रभावी हुआ था। सभी बड़े जलयानों (7400 टन) को कचरे के निपटान के लिए अपेक्षित सुविधाओं सहित यात्रा के दौरान एक कचरा प्रबंधन योजना तथा एक कचरा रिकार्ड पंजिका रखनी होगी। भारत के व्यापारिक नौवहन विभाग के सर्वेक्षण का पोर्ट कॉल अपतटीय अधिष्ठापनाओं पर जलयानों का निरीक्षण करने और विनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जांच करने तथा अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिए अधिकृत है।

(ग) भारत सरकार ने जून 2003 में अभिसमय का अनुसमर्थन किया और अभिसमय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए गए।

(घ) इस समय बंदरगाहों पर पर्याप्त रिसेप्शन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो इस अभिसमय की ही अपेक्षा हैं। इसके अलावा बंदरगाहों पर उचित रिसेप्शन सुविधाएं प्रदान करने के बाद अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के तटीय समुद्रों को आईएमओ के अंतर्गत "विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र (पीएसएसए)" घोषित करने के लिए जहाजरानी निदेशालय आईएमओ के माध्यम से उपाय करेगा। सितम्बर 2003 में अंडमान प्रशासन ने भारतीय नौसेना की सहायता से तट के आस-पास साफ सफाई के कार्य किए और 400 प्लास्टिक बोतलों को वहां से हटाया गया।

थैलीसीमिया के रोगी

1363. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में थैलीसीमिया के रोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में थैलीसीमिया के नब्बे प्रतिशत रोगी 20 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रूधिर-आधान हेतु खून की अनुपलब्धता के कारण थैलीसीमिया के अनेक रोगी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश में थैलीसीमिया रोगियों का कोई केन्द्रीयकृत पंजीकरण नहीं होता है और न ही इनकी व्याप्तता से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए कोर तंत्र है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अनुमानों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में प्रति वर्ष थैलीसीमिया से पीड़ित 10,000 बच्चों का जन्म होता है।

(ग) थैलीसीमिया मेजर प्रमुख रूप से 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाया जाता है और ये बच्चे केवल एक या दो दशकों तक ही जीवित रह पाते हैं। चूंकि थैलीसीमिया आनुवंशिकीय रोग है इसलिए थैलीसीमिया वाहक रोगी जीवन भर इस रोग के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन के साये में जीता है।

(घ) और (ङ) रक्ताधान ही थैलीसीमिया का प्रमुख उपचार है। इस प्रयोजन हेतु विभिन्न अस्पतालों के रक्त बैंकों में पर्याप्त रक्त उपलब्ध है। थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चे बार-बार रक्ताधान से उत्पन्न आयरन की अधिक मात्रा के परिणामस्वरूप हुई जटिलताओं के कारण जीवन के लिए संघर्ष करते हैं न कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण।

कई रक्त बैंकों में कभी-कभार किसी मौसम में रक्त की कमी हो सकती है। स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के जरिए पर्याप्त रक्त जुटाने के वास्ते सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये हैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया अभियान आयोजित करना, प्रत्येक व्यक्ति के सम्प्रेषण हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण संबंधी सामग्री तैयार करना, प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस आयोजित करना, रक्त के उचित उपयोग के बारे में क्लिनिक कार्मिकों को प्रोत्साहित करना और स्वैच्छिक रक्त दान को बढ़ावा देने के हेतु लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना।

उन्नत केन्द्रों की स्थापना

1364. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय आधार पर चार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के लिए उन्नत केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है और देश में किन स्थानों का चयन किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुनःप्रयोज्य अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण

1365. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास भविष्य में पुनः प्रयोज्य अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में कितने देशों के पास पुन: प्रयोज्य अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण की क्षमता है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भविष्य में पुन: प्रयोज्य प्रमोचक राकेट के क्षेत्र में प्रारंभिक अध्ययनों की शुरुआत की है।

(ख) ये प्रारंभिक अध्ययन पुन: प्रयोज्य प्रमोचक राकेट के लिए उपयुक्त निर्देशक के संरूपण और उड़ान जांच के लिए विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के निर्धारण की दिशा में किए जा रहे हैं।

(ग) किसी भी देश के पास पूर्णत: पुन: प्रयोज्य प्रमोचक राकेट नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक आंशिक पुन: प्रयोज्य राकेट अर्थात् अन्तरिक्ष शटल है।

आत्मनिर्णय के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ संकल्प

1366. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ समिति द्वारा लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार संबंधी संकल्प पारित करने के लिए पश्चात् पाकिस्तान एक बड़ी सफलता का दावा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने 58वीं संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी समिति में स्व-निर्धारण के अधिकार पर अपनाए गए संकल्प को सफलता के दावे के तौर पर पेश किया है। हालांकि तथ्य ये हैं कि दो दशकों से अधिक के लिए मतैव्य द्वारा अपनाए जाने की तुलना में यह संकल्प को 88 वोट पक्ष में, 3 विरोध में 64 के अनुपस्थित रहने के आधार पर अपनाया गया। भारत ने ही इस घटना के पश्चात इस संकल्प पर मत की मांग की और इसके विरोध में मत दिया, जिस घटना में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्य में भारत की एकता और क्षेत्रीय अखण्डता को चुनौती देते हुए अवांछित टिप्पणी की और संकल्प को प्रस्तुत करते समय फिलिस्तीन की परिस्थिति के साथ भारत के जन्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति का संबंध जोड़ा जो अस्वीकार्य था।

अन्य पिछड़े वर्ग हेतु रोजगार के अवसर

1367. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह 'क' और 'ख' में उनकी अपेक्षित संख्या से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली

1368. श्री राजो सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सभी जिलों को प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त प्रणाली के तहत राज्य के सभी जिलों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2003-2004 के दौरान देश में इस प्रणाली के तहत शामिल किए जाने वाले जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिला स्तर पर योजना बनाने में एन आर डी एम एस क्रियाविधि की प्रयोज्यता प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक राज्य/कृषि जलवायु क्षेत्र के एक या कुछ जिलों में बड़े स्तर पर एन आर डी एम एस जिला आंकड़ा आधार केन्द्रों का विकास किया गया है। सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के प्रयास किये जाने हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003-2004 के दौरान उन राज्यों में जिला आंकड़ा आधार केन्द्रों का सृजन किया जा रहा है जहां एन आर डी एम एस केन्द्र प्रचालनात्मक नहीं हैं। एन आर डी एम एस जिलों की कुल संख्या 06 होगी (उत्तरांचल में 02, पूर्वोत्तर राज्यों में 01 तथा कर्नाटक में 03)।

[अनुवाद]

क्षय रोग नियंत्रण हेतु सहायता

1369. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में क्षय रोग नियंत्रण हेतु विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निधियों में से राज्यों को राज्यवार और वर्षवार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों द्वारा इन निधियों का उपयोग किया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। थूक में रोग के लक्षण पाए जाने वाले नए रोगियों (न्यू स्पूटम पॉजीटिव) में से 85% रोगियों को रोगमुक्त करने और कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से देश में चरणबद्ध ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने निम्नानुसार सहायता देने की सहमति दी है:

एजेंसी का नाम	(करोड़ रुपये में)
विश्व बैंक (1997 से 2004 तक)	604.90
उड़ीसा में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम को (1997 से 2003 तक) सहायता देने के लिए डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	31.95
आंध्र प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को (2000 से 2005 तक) सहायता देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, इंग्लैंड	109.93
हरियाणा में (2003 से 2007 तक) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता देने के लिए यू एस ए आई डी (यूसेड)	31.59
छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल में (2003 से 2005 तक) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता देने हेतु जीएफए टीएम	42.15

(ख) प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने के आधार पर संबंधित एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। खर्चे का वहन पहले भारत सरकार की निधि से किया जाना होता है उसके बाद दाता एजेंसियों से उस व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाती है। उपरोक्त तीन एजेंसियों से विगत तीन वर्ष में प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि इस प्रकार है:

एजेंसी	2000-01	2001-02	2002-03
विश्व बैंक	84.71	52.48	78.08
डेनिडा	–	1.1727	1.74
डीएफआईडी	–	0.9058	4.87

जीएफएटीएम और यूएसएआईडी परियोजनाएं इसी साल शुरू हुई हैं।

(ग) दाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था भारत सरकार की निधि में से विदेशी सहायता संघटक के अंतर्गत की जाती है और धनराशि राज्य/जिला क्षयरोग सोसायटियों को जारी की जाती है। सोसाइटियों से प्राप्त व्यय के ब्यौरों के आधार पर दाता एजेंसियों से प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को जारी किए गए धन और व्यय का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एक नया कार्यकलाप होने के नाते संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए तैयारी संबंधी काफी कार्यकलाप किये जाने वांछनीय थे। इसलिए परियोजना के शुरू के वर्षों में खर्च धीमा रहा। तथापि, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है क्योंकि अधिकाधिक शुरुआती (प्रीप्रेटिरी) जिले संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर रहे हैं।

विवरण

जारी की गई निधियों के राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरे

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य जिला सोसाइटियों पर (सामग्रीगत सहायता के अतिरिक्त) किया गया व्यय

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-01		2001-02		2002-03	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2.	आंध्र प्रदेश	405.61	57.76	203.47	195.63	250.00	374.92
3.	अरुणाचल प्रदेश	46.57	1.74	62.28	58.83	37.50	74.83
4.	असम	8.09	32.65	35.05	14.78	185.22	126.17
5.	बिहार	17.98	72.36	88.75	53.98	85.05	76.98
6.	चंडीगढ़	18.05	0.00	8.39	22.80	16.00	22.10
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	36.22	0.00	136.36	137.32
8.	दिल्ली	111.06	170.40	100.00	165.77	301.00	263.17
9.	गोवा	0.00	0.00	7.82	0.17	10.00	3.34
10.	गुजरात	275.53	272.90	285.67	247.06	0.00	331.31

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हरियाणा	16.47	38.48	54.42	42.63	45.28	73.97
12.	हिमाचल प्रदेश	233.29	126.03	113.50	122.19	35.00	194.74
13.	जम्मू व कश्मीर	54.37	1.27	25.30	25.97	0.00	18.14
14.	झारखण्ड	5.10	61.98	54.65	22.05	73.05	71.94
15.	कर्नाटक	173.68	163.38	232.63	130.17	269.00	425.88
16.	केरल	83.02	112.86	324.00	363.93	0.00	153.39
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	0.04
18.	मध्य प्रदेश	89.30	52.42	202.60	76.26	396.25	372.36
19.	महाराष्ट्र	765.97	425.28	919.5	622.46	203.43	955.59
20.	मणिपुर	125.85	38.27	81.90	141.89	64.12	79.79
21.	मेघालय	0.00	1.24	7.82	4.08	70.10	48.83
22.	मिजोरम	1.40	0.00	9.60	2.30	83.15	68.57
23.	नागालैंड	49.99	6.94	90.39	80.00	22.50	64.63
24.	उड़ीसा	156.76	94.11	245.00	61.20	331.84	202.95
25.	पांडिचेरी	0.00	0.13	2.40	0.00	0.00	3.51
26.	पंजाब	49.77	12.54	145.34	22.43	85.10	178.41
27.	राजस्थान	627.64	324.64	478.47	634.08	82.50	350.98
28.	सिक्किम	46.61	6.52	28.94	59.09	27.10	37.94
29.	तमिलनाडु	617.24	313.61	324.77	509.34	20.00	481.21
30.	त्रिपुरा	0.00	0.00	12.47	5.06	40.90	3.62
31.	उत्तर प्रदेश	156.37	206.99	393.89	186.00	604.20	591.82
32.	उत्तरांचल	0.00	0.00	15.42	0.00	68.1	45.87
33.	पश्चिम बंगाल	330.78	408.72	428.41	577.34	375.00	751.80
	कुल योग	4466.50	3003.22	5019.08	4447.48	4040.08	6586.42

टिप्पणी: वर्ष 2002-03 में व्यय उस वर्ष में जारी की गई निधियों से अधिक है। यह पिछले वर्षों में उपयोग न करने से बची हुई राशि के कारण है।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता

1370. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक शिखर वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिखर वार्ता के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक पर क्या निर्णय लिए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) चौथा भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 29 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। शिखर सम्मेलन स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों; राजनीतिक और आर्थिक दोनों की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित की क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया है।

(ग) शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य पारित किया गया, व्यापार और निवेश विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय करार सम्पन्न किया गया और सीमा शुल्क सहयोग करार पर आद्याक्षर किए गए।

साक्षरता कार्यक्रमों का विलय

1371. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रमों का विलय किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दोनों कार्यक्रमों के विलय से प्रशासनिक व्यय में भारी बचत हो सकेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक व्यय को कम करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न आयु वर्गों के लिए ये दोनों कार्यक्रम प्रवृत्ति में एक दूसरे के पूरक हैं। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों के लिए है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

1372. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न ग्रेडों में शिक्षकों के 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए संविदा प्रणाली अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे शिक्षकों को प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लिमिटेड मोबिलिटी कंपनियों द्वारा अतिक्रमण

1373. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विवाद अधिकरण ने समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सेल्यूलर कंपनियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में लिमिटेड मोबिलिटी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये अतिक्रमण का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसके अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडी सैट) ने निदेश दिया था कि लाइसेंसधारकों को अपने उपभोक्ताओं को सीमित मोबिलिटी की सुविधा प्रदान

करते समय लाइसेंस के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की अनुमति न दी जाए। यह देखा गया कि दो लाइसेंसधारक कुछेक ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे थे जिससे बुनियादी सेवा प्रचालकों की सीमित मोबलिटी सेवा और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के बीच अंतर अस्पष्ट हो गया। लाइसेंसधारकों को इस सेवा को समाप्त कर देने का नोटिस जारी किया गया। इसी बीच, लाइसेंसधारकों ने एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था को अपना लिया जिससे वे पूर्णतया मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने में सक्षम हो गये।

प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा

1374. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान श्रीलंका और पुर्तगाल के नेताओं को बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दे उठे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की ओर से बढ़ी हुई सीमा-पार आतंकवादी गतिविधि पर चिंता व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा अमरीकी राष्ट्रपति सहित उनसे मिलने वाले सभी नेताओं के सामने उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। सितम्बर, 2003 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58वें सत्र के दौरान प्रधान मंत्री ने अफगानिस्तान, श्रीलंका और पुर्तगाल के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और श्रीलंका की प्रधान मंत्री तथा इस्लामी राज्य अफगानिस्तान की अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति के बीच वार्ताओं का मुख्य मुद्दा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मसले थे। पुर्तगाल के प्रधान मंत्री के साथ उनकी बैठक के दौरान चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के पुनरीक्षण सहित उच्च स्तरीय यात्राओं तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के आदान-प्रदान शामिल थे। वर्तमान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी शामिल था पर भी चर्चा हुई।

(ख) जी नहीं, यद्यपि राष्ट्रपति कर्जायी ने सितम्बर, 2003 में 58वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की असेम्बली में अपने भाषण में कहा था कि सरकारों को आतंकवाद को एक नीतिगत हथियार के रूप में प्रयोग करना बंद करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक विश्व के इस हिस्से में आतंकवाद रहेगा, न तो अफगानिस्तान न उसके पड़ोसी, न ही वास्तव में शेष विश्व सुरक्षित हो सकता है। हिंसा के बलप्रयोग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीमा-पार आतंकवादियों की घुसपैठ से लेकर मदरसा के आवरण में छिपे स्थानों से घृणास्पद शिक्षा देकर शांति एवं समृद्धि जिसे वह अपने देश के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, के रास्ते में लगातार अड़चन बनाकर आतंकवाद को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है। बताया गया कि, सितम्बर, 2003 में न्यूयार्क में पाकिस्तानी दैनिक ''द न्यूज'' के साथ साक्षात्कार में राष्ट्रपति कर्जायी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान के मसले पर पूरा ध्यान नहीं दिया है।

(ग) और (घ) यद्यपि पुर्तगाली प्रधान मंत्री, श्री दुराओं बारोसो, के साथ हुई वार्ता में सीमापार आतंकवाद के बारे में कोई विशिष्ट बात नहीं हुई थी, तथापि इस बात पर परस्पर सहमति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध मुकाबला करने में सहयोग जारी रखना चाहिए। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपने देश का पूरा समर्थन व्यक्त किया।

सितम्बर, 2003 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और मॉरीशस के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात में सीमा-पार आतंकवाद सहित दक्षिण एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई थी। यद्यपि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में सीमापार गतिविधियों के विषय पर विशिष्टतया कोई चर्चा नहीं हुई, आतंकवाद और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला करने की आवश्यकता के मसले पर चर्चा हुई थी।

प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के अपने समकक्ष के साथ अफगानिस्तान से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा नहीं की।

प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने दक्षिण एशिया के सार्वभौमिक और क्षेत्रीय संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों पर विचार-विमर्श किया।

सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन

1375. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
डा. अशोक पटेल:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवंबर, 2003 में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य कितने देशों ने भाग लिया था;

(घ) क्या इस संबंध में यह भी घोषणा की गई थी कि बच्चे विशेषकर बालिकाओं को वर्ष 2015 तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) सबके लिए शिक्षा पर उच्च स्तरीय समूह की तीसरी बैठक भारत और यूनेस्को की सह-मेजबानी में 10 से 12 नवम्बर, 2003 के दौरान हुई।

विचार विमर्श के मुख्य विषय थे:

(1) डकार में निर्धारित सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा,

(2) लैंगिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई की कार्य-सूची,

(3) राष्ट्रीय योजना और नीति सुधार,

(4) सबके लिए शिक्षा की सहायता और वित्त-पोषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई, और

(5) चुनौतियां और अवसर: आगे का मार्ग।

(ग) सोलह।

(घ) और (ङ) बैठक एक विज्ञप्ति के साथ समाप्त हुई जिसमें देशों को वर्ष 2005 तक लैंगिक समानता और वर्ष 2015 तक लैंगिक समता प्राप्त करने, बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य गुणात्मक शिक्षा के अधिकार को बल प्रदान करने हेतु विधान अधिनियमित करने, विद्यालय शुल्कों को समाप्त करने और स्कूल-शिक्षा की अन्य अप्रत्यक्ष लागत को कम करने, गैर-सरकारी और नागरिक संगठनों के साथ सांझा कार्य के लिए शिक्षकों की सक्षमताओं को मजबूत करने और उनकी आंकड़ा संग्रहण और मानीटरन प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में कार्यनीति संबंधी और सहायक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इसने दाता देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से यह आह्वान किया कि डकार और मोटरे की वचनबद्धता वे पूरी करें और आधारभूत शिक्षा के लिए उनकी सहायता के वर्तमान स्तर (1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष) और वर्ष 2015 तक लैंगिक समता और सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बाह्य सहायता की आवश्यक राशि (5.6 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुमान) के अंतर को समाप्त करें।

कटक-पारादीप राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

1376. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कटक-पारादीप राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय आबंटन के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और रखरखाव के लिए स्वीकृत धनराशि के उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रदान की गई धनराशि के दुरुपयोग करने अथवा अन्यत्र उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) कटक और पारादीप को जोड़ने वाली सीधी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और यह केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। अन्य संरेखण जो कटक को चंडीखोल और चंडीखोल को पारादीप से जोड़ते हैं, क्रमश: राष्ट्रीय राजमार्ग 5 और 5ए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के कटक से चंडीखोल खंड को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत पहले ही चार लेन का बनाया जा चुका है और यह यातायात योग्य स्थिति में है।

गत पांच वर्षों में लगभग 11.60 करोड़ रु. की लागत से रा.रा. 5ए का सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है और यह सड़क यातायात योग्य स्थिति में है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पत्तन संपर्क स्कीम के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के फरवरी, 2004 में शुरू होने और फरवरी, 2007 में पूरी हो जाने की संभावना है।

दक्षिण एशिया मंच

1377. श्री प्रबोध पण्डा:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अम्बरीश:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशिया मंच का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मंच के लक्ष्य और कार्य क्या हैं; और

(ग) इसके कितने सदस्य हैं और उनके नाम और पदनाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) कुछ सांसदों ने हाल ही में एक दक्षिण एशिया मंच की स्थापना की है। यह समझा जाता है कि इसके उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना, जनता से जनता के बीच सम्पर्कों को बढ़ाना और दक्षिण एशिया के बुद्धिजीवी-वर्ग तथा समान विचार वाले संगठनों के साथ वार्त्ता आरंभ करना है। यह भी समझा जाता है कि इस मंच के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद है।

प्रश्नपत्रों का लीक होना

1378. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री मोहन रावले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्य प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली कैट के प्रश्नपत्रों के लीक करने में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) प्रश्न पत्रों को लीक करने के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यरो ने प्रश्न पत्रों के लीक करने में लिप्त गिरोह का भण्डाफोड़ किया है। यह पाया गया कि सर्वश्री अरुण कुमार, कुमार सुमन सिंह, मनोज कुमार तथा हरि शंकर चौधरी ने आपस में मिलकर एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों का साथ लेकर इस साजिश को अंजाम देते हुए चोरी से अथवा आपराधिक विश्वास भंग कर कैट के प्रश्न पत्र प्राप्त किए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक नियमित मामला दर्ज किया है।

(च) मंत्रालय ने भी श्री वी.के. शुंगलु, भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति प्रश्नपत्रों के लीक होने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों तथा प्रणाली की विफलता की जांच करेगी; प्रश्न पत्रों को लीक करने में लिप्त व्यक्तियों/एजेन्सी की जवाबदेही तय करेगी तथा कैट परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली की जांच करेगी तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय सुझाएगी।

अन्य पिछड़े वर्ग हेतु रोजगार के अवसर

1379. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों स्वायत्त कार्यालयों, अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अ.पि. वर्ग के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह क और ख में उनकी अपेक्षित संख्या से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में कुल 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं और इन पदों पर नियुक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय में स्वीकृत संख्या के साथ-साथ समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में नियुक्त अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों पर भर्ती करते समय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी उपाय किये जाते हैं।

(ङ) और (च) मंत्रालय के अधीन कोई अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त प्राधिकरण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों से संबंधित स्थिति तथा इन वर्गों में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में समूह 'क', 'ख' 'ग' और 'घ' में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला ब्यौरा

पदों का समूह	स्वीकृत संख्या	कर्मचारियों की वर्तमान संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों के प्रतिशत के तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी
समूह 'क'	239	91	15	16.48%
समूह 'ख'	213	193	3	1.55%
समूह 'ग'	372	194	11	5.67%
समूह 'घ'	205	186	7	3.76%

विवरण II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों की संख्या और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या

पदों का समूह	भरे गए पदों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों के प्रतिशत के तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी
समूह 'क'	22	2	9%
समूह 'ख'	5	1	20%
समूह 'ग'	216	52	24%
समूह 'घ'	5	1	20%

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की कार्यक्रम/परियोजनाएं

1380. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) द्वारा आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन आरंभ किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं का आज तक, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने कार्यक्रम/परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और कितने अगले वर्ष आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई तथा कितनी राशि इन पर खर्च की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में वाणिज्यीकरण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए लाइसेंस प्रदान किये हैं। ये प्रौद्योगकियां क्लोरोस्कोप, कोयले के शुष्क शुद्धिकरण के लिए मोबाईल फोर चैनल मोड्यूलर रडार प्रणाली, 4-अक्षीय सीएनसी कटर तथा टूल ग्राइंडर, भेषजीय अपशिष्ट के लिए अवायवीय रिएक्टर प्रणाली, फरफ्यूरिल एल्कोहल, ऑटो रस्ट एंड स्केल एनीहिबीटर, प्लेटीनाईजड टिटेनियम एनोड्स, इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डाईआक्साईड, वायु सूक्ष्मजैविक निस्यंदक, एम्फोटेरेसिन-बी, पेय जल की सूक्ष्मजैविक गुणवत्ता के लिए परीक्षण किट, रीसॉर्सीनॉल तथा डाइवर्स रिफ्लैक्सिस सिस्टम से संबंधित है। इन प्रौद्योगिकियों के लिए लाइसेंस सन् 2000 में 9 लाइसेंसधारियों को, सन् 2001 में 1 लाइसेंसधारी को, सन् 2002 में 2 लाइसेंसधारियों को, सन् 2003 में 1 लाइसेंसधारी को लाइसेंस दिए गए। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने आंध्र प्रदेश में 22 संगठनों को ''इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया ट्रेनिंग पैकेज' विषय पर एक सीडी उपलब्ध कराते हुए बौद्धिक संपदा अधिकारी (आईपीआर) जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता की है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने ऐसे बच्चों, जो देखने में असमर्थ हैं, को शिक्षित करने के लिए ''एक बहुमुखी स्पर्शनीय ड्राइंग बोर्ड के विकास'' के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद को पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के ग्रामीण प्रौद्यगिकी प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात् ''ग्रामीण विकास संगठन, तिरूपति'' और ''एशिया अकादमी, हैदराबाद'' ने गत तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रसार और प्रदर्शन के कार्य करना जारी रखे।

(ख) इलैक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डाइआक्साइड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक परियोजना, जिसके लिए उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा लाइसेंस दिया गया था, के कार्यान्वयन में काफी अधिक प्रगति हो चुकी है और अगले वर्ष तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश राज्य में विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए अगले वर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एक व्यावसायिक संगठन है, न कि एक निधीयन अभिकरण है, इसलिए इसने आंध्र प्रदेश राज्य सहित किसी राज्य के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं रखी है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

1381. डा. जसवंतसिंह यादवः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन में जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई है जबकि यह भारत में निरंतर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त उपाय अपनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। चीन में जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई है। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। परिवार नियोजन सेवाओं तक उन्नत पहुंच और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े उपाय अपनाने के कारण 1960 के दशक के शुरू में चीन की प्रजनन दर कम होना शुरू हो गई थी। इसके विपरीत भारत में 1970 और 1980 के दशक में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई जिसने प्रजनन जोन में आयु वर्ग को बढ़ाया है। इससे देश की जनसंख्या वृद्धि में कमी धीमी गति से हुई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि कठोर (कोअर्सिव) उपायों को लागू करना न ही तो व्यावहारिक है और न ही विवेकपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, केरल, गोवा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता से पता चला है कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कठोर उपाय (कोअर्सिव) अनावश्यक नहीं हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का बैंकों के साथ समझौता

1382. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने वाणिज्यिक बैंकिंग हेतु साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बैंकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त करने हेतु बैंकों के लिए एक निम्न लागत वाले एटीएम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंक इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार और प्रयोग करने के लिए आगे आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने वाणिज्यिक बैंकिंग हेतु साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बैंकों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा बैंकों हेतु कम लागत वाली एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ए.टी.एम.) बनाई जा रही है। इस मशीन को तैयार करने में आई.सी.आई.सी.आई. संस्थान की सहायता कर रहा है। कुछ और बैंकों ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित प्रस्ताव

1383. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निकटतम राष्ट्रीय राजमार्गों से ऐतिहासिक विरासतों (विश्व विरासत) को जोड़ने के प्रस्तावों सहित सरकार के पास लंबित दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव सरकार के पास कब से लंबित है;

(ग) इन प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्य	लंबित प्रस्तावों की संख्या	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लंबित हैं	
			3 महीने से कम	3 महीने से अधिक
कर्नाटक	14	11.39	13	1
केरल	12	20.13	10	2
आंध्र प्रदेश	19	56.13	14	5
तमिलनाडु	24	31.08	17	7
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ऐतिहासिक स्मारकों (विश्व धरोहर) को निकटतम राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) त्रुटिपूर्ण पाए गए प्रस्तावों की मंजूरी के लिए संबधित राज्यों से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाता है।

इराक के लिए रणनीति बनाना

1384. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा इराक में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का ब्यौरा क्या है और इस पर भारत का रुख क्या है;

(ग) क्या भारत, चीन और रूस ने युद्ध-पीड़ित इराक के लोगों की संप्रभुता की पुनः बहाली हेतु एक संयुक्त रणनीति बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईराक में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र आम सभा के समक्ष नहीं उठाया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने (22 मई, 2003 को) 1483 (और 16 अक्तूबर, 2003 को) 1511 संकल्प अपनाए गए जिसमें निहित है कि संयुक्त राष्ट्र को ईराक में केन्द्रीय भूमिका निभानी चाहिए।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संकल्प 1483 और 1511 इस बात की पुष्टि करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को मानवीय राहत, आर्थिक पुनर्गठन और ईराक में प्रतिनिधि सरकार के संस्थानों को पुनः आरंभ करने और स्थापित करने के प्रयासों जैसे क्षेत्रों सहित ईराक में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने इन दोनों संकल्पों का स्वागत किया है क्योंकि इनमें ईराक के युद्धोपरांत पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, ईराक की प्रभुसत्ता की पुनः पुष्टि और ईराकी जनता की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करने के प्रति सकारात्मक कार्रवाई करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 58वें सत्र के दौरान 23 सितम्बर, 2003 को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। इसमें ईराक की परिस्थिति को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हित-चिंता के अनेक मामलों पर चर्चा हुई। तीनों देशों द्वारा कोई संयुक्त रणनीति नहीं तैयार की गई। हालांकि कुछ पक्षों के संबंध में मोटे तौर पर विचारों में समानता व्यक्त की गई। तीनों पक्षों ने यह विचार व्यक्त किया कि ईराक में राजनैतिक और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और ठोस और समेकित होनी चाहिए। यह मानते हुए कि सैन्य समाधान की तुलना में इस संकट का निवारण राजनैतिक होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईराकी जनता की प्रभुसत्ता पुनः स्थापित करने और ईराकी जनता द्वारा उनका राजनैतिक भविष्य स्वयं निर्धारित किये जाने के अधिकार हेतु स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आस्ति कंपनियों के लिए दिशानिर्देश

1385. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश संबंधी सचिवों के कोर ग्रुप ने बिक्री प्रक्रिया, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद समाप्त हो गई लगती थी, को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय आस्ति कंपनियों हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम जैसे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश संबंधी कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। विनिवेश संबंधी सचिवों का प्रमुख दल प्रगति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है तथा विनिवेश के मामलों की सिफारिश विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति को करता है, जो अंतिम निर्णय लेती है।

पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना

1386. श्री अनन्त नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश के पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए विभिन्न आवेदकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हैं बशर्ते उन्हें संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की वांछनीयता के साथ अपनी भावी योजना को ध्यान में रखे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को धनराशि का आबंटन

1387. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में चल रहे प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शासी निकाय के चेयरमैन के चयन के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए अधिक अथवा कम एक जैसे लाभ सुनिश्चित करती है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आने वाले दिनों में संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना कैसे सुनिश्चित करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन विजिटर (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा की जाती है। परम्परानुसार, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरी-उद्योग से जुड़े किसी लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति को ही अध्यक्ष पद हेतु मनोनीत किया जाता है।

(ग) भारतीय प्रौद्यगिकी संस्थान के संकाय तथा गैर संकाय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें एक समान हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक नया वित्तपोषण तंत्र लागू किया गया है जो कार्यनिष्पादन पर आधारित होगा। इस नए वित्तपोषण तंत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या, शोध परिणाम, कार्य निष्पादन, आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य बातों पर विचार करते हुए अनुदान निर्धारित किये जाते हैं ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के उच्च स्तरों को बनाए रखा जा सके। इस वित्तपोषण तंत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्य निष्पादन तथा कार्यकुशलता की नियमित मॉनीटरिंग हेतु एक अंतर्निहित प्रणाली है।

विवरण

वर्ष 2000-2001, 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान

योजनागत अनुदान

(रु. लाख में)

संस्थान का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 नवम्बर, 2003 तक
1	2	3	4	5
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	1800.00	1800.00	200000	1500.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	1800.00	1800.00	2000.00	1000.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	1800.00	1800.00	2000.00	2000.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	1800.00	1800.00	2000.00	1500.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	1800.00	1800.00	2000.00	1500.00

1	2	3	4	5
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	8500.00	3060.00	7402.00	500.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	0.00	1219.00	5000.00	1000.00

योजनेत्तर अनुदान

(रु. लाख में)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	5370.00	7350.00	7200.00	5400.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	660000	6930.00	7000.00	5050.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	6300.00	6615.00	6800.00	4200.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर	8230.00	7273.00	7000.00	4850.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	6500.00	6825.00	6825.00	5106.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	–	–	1480.00	750.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	0.00	3478.00	5200.00	2600.00

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विशेष उद्देश्यों हेतु तथा भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव

1388. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने 23 नवम्बर, 2003 को अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तान की सशस्त्र सेना को ईद-उल फितर से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के आदेश जारी किए गए हैं।

(ग) भारत ने 24 नवम्बर, 2003 को पाकिस्तान के निर्णय का स्वागत किया और यह घोषणा की कि वह सकारात्मक कार्रवाई करेगा। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्थायी आधार पर पूर्ण युद्धविराम के लिए नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को समाप्त करना होगा। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने सियाचिन में वास्तविक भू स्थिति रेखा पर युद्धविराम का भी

प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात् दोनों देशों के सेना संचालनों के महानिदेशक जम्मू और कश्मीर में 25 नवम्बर, 2003 की आधी रात से अन्तरराष्ट्रीय सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और वास्तविक भू स्थिति रेखा पर युद्धविराम के लिए सहमत हो गए।

विद्यालय पाठ्यक्रम में जादू-टोना और सम्मोहन को शामिल किया जाना

1389. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
श्री सुनील खां:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्यालय पाठ्यक्रम में जादू-टोना और सम्मोहन को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अंधविश्वास और रुढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए करीब छः करोड़ रुपये व्यय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हासिल की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

देश में कुपोषण

1390. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुपोषण को समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों ने कोई अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार व्यापक जांच के माध्यम से ऐसे समूहों की पहचान करना है जिनके कुपोषण का शिकार होने की संभावना बनी रहती है और कुपोषण के शिकार लोगों के लिए लक्षित भोजन की प्रतिपूर्ति किये जाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल किए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कुपोषण का वर्तमान स्तर क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में निर्धन या सुभेद्य समूह के पोषण स्तर को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य-वार क्या उपलब्धि हासिल की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से चलाए जा रहे विविध क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप बच्चों और वयस्कों दोनों के कुपोषण के स्तर में काफी कमी आयी है। स्कूल-पूर्व बच्चों में अल्पपोषण 1975-79 के 77 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत आ गया है, जबकि वयस्कों में चिरकालिक ऊर्जा की कमी इसी अवधि के दौरान 55.6 प्रतिशत से घटकर 28.6 प्रतिशत हो गयी है।

लागू नहीं। तथापि, सरकार पहले से ही राष्ट्रव्यापी समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक एवं किशोरियों के लिए प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से कमजोर वर्गों की पहचान कर रही है तथा अल्पपोषित कमजोर वर्गों को पूरक खाद्य एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में देश के 5652 ब्लॉको में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 4930 परियोजनाएं परिचालित हैं और 4.15 करोड़ लाभार्थियों, जिनमें 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं, को पूरक खाद्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुवीक्षण किया जाता है और ग्रेड III तथा IV के अल्पपोषण से प्रभावित बच्चों को बाल देखभाल के साथ-साथ पूरक खाद्यों की दुगनी मात्रा दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक के अंतर्गत, 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के अल्पपोषित बच्चों को पोषक पूरक खाद्य उपलब्ध कराये जाते हैं। किशोर लड़कियों के लिए प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 51 पिछड़े जिलों में 35 किलोग्राम से कम वजन की अल्पपोषित किशोर लड़कियों और 40 किलोग्राम से कम वजन वाली अल्पपोषित गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को हर माह 6 किलोग्राम गेहूं/चावल दिया जाता है।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) निर्धन एवं कमजोर वर्गों के पोषाहारीय स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने गत 5 वर्षों के दौरान मौजूदा कार्यक्रमों

के सुदृढ़ीकरण के अलावा अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। गत 5 वर्षों में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का पोषाहार घटक, किशोर लड़कियों के लिए प्रायोगिक परियोजना, अन्तोदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, निर्धन लोगों हेतु कल्याणकारी संस्थानों को कम कीमत पर खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन स्कीम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कुछ ऐसी स्कीमें हैं, जिन्हें गत 5 वर्षों में सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

बच्चों एवं महिलाओं में अल्पपोषण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत*			18.5 (कि.ग्रा.) से कम वजन वाली ब.म.स. महिलाएं
		कम वजनी	रुद्ध विकास	क्षीणताग्रस्त	
1	2	3	4	5	6
	भारत	47.0	45.5	15.5	35.8
	नॉर्थ				
1.	दिल्ली	34.7	36.8	12.5	12.0
2.	हरियाणा	34.6	50.0	5.3	25.9
3.	हिमाचल प्रदेश	43.6	41.3	16.9	29.7
4.	जम्मू व कश्मीर	34.5	38.8	11.8	26.4
5.	पंजाब	28.7	39.2	7.1	16.9
6.	राजस्थान	50.6	52.0	11.7	36.1
	केन्द्रीय				
7.	मध्य प्रदेश	55.1	51.0	19.8	38.2
8.	उत्तर प्रदेश	51.7	55.5	11.1	35.8
	पूर्व				
9.	बिहार	54.4	53.7	21.0	39.3
10.	उड़ीसा	54.4	44.0	24.3	48.0
11.	पश्चिम बंगाल	48.7	41.5	13.6	43.7
	उत्तर पूर्व				
12.	अरुणाचल प्रदेश	24.3	26.5	7.9	10.7
13.	असम	36.0	50.2	13.3	27.1
14.	मणिपुर	27.5	31.3	8.2	18.8
15.	मेघालय	37.9	44.9	13.3	25.8

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	27.7	34.6	10.2	22.6
17.	नागालैंड	24.1	33.0	10.4	18.4
18.	सिक्किम	20.6	31.7	4.8	11.2
	पश्चिम				
19.	गोवा	28.6	18.1	13.1	27.1
20.	गुजरात	45.1	43.6	16.2	37.0
21.	महाराष्ट्र	49.6	39.9	21.2	39.7
	दक्षिण				
22.	आंध्र प्रदेश	37.7	38.6	9.1	37.4
23.	कर्नाटक	43.9	36.6	20.0	38.8
24.	केरल	26.9	21.9	11.1	18.7
25.	तमिलनाडु	36.7	29.4	19.9	29.0

*आयु के लिए वजन द्वारा अल्पवजन का निर्धारण, आयु के लिए ऊंचाई द्वारा रुद्ध विकास का निर्धारण, ऊंचाई के लिए वजन द्वारा क्षीणता का निर्धारण। अल्पवजनी बच्चे वे बच्चे हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत इन्टरनेशनल रेफरेन्स पापूलेशन के माध्यमों में दो मान्य भिन्नताएं रखते हैं।

+ बॉडी मास संसूचक

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (रा.प.स्वा.स. 2) 1998-99

होमियोपैथी दवाओं के लिए आवंटन

1391. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होम्योपैथी दवाओं के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार का आबंटन सिर्फ 1 प्रतिशत ही रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को धनराशि को बढ़ाने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की शुरुआत करने हेतु आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति को ऋण प्रदान करने हेतु कर्नाटक के लिए इसकी योजना हेतु धनराशि बढ़ाने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सम्पूर्ण 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के संवर्धन हेतु 775 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। होम्योपैथी अथवा किसी अन्य पद्धति के लिए अनन्य रूप से विशेष प्रतिशतता निश्चित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) विनिर्दिष्ट केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के उत्तर में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, परंतु धनराशि बढ़ाने हेतु सामान्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सरकार की ऐसी कोई स्कीम या प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 204 और 211 का निर्माण

1392. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय 'सुपर हाइवे' संख्या 204 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 204 और 211 किन-किन राज्यों से होकर गुजरते हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 204 रत्नागिरि और कोल्हापुर जिलों से तथा राष्ट्रीय राजमर्ग संख्या 211 कोल्हापुर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बीड़, चालीस गांव और धुले जिलों से गुजरता है।

[अनुवाद]

जे.एन.पी.टी. द्वारा ऋणों का पूर्व भुगतान

1393. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे.एन.पी.टी. को कतिपय ऋणों के पूर्व भुगतान के लिए बाजार से बड़ी मात्रा में ऋण लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जे.एन.पी.टी. को दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्तन न्यास द्वारा विश्व बैंक ऋण का पहले भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या खुले बाजार में ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निवेश के लिए विश्व बैंक ऋण लेने से जुड़ी समस्याएं क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) से (ङ) जी हां। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को यह अधिकार दिया गया है कि वह कम ब्याज दरों पर वाणिज्यिक उधार के द्वारा भारत सरकार/वर्ल्ड बैंक को 31.3.2003 तक के ऋण बकाया की मूल राशि का पूर्व भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रु. एकत्रित करें। विद्यमान ऋण पर ब्याज की उच्च्व दर लागू है तथा यह आशा की जा रही है कि पत्तन 5 से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार ले सकेगा।

(च) अन्य एजेन्सियों जैसे मुंबई पत्तन, कांडला पत्तन से ऋण तथा भारत सरकार से बजटीय सहायता के साथ पत्तन परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 11.5% (तत्कालीन दर) पर 328.16 करोड़ रु. प्रारम्भिक ऋण के रूप में लिए गए थे। वर्ल्ड बैंक को पूर्व भुगतान करने का वर्तमान निर्णय केवल ऋण की ब्याज दर में कमी के कारण ऋण सेवा लागत में बचत करने के लिए लिया गया है। यह पूर्ण रूप से वर्तमान वित्तीय प्रवृत्तियों के आधार पर लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय है।

प्रतिबंधित औषधियों का प्रयोग

1394. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान किन-किन औषधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) क्या कुछ प्रतिबंधित औषधियों (विश्व भर में प्रतिबंधित औषधियां यथा अजटेमिजोल टेरफानाडाइन, निमेसुलिड आदि का अभी भी प्रयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कड़े प्रतिबंध के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान निषेध किए गए औषध योगों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) अप्रैल 2003 से औषध एस्टेमिजोन और टेरिफिनेडाइन को निषेध कर दिया गया है। तथापि, देश में निमेसुलाइड की युक्तिसंगतता और उपयोग की सम्यक जांच करने के पश्चात इसे बेचे जाने की अनुमति दी जाती है। विश्व के बहुत सारे देशों में इस औषध का विपणन किया जा रहा है।

(घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्रतिषिद्ध औषधों के निर्माण और बिक्री एक अपराध है और इसके उपबन्धों के अंतर्गत दंडनीय है।

विवरण

प्रतिषिद्ध औषधों के नाम

(1) निट्रोफ्यूरेन्ट्रायन और ट्रिमेयोप्रिम की नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(2) किसी दमा-रोधी औषध के साथ फेनोबोर्बीटोन कानियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(3) हियोसिन और/अथवा हियेसिएमाइन के साथ फेनोबार्बीटोन का नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(4) इर्गोटिमाइन और/अथवा बेलाडोना सहित फेनोबार्बीटोन का नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(5) प्रोपेथेलाइन ब्रोमाइड सहित किसी कोलिनर्जिक रोधी अभिकारक सहित नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(6) मेट्रोनिजेडोल सहित एमीबिया-रोधी औषधों सहित नेलिडिक्सिक अम्ल का नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(7) फुरेजोलिडोन सहित लोपेरेमाइड हाइड्रोक्लोरायड का नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(8) लिसाइन अथवा पेपटोन सहित सिप्रोडेप्टाडाइन का नियत खुराक वाला सम्मिश्रण

(9) एस्टेमिजोल

(10) टर्मिनेडाइन

(11) फेनफार्मिन

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाएं

1395. **श्री सुरेश रामराव जाधवः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (नेशनल मेडीकल प्लान्ट्स बोर्ड) औषधीय पौधों के उत्पादन और व्यापार में कितना सफल रहा है;

(ख) इस समय बोर्ड के पास कितनी परियोजनाएं लबित हैं;

(ग) इन्हें स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों के कारण 10,500 एकड़ भू-क्षेत्र में गत दो वर्षों में/शुरुआत से औषधीय पादपों का आच्छादन किया गया है।

(ख) से (घ) 15 दिसम्बर, 2003 को आयोजन के लिए निर्धारित परियोजना विषय निर्वाचन समिति की दूसरी बैठक के समक्ष बोर्ड के पास लंबित एक सौ नब्बे परियोजनागत प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिशु-गृह निधि योजना

1396. **श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में 'राष्ट्रीय शिशु-गृह निधि योजना, 1994' के क्रियान्वयन के माध्यम से शिशु-गृह की बढ़ती मांग को पूरा कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने शिशु-गृहों का निर्माण किया गया; और

(ग) देश में राज्य-वार कितने अनु.जा./अनु.ज.जा. के व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) राष्ट्रीय शिशु गृह कोष 19.99 करोड़ रुपये की समग्र निधि से 1994 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिशु गृह कोष स्कीम से सहायता समग्र निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज में से दी जाती है। गत दो/तीन वर्षों में सावधी जमा राशि पर ब्याज दर में गिरावट आयी है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र निधि पर आय में भारी कमी आयी है, और तदनुसार शिशु गृहों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह कोष की क्षमता में भी कमी आयी है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत अबतक 4885 शिशु गृह स्वीकृत किये गये हैं। शिशु गृहों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय शिशु गृह कोष स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत शिशु गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1291
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	280
4.	बिहार	104
5.	दिल्ली	10
6.	गोवा	8
7.	गुजरात	79
8.	हरियाणा	269
9.	हिमाचल प्रदेश	38
10.	जम्मू व कश्मीर	–
11.	कर्नाटक	177
12.	केरल	20
13.	मध्य प्रदेश	26
14.	महाराष्ट्र	400
15.	मणिपुर	29
16.	मेघालय	8
17.	मिजोरम	8
18.	नागालैण्ड	8
19.	उड़ीसा	260
20.	पंजाब	36
21.	राजस्थान	76
22.	सिक्किम	8
23.	तमिलनाडु	377
24.	त्रिपुरा	8
25.	उत्तरांचल	180
26.	उत्तर प्रदेश	368
27.	पश्चिम बंगाल	594
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4
29.	चण्डीगढ़	5
30.	दादर व नगर हवेली	4
31.	दमन व दीव	4
32.	लक्षद्वीप	4
33.	पाण्डिचेरी	4
	कुल	4,885

[अनुवाद]

कोरोनेरी स्टेन्ट्स/उपकरणों का आयात

1397. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका से रक्तवाहिका स्टेन्ट्स और चिकित्सा उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये वस्तुएं पंजीकृत आयात में आती है और क्या इनका आयात सरकार की देखरेख में किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन चिकित्सा उपकरणों के आयात को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से रक्तवाहिका स्टेन्ट्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों का आयात किया जा रहा है क्योंकि भारत में इनका निर्माण अभी हाल ही में शुरू किया गया है और इस समय इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कार्डियक कैथेटर्स का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर प्रतिबन्ध

1398. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के कतिपय राज्यों ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन प्रतिबन्धों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) भारत द्वारा विभिन्न देशों को प्रदान की गयी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं की देशवार अनुमानित राशि कितनी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूजर्सी, वाशिंगटन, मिसौरी कनेक्टिकट राज्यों ने अमेरिका से बाहर के संगठनों को राज्य स्तर के अनुबंध देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधायी प्रस्ताव लाए गए हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं बना है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नेसकॉम) इस स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। यह विधेयक पारित हो जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे निर्यात पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को भारत से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर के निर्यात नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	देश	सॉफ्टवेयर निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर)	कुल सॉफ्टवेयर निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर)
2000-2001	अमेरिका/कनाडा	3.71	8.2
	यूरोपीय संघ	1.33	
	अन्य देश	3.16	
2001-2002	अमेरिका/कनाडा	4.91	10.0
	यूरोपीय संघ	1.79	
	अन्य देश	3.30	
2002-2003	अमेरिका/कनाडा	6.13	12.7
	यूरोपीय संघ	2.19	
	अन्य देश	4.38	

औषधियों का पंजीयन

1399. श्री भास्करराव पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर 2003 तक सरकार द्वारा अग्रिम अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध औषधियों के पंजीयन के संबंध में जून 2003 की अधिसूचना का कार्यान्वयन नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विलंब के कारण औषधि इकाईयां द्वारा विलंब शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एड्स/एच.आई.वी. के मामले

1400. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में एचआईवी/एड्स के बढ़ते मामलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2010 तक एचआईवी/एड्स के मामले के संबंध में कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। देश में एच आई वी संक्रमण के फैलाव और व्याप्ततता का मूल्यांकन करने हेतु सन 1998 से भारत सरकार प्रति वर्ष राष्ट्र व्यापी प्रहरी निगरानी दौर आयोजित करती है जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को शामिल (कवर) किया जाता है। ये प्रहरी स्थल, यौन संचारित रोग क्लीनिकों के परिचरों, टीके के रूप में औषध प्रयोक्ताओं, देह व्यापार करने वालों और ऐसे पुरुष से यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों सरीखे जनसंख्या के उच्च जोखिम वाले वर्ग और निम्न जोखिम वाली जनसंख्या अर्थात प्रसवपूर्ण क्लीनिकों में कार्य करने वाली महिलाओं के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। एच आई वी संक्रमण की राज्यवार व्यापतता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केवल अल्पकालिक अनुमान लगाये जाते हैं जो एच आई वी प्रहरी निगरानी के वार्षिक तौर से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते हैं। वर्ष 2002 में 384 स्थलों पर एक ऐसा दौर चलाया गया था। इन आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि देश के 3.82 मिलियन से 4.58 मिलियन एचआईवी संक्रमित रोगी हैं।

विवरण

एचआईवी व्याप्तता स्तर राज्य-वार : 1998-2002

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2002 में स्थानों की संख्या	एचआईवी व्याप्तता दर 1998(%) (180 स्थान)	एचआईवी व्याप्तता दर 1999(%) (180 स्थान)	एचआईवी व्याप्तादर 2000(%) (232 स्थान)	एचआईवी व्याप्तता दर 2001(%) (320 स्थान)	एचआईवी व्याप्तता दर 2002(%) 384 स्थान)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	एसटीडी 8	24.90	29.50	30.00	26.00	30.40
		एएनसी 14	2.25	2.60	2.00	1.50	1.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	एसटीडी 4	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
		एएनसी 2	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	एसटीडी 5	2.10	2.40	0.61	1.49	0.75
		एएनसी 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	एसटीडी 8	1.35	0.60	0.50	1.20	1.60
		एएनसी 7	0.00	0.00	0.10	0.13	0.25
5.	छत्तीसगढ़	एसटीडी 3	—	—	—	1.40	0.80
		एएनसी 5	—	—	—	0.33	0.25
6.	दिल्ली	एसटीडी 4	1.60	0.80	3.26	4.65	3.23
		एएनसी 4	0.25	0.30	0.25	0.13	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8
		आईडीयू 1	—	—	5.00	2.40	7.20
7.	गोवा	एसटीडी 2	19.40	13.50	12.02	15.00	11.29
		एएनसी 2	1.20	0.80	1.17	0.50	1.38
		सीएसडब्ल्यू 1	—	—	53.20	50.79	24.00
8.	गुजरात	एसटीडी 8	2.50	6.70	4.65	4.14	6.17
		एएनसी 8	0.00	0.40	0.50	0.50	0.38
9.	हरियाणा	एसटीडी 5	2.60	5.30	2.75	1.08	1.14
		एएनसी 4	0.00	0.00	0.00	0.41	0.38
10.	हिमाचल प्रदेश	एसटीडी 5	2.00	0.40	0.40	0.26	0.40
		एएनसी 7	0.36	0.30	0.89	0.13	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	एसटीडी 2	1.83	1.20	0.40	0.80	0.95
		एएनसी 3	0.00	0.00	0.12	0.25	0.08
12.	झारखण्ड	एसटीडी 3	—	—	—	0.25	0.13
		एएनसी 6	—	—	—	0.08	0.00
13.	कर्नाटक	एसटीडी 7	16.70	15.50	12.80	16.40	13.60
		एएनसी 10	1.75	1.00	1.68	1.13	1.75
		आईडीयू 1	—	1.30	4.23	2.00	2.26
14.	केरल	एसटीडी 4	2.60	3.20	5.20	6.42	2.45
		एएनसी 4	0.10	0.00	0.00	0.08	0.38
15.	मध्य प्रदेश	एसटीडी 10	3.50	0.20	1.60	2.69	2.35
		एएनसी 13	0.00	0.30	0.12	0.25	0.00
16.	महाराष्ट्र	एसटीडी 9	16.00	20.00	18.40	9.20	7.60
		एएनसी 14	2.00	2.10	1.12	1.38	1.25
17.	मुम्बई	एसटीडी 3	—	—	33.33	21.06	14.84
		एएनसी 6	—	—	2.00	2.25	0.75
		आईडीयू 1	—	—	23.68	41.37	39.42

1	2	3	4	5	6	7	8
		एमएसएम 1	—	—	23.94	23.60	16.80
		सीएसडब्ल्यू 1	—	—	58.67	52.26	54.50
18.	मणिपुर	आईडीयू 3	70.70	48.80	64.34	56.26	39.06
		एसटीडी 2	4.15	12.00	11.60	10.50	9.60
		एएनसी 10	0.75	2.30	0.75	1.75	1.12
19.	मेघालय	आईडीयू 1	0.00	0.00	1.41	1.39	0.00
		एसटीडी 2	0.13	0.30	0.00	0.00	0.90
		एएनसी 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	आईडीयू 1	1.00	1.50	9.61	2.00	1.60
		एसटीडी 2	1.49	0.76	2.00	2.20	2.60
		एएनसी 3	0.48	0.48	0.37	0.33	1.50
21.	नागालैंड	आईडीयू 3	13.20	7.60	7.03	5.50	10.28
		एसटीडी 1	11.10	4.40	6.90	7.40	2.42
		एएनसी 4	0.70	1.30	1.35	1.25	1.25
22.	उड़ीसा	एसटीडी 8	2.86	1.20	2.60	0.80	0.80
		एएनसी 4	0.00	0.10	0.27	0.25	0.25
23.	पंजाब	एसटीडी 3	0.00	2.00	0.80	1.61	1.60
		एएनसी 4	0.00	0.40	0.00	0.40	0.49
24.	राजस्थान	एसटीडी 7	5.20	3.20	2.84	4.00	6.00
		एएनसी 6	0.00	0.30	0.25	0.00	0.50
25.	सिक्किम	एसटीडी 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एएनसी 2	0.13	0.10	0.00	0.00	0.13
26.	तमिलनाडु	एसटीडी 11	16.30	10.40	16.80	12.60	14.7
		एएनसी 10	1.00	1.00	1.00	1.13	0.88
		आईडीयू 1	—	—	26.70	24.56	33.80
		एमएसएम 2	—	—	4.00	2.40	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	त्रिपुरा	एसटीडी 2	0.00	0.80	1.34	3.20	1.40
		एएनसी 1	—	—	—	0.25	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	एसटीडी 17	1.60	0.60	1.80	0.90	0.80
		एएनसी 17	0.24	0.00	0.12	0.00	0.25
29.	उत्तरांचल	एसटीडी 4	—	—	—	0.40	0.26
		एएनसी 3	—	—	—	0.00	0.23
30.	पश्चिम बंगाल	एसटीडी 8	0.40	1.40	1.96	0.60	0.47
		एएनसी 9	0.62	0.10	0.50	0.13	0.00
		आईडीयू 1	—	—	—	—	1.50
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एसटीडी 2	1.20	0.40	1.20	1.20	2.60
		एएनसी 3	0.00	0.00	0.25	0.16	0.00
32.	चण्डीगढ़	एसटीडी 2	2.95	1.80	3.35	3.78	0.80
		एएनसी 1	0.47	0.80	0.00	0.00	0.25
33.	दादर एवं नगर हवेली	एसटीडी 0	0.00	0.00	—	—	—
		एएनसी 1	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00
34.	दमन एवं द्वीव	एसटीडी 0	0.00	0.00	—	0.00	—
		एएनसी 2	0.13	0.00	0.00	0.25	0.22
35.	लक्षद्वीप	एसटीडी 1	0.00	0.00	0.00	—	0.00
		एएनसी 2	0.60	0.00	0.00	—	0.00
36.	पांडिचेरी	एसटीडी 3	7.20	5.80	4.14	2.0	2.02
		एएनसी 2	0.50	0.90	0.25	0.25	0.25

[अनुवाद]

त्रिपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना

1401. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति लाख की जनसंख्या पर चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह जनसंख्या वृद्धि दर के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है;

(घ) क्या प्रसाद राव समिति ने त्रिपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते अस्पतालों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारें द्वारा उनकी नीतियों के अनुसार विनियमित की जाती है। स्थापित किए जाने वाले अस्पतालों की संख्या के संबंध में केन्द्र स्तर पर राज्यवार, वर्षवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में चिकित्सा कालेजों की स्थापना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा विनियमित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्थापित किए गए नए चिकित्सा कालेजों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य का नाम	अनुमति दिए गए चिकित्सा कालेजों की संख्या		
	2001	2002	2003 (9.12.2003 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	–	5	6
छत्तीसगढ़	1	–	–
दिल्ली	–	1	–
गुजरात	–	1	1
हरियाणा	–	1	1
कर्नाटक	2	5	–
केरल	–	4	2
मध्य प्रदेश	1	–	–
महाराष्ट्र	1	–	3
पांडिचेरी	1	2	–
राजस्थान	1	–	–
सिक्किम	1	–	–
तमिलनाडु	–	–	2
उत्तर प्रदेश	2	–	–
उत्तरांचल	–	–	1

(घ) और (ङ) त्रिपुरा राज्य में आवश्यक जन शक्ति की तुलना में मेडिकल सीटों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण समिति ने राज्य में 50 सीटों वाला एक मेडिकल कालेज खोलने की सिफारिश की है। इस समय त्रिपुरा में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। अत: अब त्रिपुरा सरकार को नए मेडिकल कालेज खोलने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार पात्रता एवं योग्यता मानदण्डो को पूरा करने के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई करनी है।

अफगानिस्तान को भारतीय सहायता

1402. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री अम्बरीश:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान ने अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से कतिपय वाहन तथा एम्बुलेन्सों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अफगानिस्तानी सेना के इस्तेमाल के लिए 300 वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत द्वारा भेजे जाने के लिए प्रस्तावित लगभग 150 वाहनों की अफगानिस्तान को सुपुर्दगी देने पर अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में पाकिस्तान से स्वीकृति पाने के लिए कोई चर्चा हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। नई अफगान राष्ट्रीय सेना की स्थापना में हमारे योगदान के भाग के तौर पर भारत सरकार ने 300 वाहनों को उपहार स्वरूप देने का फैसला किया था। इनमें से 115 वाहनों को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) से (च) अफगानिस्तान की अस्थायी इस्लामी राज्य की सरकार के अनुरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने इन वाहनों को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस

1403. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार के लिए लाइसेंस देने हेतु सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निजी कंपनियों से कोई वित्तीय बैंक गारन्टी ली गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने चूककर्त्ताओं ने लाइसेंस शुल्क अदा नहीं की है; और

(ज) इसकी वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्तमान में सरकार ने राष्ट्रीय लम्बी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, एकीकृत अभिगम सेवाओं तथा अन्य विभिन्न मूल्यवर्द्धित सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नीति अपनाई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था को अपनाने के परिणामस्वरूप, समय-समय पर समीक्षा/नवीनीकरण के अध्यधीन एक वर्ष तक विधिमान्यलाईसेंस शुल्क से छह महीने के लाईसेंस शुल्क के बराबर वित्तीय बैंक गारंटी ली जाती है। प्रारंभिक चरण में सेवा की किस्म के अनुसार एक निर्धारित राशि तय की जाती है।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) लाइसेंसधारक द्वारा लाईसेंस शुल्क स्वयं प्रमाणित समयोजित सकल राजस्व के आधार पर प्रत्येक तिमाही पर अदा किया जाता है। लेखों को अंतिम रूप समय-समय पर लेखों की लेखापरीक्षा के आधार पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र के लिए मै. कोसिका टेलीकॉम लि. का सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाईसेंस पिछले दो वर्षों में भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया। फिलहाल मामला विवाचक के समक्ष है। बकाया लाइसेंस शुल्कों की वसूली के लिए रेडियो पेजिंग प्रचालकों की बैंक गारंटियों को भुनाया गया।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

1404. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में अमरीकी वित्तीय सेवा क्षेत्र ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए अमरीकी वित्तीय क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका केन्द्र सरकार द्वारा स्वागत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का भारतीय आई.टी. सेवा क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो यह भारतीय आई.टी. उद्योग के लिए कितनी सहायक रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सेवा क्षेत्र, जो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का एक बड़ा प्रयोक्ता है, ने सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की अपनी आवश्यकताएं आउटसोर्स करने के लिए अत्यधिक तत्परता दर्शाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा बीपीओ निर्यात का एक बड़ा स्थान रहा है। नैसकॉम के अनुमानों के अनुसार वित्तीय सेवा क्षेत्र भारत की कुल सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा बीपीओ निर्यात का 35% है। सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को वित्तीय सेवाओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ आउटसोर्स करने का स्वागत करती है।

(घ) और (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र के साथ सहयोग कर रहे है। ये सहयोग दोनों क्षेत्रों के लिए परस्पर लाभदायक है।

मधुमेह का इलाज

1405. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में भारत के पास मधुमेह के सर्वाधिक रोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बच्चे टाइप 2 मधुमेह से ग्रसित हो रहे हैं जिससे प्राय: वयस्क ग्रसित होते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बच्चों में मधुमेह के प्रसार को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत में इस समय 32 मिलियन लोगों को मधुमेह है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हो रहे बच्चों के संबंध में समुदाय आधारित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, मधुमेह के उपचार कर रहे मधुमेह रोग विशेषज्ञ के क्लिनिकल निष्कर्ष से पता चलता है कि देश में बच्चों में टाइप-2 मधुमेह में वृद्धि हुई है। ऐसा बच्चों में बढ़ रहे मोटापन और तनाव के कारण हो सकता है। चूंकि मधुमेह जीवन शैली से जुड़ा रोग है इसलिए देश में बच्चों और वयस्कों में मधुमेह के नियंत्रण के वास्ते जीवनशैली से संबंधित निवारक उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो सहित सरकार के सूचना, शिक्षा एवं संप्रेक्षण कार्यकलापों के माध्यम से इन उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विलय

1406. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विलय की योजना निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने हेतु दोनों फार्मों को मजबूत बनाने के लिए लायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) विलय की संभावना पर विचार किया गया था। तथापि, इस समय, बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टैरिफ प्रभार

1407. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में दरों को कम करने हेतु बुनियादी फोन सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसका एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के टैरिफ प्रभार निजी आपरेटरों के संबंधित प्रभारों की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की दरों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 5.11.2003 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के 28वें संशोधन आदेश के द्वारा डब्ल्यूएलएल (स्थिर) सहित ग्रामीण स्थिर लाइन सेवा को छोड़कर बुनियादी सेवा (आईएसडीएन के अतिरिक्त) हेतु प्रशुल्क को फारवियर किया गया है। फारबियरेन्स के अन्तर्गत, सेवा प्रदाता ट्राई को सूचित कर प्रशुल्क निर्धारित कर सकते हैं। उक्त आदेश जारी होने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

ने स्थिर लाइन सेवा हेतु अपने प्रशुल्क परिशोधित नहीं किए हैं तथा उनके प्रशुल्क 1.5.2003 से प्रभावी ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा/स्तर से पहले ही कम है।

(ग) और (घ) सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित प्रशुल्क उनके द्वारा उपभोक्ताओं को पेश किए गए विभिन्न टैरिफ पैकेजों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसलिए, सेवा प्रदाताओं के बीच प्रशुल्क की सीधी तुलना व्यवहार्य नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका आर्थिक संबंध

1408. **श्री जी.एस. बसवराजः**
श्री कमलनाथः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्रीमती प्रभा रावः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-श्रीलंका के संयुक्त अध्ययन दल ने दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में व्यापक भागीदारी के समझौते पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर, 2003 में नई दिल्ली में जब दोनो प्रधानमंत्री मिले थे, तब यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई थी;

(ग) यदि हां, तो दोनों नेताओं ने इस समझौते को किस सीमा तक स्वीकार किया है और इस पर हस्ताक्षर के लिए कहां तक सहमति जताई है;

(घ) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) भारत-श्रीलंका आर्थिक समझौता दोनों देशों के लिए किस सीमा तक सहायक होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी हां। आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी करार की स्थापना के लिए सिफारिशें करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया है।

(ख) जी हां। संयुक्त अध्ययन दल के सह-अध्यक्षों ने अपनी सिफारिशें 20 अक्तूबर, 2003 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त अध्ययन दल द्वारा अपनी व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की तत्परता पर संतोष व्यक्त किया तथा यह निदेश दिया कि मार्च, 2004 के अंत तक आर्थिक क्षेत्र में व्यापक भागीदारी करार सम्पन्न करने के लक्ष्य को देखते हुए बातचीत शीघ्र शुरू करें।

(घ) इस करार की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी इस पर बातचीत होने के बाद ही होगी।

(ङ) यह उम्मीद है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यापक भागीदारी करार से दोनों देश सामान और सेवाओं में मुक्त व्यापार तथा संवर्धित निवेश और आर्थिक सहयोग के लाभ शीघ्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इससे दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को तीव्र एवं गहन बनाकर बातचीत के लिए गुणात्मक स्तर तक पहुंचेगे।

गोल्डन ट्रायंगल स्ट्रेटजी

1409. **श्रीमती रेणूका चौधरीः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए एक नई गोल्डन ट्रायंगल स्ट्रेटजी तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी आयुर्वेद औषधियों को साइंटिफिक कोड्स तकनीक और अध्ययनों के अध्यधीन रखा गया है और कितनी औषधियों को आधुनिक दवाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गोल्डन ट्रांयगल स्ट्रेटजी के अंतर्गत इस अभियान के लिए नए सिरे से किस तरह जोर दिया जा रहा है;

(घ) क्या कैंसर विशेषकर रक्त कैंसर के इलाज में कोई आयुर्वेद संपाक फार्मूल्यूशन कारगर साबित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, नई औषधियां विकसित करने हेतु आयुर्वेद में अनुसंधान करने संबंधी गोल्डन ट्रायंगल अवधारणा एक नव विचार है। गोल्डन ट्रायंगल के अन्तर्गत तीनों भागीदार-आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.), और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) मिलजुल कर कार्य करेंगे। अवधारणा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दी गई है, परंतु विस्तृत रणनीतियों, लक्ष्यों और आवश्यक संसाधनों को अभी निश्चित किया जाना है।

(ग) बड़ी संख्या में आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सा संस्थान, अनुसंधान परिषदें उदाहरणार्थ–केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विभिन्न विश्वविद्यालयीन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आयुर्वेद में अनुसंधान कार्य कर रही हैं, लेकिन समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत तीव्र प्रोमायलो साइटिक ल्यूकीमिया के रोगियों में नैदानिक अनुसंधान पर एक बहिर्वर्ती परियोजना प्रारंभ की गई है और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं।

भारत का नाम छोड़ा जाना

1410. **श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस तथ्य की ओर ध्यान दिया था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सत्र में (2003) के अपने संबोधन में, जब वे आतंकवाद से प्रभावित देशों के नाम ले रहे थे, तो उन्होंने भारत का नाम छोड़ दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत के नाम को स्पष्ट रूप से छोड़े जाने की बात को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों की जानकारी में लाने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमेरिकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सितम्बर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में अमरीकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे नगरों के उदाहरण दिये जहां हाल में आतंकवादी घटनाएं घटी और उन्होंने आतंकवाद से पीड़ित किसी विशेष देश का उल्लेख नहीं किया।

(ख) से (घ) अमरीकी प्रशासन ने अनेक अवसरों पर भारत में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की और भारत को आतंकवाद से पीड़ित देश माना। यह भारत में आतंकवाद के स्वरूप और स्रोत को पहचानता है और इसने पाकिस्तान से आह्वान किया है कि वह भारत में सीमा-पार आतंकवाद पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कार्रवाई करे। 29 अक्तूबर, 2003 को एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने अमरीकी कांग्रेस के समक्ष एक साक्ष्य के दौरान विशेष रूप से भारत को आतंकवाद से पीड़ित देश बताया और 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर और अगस्त, 2003 में मुम्बई में हुए दुखद हमलों का उल्लेख किया।

रोग निगरानी प्रणाली

1411. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हाल ही में बीमारियों के प्रसार की भविष्यवाणी करने तथा उसे रोक पाने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में बीमारियों के प्रसार की पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई बीमारी निगरानी प्रणाली है;

(घ) क्या सरकार के पास महामारी आसूचना की कमी समाज के दलित वर्ग के सैंकड़ों लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान राज्य सरकार के अनुरोध पर रोग के प्रकोपों की जांच करता है और उपयुक्त नियंत्रण उपायों का सुझाव देता है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान महामारी संबंधी रोगों की निगरानी और नियंत्रण में जिला स्तरीय स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिसमें रोग के फैलने की आरम्भिक स्थिति में चेतावनी देना भी शामिल है। वर्ष 2003 के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने रोगों के फैलने संबंधी जांच करने में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता की। रोग निगरानी के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1997 में राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसे इस समय देश के 101 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दसवीं योजना अवधि के दौरान सभी जिलों को कवर करने के लिए राज्य आधारित विकेन्द्रीकृत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

पेंसिलीन-जी को आयात पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट

1412. **श्री सईदुज्जमा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज उद्योग संघ आईडीएमए ने पेंसिलीन-जी और इसके सॉल्टों को आयात पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट देने के बारे में डीसीजीआई को अभ्यावेदन दिया है; चूंकि इसे इण्टरमीडिएट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो डीसीजीआई ने इस बारे में क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) औषध महानियंत्रक (भारत) ने पेंसिलिन जी और इसके लवणों को पंजीकरण से संबंधित अपेक्षाओं से छूट देने के बारे में विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार किया। पेंसिलिन 'जी' औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3(ख) के अन्तर्गत एक औषध की परिभाषा के भीतर आने वाली एक औषध है। अत: औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होंगे जिसके अनुसार किसी औषध को आयात के प्रयोजन के लिए पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। इस अभ्यावेदन में यह समाविष्ट किए जाने की मांग की गई है कि क्योंकि इसे अन्य औषधों के निर्माण के लिए एक औषध की तरह नहीं बल्कि इन्टरमीडिएट की तरह उपयोग किया जाता है, इसलिए पंजीकरण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तथापि, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक औषध के रूप में उपयोग की जा सकने वाली औषध का यदि अन्य औषधों के निर्माण के लिए एक कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसके पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

भारतीय पेंसिलिन निर्माता संघ ने एक दलील दी है कि पेंसिलिन 'जी' और इसके लवणों को निम्नलिखित कारणों के लिए पंजीकरण की क्रियाविधि के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए:

1. पेंसिलिन 'जी' औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कवर की जाती है।
2. पेंसिलिन 'जी' के सभी निर्माताओं के पास औषध नियंत्रक द्वारा स्वीकृत पेंसिलिन के लिए निर्माण करने के लिए लाइसेस हैं।
3. पेंसिलिन 'जी' का पेन-जी गोलियों के सीधे निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह विचार व्यक्त किया गया है कि पेंसिलिन 'जी' एक औषध है और यदि इसका अन्य औषधों के निर्माण के लिए इन्टरमीडिएट के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो इसके पंजीकरण की आवश्यकता है।

सरकारी होमियोपैथी चिकित्सा कॉलेजों/अस्पतालों को अनुदान सहायता

1413. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी होमियोपैथी चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल, बंगलौर हेतु अनुदान सहायता स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि जारी की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) 2003-2004 के दौरान सरकारी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज, बंगलौर को अभी तक कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग हेतु रोजगार के अवसर

1414. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/स्वायत्त, सहायक और संबद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वर्गों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकतर मामलों में विशेषकर समूह 'क' और 'ख' में कुल कर्मचारियों की तुलना में अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय में अंतर्गत विभिन्न विभागों स्वायत्त, सहायक और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का विकास

1415. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी वित्तपोषण एजेंसी या बजटीय संसाधनों के द्वारा चेरथाला से कन्याकुमारी तक 200 कि.मी. लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को चार लेनों वाले राजमार्ग में बदलने के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने किस एजेंसी को संभाव्यता अध्ययन का कार्य सौंपा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक के मार्ग को आदर्श मार्ग के रूप में विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त विकास के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय मंजूरी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) तेलीचेरी-माही राष्ट्रीय राजमार्ग के उप-मार्ग कॉरिडोर के लिए भूमि का अधिग्रहण कब तक किए जाने की संभावना है;

(च) परियोजना को पूरी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) क्या तूतीकोरिन से जोड़ने के लिए कटकक्डा-कोटूर-अम्बा समुद्रम होते हुए तिरुवनंतपुरम को थिरूनेलवेली के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) रा.रा. 47 के चेरथाला से कन्याकुमारी खंड को चार लेन का बनाने का फिलहाल कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रा.रा. 17 पर तेलीचेरी-माही बाइपास की कुल लंबाई 18.031 कि.मी. है। 9 कि.मी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

(च) फिलहाल, इस परियोजना के पूरा होने का समय बता पाना संभव नहीं है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य बीमा योजना

1416. श्री सनत कुमार मंडल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के द्वारा विचाराधीन स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति प्रतिक्रिया अच्छी रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य बीमा हेतु निजी कम्पनियों को अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह योजना में सभी लोगों को कहां तक शामिल करेगी;

(ङ) क्या देश में सबसे गरीब लोग भी स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण

1417. श्री राजो सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार और झारखंड में अतिक्रमणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है जहां पर वे निर्मित क्षेत्रों से गुजरते हैं।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं। बिहार सरकार द्वारा संबद्ध

जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को अतिक्रमण और स्पीड-ब्रेकर हटाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

एड्स रोधी टीके

1418. श्री वाई.वी. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स रोधी टीके संबंधी कार्य ने जीव परीक्षण चरण में सकारात्मक परिणाम दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन टीकों के परीक्षण अभी तक मनुष्य पर नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चरण-तीन के परीक्षण कब तक पूरे किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत में दो एचआईवी-1 सब-टाइप सी कंडीडेट एड्स वैक्सीनें विकसित करने की प्रक्रिया में हैं। इनके नाम हैं: (1) प्रधानमंत्री 'जय विज्ञान मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल एचआईवी रेफरेंस सेंटर, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एचआईवी-1 सब-टाइप 'सी' डीएनए वैक्सीन कंडीडेट विकसित की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने धन दिया है। वैक्सीन कंडीडेट का अभी जानवरों में प्रि-क्लिनिकल टॉक्सिसिटी परीक्षण किया जाना है। (2) आईसीएमआर-एनएसीओ तथा आईएवीआई बीच एक त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत विकसित मोडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा मल्टी-इपिटोपे कंडीडेट वैक्सीन। यह कार्य भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की दो संस्थाओं अर्थात् राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे और राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता द्वारा थेरियन बायोलोजिक्स यूएसए के सहयोग से किया जा रहा है। पशु-विषाक्तता इम्यूनोजेनिसिटी परीक्षण भी किए जाने हैं।

(ग) से (ङ) कंडीडेट वैक्सीन विकसित हो जाने पर मनुष्य पर उसके चरण-1, 2 और 3 क्लिनिक परीक्षमों से पहले पशुओं में प्रि-क्लिनिल सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी अध्ययन किये जाने होंगे। इस स्थिति में चरण-3 परीक्षण के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतलाई जा सकती।

भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य चिकित्सा परिषदों को अधिकार देना

1419. श्री अम्बरीश:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् और राज्य चिकित्सा परिषदों को चिकित्सा संबंधी लापरवाही के लिए डाक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ठोस और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) चिकित्सा संबंधी लापरवाही बरतने हेतु डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यवसाय आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमन, 2002 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। किसी चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रैक्टीशनर) के खिलाफ व्यवसाय संबंधी दुराचरण के विषय में प्राप्त शिकायत और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उसके दोषी पाए जाने की स्थिति में समुचित आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मामले की जांच करने के बाद जरूरी दण्ड संबंधित को दिया जा सकता है अथवा कथित डाक्टर का नाम रजिस्टर में से पूरे सेवाकाल अथवा एक अवधि विशेष के लिए हटाया जा सकता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 8) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8138/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई भाई कथीरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8139/2003]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 13 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 21 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8140/2003]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8141/2003]

(3) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8142/2003]

(5) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8143/2003]

(6) (एक) आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान, बीकानेर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8144/2003]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी आफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8145/2003]

(2) (एक) नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8146/2003]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8147/2003]

(4) (एक) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसेज, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसेज, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8148/2003]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्राफिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8149/2003]

(6) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8150/2003]

(7) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8151/2003]

(8) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8152/2003]

(9) (एक) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8153/2003]

(10) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8154/2003]

(11) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8155/2003]

(12) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8156/2003]

(13) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8157/2003]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 739(अ) जो 27 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 740(अ) जो 27 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 741(अ) जो 27 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र

प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 830(अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेठ खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 881(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णगिरि-रानीपेट खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 882(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 883(अ) जो 1 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (ताम्बरम-टिण्डीवनम खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 942(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 464(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 943(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (नेलामंगला-तुमकुर खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 944(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (नेलामंगला-तुमकुर खंड) को चार-लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 945(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के पाटन जिला बाउंड्री में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के (दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 946(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के दीसा-राधनपुर खंड (डिस्ट्रिक बॉर्डर बनासकांठा से राधनपुर तक) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (राधनपुर-समाखियाली खंड से डिस्ट्रिक बॉर्डर कच्छ तक) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 947(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क पर डिस्ट्रिक बाउंड्री राजकोट के बामनबोर-समाखियाली खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर डिस्ट्रिक बाउंड्री पाटन के समाखियाली-राधनपुर खंड के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 957(अ) जो 22 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड तक) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 958(अ) जो 22 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 959(अ) जो 22 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 960(अ) जो 22 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 961(अ) जो 22 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मननाथ खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 962(अ) जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 218(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 963(अ) जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गंजम से विशाखापत्तनम के नारायणी जंक्शन-भुवनेश्वर खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 976(अ) जो 27 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को चौड़ा करने तथा टॉल प्लाजा के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 995(अ) जो 29 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 998(अ) जो 29 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (देवनाहैल से हेब्बाल खंड) को छह लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 999(आ) जो 29 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड के येलाहंका तथा छन्नासन्दार खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1012(अ) जो 2 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उत्तर प्रदेश तथा बिहार बॉर्डर खंड में भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1013(अ) जो 11 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उत्तर प्रदेश तथा बिहार बॉर्डर में मुजफ्फरपुर खंड तक भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1042(अ) जो 11 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नेलामंगला से तुमकुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1038(अ) जो 10 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख के निर्माण, रख-रखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1060(अ) जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4

(नेलामंगला से तुमकुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1178(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकत्तीस) का.आ. 1290(अ) जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) के मद संख्या (1 से 19) में उल्लिखित पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 212 की उपधारा 4 के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 10 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल का उपयोग करने के लिए फीस का संग्रहण संशोधन नियम, 2003 जो 27 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 843अ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1179(अ) जो 6 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क की अधिसूचना में यथाउल्लिखित कतिपय भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 1291(अ) जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क, 47, 17, 48 और 13 की अधिसूचना में यथाउल्लिखित कतिपय भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8158/2003]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) टेलीकम्यूनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज रेग्यूलेशन, 2003 जो 31 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ नं. 409-5/2003-एफएन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2003 जो 9 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2003 जो 26 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8159/2003]

(2) आई टी आई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8160/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आई टी आई लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई टी आई लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8161/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

दसवीं लोक सभा

1. विवरण सं. पैंतीस पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8162/2003]

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण सं. बत्तीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8163/2003]

बारहवीं लोक सभा

3. विवरण सं. इकत्तीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8164/2003]

4. विवरण सं. पच्चीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8165/2003]

5. विवरण सं. छब्बीस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8166/2003]

तेरहवीं लोक सभा

6. विवरण सं. पच्चीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8167/2003]

7. विवरण सं. पच्चीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8168/2003]

8. विवरण सं. बीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8169/2003]

9. विवरण सं. उन्नीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8170/2003]

10. विवरण सं. अठारह छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8171/2003]

11. विवरण सं. सोलह सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8172/2003]

12. विवरण सं. तेरह आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8173/2003]

13. विवरण सं. ग्यारह नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8174/2003]

14. विवरण सं. आठ दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8175/2003]

15. विवरण सं. छह ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8176/2003]

16. विवरण सं. चार (भाग एक-पांच) बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8177/2003]

17. विवरण सं. एक तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8178/2003]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8179/2003]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8180/2003]

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8181/2003]

(3) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8182/2003]

(4) (एक) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8183/2003]

(5) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8184/2003]

(6) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8185/2003]

(7) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8186/2003]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे, तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2002-2003 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8187/2003]

(ख) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे, उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2002-2003 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8188/2003]

(ग) (एक) मुर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मुगांव के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मुगांव के वर्ष 2002-2003 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8189/2003]

(घ) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8190/2003]

(ङ) (एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8191/2003]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8192/2003]

(ख) (एक) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8193/2003]

(10) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 648(अ) जो 8 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 649(अ) जो 8 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 728(अ) जो 10 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 739(अ) जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा संवर्धन) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 846(अ) जो 28 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा संवर्धन) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 876(अ) जो 7 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2003 को अनुमोदित किया गया है।

(सात) अधिसूचना संख्या ए-23020/1/2003-टीएएमपी जो 27 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 1998 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8194/2003]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सेमीकंडक्टर कम्प्लैक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमीकंडक्टर कम्प्लैक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8195/2003]

(2) (एक) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8196/2003]

(3) (एक) सेन्टर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8197/2003]

(4) (एक) सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8198/2003]

(5) (एक) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च (समीर), मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च (समीर), मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8199/2003]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं:

(1) रिसर्च एंड इन्फोर्मेशन सिस्टम फार द नॉन अलाइन्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज (आरआईएस), नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 8200/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 5.12.2003 को पारित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003 और राज्य सभा द्वारा 8.12.03 को पारित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 तथा ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 37वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रमाकांत आंग्ले (मारमागाओ): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री दिलीप सिंह जूदेव का मंत्रि-परिषद से त्यागपत्र

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): इंडियन एक्सप्रेस के 16.11.2003 के दिल्ली संस्करण ने एक समाचार तथा वी.सी.डी. चित्र प्रकाशित किए जिनमें तत्कालीन केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री दिलीप सिंह जूदेव को उनके सहायक निजी सचिव श्री नटवर रतेड़िया की मौजूदगी में श्री राहुल नामक व्यक्ति से कथित रूप से पैसा लेते हुए दिखाया गया था। श्री दिलीप सिंह जूदेव ने अपना त्यागपत्र दे दिया जिसे मेरे सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा दिनांक 17.11.2003 को स्वीकार कर लिया गया। मेरे निर्देश पर मंत्रिमण्डल सचिवालय ने दिनांक 17.11.2003 को विभिन्न समाचार-पत्रों की समाचार कतरनों को समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया।

इंडियन एक्सप्रेस के उपर्युक्त समाचार तथा अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री जूदेव, उनके सहायक निजी सचिव श्री रतेड़िया तथा श्री राहुल जिन्हें आस्ट्रेलिया की एक खनन कंपनी का प्रतिनिधि बताया गया था, के विरुद्ध दिनांक 18.11.2002 को एक प्रारम्भिक जांच दर्ज कर ली।

किसी भी मामले में प्रारम्भिक जांच दर्ज करने या नियमित केस दर्ज करने अथवा आरोप-पत्र दायर करने के निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा लिये जाते हैं। सरकार इन निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती। ...*(व्यवधान)*

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री जूदेव तथा श्री रतेड़िया, दोनों को नोटिस भी भेज दिए हैं कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष उपस्थित हों।

मेरी सरकार की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आरोपों की पूर्णतया जांच होनी चाहिए। ..(व्यवधान) तदनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है तथा जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है तथा, हाल में बनाए गए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की निगरानी सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निहित की गई है।

इसलिए जांच की स्वतंत्रता के बारे में कोई भय अथवा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सदन को आश्वासन देता हूं कि सच्चाई शीघ्र ही सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8201/2003]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): सर जोगी से संबंधित मामले का क्या हुआ, उसके बारे में भी यहां कुछ आना चाहिए। ..(व्यवधान) जूदेव के मामले में स्टेटमैन्ट हो गया, लेकिन जोगी के मामले में कुछ नहीं हुआ। ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे चुके हैं और अब हम उनके वक्तव्य पर चर्चा करने वाले हैं।

..(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: हम जानना चाहते हैं कि जोगी के मामले में क्या हुआ। *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर एक चर्चा आरंभ करने वाले हैं। इस चर्चा के दौरान आप जो मुद्दे उठाना चाहें उठा सकते हैं। मुझे इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप इस चर्चा के दौरान कुछ अन्य मुद्दों पर ऐसे प्रश्न पूछना चाहें जो इस सदन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कार्य शेष है जिसे मैं अभी पूरा करना चाहता हूं। डा. रमैया।

अपराह्न 12.06 बजे

. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

शीतल पेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा शीतलपेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय को बजट सत्र के आरंभ तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा शीतलपेयों, फल के रस और अन्य पेयों में कीटनाशक अवशिष्ट तथा उनके लिए उपयुक्त सुरक्षा मानक निर्धारित करने संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय को बजट सत्र के आरंभ तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से वर्ष 2003-2004 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8202/2003]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करते हैं। श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): अध्यक्ष महोदय, दमन के हादसे में 30 बच्चों की जान चली गई, उस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हमने उसके लिए मांग की है। आज चार महीने हो गये हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इसके लिए इनडिपैन्डैन्ट इंक्वायरी की मांग की है। वहां 30 निर्दोष बच्चों की जान चली गई है। ..*(व्यवधान)*

मोहम्मद अनवारूल हक (शिवहर): इस हादसे में 30 छात्र और शिक्षक भी मारे गये हैं।

श्री मोहन एस. देलकर: आज पूरा दमन बंद है। वहां के लोगों ने दमन बंद का ऐलान किया है उसके कारण आज सम्पूर्ण दमन बंद है। यह इतनी गंभीर घटना है और हाउस इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज के बजाय कल लूंगा क्योंकि आज संबद्ध मंत्री उपलब्ध नहीं हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर: अध्यक्ष जी, उससे पहले सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। इसमें लापरवाही हुई है और सिर्फ लापरवाही की वजह से 30 बच्चों की जान चली गई। ..*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, गन्ने के सवाल पर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिए। आप जानते हैं कि कल इस विषय पर मैंने आपका नोटिस एडमिट किया है, कल आप इस विषय में जरूर बोलिये।

श्री मोहन एस. देलकर: उससे पहले सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज वहां बंद है, आप बोलना चाहते हैं इसलिए मैंने आपको परमीशन दी।

..*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस. देलकर: हमने क्या मांग की है? हमने सिर्फ ज्यूडीशियल इनक्वायरी की मांग की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज जीरो आवर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, आपने कल मुझे प्रिविलेज नोटिस दिया था। इस विषय में आपका क्या कहना है?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा राजनीतिक विद्वेष की भावना से मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है जिससे मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देख और सुन नहीं पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज सुनिये।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: कानपुर में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। उस समय मैं डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से इलाज कराकर डाक्टर की सलाह पर उत्तरांचल सरकार के गैस्ट हाउस में ठहरा हुआ था जिसके भुगतान की रसीद मेरे पास है। दिनांक 30.9.03 से 8.10.03 तक मैं वहां रहा और मेरे खिलाफ दिनांक 6.10.2003 को मुकदमा कायम किया गया। मुझे

फंसाया गया और मेरे परिवार को भी फंसा दिया गया। इसके बाद दिनांक 18.10.03 को मैं स्टेट बैंक पार्लियामैंट की शाखा से पांच लाख रुपये लेकर उसी दिन नई दिल्ली, गोवाहाटी राजधानी एक्सप्रैस से कानपुर गया। जब मैं अपने घर पर गया तो पता लगा कि हमीपुर में जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ भी फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र हमीपुर चला गया। दिनांक 9.10.2003 को कानपुर की पुलिस मेरे घर जबरदस्ती घुसी और मेरी पत्नी से दुर्व्यवहार किया तथा ब्रीफकेस उठा ले गई। मेरी विकलांग पत्नी को मारा पीटा, मेरे नौकरों को मारा पीटा। इस तरह से हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर किया जा रहा है।

मैने इस संबंध में आपको दो बार नोटिस दिये हैं और उन दोनों नोटिसों के आधार पर आज तक आपकी तरफ से दो बार पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन न तो गृह मंत्रालय और न उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको किसी तरह की सूचना दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और हमें आप अपना संरक्षण प्रदान करें।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का सवाल कहां से बनता है?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूं। मेरे खिलाफ पुलिस लगी हुई है। चारों तरफ से पुलिस घेर रहीहै। घर में परिवार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और मेरी हत्या कराने की पूरी साजिश है। यह लोकतंत्र की प्रणाली की सीधी-सीधी हत्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने क्षेत्र नहीं जा पाऊंगा और जनता के कामों को नहीं देख पाऊंगा तो मेरे विशेषाधिकारों का हनन होगा। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह केवल राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीतिक विद्वेष के आधार पर काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार गुण-दोष के आधार पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कर्त्तव्य को जानती है और माननीय सदस्य के कार्य में कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस सदन में कैसे बोल सकते हैं?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चंदेल जी, आपका नोटिस मुझे मिला। मैने दो बार इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है। उनका उत्तर अभी तक आ जाना चाहिए था। मैं एक आखिरी मौका उत्तर प्रदेश सरकार को दूंगा और यदि 15 दिन में उनका उत्तर नहीं आएगा तो इस विषय पर मैं अगला निर्णय करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार का मामला बहुत गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज 'शून्य काल' नहीं होगा। इसलिए आप इस मामले को कल उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कल मौका दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा शुरू कराई गई है। पहले कहा था कि वह सोमवार को होगी लेकिन वह चर्चा आज तक नहीं हुई। देश की जनता यह जानना चाहती है कि सरकार का सदन में इस पर क्या उत्तर है। वह चर्चा अधूरी है। उसमें रेल मंत्री भी इंटरवीन करना चाहते हैं। सरकार को भी उत्तर देना है और अभी तक उस पर चर्चा अधूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बीएसी में तय हुआ है कि यह चर्चा कब लेंगे। उसकी रिपोर्ट में आपको तारीख बताई जाएगी। हमने इस विषय पर चर्चा के लिए तिथि निर्धारित कर दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): चर्चा पूरी तरह से कराई जानी चाहिए, वह चर्चा अधूरी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बीएसी में उसके लिए समय तय हुआ है। सुषमा जी यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं कि कौन सी तारीख फिक्स की है। सुषमा जी के आने के बाद मैं उनसे पूछकर आपको तारीख बता दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह शुक्रवार को नहीं रखी जानी चाहिए। उस दिन सदन में उपस्थिति कम होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है और पिछली बार भी शुक्रवार को ही चर्चा रखी गई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुषमा जी जब आएंगी तो मैं पूछकर आपको समय बता दूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): हमें मालूम हुआ है कि शुक्रवार को होगी, लेकिन शुक्रवार ठीक नहीं होगा। उसको कल करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सुषमा जी बताएंगी।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, गन्ना के सवाल पर हमने एडजर्नमैंट मोशन दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां चर्चा के लिए तिथि का निर्धारण मैं नहीं करता। तिथि का निर्धारण कार्यमंत्रणा की समिति की बैठक में किया जाता है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने नेता से कह सकते हैं। आपका नेता उस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए उसे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उठा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि आप आश्वासन दें कि गन्ना के सवाल को कल लेंगे। यह बहुत गंभीर सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुषमा स्वराज जी जब यहां आ जाएंगी, तब मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा कि वह विषय यहां किस दिन चर्चा के लिए निश्चित हुआ है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, दो-दो संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, उन्हें मालूम होगा कि किस दिन वह चर्चा के लिए नियत किया गया है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। यदि आप इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो अपने नेताओं को कहिए कि वे बिजनैस एडवायजरी कमेटी में इस विषय पर चर्चा का प्रस्ताव करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सर, उस विषय को चर्चा के लिए कल रख दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही सुषमा स्वराज जी यहां आएंगी, मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा। कृपया आप बैठिए।

अपराह्न 12.16 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री दिलीप सिंह जूदेव के मंत्रिपरिषद् से त्याग-पत्र के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में पूर्व-राज्य मंत्री श्री दिलीप सिंह जूदेव द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देना और प्रधानमंत्री द्वारा उसे स्वीकार करने के संबंध में आज जो प्रधानमंत्री जी का बयान हुआ, उसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। श्री दिलीप सिंह जूदेव जी ने त्यागपत्र क्यों दिया, प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकार क्यों किया, इन सब बातों का खुलासा उनके वक्तव्य में होना चाहिए था, लेकिन बिलकुल गोलमोल बयान देकर, प्रधान मंत्री जी ने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर दी। हां, एक बात जरूर कही कि सी.बी.आई. इस मामले की जांच कर रही है और सी.बी.आई. के काम में भारत सरकार कोई दखल नहीं करती।

महोदय, मेरा आरोप है कि इस सरकार ने सबसे घृणित कार्य अगर कोई किया है, तो वह इस देश में सी.बी.आई. की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी जो विश्वसनीयता थी, जो साख थी, उसी को समाप्त करने का काम किया है। आजाद हिन्दुस्तान की यह सबसे भ्रष्ट सरकार है और न सिर्फ जूदेव कांड, बल्कि मैच-फिक्सिंग, तहलका, यू.टी.आई., शेयर घोटाला, पेट्रोल पम्प घोटाला, डी.डी.ए घोटाला और न जाने कितने घोटाले इस सरकार के समय में हुए हैं। इस सरकार के घोटालों की एक लम्बी फेहरिस्त है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जो विषय सी.बी.आई. को जांच के लिए दिए गए हैं, किसी न किसी शक्ल में यह सरकार उस जांच को प्रभावित करती रही है और कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, 16 नवम्बर के 'इंडियन एक्सप्रैस' में जूदेव साहब और उनके सैक्रेट्री को रिश्वत में रुपए लेते हुए दिखाया गया और आस्ट्रेलिया की एक फर्म से उड़ीसा में खनन के

अधिकार देने के लिए यह रिश्वत दी गई। सभी अखबारों में फोटो छपा, लेकिन तत्कालीन मंत्री जूदेव जी ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह असत्य और मनगढ़न्त मामला है। हमारे लायक दोस्त कानून मंत्री श्री जेटली और भाजपा के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू आदि सब लोगों ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि जूदेव जी को फंसाने का काम किया जा रहा है। शुरू-शुरू में प्रधानमंत्री जी भी जूदेव जी को बचाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जूदेव जी के मामले में जो जानकारी मिली है, उसकी वे जांच कराएंगे और जूदेव जी को त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विधान सभा चुनाव न होते, तो जूदेव जी का त्यागपत्र प्रधान मंत्री जी स्वीकार नहीं करते। इस सरकार का इरादा जूदेवजी को बचाने का था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जांच सी.बी.आई. के हवाले कर दी गई है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है और जूदेव जी ने पहले मना किया कि मेरा इस घटना से कोई संबंध नहीं है, घूस लेने से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एन.डी.टी.वी. को दिए गए अपने साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने धन लिया है। इन्होंने कितना घृणित कार्य किया। इन्होंने कहा कि हमने रिश्वत में क्या लिया है—महात्मा गांधी जी, चन्द्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी भी पैसा लिया करते थे। हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में जो लोग उसके नायक थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया, ये अपनी रिश्वत की तुलना उस काम से करेंगे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घृणित कार्य अन्य कोई नहीं हो सकता।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब और क्या जांच होगी, जब पैसा लेने वाले व्यक्ति ने खुद स्वीकार कर लिया है कि मैंने घूस ली है। मैं समझता हूं कि जूदेव को जेल भेजने के लिए उनका यह बयान ही काफी है, उन्होंने यह स्वीकार किया। महोदय, जो सीबीआई जांच है उसमें इनके आला आफिसरों का कहना है कि जूदेव के संबंध में उन्हें जो सीडी मिली है, उसमें उनके अंशों को एडिट किया जा रहा है। धन लेते हुए जूदेव को दिखाने वाले टेप सीबीआई के पास हैं, लेकिन सीबीआई उसका ओरिजनल टेप प्राप्त करने में लगी है और जब ओरिजनल टेप मिल जाएगा तब उसे फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि तहलका में भी यही हुआ। इसी तरह तहलका वाले केस में भी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के सब प्रयास हो चुके हैं। तहलका वाले केस में भी जो टेप था, उसकी विश्वसनीयता को मान कर जो सैन्य अधिकारी थे, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की बात हुई। सीबीआई की जो जांच हो रही है, उसकी टेप की विश्वसनीयता की जांच हो रही है। यह इस मामले को लम्बा खींचने के अलावा अन्य कुछ नहीं है। अभी तक जूदेव से इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई है। महोदय, मेरा यह आरोप है कि सरकार जान कर जूदेव को बचाने का काम कर रही है और यह कोई इनका नया काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि मई महीने में वित्त राज्य मंत्री, श्री जी.जी. रामचन्द्रन को हटाया गया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनके पीए ने भी रिश्वत ली थी और सितम्बर के महीने में उन्हें दोबारा ओथ करा दी गई। सीबीआई जांच शुरू भी नहीं हुई, उसके पहले सर्टिफिकेट दे दिया गया कि रामचन्द्रन निर्दोष हैं। उनके दोबारा शपथ ग्रहण करने के दो दिन बाद सीबीआई ने रामचन्द्रन से पूछताछ की। यह सीबीआई को प्रभावित करने का काम नहीं तो और क्या है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा इरादा किसी को बचाने का नहीं है, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। उप-प्रधान मंत्री, श्री लालकृष्ण आडवाणी का जो बायन है, वह मेरे पास है-"जोगी के रुपए सत्ता के लिए और जूदेव ने पार्टी के लिए पैसे लिए, लालकृष्ण आडवाणी।" महोदय, यह जूदेव को बचाने की साजिश नहीं तो और क्या है। बगैर तथ्यों की जानकारी और कोई निष्कर्ष निकाले श्री आडवाणी कह रहे हैं कि जूदेव ने जो पैसा लिया, वह पार्टी के लिए था। जब बंगारू लक्ष्मण फंसे तब भी बात हुई तब भी यही कहा था कि यह पैसा पार्टी के लिए लिया है। ये जानबूझ कर तथ्यों को छिपाने का और जूदेव के दुष्कर्मों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। महोदय, स्थिति यहां तक बन गई है कि आज सीबीआई जांच की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। मैं समझता हूं कि जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, जो स्थिति बनी है, जूदेव के यह स्वीकार करने के बाद, कि उन्होंने पैसा लिया है, रिश्वत ली है, जूदेव के लिए अगर कोई उचित स्थान हो सकता है तो मैं समझता हूं कि जेल के अलावा कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि इन पूरे तथ्यों की संयुक्त संसदीय समिति से एक निश्चित अवधि में जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप अंत में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जूदेव मामले पर बोलने के पहले मैं एक

[श्री अनादि साहू]

अंग्रेजी सॉनिट से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। अंग्रेजी सॉनिट की पंक्ति इस प्रकार है "इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन ईडियट, फुल ऑफ साउन्ड एन्ड फ्यूरी, सिगनीफाइंग नथिंग" (यह किसी बेवकूफ द्वारा कही गयी कहानी है जिसमें सिर्फ बातें ही बातें हैं, तत्व की बात कुछ भी नहीं। जूदेव मामला भी ऐसा ही है। इसमें सिर्फ बातें ही बातें हैं, अर्थपूर्ण कुछ भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि सीबीआई इस बारे में क्या कदम उठा रही है।

महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच भी करती है, और यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि इस मामले में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और आगे इस मामले की जांच की जानी चाहिए तो वे मामले को दर्ज करते हैं और उसकी आगे उचित ढंग से जांच करते हैं।

महोदय, मैं इस सभा को सूचित करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किये जाने के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहली यह कि जो कोई भी पैसा ले अथवा पैसा लेने के लिए सहमत हो अथवा घूस के लिए पैसा लेने का प्रयास करे—घूस चाहे किसी भी तरह की हो—तो उसे गैर-कानूनी घूस लेना कहा जायेगा। दूसरा, घूस लेने वाला होता है, इसलिए गैर-कानूनी घूस में महोदय, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। इस कथित वीडियो टेप में, जो अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, सारे तथ्य दिए हुए हैं। आज सुबह भी, मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध इस वीडियो टेप को देखा है। इसमें केवल दो व्यक्ति ही दिखायी देते हैं—श्री नटवर लाल रतेरिया तथा माननीय श्री दिलीप सिंह जूदेव। इसमें उस व्यक्ति को नहीं दिखाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पैसा दिया है। महोदय, कथित तौर पर पैसा देने वाला यह व्यक्ति जिसे राहुल कहा गया है, के बारे में बताया जाता है कि वह एक आस्ट्रेलिया फर्म का प्रतिनिधि है।

महोदय, यदि आस्ट्रेलियाई व्यक्ति किसी मंत्री के साथ कुछ लेन-देन करते हैं, तो उन्हें इस बारे में अच्छी तरह जानकारी होगी कि उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट मंत्री सरकार में कितनी प्रभावशाली होगा।

महोदय मैं, इस सभा को सूचित करना चाहूंगा कि श्री जूदेव इस तरह की किसी खान को पट्टे पर देने के लिए किसी तरह से सक्षम नहीं थे। महोदय, आप स्वयं देखें कि केबिनेट मंत्री जूदेव को कार्य बंटवारे की सूची में चार तरह के कार्य दिये गये हैं। पहला कार्य वन्यजीव से संबंधित है, दूसरा पर्यावरण विकास बोर्ड से संबंधित है, तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार समिति तथा चौथा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। इसका खान पट्टों से कुछ भी संबंध नहीं है। यह तथाकथित फर्म, जो आस्ट्रेलिया से यहां आई है, के बारे में यह नहीं बताया गया है कि ये आस्ट्रेलिया की किस फर्म से है, और यह क्या काम करती है। जूदेव से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं था। वह इसे किसी तरह का पट्टा देने का प्राधिकार भी नहीं रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई आस्ट्रेलिया फर्म इतनी भोली नहीं हो सकती कि वह यूं ही पैसा लुटाती रहे।

महोदय, मैं इस सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में इस सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही की है। जैसाकि प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि यह घटना 16 नवम्बर को घटित हुई। 17 नवम्बर को श्री जूदेव से त्यागपत्र देने को कहा गया और उन्होंने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): त्यागपत्र देने के अलावा उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया।

श्री अनादि साहू: कृपया मेरी बात सुनें। बीच में व्यवधान पैदा न करें। जब आपको बोलने का मौका दिया जाये तो आप इस बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं।

इस बारे में सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिये गये हैं ताकि वह आगे की जांच कर के। इस सभा ने सीबीआई को स्वायतत्ता प्रदान की है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उसका निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। निरीक्षण की शक्ति देना कोई छोटी बात नहीं है। जो सदस्य संयुक्त संसदीय समिति में थे वे इस बात की सराहना करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निरीक्षण के मामले पर चर्चा की थी।

अब इस मामले में जांच हो रही हैं। लेकिन आप मामले के दूसरे पक्ष की ओर भी देखें। इस सरकार ने इस मामले पर अपनी ओर से सभी कदम उठाये हैं, लेकिन आप अजीत जोगी से संबंधित तथ्य पर भी ध्यान दें। उनके मामले में तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं की गयी यद्यपि उन्होंने संविधान की अवमानना करने का प्रयास किया, उन्होंने स्वयं संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया है।

महोदय, मैं एक बार फिर शेक्सपियर को उद्धृत करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): खान-खनिज के लिए जो घूस खाई, उसकी बात बताइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं इनकी बात नहीं सुन रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इसे बार-बार बताया गया है और मैं शेक्सपियर को उद्धृत करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): खाना बंद करो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कौन खाना खा रहा है? क्या बंद करें?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं शेक्सपियर को उद्धृत करता हूं कि 'ए लिपार्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट नार ऐन एथियोपिअन चेंजेज हिज कलर' (न तो तेंदुए के धब्बे बदलते हैं और न ही इथियोपियावासी का रंग बदलता है) और श्री अजीत जोगी के बारे में भी यही सच है। आप बाल्को का मामला ही ले लें। उन्होंने इस मामले पर बहुत शोर-शराबा किया, बवंडर पैदा किया, पर इसका नतीजा क्या निकला? मैं जब चुनावों के संबंध में छत्तीसगढ़ में था तब मुझे कई व्यक्तियों द्वारा यह बताया गया—मुझे नहीं मालूम कि यह सच है या नहीं—कि अजीत जोगी द्वारा बाल्को के साथ एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जिसके कारण अब उन्होंने पहले की भांति गर्जने के बजाय मिमियाना शुरू कर दिया है।

आप उन 13 विधायकों का मामला ही ले लीजिए जिन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दल-बदल लिया। इस दल-बदल के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। इसमें रायपुर के मेयर भी शामिल थे। उन्होंने मिलकर दल-बदल करवाया। महोदय, जब चुनाव के नतीजे घोषित किये गये, जब 1 दिसम्बर के बाद मुख्यमंत्री को घूस देते पकड़ा गया, तब क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* यह पूरा षडयंत्र श्री अजीत जोगी द्वारा रचा गया था, जो मेरी समझ में एक सत्ता उन्मादी व्यक्ति हैं और किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए क्या किया। उन्होंने इस संविधान के लिए लोकतंत्र के लिए समस्या पैदा करने की कोशिश की।

अभी हाल ही में हमने 97वें संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में गृह मामले से संबंधित स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। श्री प्रणव मुखर्जी इस समिति के सभापति हैं, जिन्होंने उस समिति की बैठक में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि इसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे विभाजन द्वारा समस्या पैदा कर संविधान की दसवीं अनुसूची के नियम 3 का उल्लंघन न हो। और यहां अजीत जोगी जैसे लोग ये समस्या पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह कोशिश की थी ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या यह अजीत जोगी पर चर्चा हो रही है? वह किसी तरह से इस मुद्दे से संबद्ध नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: मैं इनकी बात नहीं सुन रहा। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

मैं इस सभा का ध्यान झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रयोजन से सदस्यों को घूस दी गयी थी कि वे एक विशिष्ट कार्य के लिए उनके पक्ष में मतदान करें। इस तरह के कार्यों की शुरुआत उन्होंने ही की है। उन्होंने ही यह शुरू किया ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं इनके भाषण में बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज इस बारे में एक वक्तव्य दिया था और आपने उस पर चर्चा की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उनके एक सहयोगी जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, के त्यागपत्र के बारे में तथा सीबीआई द्वारा उस मामले में की गयी कार्यवाही के बारे में था। इससे अधिक कुछ नहीं था। लेकिन अगर यहां पर इस तरह की बातें उठायी जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि यह प्रधान मंत्री के वक्तव्य के साथ अन्याय होगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं एक तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, इस बारे में श्री अजीत जोगी द्वारा षडयंत्र रचा गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। वह अपनी बात कह रहे हैं। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं पुनः दोहराता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, एक देवी द्वारा यह षडयंत्र भी रचा गया था कि रम्भा और उर्वशी जाकर विश्वमित्र की तपस्या भंग कर दें लेकिन विश्वमित्र की तपस्या भंग नहीं हुई और उर्वशी को खाली हाथ लौटना पड़ा। यहां श्री जूदेव की तपस्या भंग हो गयी। हम इसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं एक बार पुन: दोहराना चाहूंगा कि श्री अजीत जोगी के मामले में तो दल-बदल को बढ़ावा देकर लोकतंत्र की बुनियाद को ही ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था।

श्री पाण्डेय के साथ उनकी बातचीत, श्री खूंटे के पत्र के माध्यम से 20 लाख रुपये की पहली किस्त, श्री अमित जोगी के माध्यम से 25 लाख रुपए को दूसरी किस्त तथा छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने के लिए वैकल्पिक समर्थन स्रोत हेतु प्राधिकार-पत्र इस तथ्य के द्योतक है कि श्री जोगी ने आला कमान से परामर्श किया था। यह इस बात का परिचायक है कि उन्होंने इतना गलत कदम उठाने में कांग्रेस आला कमान से परामर्श किया था। कांग्रेस पार्टी के ही आला कमान और नेता से परामर्श किए बिना वह ऐसा कदम नहीं उठाते।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय, हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वह बात सभा को पता है। जिस बात पर चर्चा हो रही है, वह वक्तव्य प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। वाद-विवाद, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से संबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है जो इस सभा का सदस्य नहीं है और आरोप अपराधसूचक हो तो इसका उत्तर कौन देगा? नियमों और कानून के अनुसार, सभा के बाहर के व्यक्ति की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए, सर्वप्रथम तो यह प्रासंगिक नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं, वह अपने बचाव के लिए यहां उपस्थित नहीं है और इन आरोपों को सभा में बैठे किसी सदस्य से जोड़ना सही नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यही बात उन लोगों के विरुद्ध भी कही जा सकती है जो टेलीविजन पर इस बात से सहमत थे कि इस जाल को बिछाने में उनका हाथ था या नहीं। इसलिए, हम इस हद तक आरोप नहीं लगा रहे हैं। माननीय सदस्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय दें ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: वह अपनी जेब से देते हैं। लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है ...*(व्यवधान)* यह ऐसा लगता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया ऐसा मत कीजिए। सभा के नेता ने यह वक्तव्य दिया था। मैं अध्यक्ष के लिए यह पढ़ देता हूं ...*(व्यवधान)* वक्तव्य यह है, "मैं अपना आक्रोश व्यक्त करता हूं" ...*(व्यवधान)* लेकिन उन्हें निलम्बित कर दिया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: श्री रामजीलाल सुमन ने भी श्री जोगी का उल्लेख किया था ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): फिर तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: अन्य लोग भी हैं जिन पर आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने टेलीविजन पर कहा है कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम यहां उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। यदि हम उनके नाम का उल्लेख करते हैं तो उनकी भी कानून के प्रति जवाबदेही अपेक्षित होगी। इसलिए, जोश में भी कतिपय बातें करते समय सावधान रहें। प्रधानमंत्री ने सही वक्तव्य दिया है। यह सिद्धांत सभी मामलों पर लागू होना चाहिए। हम उनके वक्तव्य में दोष नहीं ढूंढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम अनावश्यक रूप से इस तरह से चर्चा का दायरा बढ़ाते रहे तो हमारी चेतावनी है कि इस मामले में संलिप्त व्यक्ति भी दूरसंचार अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य के अधीन जवाबदेह हो जाएंगे। हम इसे बढ़ा नहीं रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अभी श्री रामजीलाल सुमन ने दस घोटालों के बारे में बताया। उस समय तो आप नहीं बोले। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा को आज वर्तमान नियमों पर अवश्य विचार करना चाहिए और नियमों में जो भी अनुज्ञेय है, प्रत्येक को उसका पालन करना चाहिए। आप सभी को यह मालूम है कि इस संबंध में नियम सही है। श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा दिखाए गए नियम भी सही है। अत:, आप नाम का उल्लेख किए बिना अपनी बात कह सकते हैं और यह समग्र वाद-विवाद के हित में होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि सभा यह नोट करे कि यह एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद है।

हम दी गई सूचना के अनुसार श्री जूदेव के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अत:, उनके नाम का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि सूचना में ही उनका नाम है और प्रधानमंत्री ने भी सूचना का उल्लेख करते हुए उत्तर दिया था। लेकिन सामान्यत: यह प्रथा रही है और नियमों में भी यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं हैं, आप उनका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृपया बार-बार नाम न लें। अब आप आगे कह सकते हैं।

श्री अनादि साहू: मैं नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। अब मैं पुनः श्री जूदेव •और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 24 पर आता हूं।

क्या मैं आपकी अनुमति से उस धारा को उद्धृत कर सकता हूं? इसमें कहा गया है:

"रिश्वत देने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी यह कह सकता है कि उसने रिश्वत कैसे दी, उसने कितनी रिश्वत दी और क्यों दी।"

अब आस्ट्रेलियाई फर्म अथवा वह व्यक्ति जिसके बारे में यह माना गया है कि उसने रिश्वत दी है, अथवा जो भी पैसा उसने दिया है अथवा यह माना गया है कि यह पैसा श्री जूदेव को दिया गया है, इन बातों के संबंध में, आस्ट्रेलियाई फर्म आगे नहीं आ रही है और मैं नहीं जानता कि एक व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए कैसे जोड़-तोड़ की गई है। ऐसा श्री जूदेव के मामले में हुआ है। अन्य व्यक्ति के मामले में—मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं—मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में लोग, विशेषरूप से कांग्रेस के लोग ऐसे व्यक्ति की कार्यवाही का जोर-शोर से समर्थन कर रहे हैं जो बदनाम हो चुका है।

मैं, एक इतावली पादरी, संत ब्यूवे, जो मदर टेरेसा की तरह 'बीटिफाइड' थे, से उद्धृत करना चाहता हूं। उनका उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

वह कहते हैं:

"मुझे बताइए कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और मैं कम से कम आपको यह बता दूंगा कि आप प्रतिभा, पसंद और चरित्र के मामले में क्या हैं। क्या आप ओछे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं? आपका अपना स्वभाव तुच्छ है।"

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और यही हो रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): आप जूदेव की सराहना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, व्यवधान न डालें। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मेरा विनिर्णय सुस्पष्ट है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: वे ऐसे ओछे व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं जो लोकतंत्र और संविधान के लिए समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों तक बिलकुल भी कार्यवाही नहीं की क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का निर्णय लिया गया और जांच शुरू हुई। कल ही वे यह कहने का साहस जुटा पाए कि कार्यवाही की जानी चाहिए और वह सब बातें कही। हमें इस देश में व्याप्त स्थिति से संबंधित तथ्यों पर विचार करना होगा कि हमें दल-बदल संबंधी कठिनाइयों से किस तरह उबरना चाहिए और धन के लालच में प्रतिनिधियों को किस तरह अपनी तरफ किया जा रहा है। मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा श्री अरुण जेटली द्वारा इस देश की जनता की जानकारी में यह बात लाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करता हूं कि उन कुछ महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जा रही है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि इज्जतदार, समृद्ध और शिक्षित व्यक्ति असैद्धांतिक कार्यवाही करते हैं और जिसने उन्हें मृत मछली जैसा बना दिया है और वे मृत मछली की भांति बहाव के विरुद्ध नहीं जा सकते और उन्हें बहाव के साथ बहना पड़ता है।

मैं बृंद कवि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यहां पूरा दोहा तो नहीं कह सकता, मैं उसका केवल यह भाग कह सकता हूं।

[हिन्दी]

दूसरों के लिए गढ्ढा खोदोगे तो यह खाई बन सकती है।

[अनुवाद]

बृंद कवि ने यह कहा था और यही हो रहा है, जब आप दूसरों के लिए गढ्ढा खोदने की कोशिश करते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं और खाई में केवल मृत मछली तैरती है। अब कांग्रेस पार्टी का यही हाल हो रहा है। केवल मृत मछली तैर रही है और मैं नहीं जानता कि जब ऐसे कृत्यों के कारण पूरी खाई प्रदूषित हो जाएगी तो उनका क्या होगा। हमें मृत मछली से छुटकारा पाना होगा। सभी को, सभा को, संसद को यह सुनिश्चित करने हेतु एकजुट होना होगा कि जब लोकतंत्र के माध्यम से निर्वाचित सरकार ठोस रूप धारण करती है तो उसे पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। श्री जूदेव के मामले में उन्होंने एक लोकतांत्रिक ढांचे को गिराने हेतु धन नहीं लिया है। यदि उन्होंने धन लिया है तो वह किसी अन्य बात—ईसाई धर्म में परिवर्तन से संबंधित अथवा किसी अन्य मामले के लिए लिया है। उन्होंने धन लिया होगा। मैं नहीं जानता क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे इस तरह से देखते हैं कि ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): आपको अरुणाचल प्रदेश की घटना नहीं भूलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भ्रष्टाचार पर नियम 193 में जो विषय सदन के सामने है और जिस तरह बहस का स्तर जा रहा है, उससे भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाएगा। संसद की गरिमा को बचाया जाए, सिर्फ आपसे यह निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: मैं केवल उस विषय पर बोल रहा हूं। मैंने कहा कि उन्होंने धन लिया होगा। मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी यह बात ध्यान में रखे कि वह बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार को विफल करने वाले कुछ लोगों ने किस तरह की कार्यवाही की थी ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: हमें आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: महोदय, मैं बाईबल को पुनः उद्धृत करते हुए यहीं बात समाप्त करता हूं क्योंकि कई और सदस्यों को भी बोलना है। उनकी जानकारी के लिए मैं बाईबल के साम (स्तोत्र) 115 से निम्नलिखित उद्धृत करता हूं:

> ''उनका मुख है और बोलते नहीं; आंखे हैं पर देखती नहीं हैं; कान हैं पर सुनते नहीं हैं; नाक है पर सूंघती नहीं, पांव हैं पर चलते नहीं, वह अपने गले से भी नहीं बोलते हैं।''

कांग्रेस आर्तनाद कर रही है। वे यह नहीं बता रहे कि उनके सदस्य क्या कर रहे हैं। कई दिनों तक उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य था ...*(व्यवधान)* उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना करने दीजिए। श्री जूदेव केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी सदस्यों, जो दल-बदल की कोशिश करने में प्रेरक रहे हैं, की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच होने दीजिए और देखिए कि इसका क्या परिणाम निकलता है। मुझे बस इतना ही कहना था।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अंततः वह सभा में आये और यहां श्री दिलीप सिंह जूदेव प्रकरण पर अपना वक्तव्य दिया— हालांकि यह वक्तव्य बड़ा रहस्यपूर्ण है। इसमें जितनी बात कही गयी है उससे कहीं ज्यादा छिपायी गयी है। उनके वक्तव्य में दो बातें स्पष्ट रूप से कही गयी हैं। पहली बात यह है कि जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनकी सरकार की नीति यह रही है कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों में पूरी तरह जांच हो और इसके तुरन्त बाद वह इसके विपरीत यह कहते हैं कि 16 नवम्बर, 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में दिलीप सिंह जूदेव को कथित रूप से पैसा लेते हुए दिखाया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से पता चलता है कि यह घटना घटित होने के तुरन्त बाद इस पर सरकार की, सरकार के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है। इसकी एक झलक श्री अनादि साहू के आज के भाषण से, तथा चुनाव अभियान और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय उपप्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों से भी मिलती है। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि श्री जूदेव ने अपनी तुलना करते समय क्या कहा था। उन्होंने अपनी तुलना महात्मा गांधी से करते समय कैसी धृष्टता दिखायी है। मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वह बहुत ही घटिया बात है। मैं केवल उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो सरकार के इन सपूतों ने कही है। उन्होंने कहा कि यह एक दंश आपरेशन था, मैं यहां पर श्री अनादि साहू को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने यह कहा है, यह एक अच्छे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया कुत्सित प्रयास है और यही बात सरकार में बैठे लोग भी कह रहे हैं कि ''श्री जूदेव जनजातियों के कल्याण के लिए, हिन्दुत्व की रक्षा के लिए अभियान छेड़े हुए थे और हम उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे....'' ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हैरानी होती है इस बात को जानकर कि ये लोग जो हिन्दुस्तान की बात करते हैं, इनके लिए खुदा वह कलंकित पैसा है। ये भूल गए कि उस वक्त जूदेव जी ने क्या कहा था। मैं वह बात दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था:

> माना कि पैसा खुदा तो नहीं
> लेकिन खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं।

ये लोग जो राम की कसम खाकर हिन्दुत्व की बात करते हैं, पैसे को क्या स्थान देते हैं, ये आपके सामने है।

[अनुवाद]

माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य से हमारे दिमाग में 2001 के उस दिन की घटना तुरन्त ताजा हो गयी जब भाजपा के अध्यक्ष को वीडियो टेप में घूस लेते देखकर लोग एकदम हक्के-बक्के और भौंचक्क रह गये थे। हम आशा कर रहे थे सरकार उस मामले में तुरन्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी उस मामले में क्या हुआ है? इस बारे में एक जांच आयोग गठित किया गया था। यदि आप हमें उद्धृत करने की

अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा कि इस आयोग के कार्यों में एक कार्य था—अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों को सार्वजनिक करने और प्रकाशित करने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करना था।

इसमें इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि उन्होंने पैसा लिया या नहीं अपितु इस बात पर जोर दिया गया कि इन आरोपों को सार्वजनिक करने और प्रकाशित करने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जाये। वीडियो टेप के प्रमाण को एक आरोप के रूप में लिया गया। जांच की यह शर्त और कुछ नहीं अपितु भविष्य में खोजी पत्रकारिता के रास्ते में बाधा डालना है। यह और कुछ नहीं अपितु उन पत्रकारों को डराने-धमकाने के समान है जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का बीड़ा उठाया था।

महोदय, यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जूदेव प्रकरण घटित होने के दो दिन बाद ही, श्री लालकृष्ण आडवाणी, रायपुर जाते हैं और कहते हैं कि ''यह पहली बार हुआ है कि 'स्टिंग आपरेशन' द्वारा भारतीय राजनीति और चुनावों को प्रभावित किया गया है।'' उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति घोषित किये जाने के लिए विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की है, और उनके लिए यह घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया है कि वे किसी आपराधिक मामले में तो शामिल नहीं हैं, और यहां इस देश के उप प्रधान मंत्री यह चाहते हैं कि इस तरह के मामलों को चुनाव के दौरान नहीं उछाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि आप मुझे माननीय उपप्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को उद्धृत करने की अनुमति दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, ''मैं आशा करता हूं कि सीबीआई केवल इसकी जांच नहीं करेगी कि श्री जूदेव दोषी हैं अथवा नहीं अपितु इस बात की भी जांच करेगी कि ये आपरेशन घटित कैसे हुआ।''

प्रधानमंत्री ने इस सभा को और सभा के माध्यम से देश को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार की यह नीति है कि इस तरह के सभी मामलों की बारीकी से जांच की जाये और उनका खुलासा किया जाये और सीबीआई अपने कार्यों में स्वतंत्र है और उसको इस बारे में कार्यवाही करने का पूरा प्राधिकार प्राप्त है। अब मैं किसी और मामले का उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन सारी बातें स्पष्ट हैं। इन चीजों का संज्ञान लेने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह सरकार अलग-अलग मामलों में अलग-अलग मानदंड अपना रही है।

श्री साहू जो एक ख्याति प्राप्त अधिकारी रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, और इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, ने अभी-अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों तथा सीबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पहले प्राथमिक जांच करती है और प्राथमिक जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है ...*(व्यवधान)* अब इस मामले में क्या हुआ है? महोदय, मैं सभा को आश्वस्त करना चहूंगा कि चाहे जोगी हो या कोई इस मामले के अलावा कोई और मामला हो, मेरा किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं है। लेकिन उस मामले में क्या हुआ। उस मामले में सीबीआई ने तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और श्री जूदेव के मामले में आज की तारीख में भी प्राथमिक जांच हो रही है। आपने सीबीआई को यही कार्यकारी स्वायत्तता प्रदान की है? मैं जानता हूं कि सीबीआई में एक से एक अच्छे अधिकारी हैं और जो अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं, लेकिन यदि ऐसी सरकार हो जिसके सदस्य वेद-पुराणों से उद्धरण देते हों, तो वे अधिकारी क्या करेंगे? मैं यह नहीं कहना चाहता कि कौन सदस्य उद्धरण देता है। शैतान उद्धरण देते हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, श्री साहू ने अभी कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों का उल्लेख किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो घूस के लिए घूस लेने के लिए दोषी पाया गया हो उसे इस स्थिति में भी होना चाहिए कि वह घूस देने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की स्थिति में थे। ऐसा होने पर भी यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से घूस लेने का दोषी है। उन्होंने श्री दिलीप सिंह जूदेव द्वारा संभाले जा रहे विभाग का भी उल्लेख किया हैऔर कहा है कि जूदेव को खनन कार्य पट्टे पर देने का कोई प्राधिकार नहीं था। इससे तो यही बात साबित होती है कि ये व्यक्ति किस तरह ऐसी ही ठगी में शामिल थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लाइसेंस देने का प्राधिकार नहीं है वह उसके लिए घूस ले रहा है ...*(व्यवधान)* इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार किस तरह की है। यह केवल दोहरी ठगी मात्र नहीं है, इससे यह पता चलता है कि भाजपा के सांसद कितने अधिक लालची हैं और वे किस हद तक चरित्र भ्रष्ट और नादिर स्वभाव के हैं। इससे यही साबित होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास कुछ न कुछ लेकर आये, भले ही आप उसे प्रतिफलस्वरूप कुछ दे पाने की स्थिति में हों या न हों, तो उसका खुलेमन से स्वागत है। आप उस व्यक्ति को पांचतारा होटल ले जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं उससे पैसा लेते हैं और फिर कहते हैं—''खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं''।

महोदय, यहां इस आधार पर यह अंतर किया जा रहा है कि एक मामले में पैसा पार्टी तोड़ने हेतु लिया गया था और दूसरे मामले में धर्मपरिवर्तन को रोकने के लिए लिया गया था। इन दोनों मामलों में यही अन्तर बताया जा रहा है। लेकिन महोदय, जो महत्वपूर्ण बात है वह यह नहीं कि पैसा किस उद्देश्य से लिया गया यद्यपि कभी-कभी यह बात भी महत्वपूर्ण होती है। तथापि, यहां जिस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि

[श्री पवन कुमार बंसल]
सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से घूस लेने के तरीके अपना रहे हैं। कृपया कानूनी दांव-पेचों में न जायें। ये बातें उनके विरुद्ध भी साबित हो सकती हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है। यह स्थिति बहुत गंभीर है—यहां जिन लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है—यह कोई एक घोटाला नहीं है, इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हुए हैं, और दुराचार के एक से बढ़कर एक कार्य हुए हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं उनका नाम लूं, तो मैं केवल एक-दो का ही नाम लूंगा, वह भी तब जब माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ''सरकार की नीति यह है। '' डीडीए घोटाले में क्या हुआ, प्रतिभूति घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया, और उसके बाद रक्षा सौदों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने क्या टिप्पणियां थीं। हम बार-बार यह कहते रहे कि सभा में इस पर चर्चा करायी जाये लेकिन इस पर चर्चा नहीं करायी गयी। सभा को यह बताया जा रहा है, देश को यह बताया जा रहा है कि हम उन विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग कर रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील प्रकृति के हैं और जिनसे देश की सुरक्षा और एकता को खतरा हो सकता है। जो मामले आपको परेशान कर रहे हैं अथवा जो मामले आपको संकट में डाल सकते हैं, और जो इस सरकार के कारनामे उजागर कर सकते हैं आप उनसे बचने के लिए सांविधिक स्थिति की बात करने लगते हैं। आप पारदर्शिता न दिखाने के लिए इन सब बातों का सहारा लेने लगते हैं। यहां माननीय प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि हमारी सरकार की यही नीति है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, पिछले सत्र में, सभा में चर्चा के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी लेकिन विपक्ष ने सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। इसीलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। हर कोई जानता है कि इसके लिए तिथि तय की गयी थी। महोदय, इन्होंने सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी और अब ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होने दी।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने हमें बताया है कि उनके निदेश पर ही इस मामले को सीबीआई के पास जांच के लिए भेजा गया और उसे प्रेस की कतरनें भेजी गयीं। उन्होंने तुरन्त ही जूदेव के त्यागपत्र के लिए कहा और उन्होंने अपने सहयोगियों की ओर से विरोध होने पर त्यागपत्र प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने प्रधामंत्री के इस कदम के लिए उनकी सराहना की। लेकिन हमेशा की भांति अगले ही दिन उनका रवैया अस्पष्ट था। उनका रवैया अस्पष्ट ही नहीं था, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि वह चुनाव अभियान में श्री जूदेव का बचाव करते नजर आये। वह विदेश जाते हैं और वहां उन लोगों के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर हैं। वे ऐसी टिप्पणियों से बच सकते थे। यहां तक कि उन्होंने जो टिप्पणियां की वे भी निराधार थीं। हमने माननीय प्रधान मंत्री के मुखारविन्द से आज जो शब्द सुने हैं हम कैसे माननीय प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार पर विश्वास कर सकते हैं यद्यपि हम उन पर विश्वास करना चाहते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से यह इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है।

यह सरकार भूखे लोगों को खाना देने के बजाय लालची लोगों को संरक्षण देने में मशगूल है। इस सरकार के लिए पैसा ही सब कुछ है, चाहे यह कहीं से आये, चाहे जो व्यक्ति इसे पैसा दे जाये।

श्री जूदेव की बड़ी तारीफ की गयी है। महोदय, हम इस बारे में एक स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन हमने आपके निर्णय के अनुसार कार्य किया। हम आपके निर्णय को शिरोधार्य करते हैं और आपके आभारी हैं कि आपने सभा में प्रधानमंत्री जी को बुलाया और हमें इस विषय पर चर्चा का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं श्री साहू के मामले पर वापस आता हूं मैं उनकी तरह कोई दार्शनिक नहीं हूं, न ही उनकी तरह कोई विद्वान व्यक्ति हूं। लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ मैं उनके इन व्यंग्य बातों को समझ सकता हूं जब उन्होंने निम्न व्यक्तियों की यह कहकर सराहना की—मेरी बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं वास्तव में उसका उत्तर न दे दूं—और वे उसी सांस में श्री जूदेव की प्रशंसा करते चले जाते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उन्होंने कहा है कि हमने एक अच्छे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए षडयंत्र रचा है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): ''एक अच्छा व्यक्ति''।

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, चूंकि अभी आपकी बात समाप्त नहीं हुई है अत: आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप मध्याह्न भोजन के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 1.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करूं। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के अजमेर को विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, एक ओर जहां देश के विभिन्न राज्यों में अनेक छोटे-बड़े शहर वायुमार्ग से हवाई यातायात द्वारा जुड़े हुए हैं, वहीं पर 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने पर भी ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में विख्यात तथा धर्म एवं संस्कृति की दृष्टि से विश्व में ख्याति प्राप्त, करोड़ों व्यक्तियों की आस्था का केन्द्र अजमेर नगर अभी तक भी देश के हवाई यातायात से नहीं जुड़ा है। तत्कालीन राजपूताने में जो नगर स्वाधीनता सेनानियों की कर्मस्थली रहा, जो नगर सन् 1956 ई. तक केन्द्रशासित प्रदेश था, जो नगर मध्य काल, मुगलकाल तथा ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा, वही नगर आज स्वाधीनता के 56 वर्ष पश्चात भी हवाई यातायात से वंचित है। भारत सरकार अजमेर नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की घोषणा भी कर चुकी है। कभी 30, कभी 50 कभी 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षरयुक्त अभ्यावेदन भी अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना हेतु प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

मेरी भारत सरकार से प्रबल शब्दों में गुजारिश है कि अतिशीघ्र स्वयं आगे बढ़कर अजमेर शहर को हवाई यातायात से जोड़ने हेतु भूमि आबंटित कर हवाई अड्डे का निर्माण करावें।

(दो) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और कांगड़ा से एटीआर-50 विमानों की सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी): महोदय, नागर विमानन मंत्री ने गत् वर्ष विजय दशमी पर हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में आयोजित विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मेले के शुभ अवसर पर तत्कालीन नागर विमानन मंत्री जी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और कांगड़ा हवाई अड्डों को शीघ्र ही ए.टी.आर.-50 विमान सेवाओं (उड़ानों) से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सदन में उठाए बिंदुओं का अनेक बार उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया था कि शीघ्र विमान खरीदे जा रहे हैं और जैसे ही वे भारत पहुंचेंगे, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को इस विमान की सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

मुझे बताया गया है कि सरकार ने चार विमान खरीदे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में ही उड़ान भरेंगे और हिमाचल प्रदेश को इस सेवा से वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश की जनता और होटलियर्स एसोसिएशनों ने मुझसे मेरे विगत हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान मिलकर अपना रोष व्यक्त किया क्योंकि ए.टी.आर.-50 विमान सेवाओं से यदि प्रदेश को जोड़ दिया जाता है तो पर्यटन की दृष्टि से पूरे प्रदेश का विकास होता, लेकिन इसके अभाव में वहां बाधा उत्पन्न हो रही है। मेरा नागर विमानन मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे घोषणा को अमलीजामा पहनाने हेतु तत्काल कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

(तीन) झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के लाभ हेतु आदिवासियों के अनुकूल कार्यक्रम बनाए जाने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज): झारखंड राज्य का बनना आदिवासियों और मूल्य निवासियों के लिए लाभदायक साबित नहीं हो रहा है क्योंकि इसके गठन के तीन वर्ष पश्चात भी अधिवास नीति नहीं बनी है। आरक्षण नीति औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिएं और झारखंड की राजभाषा होने के नाते संथाली को सम्मिलित करके जनजातीय भाषा और संस्कृति को आधार बनाकर शिक्षा नीति को पुनर्गठित करना चाहिए। विकास हेतु कृषि और वानिकी को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। झारखंड में शांति और प्रगति के लिए उक्त कारकों का ध्यान रखना ही पड़ेगा।

[हिन्दी]

(चार) अहमदाबाद से आबू रोड तक एक लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने और अरावली एक्सप्रेस को मुम्बई सेंट्रल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में रेल सेवा की आवश्यकता के बारे में दिलाना चाहता हूं। अहमदाबाद से आबू रोड के बीच कई एक्सप्रेस रेल सेवा चल रही है, परन्तु एक भी लोकल रेल सेवा नहीं है, जिसके कारण लोगों को एक ओर ज्यादा किराया देना पड़ता है और दूसरी ओर यात्रा में कोई व्यवधान होते हैं क्योंकि टिकट रिजर्वेशन इत्यादि की दिक्कत होती है।

*सभा-पटल पर रखे माने गये।

[श्री हरिभाई चौधरी]

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद से आबू रोड के लिए एक लोकल रेल सेवा शुरू किया जाये और अरावली रेल सेवा जो जयपुर से बांद्रा के बीच में चल रही है उसे मुम्बई सेन्ट्रल तक बढ़ाया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके।

(पांच) बोकारो-करगली क्षेत्र में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोकारो कारगली प्रक्षेत्र के विभिन्न कोयला खदानों एवं रिजेक्ट में लगी आग के कारण अब तक लाखों टन सर्वश्रेष्ठ कोकिंग कोल जलकर राख हो गया और आग रोकने हेतु अभी तक प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कथारा क्षेत्र की जारंगडीह कोयला खदान से स्थानीय बिक्री का कोयला मजदूरों के बजाय सीएचपी के माध्यम से लोडिंग होने के कारण भीषण बेरोजगारी बढ़ रही है।

कोयला खदानों में आग लगने के बाबत विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया, परन्तु कार्रवाई शून्य रही। परिणामत: आग की लपटें करगली परियोजना के एक व दो नम्बर क्वायरी, करगली ओसीपी के एक्सकेवेशन व वहां स्थित पेट्रोल-डीजल पम्पों के निकट बढ़ती जा रही है। इन खदानों में पानी भर जाने के कारण कोयला उत्पादन बाधित है और जिस रिजेक्ट कोयला में आग लगी है, उसको बेरोजगारों को खुला बिक्री के माध्यम से बेच दिया जाये तो बेरोजगारों को लाभ मिलेगा और कम्पनी को राजस्व मिलेगा।

आग की लपटें सड़क के किनारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रही है और जहरीली गैस से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए सभी संबंधित विभाग निष्क्रिय हैं।

अत: सरकार से आग्रह है कि कोयला खदानों में आग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाये और स्थानीय बिक्री के कोयला के सीएचपी के बजाय मजदूरों द्वारा लोडिंग कराने की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

(छह) कर्नाटक के दक्षिणी जिलों में हाथियों द्वारा मचाए गए उत्पात की रोकथाम के लिए बनाई गई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): कर्नाटक में हाथियों और मनुष्यों के बीच बढ़ते टकराव के कारण वहां हाथियों के संरक्षण के कार्य में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रतिवर्ष हाथियों द्वारा फसलों को रौंदे जाने के 2600 से अधिक मामले प्रकाश में आते हैं और यह आंकड़ा वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष जंगली हाथियों के हमले में लोगों के घायल होने और मरने के बहुत से मामले सामने आते हैं। लोगों में हाथियों के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वे छोटी झोपड़ियों और गांवों तथा खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अत: खेतों और काफी के बागानों के आसपास हाथियों को गोली से मारने के अतिरिक्त उन्हें विद्युत के करंट से मारने के लगभग 25 मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं।

अत: मानव तथा हाथियों के वासों के बीच रुकावटें खड़ी करके उनमें टकराव को कम करने व अवैध शिकार, विशेषकर दक्षिणी जिलों में, को रोके जाने की तत्काल आवश्यकता है।

राज्य सरकार आर्थिक रूप से हाथी-रोधक रुकावटें, अर्थात हाथी-रोधक खाइयां, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से युक्त बाड़ लगाने, रोड़ी-कंकर इत्यादि की सूखी दीवारों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है जिससे कि संरक्षण क्षेत्रों से बाहर हाथियों की गतिविधियों को रोका जा सके। मैं भारत सरकार से ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमीनियम कंपनी की स्थापना के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें भू-स्वामी हक का 'पट्टा' दिए जाने की आवश्यकता

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, भारत अल्युमिनियम कं. (बालको) द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए सन 1968-69 में ग्राम रिसदा पटवारी हलका नं. 4 तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के किसानों एवं मकान मालिकों की जमीन ली गयी थी।

इन किसानों की भूअर्जन अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रति मकान मालिक को प.ह.नं. 4 खसरा नं. 422 रकबा 36.72 एकड़ घास जमीन (चराई) में प्रति मकान मालिक को 7 डिसमिल (सात) एवं खलियान के लिए 2 डिसमिल जमीन दिया गया, जिसमें किसान 1972-73 से यहां पर मकान बनाकर शेष जमीन में खेती एवं मजदूरी नौकरी पेशा करते आ रहे हैं। लेकिन इन्हें भू-स्वामी हक पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है। किसानों द्वारा तीस वर्ष के अंदर कई बार शासन को, कलेक्टर को, कमिश्नर को एवं मंत्री लोगों को लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक इन किसानों को भू-स्वामी हक हट्टा नहीं दिया गया है।

अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि भूअर्जन अधिकारी के रिकार्ड के मुताबिक जितने किसानों की भूमि बालको कारखाना स्थापित करने के लिए अवाप्त की गयी है, उन्हें भू-स्वामी हक का पट्टा प्रत्येक किसान एवं मकान मालिक को 7 से 9 डिसमिल तक का पट्टा दिये जाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(आठ) उत्तरी बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा बहुत से आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी दसवीं योजना के दस्तावेजों से उत्तरी बंगाल की प्रगति व सम्पन्नता हेतु यहां के बाढ़ प्रबंधन, नदी-कटाव प्रबंधन, औद्योगिक अवसंरचना, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन और आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु कोई सकारात्मक समर्थन नहीं दिखाई देता। चाय बागानों के विकास और विस्तार के प्रति नकारात्मक रवैया और उन्हें वित्तीय ऋण स्थगन प्रदान करने की भी केन्द्र सरकार की कोई सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई है।

कच्चे जूट के उत्पादकों को भी इस क्षेत्र, विशेषकर उत्तर दीनाजपुर और जलपाईगुड़ी में, कोई आधुनिक जूट मिल न होने के कारण हानि हो रही है। वहां विश्वविद्यालय के विस्तार, केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना भी अभी तक एक स्वप्न ही बना हुआ है। वहां राजबंसी जैसे जातीय समुदायों की सामाजिक तथा सांस्कतिक विरासत का संरक्षण करना व उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में अवसर प्रदान करने का कार्य भी अभी अधूरा है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान नियोजनकर्त्ताओं को पश्चिम बंगाल के नियोजनकर्त्ताओं से तत्काल उत्तरी बंगाल क्षेत्र से संबंधित योजना दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा करने हेतु सलाह देने की ओर आकर्षित करता हूं।

(नौ) तमिलनाडु में मदुरै से निकट के कस्बों के लिए डी.एम.यू. रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै): मदुरै तमिलनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह जिला मुख्यालय और प्राचीन पर्यटन केन्द्र है। इसके अतिरिक्त यहां बहुत सी लघु औद्योगिक इकाईयां भी कार्यशील हैं।

मदुरै की दैनंदिन की आवश्यकताओं जैसे सब्जियां, अनाज, फल, दूध, तेल, फास्ट-फूड आदि इसके निकट बसे कस्बों से लाई जाती हैं।

बहुत से विक्रेता और कार्यालयों में काम करने वाले लोग मदुरै-डिंडीगुल; मदुरै-राजापलायम; मदुरै-कोविलपट्टी; मदुरै-मानामदुरै; और मदुरै-बोडीनईकानूर के बीच मासिक टिकटों के माध्यम से यात्रा करते हैं।

उनकी दैनिक यात्रा, जो कि अधिकांशत: दिन में होती है, को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों से वर्तमान रेल सेवाएं और उनकी आवाजाही बहुत अपर्याप्त है।

इसलिए, कृपया डीजल मल्टीपल यूनिट (डी.एम.यू.), जिसे 'पुश-पुल रेल सेवा' भी कहा जाता है, की सेवाएं मदुरै से डोडीगुल, राजापलायम, कोविलपट्टी, मानामदुरै और बोडीनईकाजूर के लिए शुरू की जाएं। इस व्यवस्था के कारण रेलवे का राजस्व निश्चित रूप से बढ़ेगा। वर्तमान में तिरुचिरापल्ली को केन्द्र में रखकर ऐसी डी.एम.यू. सेवा सफलतापूर्वक चल रही है। मदुरै को ऐसी डी.एम.यू. की सेवा की आवश्यकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस सुझाव के अनुसार शीघ्र ही डी.एम.यू. सेवा की शुरुआत करने का आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

(दस) आंध्र प्रदेश में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकर राव (पार्वतीपुरम): निशक्तता अधिनियम ने सरकार पर विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण पुनर्वास सेवा उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है। विकलांगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवाएं उपलब्ध कराने में बड़ी भारी कमी है। आंध्र प्रदेश ने विकलांगों के पुनर्वास कार्य को विशेष हस्तक्षेप करके किया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औरैया तथा सिरशागंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): अध्यक्ष महोदय, आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजपथ संख्या-02 के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा के औरैया से लेकर सिरशागंज तक हो रहे पथ का निर्माण मानक के आधार पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। साथ ही साथ

[श्री रघुराज सिंह शाक्य]

कार्य धीमी गति से चल रहा है। एक लाइन के कार्य होने से दूसरे लाइन का पथ इतना खराब हो गया है कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है। साथ ही साथ इटावा में हो रहे बाईपास के निर्माण का कार्य 2004 तक पूरा होना था, किन्तु निर्माण कार्य करने वाली कम्पनी ने कार्य को बंद कर दिया है, जिससे लगता है कि कार्य 2008 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। कार्य मानक के आधार पर भी नहीं हो रहा है।

अत: आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि कार्य को शीघ्र एवं मानक के आधार पर करवाने की कृपा करें, जिससे जनता को हो रही परेशानी से मुक्ति मिले।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु में बर्गुर और कृष्णागिरि होकर जोलारपेट्टई और होसुर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): गत कई दशकों से बारागुर और कृष्णागिरि होते हुए जोलारपेट्टई तथा होसुर के बीच एक नया रेल मार्ग बनाए जाने की मांग होती रही है। कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए सभी संसद सदस्यों ने ऐसे अभ्यावेदन दिए थे, परन्तु वे निरर्थक रहे।

यहां तक कि इन नए रेल मार्ग से पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्ति की आशा है तथापि सरकार ने बार-बार निवेदन किए जाने व अभ्यावेदन दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है।

हमें आशा थी कि सरकार बजट सत्र के दौरान इस परियोजना की घोषणा करेंगी परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने मंत्री जी के सम्मुख उपलब्ध क्षमता और उससे प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में तथ्य रखे तो वे बारगुर और कृष्णागिरि से होते हुए जोलारपेट्टी तथा होसुर के बीच नया रेल मार्ग बनाने व इसके लिए आवश्यक धन आवंटित करने के मेरे अनुरोध से सिद्धांत रूप से सहमत थे, लेकिन अभी तक यह कार्य शुरू नहीं किया गया है और इस पर इस क्षेत्र के लोग बहुत क्रोधित और अप्रसन्न हैं।

अब कृष्णागिरि जिले को जिला मुख्यालय के रूप में नवगठित किया गया है। स्थापित मानदण्डों के अनुसार कृष्णागिरि को रेल नक्शे पर होना चाहिए और यह प्रस्तावित नया रेल मार्ग सभी समस्याओं को हल कर देगा।

अत:, मैं रेल मंत्री जी से इस संबंध में सर्वेक्षण करने व शीघ्र कार्रवाई करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तेरह) बिहार के सारण जिले के जलालपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार के सारण जिला अंतर्गत जलालपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व होने के बावजूद अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ जबकि जलालपुर में सरकारी जमीन उपलब्ध है। मैं कृषि मंत्री से इसके लिए कई बार आग्रह कर चुका हूं, परन्तु बार-बार कृषि मंत्री के बदलते रहने की वजह से इस स्वीकृत योजना की शुरुआत अभी तक नहीं हो पायी। पूर्व कृषि मंत्री ने जलालपुर की एक सभा में घोषणा की थी कि कृषि विज्ञान केन्द्र जलालपुर की स्वीकृति हो चुकी है और कार्य शीघ्र आरंभ हो जायेगा, परन्तु स्वीकृति के तीन साल गुजरने के बावजूद अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि निधि आबंटित कर जलालपुर कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्य शीघ्र आरंभ करवाया जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु में रासीपुरम नगरपालिका में भूमिगत जल और मल निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): तमिलनाडु के नामाक्कल जिले में स्थित रासीपुरम एक प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है। यह क्षेत्र मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह नामाक्कल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2005 में इस नगर पालिका की अनुमानित जनसंख्या 75,000 होगी। इस कस्बे में वार्षिक रूप से औसतन 584.52 मिलीमीटर वर्षा होती है। वर्तमान में यहां कोई भी भूमिगत जल निकासी प्रणाली नहीं है। यहां लगभग 36 किलोमीटर लम्बा खुला नाला है। अब, केन्द्र सरकार नगरपालिकाओं/ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्रों में भूमिगत जल-मल व्ययन निकासी प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। रासीपुरम नगरपालिका को भी उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु चुना गया है और एन.आर.ए.पी. के अंतर्गत डी.पी.आर. में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार इसके प्रारूप संबंधी मानदण्डों को पहले ही अपना लिया गया है। भू-अधिग्रहण, फ्लश टैंक, मेनहोल व वातायन शाफ्टों के निर्माण की लागत सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में गंदे पानी के शोधन संयंत्र सहित इस शोधित जल का कृषि कार्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाना सम्मिलित है।

मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करे तथा संबंधित मंत्रालय के माध्यम से भूमिगत जलमल व्ययन निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु रासीपुरम नगर पालिका को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के परवाणु-बडोटीवाला-नालागढ़-दबोटा क्षेत्रों को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली रेल सेवाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला): मान्यवर, यह सर्वविदित है कि परवाणु से लेकर बद्दी-बड़ोटीवाला-नालागढ़ से होता हुआ दबोटा तक का क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर बहुत से उद्योगपतियों ने निवेश किया है और कई ईकाइयां स्थापित हुई हैं। परन्तु आधुनिक औद्योगिकरण को सही दिशा में सुदृढ़ व योजनाबद्ध आधारभूत सुविधाओं का होना अत्यंत अनिवार्य है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में निवेश की दिशा कई महत्वपूर्ण व सार्थक कदम उठाकर उन्हें कई सुविधाएं प्रदान की हैं, परन्तु आधुनिक विकास की मूलभूत सुविधा रेल मार्ग से यह क्षेत्र अभी तक वंचित रहा है।

महोदय, रेलवे लाइन उपलब्ध होने से जहां एक ओर उद्योग जुड़ी वस्तुओं की आवाजाही में आसानी होगी, वही चण्डीगढ़ व आसपास के नगरों से कर्मचारी व मजदूर वर्ग भी आसानी से आ-जा सकेंगे। चण्डीगढ़-कालका लाइन से इस रेलवे सम्पर्क मार्ग को आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार व विशेषकर रेल मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि आगामी बजट सत्र में इस महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाये। ऐसा करने से उद्योग को तो निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा; बल्कि किसानों बागवानों के उत्पाद भी मंडियों तक आसानी से जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री दिलीप सिंह जूदेव के मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (छत्तीसगढ़): महोदय, आज सरकार ने मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के निर्विवाद कृत्य से ध्यान हटाने का निर्लज्ज प्रयास किया है। हमने स्वयं देखा कि श्री जूदेव ने नकद धन स्वीकार किया, अपना सर उठाया और उसके बाद प्रसिद्ध वाक्य बोले। लेकिन सत्तारूढ़ दल के सरकारी वक्ता ने टेप को "मनगढ़ंत और गलत और जोड़-तोड़ बताया। इस कृत्य को सुविचारित षड्यंत्र कह रहे हैं। यह मामला मुझे याद दिलाता है कि तहलका डॉटकॉम द्वारा रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार को उजागर करने के पश्चात् उससे किस निष्ठुरता से व्यवहार किया गया था। अत: आज इस सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी है।

चार-पांच वर्ष पूर्व यह सरकार सत्ता में आई जिसने एक अलग सरकार होने, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने का वायदा किया था। आज, वे हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार उजागर न हो।

मैं पूरी विनम्रता से श्री साहू को याद दिलाना चाहता हूं कि 'स्टिंग ऑपरेशन' संदिग्ध गलत व्यक्ति अथवा कुकृत्य के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करने का स्वीकार्य रूप है।

मुझे विश्वास है कि वह ऐसे हजारों मामलों के बारे में जानते होंगे जहां भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को पकड़ने हेतु साक्षियों को भेजा जाता है और जहां अवैध देह व्यापार में लिप्त लोगों को पकड़ने हेतु नकली ग्राहक भेजे जाते हैं।

महोदय, यह एक स्वीकार्य और जांच का प्रभावी रूप है और हम इसे कम करके नहीं बता सकते हैं जिस तरह से ऐसा करने के लिए कहा गया था। जब मैं कहता हूं कि ऐसा करने के लिए

[श्री पवन कुमार बंसल]

कहा गया था, मुझे पुनः 'तहलका' के दिन याद आते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के एक माननीय सदस्य जो अपने पूरे कार्यकाल के लिए मुख्य विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराने वाले थे अथवा शायद उन्होंने नाम दर्ज करवा लिया हो अर्थात् श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उस समय कहा था, 'स्टिंग ऑपरेशन से निपटने अथवा ध्यान देने हेतु एक विधान लाए जाने की आवश्यकता है।'' अतः, मैं कहता हूं कि आज इस सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी है।

महोदय, दुर्भाग्य से आज मैं सर्वप्रथम और बल्कि पूर्णतः यह कह सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान इस सरकार के निर्लज्ज व्यवहार के प्रति रुझान के कारण जनता यह व्यंग्य कर रही है कि ''राजनीति परिवर्तन और विकास का साधन होने की बजाय भ्रष्टाचार का माध्यम बन गई है।

महोदय, आज हम सभी पर यह उत्तरदायित्व है और सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त अपने लोगों, मंत्रियों को बचाने की कोशिश करके इससे बच नहीं सकती है। आज उन पर अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी है। समय-समय पर हम इस सभा और राष्ट्र की जानकारी में यह बात लाते रहे हैं कि आज इस देश का कार्य संचालन करने वाले लोगों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ही सुधार प्रक्रिया बाधित हो रही है।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि भय अथवा आशंका की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन पर विश्वास करना चाहता हूं। लेकिन मैं स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि यदि वह अपनी बात के पक्के हैं कि कार्यवाही और दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है तो हमारी संयुक्त संसदीय समिति की मांग स्पष्टतः पूरी होनी चाहिए। इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है यह सरकार यह विशेषाधिकार न दिखाए जैसाकि अन्य मामलों में हुआ ताकि समिति की अवांछनीय टिप्पणियां और निष्कर्ष गोपनीय बने रहे।

अंततः, मैं शेक्सपियर की बात उद्धृत करते हुए कि चीता अपना रंग नहीं बदलता है, एक बार फिर केवल श्री अनादि साहू के कथन का उल्लेख करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यरः आपने जो वास्तविक उद्धरण दिया है वह गलत है। उद्धरण यह है कि चीता अपना स्वभाव बदल रहा है न कि रंग ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): मैं केवल शेक्सपीयर को उद्धृत कर रहा था ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यरः श्री साहू, मैं आपके शेक्सपियर में सुधार कर रहा हूं। उन्होंने उसके रंग के बारे में नहीं उसके स्वभाव के बारे में कहा है। उन्होंने कहा था, ''न चीता अपना स्वभाव बदल सकता है और न ही इथोपियाई अपना रंग बदल सकता है। उन्होंने 'रंग' नहीं कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, 'जूदेव वीडियो टेप' मामले में महान शेक्सपियर का नाम न घसीटें ...*(व्यवधान)* उनका नाम अन्य मामलों में उद्धृत किया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसलः मैं उन्हें शेक्सपियर की याद दिलाना चाहता हूं जहां एन्टनी कहता है, लेकिन ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है और इसी तरह सभी सम्माननीय व्यक्ति हैं।'' महोदय, श्री जूदेव, भूतपूर्व मंत्री, एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और इसी तरह सभी सम्माननीय व्यक्ति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य झूठी टिप्पणी का एक बड़ा उदाहरण है। निःसंदेह हमें आश्चर्य नहीं हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार राजनैतिक तथा प्रशासनिक जोड़-तोड़ के बदतर स्वरूप का पर्यायवाची बन गई है। उनके शासन की अनन्त भ्रष्टाचार, घटिया राजनैतिक शत्रुता, भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा इस देश के राजनैतिक और नैतिक ताने-बाने के पूर्ण विनाश की स्पष्ट गाथा है। महोदय, एक नीति के मामले में यह सरकार क्या सोचती हैं। वह केवल उनकी उत्तरजीविता प्रदान करेगा; उन्होंने न केवल इस देश के राजनैतिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को साम्प्रदायिक रंग दिया है अपितु उन्होंने अपनी आर्थिक नीति से लोगों को गरीब बना दिया है और इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को गौरवपूर्ण भी बनाया।

हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस देश के राजनैतिक जीवन में दोहरे मानदण्ड के कारण इस सरकार के कार्यकाल में लोक प्रशासन पतन की पराकाष्ठा में पहुंच गया है। आज की सरकार अवसरवादियों के गठबंधन का प्रतीक बन गई है जो 'दे और ले' की राजनीति में विश्वास करती है अर्थात् 'आप मुझे वोट दीजिए और मैं आपको कुछ और दूंगी।'' यह इस सरकार के अस्तित्व में बने रहने का आधार है। जिस शर्मनाक तरीके से इस तरह के कृत्यों और व्यवहार के संबंध में दोहरे मानदण्ड अपना रही है, उससे इस बात का पता चलता है कि सरकार कितनी गिरावट तक पहुंच गई है और सत्ता में बने रहने के लिए कितना और गिर सकती है।

श्री साहू ने 'उचित और अनुचित तरीके से' का उल्लेख किया है। यह इस सरकार पर लागू होना चाहिए। हम सभी के सामने इस सरकार की ओर से कुत्सित व्यवहार, उसकी अशोभनीयता के अनेक उदाहरण हैं जो हमारे प्रशासन की ईमानदारी और जिम्मेदारी की विशेष अवधारणा पर प्रहार करते हैं। जैसाकि हमने कहा था, हम सभी जानते हैं—वे इसे छुपा नहीं सकते हैं कि यहां एक के बाद एक घोटाले और अपराध, भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई हैं। यदि ये घटनाएं उनके लोगों से संबंधित हैं तो उसमें सर्वाधिक खतरनाक है सरकार की सोच-समझकर दी गई स्वीकृति और उसके बाद भ्रष्टाचार तथा कदाचार के गंभीर आरोपों के प्रति उदासीन रवैया है जो इस देश के सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का क्षरण कर रहे हैं। आज लोगों का एक बड़ा समूह अथवा जनसमूह राजनीतिज्ञों को अविश्वास से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिज्ञ, अवसरवादी गठबंधन के अनुसार चल रहे हैं जहां नैतिकता, शासन और ईमानदारी के सिद्धांतों को अलविदा कर दिया गया है। अत:, आज प्रत्येक राजनीतिज्ञ को धूर्त समझा जाता है। अब हमारे ऊपर यह दायित्व नहीं है कि हम यह दिखाएं कि हम बेईमान नहीं हैं।

यह एक शर्मनाक और अत्यंत चिंताजनक स्थिति है कि हम इस देश में आए हैं। इसलिए युवा वर्ग का राजनीतिज्ञों पर से विश्वास उठा रहा है। लेकिन यहां, हर तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं यहां उद्धृत करूंगा कि उप-प्रधानमंत्री, श्री आडवाणी ने कहा था, ''किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया था।'' ऐसे मामलों में भी इन्हें महिमामंडित करने हेतु एक तरह से सामूहिक और मिल-जुलकर प्रयास किये जाते हैं।

मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं और इस देश को एक उत्तर की आवश्यकता है; क्या यदि इस सरकार की अंतरात्मा होती तो क्या वह परेशानी महसूस नहीं करते? प्रधानमंत्री आए और उन्होंने समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर के अलावा कुछ नहीं बताया। समय क्यों लिया गया था कि प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे? श्री बंसल ने सही टिप्पणी की थी कि उन्होंने उतना बताया नहीं जितना छिपाया है। की-गई-कार्रवाई के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक प्रमाणपत्र दिया गया है। मुझे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए खेद है कि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सही भूमिका के बारे में इस देश की जनता को गुमराह करने की सोची-समझी चाल है। यह इस असैद्धांतिक सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहा है। मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। इसलिए आप इस तरह के लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या इस सरकार का कोई स्वाभिमान है और न्यूनतम लोक नैतिकता और शोभनीयता के प्रति कोई वचनबद्धता है? यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस सरकार को उत्तर देना चाहिए।

आपने मौजूदा मामले में क्या देखा है? जिस सज्जन की हम चर्चा कर रहे थे—मैंने पहले भी उल्लेख किया था—उन्हें इस चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री के साथ देखा गया था। उन्हें मंच पर बिठाया गया और उनकी प्रशंसा की जा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री निर्णय दे रहे थे कि वह आदर्श व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री का साथ दे रहे उस फरिश्ते को मूछों पर ताव देते हुए देखा गया जो यह दिखा रहा था कि उसे कितना गलत समझा गया है। एक ऐसे कार्य के लिए बड़ी ढिठाई के साथ ऐसी बहादुरी जैसी दिखायी जा रही है जिसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाला होगा, अपना सिर शर्म से नीचा कर लेगा।

महोदय, इस बारे में हम अपने दृष्टिकोण से यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार तथा वित्तीय अनियमितता के सभी कार्यों की कड़ाई से भर्त्सना करते हैं। सभी मामलों में हमने यही मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाये। लेकिन क्या मौजूदा मामले में कानून लागू किया जा रहा है। मेरी समझ से तो इस मामले को जानबूझकर रफा-दफा किया जा रहा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी सीबीआई का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और यहां तक कि अब यह राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने का साधन मात्र रह गयी है जो कि बहुत ही खतरनाक है।

महोदय, इस बारे में आरोप क्या है? हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अत्यधिक विश्वसनीय समाचार-पत्र में 16 नवम्बर, 2003 को प्रकाशित रिपोर्ट पढ़ी है जिसे समचार-पत्र में फोटो सहित छापा गया है। इसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के एक सदस्य नशे में पूरी तरह धुत हैं और घूस ले रहे हैं। उन्होंने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने नोटों की गड्डी को हाथ में लेकर पहले उसे अपने माथे से लगाया और फिर यह कहा कि भगवान ने उन्हें क्या नायाब तोहफा दिया है। उसके बाद उन्होंने एक पंक्ति उद्धृत की। जिसका श्री बंसल ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा:

''पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम,
खुदा से कम भी नहीं''

जब एक पत्रकार ने इन महानुभाव से सम्पर्क साधा, तो इन्होंने पता है क्या कहा? मैं यहां 'आउटलुक' पत्रिका से उद्धृत कर रहा हूं:

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

"सब जायें भाड़ में। यह जोगी और हिन्दू विरोधी ताकतों द्वारा रची गयी साजिश है।"

उन्होंने संभवतः केवल 'हिन्दू' धन लिया है। मैं केवल एक ही अच्छा कार्य करता हूं और वह है लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें हिन्दू बनाना। जहां कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, वहां आतंकवाद होता है। स्थिति ऐसी रही तो देश में एक और बंटवारा हो जायेगा। पहले पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जायेंगे, उसके बाद कश्मीर। लेकिन मेरी तरह से हिन्दू हितों के लिए कार्य करने वाले लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। इसमें विडंबना यह थी कि अपने मामले को स्पष्ट करने के लिए बाईबिल से उद्धरण दे रहे थे। उन्होंने पैसा लेने की बात स्वयं स्वीकार की थी।

महोदय, श्री साहू जोकि पूर्व पुलिस अधिकारी और वकील हैं, और इस कारण उन्हें ऐसे मामलों की बहुत जानकारी थी है, ने कहा है—मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन इस घटना से यह पता चलता है कि किस तरह कभी-कभी अच्छे लोग भी बुरे लोगों का साथ पाकर भटक जाते हैं—और जब घूस देने वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं तो अपराध कैसे हो जायेगा। लेकिन कम से कम उन्हें प्रधानमंत्री जितनी जानकारी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि टेप से पता चलता है कि वह किसी रतेरिया की उपस्थिति में किसी राहुल से पैसा ले रहे हैं। इस तरह, वहां कोई घूस देने वाला था। यदि कोई घूस दे वाला था ही नहीं तो उन्हें पैसा कहां से मिला। क्या यह पैसा ताजमहल होटल के कमरा नं. 822 में आसमान से टपक पड़ा? क्या वहां पैसे की बारिश हो रही थी? यहां तक कि हमारे अच्छे मित्र स्वामी चिन्मयानन्द जिन्हें अब देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है, देश के सारे कानूनों को भी ताक पर रख दें, तो भी वे उनके लिए भगवान से पैसे की बारिश नहीं करवा सकते लेकिन ये महानुभाव अपनी मूछों पर ताव देते हुए आसमान से पैसे प्राप्त कर रहे थे।

महोदय, इस बारे में भाजपा के बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा के युवा अध्यक्ष, जो 2004 में कुछ करिश्मा घटित होने का सपना देख रहे हैं, और उसी के इंतजार में बैठे हैं, और हमारे उप-प्रधानमंत्री, जो इस देश की कानन व्यवस्था के प्रभारी हैं और इसके नाते राष्ट्रीय नैतिकता की भी उनकी जिम्मेदारी है, ने यह कहा कि जूदेव को फंसाया जा रहा है और यह टेप फर्जी है। इस बारे में उप-प्रधानमंत्री ने निर्णय दे दिया है और स्पष्ट रूप से इससे सीबीआई प्रभावित होगी क्योंकि अगली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वे ही बैठने की आशा कर रहे हैं। इस तरह, इस मामले में जूदेव को तुरन्त दोषमुक्त करार दिया गया।

महोदय, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में हमारे मित्र श्री पवनकुमार बंसल पहले से ही उल्लेख कर चुके हैं। भाजपा के एक महासचिव, जिन्होंने चुनावों को इवेंट मैनेजमेंट का मामला बताया है, ने कहा है अब चुनाव कोई राजनीतिक संघर्ष न होकर मात्र इवेंट मैनेजमेंट का ममला रह गये हैं। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि जूदेव ने राजनीतिक हैरारकी की है, इसमें लोगों का कोई स्वार्थ जुड़ा हो सकता है। इसके पीछे राजनीतिक और व्यावसायिक स्वार्थ हो सकता है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। इस बारे में एक निर्णय यह है। इस बारे में एक निर्णय और हमारे युवा कानून मंत्री द्वारा दिया गया जिन्होंने खुल्लमखुल्ला कानून का उल्लंघन किया है—उस बात पर मैं बाद में आऊंगा—ने कहा 'इस पूरे मामले में साजिश की बू आती है। यद्यपि यह सच है कि राजनीतिक दल चुनाव के लिए चंदा एकत्र करती हैं, फिर भी किसी केन्द्रीय मंत्री को व्यक्तिगत रूप से होटल के कमरे में जाकर धनराशि एकत्र नहीं करनी चाहिए। वहां वह किसलिए गये? उस होटल में एक रात का किराया 20 हजार रुपये है। क्या उन्होंने यह कमरा खुद किराये पर लिया। या उनके लिए कमरा किराया पर किसी और ने लिया? यदि किसी और ने लिया तो वह कौन था? आखिर किसका ऐसा स्वार्थ था जो 20 हजार रुपये के किराये का कमरा लेकर उनकी आवभगत करता। ...*(व्यवधान)* या उन्होंने कमरा खुद किराये पर लिया? मुख्य कर्त्ताधर्त्ता वही थे। आपके समक्ष तो तथ्य आये हैं वे तोड़े-मरोड़े गये हैं। फिर उनके हितरक्षक, आरएसएस के प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि "यह ईसाई मिशनरियों और कांग्रेस पार्टी द्वारा रची गयी साजिश है। इसका जवाब वही देंगे। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। लेकिन यह बात भी सुनाई पड़ती है कि इसमें कुछ और लोगों का भी स्वार्थ निहित है अर्थात् ईसाइयों का, कांग्रेस का, और किसी अन्य का भी। इस बारे में पूरी सच्चाई सीबीआई की जांच पूरी हने के बाद ही सामने आयेगी लेकिन यह अभी तक आरम्भ नहीं हुई है। अभी भी पूछताछ के स्तर पर है। श्री साहू के पूछताछ और जांच के बीच अंतर पता है। इसलिए जैसाकि उन्होंने इस बारे में ठीक ही कहा है, कि अभी यह पूछताछ के चरण में ही है। 16 नवम्बर से आज 10 दिसम्बर हो गया है और यह पूछताछ के ही चरण में है। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, हमें बहुत खुशी है कि वह पकड़े गये। इस बारे में सच क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। उनकी पहचान कर अगले दिन ही उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

अब, एक दूसरे महासचिव महोदय क्या कहते हैं, जो कभी तो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और कभी नहीं। लेकिन वे कहते हैं:

"यह निश्चित तौर पर बहुत गहरी साजिश है और इसके पीछे मुख्य रूप से अजीत जोगी तथा कांग्रेस पार्टी का हाथ है। निश्चित तौर पर इसमें कुछ व्यापारिक स्वार्थ भी रहा होगा। इन लोगों के हित छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं या फिर ये जोगी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो सकते हैं।"

महोदय, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं? वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि इस मामले का खुलासा करने के दोषी कौन हैं। लेकिन इस बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा कि इन महानुभाव से पैसा क्यों लिया।

अब, प्रधानमंत्री ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा है, क्यों? यदि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे त्यागपत्र क्यों मांगा? और जब प्रधानमंत्री ने उनसे त्यागपत्र मांगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें याद दिलाया कि गांधीजी और भगत सिंह भी पैसा लेते थे। और एक जगह पर तो उन्होंने कहा है कि वह सामाजिक कार्यों के लिए पैसा लेते हैं, इसमें गलत क्या है। मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी हमें इस बारे में बतायेंगे क्योंकि वह उनके मंत्रीपरिषद के सदस्य थे। वह उनकी पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन भाजपा ने उन्हें अलग नहीं किया। उन्हें पार्टी से निलम्बित नहीं किया। ये सज्जन चुनाव अभियान के दौरान चुनावी सभाओं की शोभा बढ़ाते थे और भाजपा यह कहकर लोगों से वोट पाने का प्रयास कर रही थी कि ''जसपुर के राजा के साथ कितना अनर्थ हुआ है''। क्या सार्वजनिक मामलों से और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति के साथ आप ऐसे ही पेश आयेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द उनके विरुद्ध नहीं बोला।

आइये हम देखते हैं इस बारे में किस तरह से जांच की जा रही है। मैं यहां पर श्री आडवाणी के एक वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह कांड जिस दिन हुआ उसके एक दिन बाद श्री आडवाणी राज्य की राजधानी रायपुर पहुंचे और जब इसकी जांच के लिए लोग यहां आये थे, उन्होंने कहा ''शायद यह पहली बार हुआ है जब राजनीति का स्तर नीचे गिरकर स्टिंग आपरेशन तक पहुंच गया है।'' अब सीबीआई को कौन दिशा-निर्देश दे रहा है? वह सीबीआई को किस अधिकार से निर्देश दे रहे हैं? क्या देश में सीबीआई गृहमंत्री के अंतर्गत कार्य कर रही है'' सीबीआई जूदेव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ही जांच नहीं करेगी अपितु जिसने यह टेप बनाया उसकी भी जांच की जायेगी।'' इस तरह क निर्देश कौन दे सकता है। और अगले दिन ही सीबीआई जांच के लिए अंतिम आदेश जारी कर दिये गये। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उल्लेख भर किया गया है, और कैबिनेट सचिव के पास दस्तावेज सीबीआई को अग्रसारित करने के लिए भेज दिये गये हैं। लेकिन अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है।

और अब ये निदेश दिये गये हैं कि टेप किसने बनाया इसकी जांच की जाये। मैं बाद में इस पर भी आऊंगा। इस मामले में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देखें कि इन लोगों ने किस तरह तहलका जांच की दिशा बदल दी। इन्होंने तहलका जांच का पूरी तरह बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने अपनी पार्टी के हित साधन के लिए तथा पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए जांच में गड़बड़ी की है। तहलका कांड में जो कुछ हुआ है वह न्याय का पूरी तरह मखौल उड़ाना है। इस मामले में भी उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया है।

अब, जहां तक जांच का सवाल है, श्री आडवाणी के वक्तव्य के बाद क्या हुआ? सीबीआई का निदेशक उनका बड़ा भक्त था जो अभी-अभी सेवानिवृत्त हुआ है। उसने क्या कहा? वह प्रेस में गया और एक वक्तव्य दिया। उसने जांच के विस्तृत तरीके के बारे में 'आउटलुक' पत्रिका को स्पष्ट किया। उसने कुछ दिनों के अंदर ही इस पर कार्रवाई करने का निर्णय किया है। उसने कहा है कि पहले रिकार्डिंग की प्रामाणिकता पुष्ट की जायेगी। इसकी पुष्टि के लिए जांच की जायेगी कि क्या किसी आवाज को बाद में डब किया गया है। यह सब किसलिए? मुख्य मुद्दा तो पैसा लेने का है। पैसा लेने की बात स्वीकार की जा चुकी है। उन्होंने यह पैसा क्यों और किसके लिए लिया। अब इस मामले में क्या आगे किसी जांच की आवश्यकता है। पैसा लेने की बात से वह कभी मुकरे नहीं। इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है। उन्होंने पैसा लिया है। उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके द्वारा यह पैसा किसलिए लिया गया है। उन्होंने पैसा लिया क्या इसे साबित करना है जिसे दूसरे मामले में विवादित माना जा रहा हो। सीबीआई की अपनी प्राथमिकताएं हैं। उसका कहना है कि टेप की प्रामाणिकता तय करना उनकी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली के पंचतारा होटल में जो कमरा लिया गया था उसकी पुष्टि की जा चुकी है। इसलिए, अब सीबीआई की अगली प्राथमिकता यह होगी कि कमरा किराये पर किसने लिया। हो सकता है कि वह उन व्यक्तियों की पहचान कर लें। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि श्री जूदेव ने पैसा लिया कि नहीं और उन्होंने पैसा क्यों और किसके लिए लिया।

पैसा देने वाले व्यक्ति राहुल का चेहरा टेप में स्पष्ट दिखायी नहीं देता है। इसलिए यह वही है या नहीं इस बात की पुष्टि की जानी है। इसके बाद, यह साजिश है कि नहीं, यह बात भी पता की जानी है। श्री साहू, क्या यह बात आपकी आत्मा को नहीं झकझोरती। आप तो बहुत ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। तहलका कांड के बाद ऐसा होना शुरू हुआ है। मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जाने वाला यह सबसे बड़ा 'कवर अप आपरेशन' है। उस समय उन्हें जो धन पेश किया गया था उसे चुनाव में प्रयुक्त किया जाना था।

इससे सीबीआई को क्या लेना-देना है? इसमें जांच की गुंजाइश ही क्या है? मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह हमें बतायें कि इसमें जांच के लिए गुंजाइश क्या है? सीबीआई को यह निर्देश किसने दिये हैं कि वह टेप की प्रामाणिकता के बारे में और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच करे, जैसी कि श्री आडवाणी ने इच्छा व्यक्त की है? वह श्री आडवाणी के निर्णय को लागू कर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या जांच पूरी हो गयी है। यह एक बात रही। दूसरी बात जो मैं जानना चाहूंगा वह यह है कि क्या सीबीआई ने श्री जूदेव से कोई पूछताछ की है। मैं यही जानना चाहूंगा। मैं इस बारे में सीधा उत्तर चाहूंगा। कम से कम, क्या इस मामले में सीबीआई और श्री जूदेव की आमने-सामने कोई बातचीत हुई है। 17 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक इस मामले में क्या जांच हुई है? इस जांच का परिणाम क्या रहा है। इस बारे में जो संभावित जांच चल रही है और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, क्या उसके अलावा भी इसमें कुछ हो रहा है? श्री साहू, क्या यह मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने लायक भी नहीं है? मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें सूचित करें। उन्हें अपने विधि मंत्री से सही या गलत परामर्श लेने दें। उन्हें हमें यह बताना चाहिए। उन्हें देश को विश्वास में लेना चाहिए। 24 दिन बीत चुके हैं। वे क्या कर रहे हैं? आज तक केवल यही संसदीय जांच, जिसे वे पी.ई. कहते हैं, चल रही है। इसका उद्देश्य केवल उन सज्जन पुरुष को जेल से बाहर रखना और उसे इस प्रकार प्रदर्शित करना है जैसे कि श्री अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, ने उन्हें एक गलत आदमी के रूप में प्रयोग किया है। मैं इसे बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। मेरे पास उनके विरुद्ध कुछ नहीं है। मैं उनके लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। मैं उनकी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं। यदि वे दोषी हैं, तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना चाहिए। मुझे पता लगा है कि उनका दल पहले ही उनके विरुद्ध कुछ कदम उठा चुका है जैसा करने की हिम्मत भा.ज.पा. ने नहीं दिखाई है।

फिर, वे मीडिया को कुछ प्रतियां दिखाते हुए सी.बी.आई. की बात करते हैं। यह एक और अधिक गंभीर बात है। कोई जांच एजेंसी तभी प्रेस में जाती है जब उनके पास किसी मामले से संबंधित कोई ठोस सबूत होता है। प्रेस को नियमित रूप से सूचनाएं लीक की जाती रही हैं। सी.बी.आई. ने अजित जोगी की उस ई-मेल की प्रतियां मीडिया को दिखाई हैं जिनमें श्री चेरेमिया, जो कि रायपुर स्थित आकारा टेलीविजन चैनल के एक निदेशक हैं, श्री जूदेव को फंसाने के लिए एक योजना पर चर्चा कर रहे थे। मैं पूर्ण गंभीरता और विनम्रता से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा। इस बात की क्या प्रासंगिकता है कि तस्वीरें कौन ले रहा था, किसने टेलीविजन के लिए उस वीडियो फिल्म का आयोजन किया? यह मुख्य मुद्दे के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है या क्या श्री जूदेव जिम्मेदार थे या नहीं? प्रैस को इसी की सूचना दी जा रही है; यही सूचना मीडिया को इस प्रकार लीक की जा रही है जैसे कि इस छानबीन या एक प्रकार की जांच में ये ही असली मुद्दे हैं। क्या यह मुख्य मुद्दा है? आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को यह बता रहे हैं कि सी.बी.आई. स्वेच्छा से कार्य कर रही है और उसकी जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

अभी तक यह जांच रिश्वत देने वाले को लेकर हो रही है। रिश्वत लेने वाले के बारे में कोई विवाद नहीं है। सी.बी.आई. यह दर्शाने के लिए जानबूझ कर दिग्भ्रमित कर रही है कि यही असली जांच है; वह उस व्यक्ति का पता लगाना चाहती है जो वीडियो तस्वीरें बनाए जाने का जिम्मेदार है। क्या इसका कोई स्पष्टीकरण हो सकता है?

यहां, हमारे पास एक विख्यात अधिवक्ता, श्री मुखर्जी, हैं जिनके प्रति मेरे मन में सर्वाधिक सम्मान है। वह सर्वश्रेष्ठ विधिज्ञाताओं में से एक हैं। मुझे विश्वास है कि वे आज तक स्वयं परेशान हो रहे हैं कि सी.बी.आई. ने अभी तक इसमें सम्मिलित व्यक्तियों, श्री जूदेव व दूसरे सज्जन श्री रतेरिया, से पूछताछ करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए हैं। यहां तक कि उन्होंने कोई दस्तावेज भी अपने कब्जे में नहीं लिया है। मैं नहीं जानता कि वह धनराशि कहां है। वह धनराशि किसके पास है? इसमें कितना धन सम्मिलित है और वह कहां है? मैं नहीं जानता। सी.बी.आई. ने उस धनराशि को वसूल करने के संबंध में क्या किया है? आज तक कुछ भी नहीं किया गया है।

यदि सी.बी.आई. ने एक प्रथम दृष्टया मामले में जांच की सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की होती, श्री जूदेव को हिरासत में लिया होता, उनके विरुद्ध तलाशी के वारंट जारी किए होते और उनके बैंक खातों पर रोक लगाई होती तो भी इससे जांच प्रक्रिया व जनता के मन पर कुछ असर पड़ता कि सरकार इसके प्रति कितनी ईमानदार व गंभीर है। लेकिन अब हमारे देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनैतिक पूर्वग्रहों के चलते दाग लगाया जा रहा है। क्या हम यहां एक चीज भूल सकते हैं? इस सरकार ने तहलका मामले में जांच एजेंसी सी.बी.आई. के माध्यम से क्या किया है? जैसाकि यहां हमारे कुछ मित्रों ने उल्लेख किया है, हम यह जानते हैं कि जिन सैनिक अधिकारियों को तहलका की टेपों में धन स्वीकार करते हुए दिखाया गया है उनका कोर्ट मार्शल किया गया था लेकिन श्री बंगारू लक्ष्मण ने किसी कार्रवाई का सामना नहीं किया और एक अन्य राजनैतिक दल के नेता कह रहे हैं कि जहां तक इनका संबंध है इसमें गलत हुआ है। यहां, पुनः उन टेपों की सत्यता के बारे में एक बड़ा प्रचार चल रहा है। एक विद्वान न्यायधीश, जो कि उस आयोग के अध्यक्ष थे, ने कहा था कि वे पूर्णतया सही हैं और उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है और वे वास्तविक टेप हैं लेकिन अब एक दूसरे विद्वान न्यायधीश ने इसके ठीक विपरीत निदेश दिया है। अब, पूरा देश और यह संसद भी यह नहीं जानते कि इस जांच की क्या स्थिति है। इसी के साथ-साथ, क्या हुआ है? तहलका को गुप्त रूप से समर्थन देने वालों की खोज हुई थी। एक संगठन के रूप में तहलका को पूर्णतया बर्बाद और समाप्त कर दिया गया है। उनकी वेब-साइट बंद हो चुकी है। उसका मालिक गहरे कर्ज

में डूबा हुआ है। तहलका के दो निवेशक अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तहलका के कर्मचारियों को परेशान किया गया, उनसे दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध लगभग 14 मुकदमे दर्ज किए गए और मंत्रीगण यहां बैठकर नैतिकता के बारे में बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमें बता रहे हैं कि सी.बी.आई. स्वेच्छा से कार्यवाही कर रही है। मेरे विचार से यह किसी सभ्य देश में अब तक की किसी को बचाने के लिए की गई सबसे बदतर कार्यवाही है। तहलका प्रकरण के संबंध में यह स्थिति है।

महोदय, जैसाकि श्री पवन कुमार बंसल ने ठीक ही कहा है कि बहुत से मामलों में 'स्टिंग आपरेशन' किये जाते हैं वहां गवाहों द्वारा फंसाया जाता है। प्रीवी काउन्सिल ने इसे महसूस किया है और हमारे उच्चतन न्यायालय ने इसे स्वीकृति दी है। मैं उद्धृत करता हूं:

> ''यदि कोई साक्ष्य स्वीकार्य है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे हासिल किया गया है। रिश्वत और दुराचरण के मामले में फंसाने वाले गवाहों या नकली ग्राहकों के साक्ष्य पर आधारित होते हैं।''

महोदय, पूर्व में कई अवसरों पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बहुत महत्वपूर्ण और उच्चाधिकारियों को फंसाने वाले गवाहों की सहायता से गिरफ्तार किया गया है। अब, इस मामले में विशेष बात क्या है? यह विशेष है क्योंकि इसमें सम्मिलित सज्जन भा.ज.पा. से संबंधित हैं और इसलिए भी कि वे चुनाव का सामना कर रहे हैं। अब क्या हुआ है? हमें सरकार के रवैये में अंतर को देखना चाहिए। श्री अजीत जोगी के प्रकरण के अगले ही दिन एक सी.बी.आई. जांच गठित की गई थी और वह ठीक भी है। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला है तो ऐसा ही होना चाहिए और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मामले में 24 दिनों से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं दिखाई देता जो पैसा लेने की बात स्वीकार कर चुका है।

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा और यह देश यह जानना चाहता है कि वह कौन सा ऐसा सामाजिक कार्य था जिसके लिए उन्होंने पैसा लिया व जिससे प्रधानमंत्री प्रसन्न हुए। यदि वे इतने संतुष्ट हैं तो उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब, प्रधानमंत्री जी उसी व्यक्ति को अपने साथ चलने की अनुमति दे रहे हैं जिससे उन्होंने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने को कहा था और उप-प्रधानमंत्री जी उसे इस देश के लोगों के सम्मुख ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रमाणपत्र दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ है। यह कहना ऐसे ही है कि: 'मुझे देखो, मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूं। मैं बहुत सख्त हूं। मैंने उनसे त्यागपत्र देने को कहा है लेकिन मैं उन्हें अपनी गोद में रख रहा हूं। मैं उन्हें लॉलीपॉप दे रहा हूं। भा.ज.पा. की यह विश्वसनीयता है, भा.ज.पा. की यह नैतिकता है और यह आशा की जाती है कि हम, संसद सदस्य, उनका अक्षरशः अनुसरण करें, वे इसका उपयोग अपने राजनैतिक उद्देश्यों व इस देश का वातावरण बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं। वे सज्जन ईसाईयत के विरुद्ध अपनी जंग की घोषणा करते हैं और इससे उनकी अंतरात्मा विचलित नहीं होती।

महोदय, मेरे विचार से यह मामला स्व-प्रायश्चित दोष का है। यह केवल एक सजा का मामला है परन्तु भा.ज.पा. ने उन्हें जो सजा दी है वह किसी को भी संतुष्ट नहीं करती है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह केवल खाल बचाने के लिए है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ऐसा लगता है कि उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहना ही सजा है। लेकिन यहां हमारे पास एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। एक मंत्री चरित्रहीनता के आधार पर त्यागपत्र देता है परंतु दुर्भाग्यवश इस बात की जांच पूर्ण होने से पहले ही उन्हें पुनः बहाल कर दिया जाता है। इसका पर्याप्त साक्ष्य है। एक मंत्री दूरदर्शन, जोकि एक अधिकारिक चैनल है, पर इस देश के लोगों के सामने अपना त्यागपत्र देते हुए यह कहता है कि जब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक मैं मंत्रालय में वापस नहीं लौटूंगा।'' आज उन्हें सत्तापक्ष की तथाकथित 'सजावट' के रूप में एक मंत्री बनाया गया है। विपक्ष स्पष्टतया उन्हें असली रक्षा मंत्री की भांति नहीं ले सकता।

मेरे विचार से इस देश का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसरों के मामले में दोहरे मानक प्रयोग में लाते हों। प्रश्न यह है कि क्या भ्रष्टाचारी तत्वों को इस देश पर हावी होने देना चाहिए, क्या राजनीति को भ्रष्ट लोगों का युद्ध-स्थल बनने देना चाहिए, क्या प्रशासन में सच्चाई की कोई प्रासंगिकता है। इस देश में सुलझाने हेतु कई समस्यां हैं—जैसे बढ़ती बेरोजगारी, लोगों की लगातार बढ़ती कंगाली, गंभीर आर्थिक मंदी आदि-आदि। धर्म के आधार पर पूरे राष्ट्रीय ताने-बाने को तार-तार किया जा रहा है। क्या हम इस बात को सहन कर सकते हैं कि इस देश को इस प्रकार की भ्रष्टाचारी गतिविधियों में संलिप्त लोगों द्वारा शासित किया जाना चाहिए? अतः, यह सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है। हम यह मांग करते हैं कि यदि उनमें तनिक भी मर्यादा की भावना है, यदि उनमें संसदीय लोकतंत्र के प्रति सम्मान की तनिक भी भावना है तो उन्हें इस मामले की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराए जाने की इस मांग को स्वीकार करना चाहिए। इस मामले

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

के तथ्यों के अनुसार उप-प्रधानमंत्री तथा भा.ज.पा. के महत्वपूर्ण नेताओं ने इसमें स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप किया है। जहां तक सी.बी.आई. का संबंध है तो हमें कम से कम इस मामले में तो सी.बी.आई. की जांच पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम कम से कम जनता को विश्वास में लेने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त किये जाने की मांग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री किरीट सोमैया।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: ओह, वे मोर्चा संभाल रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): हमें इसकी चिंता नही है क्योंकि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का समर्थन करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोमनाथ बाबू जी की बात का समर्थन करता हूं। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। पैसे लेने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए।

अपराह्न 2.48 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

सोमनाथ बाबू, पवन जी और सुमन जी ने कुछ बिन्दु इस चर्चा में उठाए। जूदेव को सजा मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। यदि जूदेव दोषी हैं तो जूदेव को सजा मिले। कल यदि किरीट सोमैया भ्रष्टाचार करे, इस मामले में किसी की फेवर करे, पैसा लें और उसमें दोषी पाया जाए तो किरीट सोमैया को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर जूदेव दोषी हैं तो जूदेव को सजा दो, अगर जोगी दोषी हैं तो जोगी को सजा दो, अगर जूदेव के पीछे कोई है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और जोगी के पीछे सदन में बैठने वाला कोई प्लानर हो तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस मुद्दे पर आपका समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: किरीट सोमैया जी को होम मिनिस्टर बना दीजिए।

श्री किरीट सोमैया: माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगा था कि हम चर्चा का स्तर ऊंचा ले जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य देखा है। उन्होंने सदन में और सदन के बाहर बीजेपी और एनडीए की सरकार के बारे में कहा है कि हमें अपने सामाजिक और राजकीय जीवन का चरित्र ऊंचा करने की आवश्यकता है। सिर्फ ऊंचा उठाने की बात ही नहीं है। अभी राजस्थान के अजमेर जिले में मैं विधान सभा के चुनावों के समय गया हुआ था। वहां मैं 15 दिन रहा हूं। वहां के अखबारों में प्रतिदिन इस तरह के विज्ञापन आया करते थे कि यह जूदेव कौन है, यह बीजेपी का मिनिस्टर पैसा लेते हुये पकड़ा गया, उसके बड़े-बड़े फोटो छपे हुये दिखाये गये, क्या ऐसी बीजेपी को वोट देंगे? यह काम लगातार 15 दिन तक अखबारों के माध्यम से चलता रहा। अगर जूदेव दिल्ली में दोषी हों तो सजा छत्तीसगढ़ की जनता देगी? इतना ही नहीं विपक्षी पार्टियों ने प्रचार किया और लोक सभा में विपक्ष की नेता के पास भी केवल एक यही पाइंट था कि जूदेव भाजपा के हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा का सूफड़ा साफ हो जायेगा, यह खत्म हो जायेगी। हम लोग यहां लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुये हैं जिसका अधिकार जनता ने हमें दिया है। कोई दिन खाली नहीं जाता था जब यह विज्ञापन न छपता रहा हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गांवों में वीडियो, सीडी बांटी जाती है और सुबह 10 बजे रिकार्डिंग प्रारम्भ हो जाती।

सभापति महोदय, हम अपने आपको मूर्ख बना सकते हैं लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते और इसलिए उस जनता ने अपना मत पेटी में डालकर सिखा दिया कि अब बहुत हो गया है, बहुत नाटक हुआ है, डेमोक्रेसी इस प्रकार जीती। जैसा मैने प्रारम्भ में कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): आपने जोगी का नाम नहीं लिया।

श्री किरीट सोमैया: मैं उस पर भी आ रहा हूं लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने जूदेव का नाम खड़ा किया, उसका परिणाम तो इन लोगों को मिलना चाहिए था। इस सबके बावजूद हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी का जो स्टेटमेंट हुआ, उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है:

[अनुवाद]

16 दिसम्बर के द इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में एक समाचार प्रकाशित हुआ है, "...... और मैंने 17 नवम्बर को राष्ट्रपति जी से उस त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश कर दी है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि, "मेरे निदेश पर मंत्रिमंडलीय सचिव ने 17 तारीख को सभी प्रेस कतरने भेजीं और 18 तारीख को जांच शुरू हो गई।

श्री अनिल बसु: वह एक जांच थी। प्रेस कतरने सी.बी.आई. को भेजी गई थीं।

श्री किरीट सोमैया: सारी चीजें सी.बी.आई. को भेज दी गई थीं और तत्काल 18 नवम्बर को सी.बी.आई. ने कार्यवाही शुरू कर दी।

श्री मणि शंकर अय्यर: उन्होंने 23 दिन तक क्या किया? 23 दिन तक आरंभिक जांच चली थी; और श्री जोगी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में 23 घंटे लगे। इन दोनों व्यक्तियों के मामलों को लेने में यह किस प्रकार की समानता है?

मैं चाहता हूं कि आप उनकी जगह लें अत: मुझे अपना बचाव न करने दें। हमें यह पता लग गया है कि एक राज्य मंत्री के रूप में कितने अकुशल और अविश्वसनीय हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति जी, मैं मणिशंकर जी से यह जानना चाहता था कि उनको और आप लोगों को जूदेव की चिन्ता है या जोगी की। अगर जोगी की है, तो मैं उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं जोगी की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या है, फिर भले ही जूदेव का पर्दा हो या जोगी का पर्दा। मैं वास्तव में कहना चाहूंगा कि हम यहां पर जो भी चर्चा करें, उसमें एक-दूसरे पर कीचड़ न उछालें और तेरी कमीज कितनी मैली है और मेरी कमीज कितनी साफ है, उसमें न जाकर, राजनीति में कालाधन और अलग-अलग लॉबीज इस राजनीति को और खराब करने का प्रयत्न करती हैं, उन्हें रोकें और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, इस पर ध्यान दें, तो आज सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है।

महोदय, जब यह कैसेट चल रहा था, तब एक मेरे मित्र पत्रकार मेरे साथ में बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि यह क्या जूदेव और जोगी में कंपैरीजन लगा रखा है, तो उसने कहा कि हमारी एक छोटी सी भूल और उसके लिए इतना बड़ा हंगामा और कांग्रेस का यदि शुरू से आखिर तक का इतिहास देखें तो वह ऐसे बड़े-बड़े रिश्वतकांडों से भरा है, उसके लिए कुछ नहीं। 1950 में हमने कांस्टीट्यूशन स्वीकार किया। पहला मामला श्री मुदगल का था। 1950 में लोक सभा के संसद सदस्य पैसे लेते पकड़े गए। एक बिजनैस हाउस ने एक प्रश्न पूछने के लिए सांसदों को पैसे दिए क्योंकि उस प्रश्न के पूछने से उस बिजनैस हाउस को फायदा होने वाला था। आप उस कांड को लगता है भूल गए। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: हम नहीं भूले, आप भूल गए। उन्हें पार्टी से निकाला गया, सदन से निकाला गया। पार्लियामेंट से एक्सपैल किया गया। क्या आप श्री जार्ज फर्नान्डीज के साथ वही व्यवहार करेंगे, श्री बंगारू लक्ष्मण के साथ वही काम करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): आपको लालू यादव याद नहीं आते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, मुझे मणि शंकर अय्यर जी की यह भावना मंजूर है और उनका यह आर्गूमेंट भी मैं एक्सैप्ट करता हूं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके पश्चात् देखिए, कांग्रेस का इतिहास यहीं नहीं रुकता। टी. कृष्णमाचारी को निकाला गया। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): इसके कारण श्री कृष्णमाचारी को निकाला नहीं गया था। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री किरीट सोमैया: मैंने कृष्णमाचारी के बारे में नहीं कहा है। मैंने श्री मुदगल के बारे में कहा है। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं महोदय, चूंकि आपके दिमाग में है इसलिए आप उनका नाम ले रहे हैं। 1961 में चीन के युद्ध में श्री कृष्णा मेनन जी ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। इन्हें ठीक से डेट भी याद नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें तारीख के बारे में भी नहीं पता है। वह हमें क्या इतिहास बतायेंगे? यह बेहूदा है। एक व्यक्ति गलत सूचना से भरा एक कागज का टुकड़ा निकालने के लिए कागजों के ढेर को पढ़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सौमैया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य को त्यागपत्र से मतलब होना चाहिए न कि किस वर्ष युद्ध हुआ उससे। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं माननीय सदस्य को तारीख के बारे में बता रहा हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

आपने अभी-अभी कहा कि 1961 में चीन का आक्रमण हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1961 में नहीं, 1962 में हुआ और आप बिना जाने तारीख बता रहे हैं। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, मैं मणिशंकर जी का आभार मानता हूं कि कृष्णामेनन जी को यहां से जाना पड़ा, उसे चैलेंज नहीं किया, 1961 और 1962 के लिए किया। वह सरकार में वापस आए थे ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, अब ये कृष्णमाचारी से कृष्णामेनन हो गए। ...*(व्यवधान)* 1961 का 1962, कृष्णामेनन का कृष्णमाचारी, ये क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, मुझे कांग्रेस की परिस्थिति पर थोड़ी दया आ रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कृष्णमाचारी का भी केस था और कृष्णामेनन का भी था। ...*(व्यवधान)* मैं आपको आगे बता रहा हूं कि दोनों को यहां से जाना पड़ा था और दोनों वापस आए थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब आज श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा अन्य मंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं वह बात बताना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: आप यह बताएं कि कृष्णामेनन जी कब वापस आए? ...*(व्यवधान)* मुरली मनोहर जोशी जी हिस्ट्री के सही प्रोफेसर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, ये डिस्टर्ब करके सही तथ्यों को लाने से रोक रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये सदन में क्या कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, कांग्रेस का इतिहास यही नहीं रुकता है। इनका इतिहास दुलाराम, नागरवाला, ललित नारायण मिश्रा से लेकर बोफोर्स कांड तक जाता है। यह प्रारम्भ मुदगल से हुआ, फिर मूंदड़ा का हुआ और उसके बाद कृष्णमाचारी और कृष्णामेनन को किसी कारण से जाना पड़ा। ये वापस भी आए लेकिन यह नहीं रुका। 1990 में श्री राव प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, इसके बारे में सदन को याद कराने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: पहले आप गलत आरोप लगाते हैं, कोर्ट उन्हें रिहा करता है और आज आप कहते हैं कि जिस केस में उस प्रधानमंत्री को रिहा किया गया है, वह भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है। ...*(व्यवधान)* आप जूदेव के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री किरीट सोमैया, नियम 193 के अधीन चर्चा जूदेव मामले के बारे में है न कि ऐतिहासिक बातों के बारे में।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा हूं। मैं इतिहास इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये एक-दूसरे की कमीज पर कीचड़ उछालने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं गलती हुई है, मुझे पत्रकार कह रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सफेद है, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार सदाचार है, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती करेगी तो लोग उससे पूछेंगे, जैसे ये शब्द प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है तो शब्द प्रयोग नहीं है, जैसे बर्फ ठंडी है, पानी गीला है, पानी तो गीला ही होगा और बर्फ ठंडी ही होगी। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही नाम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या आप उनका अनुसरण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: इसके लिए मैंने आपको यह कहना चाहा, जी हां, निश्चित रूप से। मैंने पहले ही प्रारम्भ में कहा, जी हां, हम सहमत हैं, हमें राजनीति में ऊंचाई लानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह वाद-विवाद का स्तर ऊपर उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: अपना हाथ उठाकर ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: आपने अजीत जोगी का सवाल किया। ...*(व्यवधान)* जैसे मैने अभी कहा, अजीत जोगी की बात कही। ...*(व्यवधान)* अगर आपने इनकी बात कही तो मैं उसकी भी बात करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: माननीय सभापति महोदय, वह कहते हैं कि हमने श्री अजीत जोगी का प्रश्न उठाया है। हमने ऐसा कहां किया है? उनका इस मुद्दे से संबंध नहीं है। हम श्री दिलीप सिंह जूदेव के बारे में पूछ रहे हैं। यदि अजीत जोगी मामले का जूदेव मामले से कोई संबंध है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है लेकिन वह अजीत जोगी के मामले पर आना चाहते हैं। वह ऐसा किस तरह कर सकते हं?

महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया नियमों के नियम 353 और नियम 356 के अधीन है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तब तक सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक अथवा अपराधसूचक आरोप नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि सदस्य अध्यक्ष और मंत्री महोदय को पहले से उचित सूचना नहीं देता ताकि मंत्री उत्तर देने के प्रयोजन के लिए मामले की जांच करवा सके। यदि श्री किरीट सोमैया, श्री अजीत जोगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें सूचना देनी होगी और आपको यह श्री स्वामी को देनी होगी। श्री स्वामी को जो कुछ कहना है हमें उसे अत्यधिक उत्सुकता से सुनना चाहिए। इसके बाद ही उन्हें श्री अजीत जोगी का मामला उठाने दिया जाए। महोदय, मैं नियम 356 के अधीन आपका विनिर्णय चाहता हूं।

मैं नियम 356 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष, उस सदस्य, जो बेवजह बार-बार तर्क करते हैं और वह वास्तव में अप्रासंगिक बात कर रहे हैं के व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के पश्चात् उन्हें भाषण समाप्त करने का निदेश दे सकता है। नियम 356 के अधीन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें अप्रासंगिक भाषण समाप्त करने का अनुरोध करे।

श्री अनादि साहू: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। क्या मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया चर्चा के लिए प्रस्तुत विषय से हटकर किसी और मामले का उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर)**:** सभापति महोदय, अध्यक्ष जी ने जब चर्चा स्वीकार की थी तो उन्होंने निर्देश दिया था कि अजीत जोगी के संबंध में भी चर्चा उठा सकेंगे, यह स्पीकर साहब की रूलिंग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: मैंने श्री अजीत जोगी के बारे में एक वाक्य भी नहीं बोला है ...*(व्यवधान)* तो इसका उल्लेख न करने का प्रश्न कहां उठता है?

सभापति महोदय: प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा हो रही है। यदि प्रधानमंत्री के वक्तव्य में श्री अजीत जोगी का उल्लेख होता है, तो आप उनका उल्लेख करें। यदि वहां श्री अजीत जोगी का कोई उल्लेख नहीं है तो आप ऐसा न करें।

श्री किरीट सोमैया: माननीय सभापति महोदय, आरंभ से ही सभी वक्ताओं ने इसका उल्लेख किया है। इस संबंध में उन्होंने तहलका का उल्लेख किया है। उन्होंने दूसरे पक्ष के राजनैतिक दलों के नेताओं का उल्लेख किया है। आपकी रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। मैं अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हाल ही में एक अन्य मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। मैं मामले के गुण-दोष पर नहीं गया हूं ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं अभी भी अपना तर्क रख रहा हूं। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अपने तर्क रखे। मैं भी अपने तर्क दे रहा हूं।

श्री अनिल बसु: महोदय, लेकिन इन्होंने उचित व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपको इस पर विनिर्णय देना है।

श्री किरीट सोमैया: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: इस बात का निर्णय कौन करेगा कि प्रश्न व्यवस्था का है अथवा नहीं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ लोगों का उल्लेख था जो सभा के बाहर के हैं। कांग्रेस पार्टी के उपनेता द्वारा पीठासीन अधिकारी के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि किसी व्यक्ति का नाम यहां घसीटा जा रहा है जो अपने बचाव के लिए यहां उपस्थित नहीं है। उस समय, मैं भी यह बात उठाना चाहता था। चूंकि वह पहले ही यह बात उठा चुके हैं इसलिए नियम यह है कि हम उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): वह उस बात का उल्लेख कर रहे हैं जो पहले ही समाचार-पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। वह कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं।

सभापति महोदय: तर्क यह दिया जाएगा कि सभा से बाहर के व्यक्ति के आचरण पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो हम केवल अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप बाहर समाज के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। वे बहुसंख्यक हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। वह वहां पर मुकदमा दायर कर सकता है और कोई भी न्यायालय

[श्री शिवराज वि. पाटील]

के समक्ष उपस्थित हो सकता है जबकि हम किसी को इस सभा में आने और अपना बचाव करने नहीं दे रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने हेतु कर्त्तव्य से बाध्य है कि इस सभा के बाहर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम न हो।

सभापति महोदय: उस मामले में हम केवल 544 सदस्यों के आचरण के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं। यह औचित्य है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह सभा यहां उपस्थित लोगों के आचरण के बारे में निर्णय ले सकती है।

सभापति महोदय: यह नियम है। मैं नियम का अनुपालन करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: एक अन्य मंच है *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: श्री पवन कुमार बंसल, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री रामजीलाल सुमन बोल रहे थे *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने श्री अजीत जोगी की सदोषता अथवा अन्य किसी बात का कभी भी उल्लेख नहीं किया है। मैंने कहा है यदि वह दोषी हैं, तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में सरकार द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाये जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप श्री जूदेव प्रकरण पर ही चर्चा करें क्योंकि सभा के समक्ष इसी विषय पर चर्चा होनी है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं यह कहना चाहूंगा कि जिसने पैसा लिया लेकिन किस कारण पैसा लिया, यह भी जानना पड़ेगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न कर रहा हूं जिसे अभी श्री मणिशंकर अय्यर ने उठाया है *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसे किस नियम के तहत उठाया है, क्योंकि अन्यथा पीठासीन अधिकारी इसे व्यवस्था के विरुद्ध घोषित कर सकते हैं। वह यह बतायें कि इसे किस नियम के तहत उठा रहे हैं *...(व्यवधान)* मैंने व्यवस्था संबंधी प्रश्न किसी नियम के तहत उठाया था *...(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: 'स्टिंग आपरेशन' के बाद यहां लोगों में और छत्तीसगढ़ में जो चर्चा सुनने में आयी उसमें श्री अजीत जोगी का नाम उभकर सामने आया है। इसलिए, जब आप इस विषय पर चर्चा करेंगे तो अजीत जोगी का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आयेगा। इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य, संगत तथ्यों तथा मामले से संबंधित तथ्य के बारे में बेहतर ढंग से पता है। मामले का मुख्य मुद्दा पैसा है और यह जिन बातों को यहां उद्धृत कर रहे हैं वे सारे इससे संबंधित संगत तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम नियमों से शासित होते हैं। यदि ऐसा है, यदि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 का हवाला देते हैं, तो इसे मंजूर कर लिया जायेगा। इसे साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर चर्चा कराये जाने की आवश्यकता है।

श्री किरीट सोमैया: मैं न तो कोई वकील हूं और न ही कोई विधि विशेषज्ञ *...(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात कहने दें *...(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू: माननीय अध्यक्ष ने भी इस बारे में विनिर्णय दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 का हवाला देते हैं, तो इसे साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अब हम नियमों के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं किसी सामान्य कानून के अंतर्गत नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: माननीय सभापति जी, मैं विपक्ष की इस बात को भी मंजूर करता हूं कि उन्होंने तहलका कांड समेत दूसरे कांडों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिये और कुछ पोलिटिकल पार्टीज के नेता का भी उन्हें रेफरेंस दिया। उस समय पर या उसके बाद जो ज्यूडिशियल कमीशन बैठा है, वह अगर उनको दोषी पाता है तो उनको सजा होनी चाहिए लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो जूदेव के पीछे है, वह राहुल कौन है? वह पैसा कहां से लाया और राहुल को किसने वहां भेजा?

श्री अनिल बसु: आप सीबीआई को भेज दो। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: राहुल को किसने भेजा था? क्या राहुल को भेजने वाला छत्तीसगढ़ से संबंधित था? क्या राहुल की कैसेट बनाने वाले के पीछे कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री था? उसके पीछे कौन था? यह सब प्लानिंग करने के लिए क्या उनको उनकी पार्टी

के किसी लीडर ने कहा था, यह भी जानना पड़ेगा? अभी जो घटना उसके बाद बनी, क्या इस घटना का उस घटना के साथ कोई संबंध है, यह भी जानना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* पर्दे के पीछे क्या है, यह सब जानना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: वह रुपया किसके पास गया? ...*(व्यवधान)* इसका लाभार्थी कौन है? मुख्य बात तो यही है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: आप यह जोगी जी से जाकर पूछिए। हमसे क्या पूछते हो? ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: सभापति महोदय, रुपया हजम खेल खत्म। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर)**:** सभापति महोदय, वह आकाश चैनल किसका है? जिस आकाश चैनल ने वहां यह सारी खुराफात की, वह किसका है? जो उससे संबंधित है, जो अखबार में आया है, उसकी कहानी कहे बिना यह चर्चा पूरी नहीं हो सकती। आकाश चैनल का पता लगाना चाहिए कि वह किसका है? ...*(व्यवधान)* इसके बिना यह चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: सभापति महोदय, जब मैं पोलिटिकल एंड करप्शन की बात कर रहा था तब मैं वास्तव में यही बात कह रहा था। आप पूरी बात तो सुनिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री किरीट सोमैया खड़े हैं। वह आपको मौका नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम चुनाव लड़ते हैं और हमें चुनावों का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। हम इसका अधिकतर हिसाब देते हैं और हम इससे संबंधित लेखा भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो धन प्राप्त किया जाता है उसकी प्राप्तियों का कोई हिसाब किताब नहीं रहता ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनें और इससे आप भी सहमत होंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या हम किसी से पैसे लेकर उसका प्रेस में ढिंढोरा पीटें? ...*(व्यवधान)* यह तो बर्दाश्त की सीमा से बाहर है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी या आप कांग्रेस का ही एकाउंट देख लीजिए। उनकी एक्सपेंडीचर साइड में पैमेंट चैक से हुई होगी लेकिन जो इनकम साइड है, उसमें जो डोनर्स होते हैं, वे कितने पैसे चैक से देते हैं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह उनका और उनकी पार्टी का अनुभव हो सकता है। वह ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई यही कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसे सामान्य अर्थों में न लें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, हम इसे रोक सकते हैं।

जब श्री टी.एन. शेषन यहां आए और उन्होंने इसमें रिफार्म्स लाने का प्रयत्न किया तो उन्हें काफी सफलता मिली। मैं वास्तव में आज सदन को यह कहना चाहूंगा कि अगर कहीं करप्शन है, तो करप्शन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें इलैक्टोरल रिफॉर्म्स लाकर इस वस्तुस्थिति को और पारदर्शी और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इलैक्टोरल रिफॉर्म्स सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। यदि एक बार कोई पार्टी चुनकर आती है, अगर उसे बहुमत मिलता है तो उस पार्टी को सरकार बनाने देना चाहिए, हमें भी इसमें जोड़ना चाहिए। बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए भी अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है या उसे तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी विचार होना चाहिए। हम श्री जूदेव की चर्चा जरूर करें लेकिन उनके केस में जो भी दोषी हैं, उनको भी सजा हो। यदि श्री जूदेव के साथ श्री जोगी का केस होता है या और ऐसा कोई तहलका का केस भी आएगा–हम कहां से कहां जा रहे हैं। एक संसद सदस्य दूसरे संसद सदस्य को पैसा ऑफर करता है कि आप पार्टी बदल लें। एक संसद सदस्य दूसरे संसद सदस्य को कहता है कि आप मुख्य मंत्री बनें। ...*(व्यवधान)* एक कार्यवाहक मुख्य मंत्री एक संसद सदस्य से कहता है कि वहां से सात एमएलएज लेकर आ जाइए। एक कार्यवाहक मुख्य मंत्री कहता है कि मेरे पास मेरी पार्टी की भी परमीशन है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। आप पूछिए कि वहां ऐसा हुआ है या नहीं। आपने वहां ऐसे ही किया। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[श्री किरीट सोमैया]

हाथी के दांत चबाने के एक और दिखाने के दूसरे हैं-यह भी नहीं होना चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो साथ मिलकर करें, हम इसके लिए तैयार हैं। हमने दूसरे दिन ही श्री जूदेव की इन्क्वायरी के लिए आर्डर कर दिया। हमने बोफोर्स या नागरवाला आदि प्रकार के कांड नहीं किए, यह मैं श्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में मैं कहना चाहूंगा। यहां सोमनाथ दा ने कहा कि मैं देश के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। सोमनाथ दा, अगर आप इंडियन एक्सप्रैस का हवाला दे रहे थे तो उसी इंडियन एक्सप्रैस को मैं कोट करना चाहूंगा। एक स्वागत योग्य निर्णय। प्रधानमंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया। इसको भी मैं कोट करना चाहूंगा। उसी इंडियन एक्सप्रैस ने कहा है-राजग सरकार की कई उपलब्धियां रही हैं। इसे अपने इस काले धब्बे को दृढ़ता से धो डालना चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

अंत में मैं यही कहूंगा-हमें अपने भविष्य के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भविष्य स्वर्णिम है। हमारा भविष्य सुरक्षित है। मैंने पहले ही कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में, जब इनके समर्थन की सरकार थी, तो सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज हम सौ बिलियन क्रॉस कर रहे हैं। आज हमने किसान को 70,000 करोड़ रुपये की क्रैडिट चार साल में दी है। हमने चार साल में एक लाख करोड़ रुपये हाउसिंग फाइनैंस दिया है। आपने पचास सालों में 500 किलोमीटर नैशनल हाईवेज बढ़ाए, हमने 5,000 किलोमीटर बढ़ाए।

अंत में यही कहूंगा कि 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम 21वीं सदी हिन्दुस्तान की बनाकर दिखाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: यदि सभा के दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं, तो वाद-विवाद को जारी रखने का क्या लाभ? हमें सीबीआई को इस बारे में निदेश देना चाहिए कि वह इस बारे में प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करें ...*(व्यवधान)* इस सभा को इस बारे में निदेश देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.18 बजे

याचिका प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा की अनुमति से मैं श्री के.पी. सिंहदेव को कार्यसूची की मद सं. 18 में यथा सूचीबद्ध याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे तलचर थर्मल हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारियों को एनटीपीसी धारा में शामिल करने हेतु श्री रास बिहारी नाथ तथा अंगुल (उड़ीसा) जिला स्थित तलचर थर्मल हाईस्कूल और दूसरे प्राथमिकी विद्यालयों एनटीपीसी/टीटीपीएस के दूसरे अध्यापकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

अपराह्न 3.20 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री दिलीप सिंह जूदेव के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य—*जारी*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, यहां एक बहुत गंभीर और नाजुक इश्यू पर चर्चा हो रही है। यह बहुत तकलीफ की बात है कि जो कुछ पूरे देश ने सी.डी. पर देखा लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जब सत्ता पक्ष आंखे बंद करके उसकी हिमायत करता है। अगर गलती को गलती कह दिया जाए तो यह उम्मीद होती है कि आइन्दा गलती नहीं होगी। किरीट सोमैया जी की तकरीर सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह जस्टीफाइ करने में लगी है कि चूंकि कांग्रेस ऐसा करती रही है, इसलिए हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। अपनी सफाई देने के बजाए इतिहास के पन्नों को गलत या सही पलट-पलट कर यह साबित करने की कोशिश कि दूसरी सरकारों ने और दूसरी सरकारों के मंत्रियों ने और नेताओं ने इस-इस तरीके की गलतियां की हैं, इसलिए जूदेव काबिले-माफी हैं, यह ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बात है।

अगर सरकार सिर्फ यह कहती है कि जूदेव की गलती है और उनके खिलाफ एफआईआर होगी तथा कानून अपना काम करेगा तो शायद इस सदन के अंदर इतनी बहस की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। किस बात की इंक्वायरी हो रही है? किरीट की तकरीर से ऐसा लगता है कि इंक्वायरी इस बात की हो रही है कि जिस आदमी ने पैसा दिया, उसके पीछे क्या है? जिस आदमी ने पैसा लिया, उसकी कितनी जिम्मेदारी है? सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में, सारे हिन्दुस्तान के टी.वी. चैनल्स इस बात से भरे पड़े हैं और यह कहना कि इलेक्शन के लिए पैसा लिया गया है, यह बेबुनियाद बात है, यह गलत बात है। जो दोनों का कन्वर्सेशन अखबारों में छपा, उस कन्वर्सेशन के मुताबिक

सीधे-सीधे छपा है कि आस्ट्रेलिया की किसी कंपनी की माइनिंग लीज के लिए न सिर्फ यह कि वे वादा करते हैं कि माइनिंग लीज छत्तीसगढ़ में देंगे बल्कि उड़ीसा में भी देंगे और उड़ीसा के मुख्य मंत्री का भी नाम लिया गया। बीजेपी के कई नेताओं के टी.वी. चैनल पर मैंने भाषण देखे थे कि जोगी ने सोनिया गांधी का नाम लिया है। सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। मैंने किसी से नहीं सुना कि उड़ीसा चीफ मिनिस्टर का नाम भी इसके अंदर आना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर बीजेपी की सरकार इसी तरह चलती रही तो देश के सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएंगे। ...*(व्यवधान)* सीबीआई पूरे तरीके से रियासी दबाव में काम कर रही है। सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ईमानदारी से काम करेगी। आज सी.डी की सच्चाई की तलाश करने की कोशिश की जा रही है। सी.डी. की किस बात की सच्चाई की तलाश की जा रही है? किरीट सोमैया जी, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि जो बीजेपी भगवान राम का नाम लेकर इस देश के अंदर सत्ता हासिल करना चाहती थी, वह बीजेपी जो इस देश में राम राज लाने की बात करती थी, वह बीजेपी जो देश के लोगों को रास्ता दिखाती थी कि राम राज यह है और जिसका मुंह यह बताते हुए नहीं थकता था कि भगवान राम ने अपने दौर में क्या किया था और इस देश में हमें वह करना है तथा हमें देश के अंदर परिवर्तन लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यह किया था। आपको सत्ता इसलिए नहीं मिली थी कि आप पिछले पचास साल का इतिहास इस हाउस के अंदर बताना शुरू करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस ने गलतियां की थीं तभी आपका राज आया। अगर कांग्रेस ने गलतियां नहीं की होतीं तो इस देश के लोगों को कोई जरूरत नहीं थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता देते। आपके हाथों में सत्ता इसीलिए लोगों ने दी थी कि शायद आप इस देश के अंदर कोई बदलाव लाएंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे लेकिन यकीन मानिए, देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। लोग एक दिन के बाद दूसरा दिन नहीं जाता है जब एक नया स्कैम न होता हो। इस बात से कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि तीन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। किरीट जी, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी गुनाह को सिर्फ इसीलिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप किसी एक स्टेट में चुनाव जीत गए या हार गए। यदि कोई जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि चुनाव जीते हैं इसलिए सारे गुनाह माफ हो गए, यह मुमकिन नहीं है। उन राज्यों के अंदर जीत आपकी नहीं हुई है। आपने पांच साल के अंदर ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, जिससे आप जीत जाते। यह तो कांग्रेस पार्टी की हार है। अगर तीन सूबों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें ठीक काम करती तो आप वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार की जीत केन्द्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है। आप मेरी बात याद रखना, आने वाले लोक सभा के चुनाव के अंदर आपका वही हाल होगा, जो दिल्ली में हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो इन तीन प्रदेशों के अंदर चला, जिसकी वजह से आप जीते हैं, उसी वजह से पूरे देश के अंदर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।

अजीत जोगी जी की बार-बार चर्चा हो रही है। मैं अजीत जोगी जी को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जोगी जी के खिलाफ इम्मीडिएट कार्रवाई की। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अजीत जोगी जी ने जो काम किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन यकीन मानिए, आप तो हर रोज यह काम करने का काम करते हैं।.... *आप भी इस बात को सोचिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री अलवी आप किसी राज्य विधान सभा अध्यक्ष के आचरण के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते। यह उचित नहीं है। मैं इस भाग को सभा की कार्यवाही से निकालता हूं। किसी भी विधान सभा अध्यक्ष का नाम यहां इस तरह से नहीं लिया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): स्पीकर के बारे में यहां बोलना उचित नहीं है।

सभापति महोदयः इसे निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवीः आपने कह दिया, मैंने मान लिया। जैसा आप कह रहे हैं, मुझे स्पीकर का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं उसको वापस ले रहा हूं, बात खत्म हुई। मैं नाम वापस ले रहा हूं। लेकिन आप यकीन मानिए मेरे वापस लेने से भी सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई अपनी जगह रहेगी।

आप ताज्जुब करेंगे कि इस देश के अंदर सीबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूट्स किस तरह काम कर रहे हैं। मायावती जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने एफ.आई.आर. लॉज करने का हुक्म दिया। अगले दिन उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कंज्यूमर फोरम का चेयरमैन बना दिया गया। क्या इससे गलतफहमी पैदा नहीं होगी? क्या इससे पूरे देश के अंदर यह संकेत नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से साजिशें कर रही हैं?

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहा हूं। उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति और उनके आचरण के बारे में टिप्पणी कर रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने एक निर्णय दिया था और उसके अगले दिन से ही उन्हें लालच दिया गया और किसी उपभोक्ता मंच का चेयरमैन बना दिया गया ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के विरुद्ध टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं है? क्या आप इस बात का खंडन करते हैं?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह सच्चाई है, उसका मैं लोक सभा में जिक्र नहीं करूंगा, तो फिर कहां करूंगा। अगर इस हाउस के अंदर इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपने सिर्फ सीबीआई को बेइमान बना देना चाहते हैं बल्कि ज्यूडिशरी को भी अपने हाथ का खिलवाड़ बना देना चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या बात होगी, इस देश के लोगों को यह पता लगना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: इन्क्वायरी कमीशन के चेयरमैन के साथ आपने क्या किया?

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): यह आपत्तिजनक है। ज्यूडिशरी को भी हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह असत्य है। इसको कार्यवाही से निकालना चाहिए। क्या ज्यूडिशरी भी किसी के कहने से बिकती है इसलिए इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है।

श्री राशिद अलवी: सर, सच्चाई का पता पूरे देश को चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर हंगामा करेंगे क्योंकि दु:खती नस पर जब हाथ रखा जाता है तो तकलीफ होती है। अगर यह किया है तो तकलीफ को भी बर्दाश्त करने का काम कीजिए। तकलीफ तो होगी लेकिन उसे बर्दाश्त करने का काम भी कीजिए। लेकिन जब इसका नतीजा संसद में निकलेगा तो उस तकलीफ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। सर, मैं अपनी बात को लम्बी नहीं करना चाहता हूं लेकिन यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार एक भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार ने जिस तरीके से जूदेव जी को डिफेंड करने का काम किया है उससे शर्मनाक कार्य दूसरा नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनानी चाहिए। अगर इस सरकार को रत्ती भर भी डैमोक्रेसी में भरोसा है जो इस देश को सच्चाई का पता लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार-बार कहती है कि हम डैमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं मुतालवा करता हूं कि इस देश को सच्चाई का पता चलना चाहिए और सच्चाई का पता तभी चल सकता है जब जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी इंक्वायरी करे तथा तत्काल एफआईआर जूदेव जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद इंवैस्टीगेशन होनी चाहिए।

अफसोस की बात है कि जिस डीआईजी ने इंक्वायरी के लिए जूदेव जी को बुलाने का काम किया, उस डीआईजी का तबादला कर दिया गया। किरीट सोमैया जी जब तकरीर कर रहे थे तो शुरू के दो जुमलों में मुझे लगा था कि भाजपा उन्हें पार्टी से निकाल ही न दें क्योंकि वे सही बात कह रहे थे। लेकिन "आहिस्ता-आहिस्ता वही पर पहुंची खाक, जहां का खमीर था।" ये वहीं पर पहुंच गये ...*(व्यवधान)* बीएसपी के बिना इनका काम नहीं चलता है। जब बीएसपी ने इनके साथ समझौता नहीं किया तब भी तीनों स्टेट्स में इन्होंने बीएसपी कहा यानी बिजली, सड़क और पानी। बीएसपी का नाम लेकर ही इन्होंने चुनाव जीता। बगैर बीएसपी के ये जीत नहीं सकते। सर, मैं यही मुतालवा करता हूं कि जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बने, जूदेव जी के खिलाफ एफआईआर हो और उनकी इमीडिएट गिरफ्तारी हो।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): माननीय सभापति जी, माननीय राशिद अल्वी जी ने बड़े जोर-शोर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया बल्कि कांग्रेस ने गलतियां की, इसलिए दूसरी सरकार को चुना। सभापति जी, तीन राज्यों में जो चुनाव हुए वे कांग्रेस की गलतियों पर नहीं जीते गये बल्कि पांच साल में केन्द्र सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी जो विकास की आंधी लाए, उसके कारण जीते गये। विकास का कार्य तो भाजपा और उसके सहयोगी दल ही कर सकते हैं, यह बात तीन राज्य के लोगों ने जान ली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। भ्रष्टाचार के बारे में तो इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं।

सभापति महोदय, इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री, स्व. श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जनता के विकास के लिए दिल्ली से यदि एक रुपया भेजा जाता है, तो वह गांव तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं यानि 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। यह बात उन्होंने उस वक्त कही थी, जिस वक्त सारे देश में, केन्द्र में और प्रदेशों में, कांग्रेस की सरकारें थी। उन्होंने यह मान लिया था कि इस देश में सारा करप्शन कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती आई है, इसीलिए देश का विकास नहीं हो रहा है। जहां तक जूदेव भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और उस पर सदन में बहस हो रही है। कांग्रेस

के राज्यों में तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दिया गया है। पहले तहलका मामला हुआ और तहलका मामले के बाद इलैक्ट्रोनिक मीडिया इस मामले को लेकर आई, लेकिन जनता को उन बातों पर भरोसा नहीं है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया ने पैसा देने की बात टीवी पर दिखाई कि पैसे लिए हैं, लेकिन उस पैकेट में पैसे हैं या कुछ और है, यह पता नहीं है और यह कैमरे में आ गया है। आज इलैक्ट्रोनिक मीडिया का जमाना है, कम्प्यूटर का जमाना है, कुछ भी हो सकता है और क्या हुआ है, कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। यहां पर कहा गया कि जूदेव के मामले की चर्चा हो और किसी मामले की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तेलगी प्रकरण हुआ और 23 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। सारी दुनिया, सारी प्रैस, सारी मीडिया द्वारा वहां के मंत्रियों पर आरोप लग रहा है, तेलगी मामले की जांच के लिए बाकी राज्य सरकारों-आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक-ने सीबीआई की जांच लगा दी है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच करने के लिए दो महीने लगा दिए हैं।

[अनुवाद]

शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक ही बाधा है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। यदि वे मंत्रियों का उल्लेख कर रहे हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि किस सरकार के मंत्रियों के बारे में लोगों के पास सूचना है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: आरम्भ से ही यही रुख अपनाया गया है।

श्री के. येरननायडू: मैंने समाचारपत्रों में यह पढ़ा है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं। जहां तक इस मामले का संबंध है तो शुरू से ही यह रुख अपनाया गया था कि यदि आप इसे सी.बी.आई. या किसी अन्य संगठन को देना चाहते हैं तो आप ऐसा करें। लेकिन यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। जब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है तो हम उच्च न्यायालय को ऐसा या वैसा करने का निदेश नहीं दे सकते। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है।

यदि माननीय संसद सदस्य किसी मंत्री के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: सभापति जी, आदरणीय शिवराज जी पाटिल का मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन मैंने यह बात कही है कि जिन राज्यों ने दो महीने पूर्व सीबीआई की इन्क्वायरी दी वहीं महाराष्ट्र की सरकार को सीबीआई इन्क्वायरी देने के लिए हिचकिचा रही थी। कल उन्होंने नागपुर विधान सभा सत्र में सीबीआई इन्क्वायरी की बात कही है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं पुनः बता दूं कि माननीय संसद सदस्य गलत जानकारी दे रहे हैं। यह आज या कल नहीं हुआ है अपितु यह बहुत समय पहले हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो पुलिस अधिकारी इस मामले में पकड़े गए, उन्हें महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने कई बार क्लीन चिट दी। इतना ही नहीं जब तक वे रिटायर नहीं होते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह राज्य का मामला है। वह राज्य के मामलों का उल्लेख यहां क्यों कर रहे हैं। बहुत हो चुका है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण हमें यहां जूदेव पर नियम 193 के अधीन चर्चा कर रहे हैं न कि राज्य के मामलों पर। आप यहां राज्य के विषयों का उल्लेख नहीं कर सकते। कृपया स्वयं को चर्चाधीन विषय तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: यह भ्रष्टाचार का मामला है। मैं जूदेव के मामले में बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* मैं जूदेव के मामले में अपनी बात रख रहा हूं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि देश में क्या होता रहा है? कई सालों से बुरी आदतें चल रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: इस सभा में तेलगी मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। यह कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय है।

सभापति महोदय: हम तेलगी पर एक अलग चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: सभापति जी, सदन में जोगी जी का विषय आया। आज सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मामला उसी से जुड़ा है। हमने चुनावों में देखा कि कितना भ्रष्टाचार होता है। इलैक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हमने देखा कि उस दौरान लोगों के बीच कई चीजें बांटी गई। वहां स्कूल बैग और दूसरी कई चीजें बांटी गई। इसे लेकर कई लोग पकड़े गए। मुख्य चुनाव आयुक्त लिंग्दोह जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का जितना उल्लंघन हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। चाहे कोई भी भ्रष्टाचार हो, जूदेव का मामला हो या जोगी का मामला हो, उसकी इनक्वायरी होनी चाहिए। जिस दिन वहां से ऐसी न्यूज आई उसी दिन माननीय प्रधान मंत्री ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और इस मामले की इन्क्वायरी कराने की बात कही इसलिए इस बात का यहां कोई तथ्य नहीं है। देश में भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस के जमाने से चल रहा है। एनडीए गवर्नमेंट और खुद माननीय प्रधान मंत्री की यह कोशिश है कि इसे जड़ से समाप्त किया जाए। यहां राम राज्य लाने की बात हुई और उसे लाने की कोशिश भी हो रही है लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से चल रहा है। हम इसे जड़ से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ-सुथरा शासन स्थापित करने की कोशिश हो रही है। 50 साल से चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में वक्त लगेगा। हमने थोड़े वक्त में बहुत अच्छे काम किए। यदि ऐसे एक-दो किस्से हो गए तो सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है। जूदेव के मामले में रचा गया जो केस है, वह करप्शन का केस नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, आज प्रधान मंत्री जी ने जिस मसले पर वक्तव्य दिया, वह मसला नामत: एक व्यक्ति श्री दिलीप सिंह जूदेव के भ्रष्टाचार से संबंधित है लेकिन सच यह है और इससे बड़ी बात और है जो ज्यादा खतरनाक है और जिसे समझना बहुत लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों ने दो मुखौटे ओढ़ कर रखे हैं-एक मुखौटा है जो बाहरी दिखावी नैतिकता का मुखौटा है और दूसरी तरफ उनके अन्दर भरा भ्रष्टाचार है, जिसका नैतिकता से कोई वास्ता नहीं है। पाखंड, दोहरे मापदंड, इन सारे दुर्गणों से भरा उनका असली चेहरा है।

आज प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही जो वह इसके पहले बहुत बार सदन के अन्दर और बाहर कह चुके हैं कि हम भ्रष्टाचार के मसले पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। यह कथन ठीक है लेकिन इसके ठीक विपरीत इस पार्टी का आचरण समझ लेना बहुत आवश्यक है।

इसलिए मैं चन्द उदाहरण देना चाहता हूं। सुखराम के कारण 13 दिन तक संसद नहीं चल पाई और बीजेपी ने संसद की कार्यवाही रोक कर रखी सुखराम के नाम पर। हमने उसे अपनी पार्टी से निकाल बाहर किया ही था कि इन्होंने फौरन इन्हें अपने गले का हार बनाकर टांग लिया और हिमाचल प्रदेश में सुखराम की मदद से सरकार बनाई और उसके लड़के को राज्य सभा का सदस्य बनवा दिया। ...*(व्यवधान)** और इन नेताओं के राजनैतिक समीकरण अनुकूल बैठे वहीं सारा भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, वह जो कह रहे हैं वह इस विषय से संबंधित नहीं है। हमें अपने भाषण चर्चाधीन विषय तक ही सीमित रखने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति जी, मैं इनके दोहरे मापदंड की बात कर रहा था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया स्वयं को केवल चर्चाधीन विषय तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मैं मुख्य विषय पर अपने आपको कनफाइन कर रहा हूं। इसके पूर्व कई नेताओं ने अनेक मामलों को उजागर किया और 1957 से लेकर आज तक के रेफ्रेंसेज दिये जा रहे थे। तहलका कांड को सारे देश ने टेलीविजन पर देखा। पहले भ्रष्टाचार छिपकर किया जाता था, अब टेलीविजन पर रकमों का लेन-देन होते दिखाई दे रहा है। श्री बंगारू लक्ष्मण, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज जैसे लोगों पर अभी मामला चल रहा है। यह सारी कहानी बीजेपी की कथनी और करनी के अंतर को उजागर कर रहा है। उनका कथन क्या है और असलियत क्या है? जहां तक जूदेव के मामले का प्रश्न है, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, आपने नियमन दिया है कि जिस बिन्दु पर चर्चा हो रही है, उसी पर होनी चाहिए। इन लोगों को श्री जार्ज फर्नान्डिस का नाम दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे देश से मूर्ति चोरी होने की बात कई बार मैंने उठायी है, उसका क्यों नहीं जिक्र किया गया?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः वह आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंहः सभापति जी, हमें सब जबानी याद है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः अगर आपको याद है तो दूसरों को भी रिकार्ड मालूम है, वह सब सामने आ जायेगा।

सभापति जी, मेरा वक्त खराब करना चाहते हैं। इनके इंटरफियरेंस को मेरे वक्त में काउंट न किया जाये। मैं आपको दो बातों का रेफ्रेंस देना चाहता हूं। इन लोगों ने 1957 से लेकर कांग्रेस का इतिहास बताया और अगर मैंने 2-4 रेफ्रेंसेज दिये हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो गई। सभापति जी, सवाल यह है कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई। लेकिन सीबीआई की जांच का परिणाम क्या होगा, यह सब जानते हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, बीच में मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, वह रिकार्ड से बाहर किया जाये। जब दिल्ली में श्री सज्जन कुमार के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया था तो सीबीआई ने अपील की थी, हमें कोई एतराज नहीं है। उसे अपील करने का अधिकार है। लेकिन बाबरी मस्जिद मामले में श्री आडवाणी के खिलाफ फैसला आता है तो सीबीआई अपील नहीं करती है। जाहिर है कि सीबीआई पर किस तरीके से दबाव डालकर उसका राजनैतिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जिस सीबीआई की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दाव पर लग चुकी है, उससे कैसे उम्मीद की जाये? जैसा श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि उप-प्रधान मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री ने अदालत द्वारा फैसला देने से पहले क्लीन चिट का वक्तव्य दे दिया। फिर सीबीआई को निर्देशित किया जा रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है कि इन इन लाइन्स पर इनवैस्टीगेशन करिये।

सभापति जी, मैं 2-3 विसंगतियों की तरफ इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जोगी जी के खिलाफ एक शिकायत होती है और उसमें पांच दिन के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जाती है और उसके बाद जांच शुरू कर दी जाती है और वहां किसी प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी की बात नहीं की जाती जबकि वहां आडियो टेप है, जिसके बारे में जोगी जी स्वयं कह रहे हैं कि वह मेरी वॉयस नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): फिर क्यों सस्पेंड कर दिया?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं। हमारी पार्टी ने उन्हें तत्काल सस्पेंड किया और हमारी नेता ने कंडैम किया है। आप हमारी पार्टी का एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने जोगी जी के समर्थन में एक भी वक्तव्य दिया हो? आपके यहां तो पार्टी अध्यक्ष और प्रधान मंत्री जी से पार्टी प्रवक्ता और वक्ता सभी ने भ्रष्टाचारी मंत्री के समर्थन में वक्तव्य दिए, भ्रष्टाचार का समर्थन किया। आप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं और फिर आप हमसे सवाल पूछने के हकदार कैसे बन जाएंगे?

सभापति महोदय, दूसरी तरफ एक व्यक्ति, टी.वी. के ऊपर, वीडियो में रकम लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है और सिर तक उस रकम को ले जाते हुए माथे से लगाता हुआ स्पष्ट दिख रहा है, उस बारे में यह कहा जा रहा है कि पहले प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी जरूरी है और फिर यह डिसाइड सी.बी.आई. करेगी कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाए या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही प्रकार का मामला है, फिर दो तरह के मानदंड क्यों अपनाए जा रहे? क्यों एक तरफ प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी के नाम पर 24 दिन तक मसले को टालने और धीरे-धीरे इस मसले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है? इसलिए सबसे पहले हमारी यह आपत्ति है और आशंका है कि सी.बी.आई. जिस तरह आज राजनीतिक शिकंजे में कसी हुई है और जिस तरह वह राजनैतिक दबाव में है, मैं नहीं समझता कि एक मंत्री के बारे में कोई निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इसलिए मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की उस बात का समर्थन करता हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस प्रकार की जांच करे।

महोदय, मैं एक अजीब विसंगति की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि श्री जूदेव के मामले में स्टिंग ऑपरशन कौन कर रहा है, इस बारे में जांच करना जरूरी है। इसे सरकार भी मानती है और सी.बी.आई. के डायरैक्टर भी मानते हैं। कौन था इसके पीछे, लेकिन ठीक इसके विपरीत अजीत जोगी के प्रकरण में स्वयं अरुण जेटली, कानून मंत्री स्वीकार करते हैं कि उप प्रधान मंत्री जी को इस स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी है और उनकी जानकारी में हमने यह स्टिंग आपरेशन किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूरी नहीं समझी जाती? परन्तु सी.बी.आई. जूदेव जी के इस बारे में इस बात के सुबूत इकट्ठे करेगी कि वीडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। वीडियो रिकार्ड करने वाले का अपराध श्री जूदेव के प्रकरण में सी.बी.आई. मानती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला दोषी है, लेकिन दूसरी तरफ श्री अरुण जेटली स्वयं यह कह रहे हैं कि उप प्रधान मंत्री जी की जानकारी में यह स्टिंग ऑपरेशन जोगी जी के खिलाफ उन्होने किया है, फिर श्री अजीत जोगी जी के मामले में स्टिंग आपरेशन के बारे में उप प्रधान मंत्री जी, श्री अरुण जेटली जी आदि ये सब दोषी क्यों नहीं हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा क्यों कायम नहीं होता है, मैं यह सवाल पूछना चाहता

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

हूं? इसमें दोहरे मानदंड क्यों, वहां सी.बी.आई., सरकार, प्रधान मंत्री, इस देश के कानून मंत्री, क्यों खामोश हैं, हम यह सवाल पूछना चाहते हैं? मैं इस बहस के जरिये, आपके जरिये से, इस सदन के जरिये से, यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दोहरे मापदंड कैसे? किस अवस्था में कहा कि एक के खिलाफ सीधे एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे और दूसरे के खिलाफ प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी करेंगे। एक मामले में स्टिंग आपरेशन करने वाले को आप दोषी मानेंगे और दूसरे मामले में स्टिंग आपरेशन करने वाले, जो खुद महसूस कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं, उन्हें दोषी नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों?

महोदय, किसी का टेलीफोन टेप करना, कानूनन जुर्म है। किसी का टेलीफोन टेप करने से पहले उन्हें अथारिटी से कानून के अनुसार परमीशन लेनी चाहिए। परमीशन लेने के बाद ही फोन टेप किया जा सकता है। यह कार्रवाई भी अपने आप में गैर-कानूनी थी और यह सब क्यों किया गया, उसके लिए दोषी कौन-कौन हैं, इस पर यह सरकार खामोश क्यों है?

श्री रघुनाथ झा: कोर्ट में जाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हमें जहां जाना होगा, हम वहां जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करने वाला हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: हर बार जब बात होती है तो अमर सिंह का जिक्र करते हैं। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं अश्लील बात कहने के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे इस व्यक्ति ने उत्तेजित किया था। मुझे खेद है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): उनका नाम लेते ही आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: क्योंकि ये उसकी प्रशंसा करते है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात यह है कि न तो यह पहली बहस है और न ही भ्रष्टाचार को लेकर सदन में यह आखिरी बहस होगी। ...*(व्यवधान)*

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मुझे थोड़ा बोलने का समय दें। यह भ्रष्टाचार पर न पहली बहस है और न ही आखिरी होगी। हम आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे। मैं एक बार खुद अपने दिल से सोचता हूं और आप सब लोगों से भी अपील करता हूं कि हम कहां जा रहे हैं तथा हम लोगों की नजर में कहां खड़े हो रहे हैं। सच बात यह है कि आज हम आप पर और आप हम पर आरोप लगाते-लगाते, सारे के सारे लोग इतने दागदार हो चुके हैं, हमारी खुद की और पूरी की पूरी राजनीतिज्ञों की जो जमात है, हमारी विश्वसनीयता लोगों के बीच में कहां पहुंची है। हम अपने आपको को भले ही टैक्नीकली, कानून किसी प्रकरण से बचा लें, अपने साथियों को बचा लें, लेकिन बात हमारी पूरी इस विधि की, हमारा जो पोलिटीकल सिस्टम है, लोकतंत्र है, अगर इसकी विश्वसनीयता एक दिन खंडित हो गई और उस जगह पहुंच गई जहां हमें फिर आम आदमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह खतरनाक खेल खत्म हो, उसमें चाहे जोगी हो या जूदेव हो। आज सारी पार्टियां यह तय कर लें कि अगर वे दोषी हैं तो उन्हें हम बिलकुल कोई किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे और उनके खिलाफ बकायदा कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हमें उनके लिए केवल पर्दे, इफ एंड बट, ऐसा करके उन्हें बाहर निकालने के रास्ते नहीं खोजने होंगे। सच्चाई यह है कि आज भी इन परिस्थितियों में, जिनका मैंने जिक्र किया, इस बात की कोई रंच-मात्र भी यह संभावना नहीं है कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से कोई जांच कर पाएगी। इसलिए मैं आपसे और सदन से अनुरोध करता हूं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और वे इस सारे मामले की जांच करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसकी पूरी जांच हो और जूदेव प्रकरण में वे अपनी रिपोर्ट पेश करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब जूदेव का मामला आता है तो बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं और दूसरा मामला आता है तो कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं। चारा घोटाले का मामला आता है तो रघुवंश बाबू चिल्लाते हैं, ताज का आता है तो मायावती जी के लोग चिल्लाते हैं और तहलका का आता है तो हम भी चिल्लाते हैं, चिल्लाने वालों की जमात संसद में बैठी हुई है और इससे कोई मुक्त नहीं ह। कहीं न कहीं सब लोगों की पार्टी और कोई न कोई भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सब भ्रष्टाचारियों का नाम एक जगह इकट्ठा करके, जिन लोगों का नाम अब तक चर्चा में आ चुका है, इसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी बना कर सब लोगों पर जांच करा दी जाए तो प्रोबलम सोल्व हो और देश में मैसेज जाए कि भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही हो रही है। ...*(व्यवधान)* इस तरह रोज यहां एक-दूसरे पर आरोप लगाने से क्या फायदा है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मंत्री घूस लेता हुआ पकड़ा जाए और उस पर कोई कार्यवाही न हो। ...*(व्यवधान)* सरकार में जो हैं, उनके लिए नहीं कहेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम सब के लिए कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप कहेंगे तो सुधार हो जाएगा?

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभी असंसदीय शब्द कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिए जाएंगे। डा. जयललिता के बारे में श्री चतुर्वेदी द्वारा किए गए उल्लेख को भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): माननीय सभापति महोदय, आज जूदेव प्रकरण पर यहां चर्चा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस पर बयान आया और उस बयान के बाद मैं महसूस करता हूं कि इस पर कोई तफसील से चर्चा कराने की जरूरत नहीं थी।

जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद इन चीजों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह जी ने ठीक ही कहा कि जब चर्चा भ्रष्टाचार पर होती है तो बोफोर्स से लेकर तहलका तक, ताज कोरीडोर से लेकर अन्य सवालों पर चर्चा होती है, चारा घोटाले से तेलगी मामले पर चर्चा होती है। फिर हम नैतिकता की दुहाई देते हैं, फिर हम स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है। आप भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए निश्चित तौर पर पोलिटिकल पार्टियों को इस पर आत्मचिन्तन करना चाहिए और पोलिटिकल पार्टियों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हम देखते हैं कि यही मैसेज आज जनता में जा रहा है कि सभी राजनैतिक दल भ्रष्टाचार को, जब उनकी पार्टी की बारी आती है तो उसे कवर अप करते हैं और यह मैसेज पर चाहे हम जितनी भी चर्चा करें, आज आम जनता में यह बात कि भ्रष्टाचार को हम सभी सहयोग प्रदान करते हैं।

सी.बी.आई. पर जब चर्चा होती है तो हम देखते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे, अगर जो माननीय सदस्य बोलते हैं तो कभी उसकी सकारात्मक भूमिका जो उनके अनुकूल होती है तो उसकी सकारात्मक भूमिका की प्रशंसा करते हैं और जब उनके प्रतिकूल होती है तो सी.बी.आई. बड़ी खराब हो जाती है। यह तो सैकेण्डरी फोरम है, प्राइमरी फोरम तो लेजिस्लेटिव है, जहां पर इन चीजों को हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर पोलिटिकल पार्टियों का एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। अब केस को सी.बी.आई. में देने के बजाय निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को और पार्टियों को भी, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, इस पर यदि आत्मचिन्तन करें तो जनता को भी मालूम होता है कि कौन भ्रष्टाचारी है। पोलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी मालूम होता है और किसी दूरी तक हम उसका संरक्षण करते हैं, इसका संज्ञान सारे लोगों को है, इसलिए व्यक्ति विशेष की चर्चा किये बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की यह जो परिस्थिति बनी है,

अपराह्न 4.04 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

यहां तो जो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए हैं, वे भी भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं और जो बिल्कुल शुचिता के प्रतीक हैं, वे भी भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बड़ी विचित्र स्थिति है और भ्रष्टाचारियों के बीच में से उसे लोगों को चुनना है, इसलिए जनता हतप्रभ है। जनता भी भ्रष्टाचारियों को और जो आदर्श वाले लोग हैं, उनकी भी समान दृष्टि से विभिन्न कारणों से उनकी पूजा करती है। वहां भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए डेमोक्रेसी के इस पड़ाव पर जहां हम 56 वर्ष बिता चुके और आजादी के प्रथम संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, 56 वर्षों के बाद लगातार हम समझते हैं कि गिरावट आती जा रही है।

इस गिरावट में कहीं न कहीं रुकावट होनी चाहिए। देश की जनता को माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से आज यह उम्मीद है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि वह शुचिता के प्रतीक हैं इसलिए उन्हें पहल करनी चाहिए। इसकी जांच सीबीआई को दी गयी, यह एक बात है। अब जेपीसी को

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अरुण कुमार]

दिया जाये, वह दूसरी बात है। मैं जेपीसी की भूमिका पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यूटीआई का इतना बड़ा स्कैम हुआ, जिस तरह की रिपोर्ट जेपीसी से आई, जिस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो आप जब सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो सीबीआई को हम लोग ही प्रभावित कर रहे हैं और जेपीसी का आउटकम भी हम लोगों को ही देना है।

लोकतंत्र की जो सर्वधर्म सत्ता है जिसको यहां की करोड़ों जनता ने ट्रांसफर किया है, अपनी ऊर्जा और ताकत दी है, यदि यह संसद इन चीजों का मूल्यांकन नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि आज के दिन हम उस कटघरे में खड़े है। सम्पूर्ण लोग आज यह जानती है कि भ्रष्टाचार बहुत अहम मुद्दा नहीं रह गया है क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले लोग, दंडित होने वाले लोग जैसे देश की आजादी में कोई कुर्बानी देकर आता था वैसे ये लोग जब जेल से छूटते हैं तो हाथी पर चढ़कर आते हैं और बड़ा जश्न मनाते हैं। भले ही वह प्रायोजित क्यों न हो। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में यह बात आई इसलिए मैंने कह दी। मेरा यह मानना है कि आज जो परिस्थिति बनी है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः ...*(व्यवधान)**

श्री अरुण कुमारः अब रघुवंश बाबू बड़े जिम्मेवार लोग हैं लेकिन उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अरुण कुमार जी, उनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। आप अपनी बात जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमारः उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अरुण कुमार जी, आप अपनी बात जारी रखिए। उनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण कुमारः हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन जब वह अपनी आत्मा की बात बोलते हैं तब हमको कुछ बोलना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* अब ये बोलते हैं तो मैं उन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना था कि जब आजादी के इतने दिनों बाद, आजादी की पूर्व संध्या पर कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमारे लिए मानक हैं। जो हमारे लिए प्रेरणा सूत्र हैं। इस संसदीय इतिहास में लोगों ने इसे स्थापित किया है और उन प्रेरणा सूत्रों से हमें निश्चित तौर से सबक लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। कोई न कोई सत्ता में तो रहेगा ही लेकिन देश जिस परिस्थिति से आज गुजर रहा है, अवाम जिस घुटन में जी रही है, उसके कल्याण के लिए भ्रष्टाचार एक ऐसा मुख्य मुद्दा हो गया है जिसको लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया है। अब तो यहां तक चला गया है कि भ्रष्टाचारी किस जाति का है, भ्रष्टाचारी किस धर्म का है। जब सोमनाथ चटर्जी जी बोलते हैं तो यह डिसक्रिमिनेशन करते हैं कि यह सेक्युलर भ्रष्टाचार है या नॉन सेक्युलर भ्रष्टाचार है। जब यहां एक बात चली गयी है तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि कुछ ऐसे मनीषी चिंतक और लिजेंडरी पर्सनैलिटीज अभी-अभी इस संसद में हैं कि समय रहते इस पर आत्मचिंतन होना चाहिए। अगर पोलिटिकल पार्टीज भ्रष्टाचार और अपराध को अपने सीने से दरकिनार करेंगी तो जनता उसे पोजीटिव वे में लेगी। इसको कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में ले लेना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, हम जूदेव प्रकरण पर बहस कर रहे है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दिया है। इन टेपों में हमने उन्हें 16 नवम्बर को धनराशि स्वीकार करते हुए देखा। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था। 17 तारीख को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकार करके भारत के राष्ट्रपति जी को भेज दिया गया। 18 तारीख को प्राथमिक जांच तथा आगे कार्यवाही हेतु इसे सी.बी.आई. को अग्रेषित किया गया था।

स्वतंत्रता के 54 वर्ष पश्चात इस सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी होती तो उनकी प्रशंसा की जा सकती थी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना समय की मांग है। हमें सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से मुकाबला करना पड़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह केवल राजनीतिज्ञों तक ही सीमित नहीं है अपितु नौकरशाहों आदि में भी फैला हुआ है। यहां तक कि भारत के पूर्व-मुख्य न्यायाधीश ने भी भ्रष्टाचार के बारे में कहा है। जिला स्तर के बहुत से न्यायिक अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जीः उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडूः हां, यहां तक कि जिला स्तर के अधिकारी भी ए.सी.बी. द्वारा पकड़े गए हैं। ऐसी बहुत सी घटनाओं की

सूचना मिली है।

भ्रष्टाचार से लड़ना मेरे दल का मुख्य एजेंडा है। यहां तक कि किसी भी चुनाव के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मेरे दल का मुख्य एजेंडा है। क्यों? ऐसा इस तथ्य के कारण है कि भ्रष्टाचार विकास, कार्यकुशलता और गुणवत्ता को खा रहा है। अत: स्वतंत्रता के 54 वर्षों के पश्चात हम ऐसे क्यों बन गए हैं? यह केवल भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। अत: हम लगभग सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता और कार्यकुशलता को पिछड़ रहे हैं।

हम सभा में आकर बहुत से मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज समय की मांग यह है कि हम दो या तीन दिन तक केवल भ्रष्टाचार पर ही बहस करें। हमें एक-दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं एक विधायक था। अब मैं एक संसद सदस्य हूं। दोनों तरफ बहुत सी बातें होती हैं। यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो वे सी.बी.आई. की आलोचना करते हैं। यदि यह दल सत्ता में है तो हम सी.बी.आई. की आलोचना कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सी.बी.आई. की आलोचना कर रहा है। हमारे देश में जांच करने का प्राधिकार कहां है?

केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक स्वायत्त, स्वतंत्र संगठन है। हमें उसे श्रेय देना होगा। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखना होगा। कल चाहे जो भी सत्ता में आये हमें जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर निर्भर रहना होगा। हमें इसकी कमियां और अक्षमताएं करनी होगी। इसके बावजूद भी हम संस्था पर आरोप क्यों लगाते हैं? स्वतंत्रता के बाद से यही एकमात्र संस्था है जो इस प्रकार की जांच करती रही है। इस सरकार ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा है।

हम जनसंख्या, पानी, सड़कों और इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इन सभी पहलूओं की तुलना करते हुए हमें दो-तीन दिन तक भ्रष्टाचार पर चर्चा करनी होगी। हमें सर्वसम्मति बनानी होगी। स्वतंत्रता के 54 वर्ष बाद भी हमारी व्यवस्था में क्या कमियाँ विद्यमान है? राजनीतिक दलों, नौकरशाही इत्यादि में इस प्रकार की बातें क्यों हो रही है? सरकार के पास पर्याप्त जानकारी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयकर के प्रमुख अधिकारी तक भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई शहर प्रमुख शहर है। उन्होंने इस प्रकार के अधिकारियों को क्यों चुना था? इसलिए, हमें सभी स्तरों के प्रभावी मामलों की चर्चा करनी होगी। उच्च पदों के लिए अच्छे अधिकारियों के चयन में क्या बाधाएं हैं? यदि हम एक उच्च व्यक्ति के चयन में गलती करते हैं तो वह सम्पूर्ण क्षेत्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। इसलिए मेरी पार्टी का यह मत है कि भ्रष्टाचार प्रत्येक वस्तु का मूल कारण है। हमें इस मामले की चर्चा सभा में दो या तीन दिन तक करनी चाहिए। इन दिनों और कोई मामला नहीं होना चाहिए। हमें इसकी चर्चा ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य और भारत सरकार सभी स्तरों पर करनी होगी। हमें और दबाव डालना होगा। इस देश के नागरिकों को भ्रष्टाचार पर चर्चा करनी होगी। कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कौन सी पार्टी जिम्मेवार है? यह देश कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित रहा है। यह पार्टी अभी पिछले पांच वर्षों से शासन कर रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये? हमें एक दूसरे पर आरोप लगाये बिना इन सभी मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। यदि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो यह और पचास वर्षों तक जारी रहेगा। इसके क्या उपाय है? अभी हाल ही में मैंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'विसल ब्लोवर अधिनियम' के बारे में पढ़ा।

उस विधेयक का मसौदा आया है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अनूठे तरीकों के बारे में सोचना होगा। हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। अब सरकार ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। पहले भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कई मामले सौंपे गये थे। यह भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है जिसकी चर्चा हम सभा में कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से कई मुद्दे चर्चा के लिए आये और सभा में उनकी चर्चा की गयी थी। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये थे। कुछ मामले निपटा दिये गये हैं और कुछ अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन पर कार्यवाही करेगा और कानून के तहत कार्यवाही होगी। यही एकमात्र रास्ता है। इसलिए हमें चर्चा करनी होगी, आम राय बनानी होगी और हमें सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रचनात्मक तरीकों को अपनाना होगा। इसलिए, इस मामले पर आगे चर्चा की आवश्यकता है और मेरी पार्टी इसमें पूर्ण विश्वास करती है।

अब, हमारे पास आंध्र प्रदेश में कई एजेंसियां हैं। वहां हम विगत चार वर्षों से कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। हम उन कानूनों पर बहस कर रहे हैं और हम जनता से भी राय ले रहे हैं। हमने सतर्कता विभाग को सुदृढ़ किया है और हमने आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास लोगों की जांच करने की शक्ति थी, परन्तु उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं थी। अब हमने कानून में संशोधन कर दिया है। इसलिए, वे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां भी हमें चर्चा करके आम राय बनानी होगी और अच्छे कानून बनाने होंगे। इस प्रकार हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। अब, हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और हर कोई भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा है। राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की कोई कीमत नहीं है। कुछ सीमा तक भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्यों द्वारा न्यायपालिका पर भी आरोप लगाया गया है। हमारे देश में यह परिदृश्य है।

[श्री के. येरननायडू]

मेरी पार्टी का दर्शन भ्रष्टाचार से सभी स्तरों पर लड़ना है। इस मुद्दे पर सभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इस मुद्दे पर हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करनी होगी। मेरे और मेरी पार्टी के अनुसार यह मुख्य विषय है। इसलिए सभा में इस विषय पर चर्चा के लिए हमें दो या तीन दिन देने चाहिए ताकि सभी राजनीतिक दल कानूनों में कमियों और खामियों के बारे में अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकें। चर्चा के पश्चात हमें आम राय बनानी होगी। तभी हम कुछ सीमा तक भ्रष्टाचार का निवारण कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जूदेव घूस लेते हुए पकड़े गए, उस पर जो बयान दिया, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने नपातुला बयान अंग्रेजी में सदन को दिया। लिखित भाषण पढ़ा। उसमें कहा है कि मेरी सरकार की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आरोपों की पूर्णत: जांच होनी चाहिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केवल जांच ही होनी चाहिए। नीति से साफ हो गया कि कहीं घूसखोरी पकड़ी जाएगी तो उसकी केवल जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी और मैं उदाहरण देता हूं कि वह अपनी नीतियों का सौ प्रतिशत कार्यान्वयन कर रहे हैं। तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह तो प्रधान मंत्री जी का बयान था और उप-प्रधान मंत्री जी अलग बोल रहे हैं। प्रारम्भ में उन्होंने कहा कि यह वीडियो सबूत किसने बनाया, किसने जुटाया, उसकी जांच होनी चाहिए। दोनों का दो तरह का बयान है। पहले यह कहा गया कि टेप गलत है, बनावटी है। जिस तरह से इसको सभी मंत्री अरुण जेटली और जितने लोग छत्तीसगढ़ गए, सभी लोगों ने झुठलाने की कोशिश की और जब स्वयं जूदेव ने कहा कि हमने रुपये लिये। गांधी जी भी लेते थे तो जितने आदमियों ने भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? उनके विरुद्ध इंक्वायरी भी नहीं होगी। तहलका में जब घूस खाई तो दुनिया के लोगों ने देखा। उसकी जांच क्या होगी जो सब लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखा। वह तो पुराने जमाने में होता था, जैसे मुदगल कांड में हुआ जो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उसी समय सदन की एक एनक्वायरी कमेटी बनाकर अपनी पार्टी के सदस्य को बर्खास्त किया।

टी. कृष्णामचारी गलत पाए गए, उनके खिलाफ जांच हुई, कार्रवाई हुई और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। लेकिन आज की सरकार द्वारा उनको आगे बढ़ाने का, प्रमोशन देने का, महामंडित करने का काम हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार पर यह बहस निरर्थक है। किरीट सोमैया जी बोल रहे थे कि घूस लेते हुए पकड़े गए, फिर भी जीत गए। इस तरह से तो इनकी सरकार के सभी मंत्री कनाट प्लेस में, बोट क्लब पर, प्लेटफार्म इत्यादि जगहों पर घूस लेते रहें, पकड़े जाते रहें और जीत जाएंगे। अगर सभी मंत्री इस तरह से करेंगे तो सारी सीटें आ जाएंगी। भ्रष्टाचार का क्या मापदंड है, यह वह बता रहे थे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: बिहार में भी आपको लगता है इसी तरह बहुमत मिल गया था।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आप टोका-टाकी में न पड़ें और अपनी बात कहें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बेशर्मी की हद होती है, लेकिन अब बेशर्मी की हद नहीं है। मान लिया कथित कोई कांड हुआ, चारा कांड हुआ, सीबीआई की जांच हुई और आदमी जेल गया। लेकिन यहां जाच हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कसूरवार पाया जाएगा, कार्रवाई होगी, जेल जाएगा, न्यायालय फैसला देगा, यह विधान है। लेकिन यहां न्यायालय से पहले ही सारे मामले में लीपापोती कर दी जाएगी। प्रधान मंत्री जी उधर से कुछ और बोल देंगे।

तहलका कांड के बाद क्या प्रधान मंत्री जी ने अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को निदेश नहीं दिया कि सजग हो जाओ, इस तरह से घूस न लो, पखाने में लो, मीडिया बहुत सजग हो गया है, पहरेदारी हो रही है। इसलिए सजग होकर घूस खानी है, ऐसे नहीं खानी है। बाद में दिलीप सिंह जी मंत्रिमंडल में आए, उनको जानकारी नहीं थी इसलिए पकड़े गए, जबकि बाकी सभी मंत्री सजग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उधर से कोई सदस्य बताए कि कौन घूस नहीं खा रहा है, कौन पैसा नहीं बटोर रहा है। इनके ही उप प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पार्टी के लिए पैसा लिया है। सनतानम कमेटी बैठी थी, जब आचार्य कृपलानी जी ने पंडित नेहरू जी से कहा था भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इसलिए सनतानम कमेटी बैठी थी और उसने पाया था कि कहीं घूसखोरी नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या सब मंत्री घूस ले रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हो सकता है एक-दो बचे हों। कोई नहीं कह रहा है कि हम नहीं खाते हैं। सनतानम कमेटी ने कहा था कि कहीं घूसखोरी नहीं है। मंत्री के यहां चंदा है, दरोगा के यहां सलामी है, इंजीनियर के यहां पर्सेंटेज है, बैंकों में स्पीड मनी है, कहीं बख्शीशनामा है, कहीं पान खाने के लिए, कहीं स्वीट खाने के लिए पैसा दिया और लिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः पप्पू जी आप बीच में इंटरप्ट न करें। रघुवंश बाबू आप चेयर को मुखातिब होकर बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः अजीत जोगी पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि उसने पार्टी तोड़ने के लिए दल बदल कराने की कोशिश की, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत प्रधान मंत्री जी ने और उप प्रधान मंत्री जी ने हमारी पार्टी के तीन सदस्यों को पैसा देकर, मंत्री पद देकर तोड़ लिया और दलबदल कराया। इस पर क्या कार्रवाई हुई, और कौन इस पर कार्रवाई करेगा? यह दोहरा मापदंड है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः बिहार में कितनी पार्टियां तोड़ी गई। सी.पी.आई. को, सी.पी.आई. (एम) को, समता पार्टी को, झारखंड पार्टी को तोड़ा गया।

सभापति महोदयः पप्पू जी आप बैठ जाएं। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः जैसा श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कहा कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, किसने फंसाया, किसने फोटो खींची, किसने सारा मैनेजमेंट किया, उसकी जांच हो रही है। उधर जांच हो रही है जोगी की, वह कैसे फंसे, वह फंस गए, उसकी जांच हो रही है, जबकि उसको फंसाने वाले प्रमोशन पाएंगे। हम तो इनके खिलाफ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ लोगों ने मना किया कि मत बोलिये। कहते हैं कि मंत्री हटाये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 41 मंत्री क्यों हटाये गये। ये लोग बोलने में तो कहते हैं जय श्री राम और काम के मामले में जय सुखराम। इनके मंत्रिमंडल का यही व्यवहार है। इसमें लिखते हैं कि किसी भी मामले में प्राथमिकी जांच दर्ज करना या नियमित केस दर्ज करना अथवा आरोप पत्र दायर करने का निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लिया जाता है और सरकार उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 1700 लोगों को कैबिनेट सचिवालय में भेजा गया। अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिक जांच दर्ज कर ली। कहते हैं कि प्राथमिक जांच दर्ज करना, नियमित केस दर्ज करना और आरोप पत्र दर्ज करना, ये तीन काम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एफआईआर किसके आदेश पर की? प्रारम्भिक जांच दर्ज में एफआईआर है या नहीं है। मैं सरकार से और माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमित केस दर्ज करने में एफआईआर है या नहीं है। यह कांड 16 तारीख का है और 18 तारीख को सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज की तो फिर 22 दिन तक क्या हुआ? माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसे दबाने का काम किया है, क्यों नहीं सदन को बताया कि इन 22 दिनों में क्या प्रगति हुई है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए-यह इनकी नीति है। टाइम्फ ऑफ इंडिया में इनके एक मंत्री के खिलाफ निकला है कि कई लाख रुपये एक एनजीओ से रिश्वत खाई। उसकी जांच हुई या नहीं, यह हमें बताएं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः मंत्री कौन है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आप ही का नजदीकी मंत्री है जिसका आप फुसलाकर इधर से उधर ले गये थे। आपको कितना मिला था यह मैं नहीं जानता हूं। इधर से उधर 6 मंत्री हुए। कीमती-कीमती गाड़ियां बांटी गयीं। यह गलत है कि गरीब आदमी घूसखोर होता है क्योंकि चोरी तो स्वभाव से होती है। माननीय जूदेव तो राजा हैं लेकिन घूस लेते पकड़े गये। कहते हैं कि पार्टी के लिए पैसा लिया। माननीय प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि पार्टी के लिए पैसा लिया, बंगारू जी बोलते थे कि पार्टी के लिए पैसा लिया। जब दरोगा पैसा लेता है, तो कहता है सलाम लिया, इंजीनियर पैसा लेता है तो कहता है परसेंटेज लिया, बख्सीसनामा लिया। गली-गली में इनकी शोहरत यह हो गयी है कि बीजेपी पार्टी बंगारू-जूदेव पार्टी हो गयी है। भ्रष्टाचार इनसे रुकने वाला नहीं है। जनता को ही अब निर्णय करना पड़ेगा। अभी तो जनता वोट में बंधी हुई थी तथा यह कहना गलत है कि जनता ने इनके भ्रष्टाचार को मान्यता दे दी है क्योंकि 6 महीने में बात जनता तक पहुंचती है। देश में टीवी केवल 6 या 7 करोड़ लोगों के पास होगा और अगर घर में तीन-चार सदस्य हों तो भी 28-30 करोड़ लोगों ने ही देखा होगा। अखबार भी हर गांव में नहीं जा रहा है। बात जब जनता तक पहुंचेगी तब इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। एक आदमी कह रहा था कि कांग्रेस ने महिला को आगे बढ़ा दिया तो माननीय शीला दीक्षित जीत गयी। कांग्रेस को महिला ने बढ़ा दिया, इसलिए श्रीमती शीला दीक्षितजी जीत गई और उधर श्रीमती वसुन्धरा राजे और कुमारी उमा भारती को बढ़ा दिया, तो वे जीत गई। हम लोग विपक्ष की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बढ़ा देंगे, तो वही फार्मूला लोक सभा के चुनाव में लागू हो जाएगा और हम लोग जीत जायेंगे।

इसलिए, महोदय, भ्रष्टाचार देश के लिए शत्रु है और इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग देख रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ में प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री हैं। इनके द्वारा भ्रष्टाचार पोषित है, इसके द्वारा भ्रष्टाचार सुरक्षित है और ये ही भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। इनके बयानों का यदि विश्लेषण किया जाए, प्रैस की कतरने देखी जायें, तो जिस तरह के क्रिकेट में गुगली होती है, उसी तरह से बोली की गुगली इनके पास है, तुरन्त बात को पलट देने में ये माहिर हैं। बात को

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इधर से उधर डाइवर्ट कर देना इनकी नीयती में है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से आह्वान करता हूं कि भ्रष्टाचार देश का प्रथम शत्रु है। जो लोग घूस खाते पकड़े गए हैं, तहलका कांड हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और लोगों का विश्वास उठ गया है। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा घूस खाते हुए जनता ने देखा, तो वे कहने लगे कि बंगारू को घूस खाते सबने देखा, जूदेव को देखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और मैं 10-20 रुपए ले रहा हूं, तो क्या उस पर कार्यवाही होगी। लोगों की मानसिकता बन गई है, आफिस में, कचहरी में, थाने में कर्मचारी और अधिकारी यही बोल रहे हैं कि ऊपर तक लूट हो रही है और आप हमें कहते हैं कि हम घूसखोर हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्री जग रहे, घूस लुक-छिप कर खायें, नहीं तो फोटो खींच लेते हैं। जूदेव नए मंत्री हैं, इसलिए वे पकड़े गए। आप लोग घूस खाकर भी जीत गए हैं, इसलिए घूस का बोल-बाला हो जाएगा। बोट क्लब पर जनता के सामने प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से रुपया लेकर माथे से सटाया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इनक्वायरी कराकर उस पर गोबर-माटी का लेप करके उसको दबाने का काम सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार का नाश हो और इस भ्रष्ट मंत्रिमंडल का सत्यानाश हो, यही आह्वान करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, नियम 193 के माध्यम से श्री दिलीप सिंह जुदेव के बारे में जो वीडियो कैसेट दिखाया था, उसके संबंध में सत्यता जानने के लिए सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं और उनके द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में और उप-प्रधान मंत्री जी के बारे में मेरे से पूर्व अनेक माननीय सदस्यों ने टिप्पणियां की हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रशंसा करनी पड़ रही है और मैं प्रशंसा करना चाहता था।

महोदय, इस कांड से पहले जो भी प्रधान मंत्री हुए हैं, उनके कार्यकाल में मंत्रियों ने और इतना ही नहीं प्रधानमंत्रियों ने स्वयं भ्रष्टाचार किए, कोर्ट ने चार्जशीट फ्रेम किए, परन्तु किसी भी मंत्री को हटाया नहीं गया और न स्वयं प्रधानमंत्रियों ने त्याग-पत्र दिए। देश की आजादी के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जब भी उनके मंत्रीमंडल के किसी भी सहयोगी के खिलाफ, भले ही वह बनावटी हो, षडयन्त्र रचा गया है, मामला फरेब हो, शिकायत मिले, जानकारी मिले, उन्होंने कदम उठाए। यह मामला 16 तारीख को प्रकाश में आया। 17 तारीख को सीबीआई को जांच के आदेश दिए और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 18 तारीख से सीबीआई ने जांच प्रारम्भ कर दी। उसके बाद इस कदम की पूर्व वक्ताओं को सराहना करनी चाहिए थी और विपक्ष की ओर से अटल जी के इस कदम की सराहना करनी चाहिए थी।

महोदय, अपने यहां विभिन्न कानून बने हैं। अपराधी को सजा देने के लिए एविडेंस एक्ट बना है, जांच संस्थान बने हैं। सीबीआई देश की उच्च जांच एजेंसी है। उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अभी तक जितने भी प्रकरण आए हैं सीबीआई ने ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से जांच करके निष्कर्ष निकाले हैं, संबंधित न्यायालयों में जाकर प्रकरण दर्ज किए हैं तथा अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता पायी है। इसी विश्वास को लेकर देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रकरण को सीबीआई के सुपुर्द किया और कहा कि न्यायसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई करके कानूनी रूप से जो सजा अपराधी को दी जा सकती है, उस दिशा में कदम उठाएं। सीबीआई वह काम कर रही है। मैं उसके बाद प्रधान मंत्री की आलोचना करना कदापि उचित नहीं समझता। भाजपा मूल्यों की राजनीति करती है।

आडवाणी जी पर हवाला कांड का आरोप लगा था। इस पर उन्होंने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था और यह संकल्प लिया था कि मैं जब तक निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाऊंगा, तब तक इस सदन के परिसर में कदम नहीं रखूंगा। आडवाणी जी ने जो कहा उस पर अमल किया। वह जब तक निर्दोष सिद्ध नहीं हुए, उन्होंने सदन में आकर कदम रखने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि वह इस परिसर में भी नहीं आए। दूसरी तरफ दो ऐसे प्रधान मंत्री हुए, न्यायालय ने जिन के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करके भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीतने की बात कही और उसके खिलाफ फैसला देकर कहा कि इन प्रधान मंत्री ने अमुक तरीके से भ्रष्ट आचरण किया, अपराध किया, इनका चुनाव अयोग्य घोषित किया जाता है लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके देश को आपातकाल में झोंक दिया और कोर्ट के आदेश को नहीं माना।

दूसरे प्रधान मंत्री भी हुए हैं। बोफोर्स कांड की चर्चा सारे देश में सुनायी देती है। बोफोर्स कांड में तत्कालीन प्रधान मंत्री का नाम आया। कोर्ट में केस गया, चार्ज फ्रेम हो गया लेकिन उन प्रधान मंत्री ने त्याग पत्र देने की कल्पना भी नहीं की। मैं दो प्रधान मंत्रियों के उदाहरण दे रहा हूं। बाद में उस बोफोर्स कांड में न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया। इतना होने के बाद भी वह पद पर बने रहे और उन्होंने त्याग पत्र देने की कल्पना तक नहीं की। उनके मंत्रियों ने संचार विभाग में घोटाले किए, आवास आवंटन में घोटाले किए, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया लेकिन कभी भी उनसे त्याग पत्र मागंने की बात नहीं सोची। वहीं दूसरी तरफ वाजपेयी जी के केबिनेट के किसी मंत्री के खिलाफ

कोई आरोप लग जाता है और वह भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो बनावटी होकर दिखाया जा सकता है, उसमें भी उन्होंने सराहनीय कदम उठाया और त्याग पत्र मांग लिया तो इससे अच्छा सराहनीय कदम कोई और हो नहीं सकता। इसलिए मैं वाजपेयी जी की प्रशंसा करना चाहता हूं और सदन से कहना चाहता हूं कि सबको साहसपूर्वक यह कहना चाहिए कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री के रूप में अच्छा कदम उठाया, हम इसकी सराहना करते हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी पक्ष विशेष की वकालत कर रहे हैं।

मैं इस सवाल पर यह भी कहना चाहता हूं कि वाजपेयी जी के चुनाव के समय यह कदम उठाया। उन्हें मालूम था कि चुनाव के समय इसका विपरीत असर पड़ सकता है, भाजपा छत्तीसगढ़ में चुनाव हार सकती है तथा अन्य दो राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है परन्तु इसकी परवाह किए बिना जूदेव जी से त्याग पत्र लिया और उन्हें पद से हटाया। क्या अन्य किसी प्रधान मंत्री ने इसके पहले ऐसा कदम उठाया था? नहीं उठाया। हमने अध्यक्ष महोदय से पहले ही निवेदन किया था कि जूदेव जी के संबंध में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसे आकार और स्वरूप देने के लिए किसी ने षडयंत्र रचा है और उसकी सुई छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अजीत जोगी की तरफ जाती है इसलिए हम इस विषय पर चर्चा करते समय श्री अजीत जोगी द्वारा जो कुछ षडयंत्र किए गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे।

माननीय स्पीकर साहब ने अनुमति दे दी थी, इसलिए मैं आपकी अनुमति से कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहता हूं। योग-संयोग से मैं मध्य प्रदेश का हूं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, इसलिए मैं संबंधित दोनों लोगों-श्री जूदेव और श्री जोगी-को जानता हूं। श्री जोगी मेरे संसदीय क्षेत्र के पड़ोसी जिले इन्दौर के कलेक्टर रह चुके हैं और मैं जिस जिले से विधायक और मंत्री रहा हूं, उस जिले के श्री जूदेव जी दामाद हैं। वे राजघराने से हैं। वे त्याग, तपस्या, बलिदानी जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। वे अरबपति-करोड़पति हैं और अपने खुद के पैसों से गरीब, पिछड़े और आदिवासी लोगों के हितों का संरक्षण करने का काम करते हैं जबकि श्री जोगी इन्दौर के क्लैक्टर बनकर आये थे तो कंगालपति थे, आज वे करोड़पति हैं। मुझे उनका सारा इतिहास मालूम है। इन्दौर के नागरिकों ने उनके बारे में शिकायतें की थीं जिसकी अथौराइज्ड कापी मेरे पास है। मैं इस बारे में कुछ विशेष नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वे फर्जी कागजात तैयार करने में एक्सपर्ट हैं, फर्जी काम करने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपनी जात बदल दी, इसका मुझे दुख है। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से हूं। उनके पिता श्री काशी प्रसाद जी आज भी सतनामी लिखते हैं, उनके भाई सत्य प्रकाश जी सतनामी का प्रमाण पत्र लिये घूमते हैं और ये अपने आपको आदिवासी कहते हैं। श्री काशी प्रसाद उनके पिता अनुसूचित जाति के कैसे हो सकते हैं और उनका एक भाई जो श्री काशी प्रसाद की पैदाइश है, अपने आपको आदिवासी कहे-इस प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया। इतना ही नहीं, उनका एक बच्चा अमेरिका में रहता था, भारत का नागरिक नहीं था लेकिन यहां का निवासी प्रमाण-पत्र ले लिया। कोर्ट ने उस प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया लेकिन वे नहीं माने।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एक इस प्रकार की अमानवीय घटना का उल्लेख करते हुए मुझे दुख होता है कि उनकी एक बच्ची का देहान्त इन्दौर में हो गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपको स्मरण होगा कि सुबह माननीय स्पीकर साहब ने यह नियमन दिया था कि आप बिना किसी का नाम लिये अपनी बात बोलिये। जब एक व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, यहां उपस्थित नहीं है, फिर भी उसे पाइंट करके बोल रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोतः सभापति जी, मैं आपके निर्देश का पालन कर रहा हूं। श्री जूदेव इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जब यह घटना घटी, वे मंत्री थे। इस बात को देखते हुए इस मामले पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। अगर राज्य सभा में कर लेते तो वे उसका उत्तर दे सकते थे।

सभापति महोदयः मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा लेकिन आप घटनाक्रम पर बोलिए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री रामदास आठवले जी, कृपया बैठिए। वे मान नहीं रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री थावरचन्द गेहलोत के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोतः सभापति जी, मैं ऐसे कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वे इस प्रकार के कृत्य करते रहे हैं। उनकी बच्ची का देहान्त इन्दौर में हो गया जिसे इन्दौर का निवासी होने के नाते दफना दिया गया लेकिन जब वे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री बने तो दो साल के बाद उस बच्ची की लाश को निकलवाकर छत्तीसगढ़ में दफना दिया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता को

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ इधर-उधर का छोड़ दिया है और छत्तीसगढ़ की जनता को सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूं। इसी प्रकार जब यह ऐसे अमानवीय कृत्य, असामाजिक और अधार्मिक कृत्य कर सकते हैं तो बाकी षडयंत्र भी कर सकते हैं, यह साफ दिखाई देता है। यह एक षडयंत्र का हिस्सा है कि विधायकों की खरीद कर रहे थे लेकिन उनका यह सपना संयोग से उजागर नहीं हुआ। मैं इस बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था और मेरे पास डौकूमेंटरी प्रूफ हैं कि जो षडयंत्र रचा गया था, जिसके लिए श्री जूदेव जी अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लिया।

महोदय, उनके सचिव, रतेरिया ने कहा कि मैं उस होटल में नहीं गया और पैसा नहीं लिया, तो फिर क्या लिया, इस बात की इन्क्वायरी सी.बी.आई. कर रही है और ये बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि इनकी पार्टी ने जोगी जी के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें निलम्बित कर दिया। उन्होंने पत्र लिखा और उसे स्वीकार कर लिया। जो पैसे देने वाला राहुल है, जो आस्ट्रेलिया की कंपनी का एजेंट है, उसका अता-पता नहीं है, रतेरिया का अता-पता नहीं है, जूदेव जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसा नहीं लिया। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है, जो न्याय प्रक्रिया है, एवीडेंस एक्ट है, उसकी धाराएं हैं, उसी के तहत जांच की जा सकती है। एक्ट के अनुसार अगर पैसे लेने वाला दोषी है, तो पैसे देने वाला भी दोषी है और इस प्रकार का षडयंत्र रचने वाला भी दोषी है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो कौन करेगा? क्या कोई प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री या कानून मंत्री सीधे-सीधे आदेश दे देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में इसके लिए एक न्याय प्रक्रिया है और उसके लिए सी.बी.आई. एक उपयुक्त एजेंसी है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सी.बी.आई. जांच करें और दोषियों को सजा दीजिए। इस प्रकार प्रधान मंत्री जी ने जो कदम उठाया, वह सराहनीय है।

महोदय, मैं कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति मूल्यों के आधार पर की जानी चाहिए और चरित्रवान नेता होने चाहिए। आपकी पार्टी के जो नेता है, जो मुख्य मंत्री रहे हैं, उनका सारा जीवन परिचय आपके पास था, यदि नहीं हो, तो मैं दे देता हूं। आपकी पार्टी में इस प्रकार के कृत्य करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें जड़-मूल से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करें।

महोदय, मैं एक अवसर की एक घटना का और वर्णन करना चाहता हूं। महोदय, जो कलैक्टर इन्दौर थे, अभी भी परमाणु से संबंधित एक संस्थान है, उस कैट के गोपनीय दस्तावेज, पता नहीं उन्हें कैसे कलैक्टर के रूप में वे दस्तावेज प्राप्त हो गए, उन्होंनि वे गोपनीय दस्तावेज अमरीका को दे दिए थे। जब उसकी जांच पड़ताल होने लगी और जब वे फंसने लगे, चूंकि आपने कहा है कि उनका नाम नहीं लें, इसलिए मैं उन मुख्य मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल एवं म.प्र. के तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने तत्कालीन इन्दौर के कलैक्टर, जो बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री बने, उनसे कहा कि भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जांच चल रही है। जब वे मुख्य मंत्री नहीं रहे और वहां से पंजाब के राज्यपाल बनकर चले गए, लेकिन जो दूसरे मुख्य मंत्री आए, हालांकि वे भी उसी पार्टी के थे और वे जांच कराने में इंटरैस्टेड थे और जांच हुई, तो तत्कालीन पंजाब के राज्यपाल महोदय, जो आजकल कांग्रेस के बड़े नेताओं की सूची में हैं, उन्होंने तत्कालीन कलैक्टर, इन्दौर से कहा कि यदि तुम इस जांच से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों, तो अपने पद से त्यागपत्र दे दो, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस प्रकार के भू.पू. कलैक्टर, इन्दौर, देशद्रोही, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी रहे हैं जो मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ बने। हमने इन्हें एक बार नहीं, अनेक बार अनेक रूपों में देखा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो षडयंत्र रचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जूदेव जी ने रकम ली, तो वीडियो टेप में रकम कहां दिखाई दी। बंगारू लक्ष्मण के केस में तो 100-100 के नोट साफ दिखाई दिए, लेकिन जूदेव जी की टेप में नोटों की गड्डी कहीं दिखाई नहीं दी, एक काली सी छाया दिखाई दी, जो मूर्ति जैसी लगती थी, थैला उठाते हुए दिखाया था। अब थैले में क्या है, पैसा है या कुछ और है, उसकी जांच कौन करेगा? इसलिए प्रधान मंत्री जी ने स्वविवेक से निर्णय ले लिया कि आखिर इसका पता कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लगाया जा सकता है कि उस थैले में क्या है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा कि सी.बी.आई. से जांच कराई जाए। सी.बी.आई. की छवि अभी तक ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ रही है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच करे और जांच में यदि जूदेव जी का अपराध सिद्ध हो जाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

महोदय, इसी प्रकार एक बार पहले भी छत्तीसगढ़ के भू.पू. मुख्य मंत्री ने एक अलग केस में इसी प्रकार के आरोप लगाए। उनके द्वारा प्रधान मंत्री जी को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सी.बी.आई. को जांच के लिए सौंपे गए और जब उसने जांच की, तो पाया कि उसे जो डाकुमेंट प्रस्तुत किए गए, वे फर्जी थे और यह सिद्ध हो गया तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो डाक्यूमेंट दिए थे, वे फर्जी थे। उसके आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। क्या इनमें दम है कि उन्हें पार्टी से निलम्बित कर दें, बर्खास्त कर दें। इन्होंने नहीं किया और हमें ये कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये सब बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मूल्यों की राजनीति को बढ़ावा देने की दृष्टि से, अगर आपके यहां भी ऐसे लोग हैं-देशद्रोही

विचारों के, फरेब वाले और धोखेबाज लोग हैं तो उन्हें आप लाईन पर लाने का काम करें और एक स्वच्छ और मूल्यों की राजनीति की तरफ अग्रसर होने में सहयोग प्रदान करें, अन्यथा देश की जनता को भ्रमित करने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रमित करने का प्रयास किया तो उसके उल्टे परिणाम क्या हुए, ये सामने दिखाई दे रहे हैं।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि श्री जोगी के लड़के, जो भारत के नागरिक नहीं हैं और उसके बाद भी भारत के निवासी का प्रमाण-पत्र लिया, इस बात की जांच करें। इन्होंने कई अपराध किए हैं। प्रकाश जैन इंदौर के निवासी हैं, इन्होंने लिखित में शिकायत की है, उसके ऊपर कार्यवाही करें। वे अनुसूचित जाति, सतनाम जाति के हैं। इन्होने फर्जी प्रमाण-पत्र कंवर जाति का आदिवासियों का बना रखा है। इस प्रकरण की भी जांच कराएं। अगर ये सब सही पाए जाएं तो नियमानुसार कानूनी रूप से इन्हें जो दंड दिया जाना चाहिए, वह दंड दिलाने की भी कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय सर्वप्रथम मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच प्रारम्भ किये जाने के लिए सहमत होने और मंत्रिपरिषद से श्री दिलीप सिंह जूदेव का त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि यह बहस विपक्ष की मांग पर प्रारम्भ की जायेगी। यदि मैं सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से समझता हूं और यदि इस प्रकार की घटनाओं पर मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू का उदाहरण लूं तो वे ऐसे व्यक्ति थे जो इन पर तुरन्त प्रतिक्रिया करते थे और विपक्ष मामले की जांच प्रारम्भ कर देता था। इस पक्ष के कई सदस्यों द्वारा ऐसे काफी उदाहरण दिए गये हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं-चाहे वह मुदगल मामला हो, टी.टी. कृष्णामचारी मामला हो या मालवीय मामला हो या वी.के. कृष्णा मेनन मामला हो। मुझे उनसे यह अपेक्षा है।

अपराह्न 4.53 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

मैंने अपने साथियों से कहा था कि सभा 2 दिसम्बर को बैठेगी और मैं जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी को जानता हूं, 2 दिसम्बर को अपने मंत्रिमंडल के साथियों का परिचय करवाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री सभा में आकर वक्तव्य देंगे कि उनके साथी श्री दिलीप सिंह जूदेव के साथ क्या हुआ और उन्होंने त्यागपत्र क्यों स्वीकार किया। मैं जानता हूं कि श्री वाजपेयी अभी भी संसदीय लोकतंत्र की उच्च परम्पराओं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के नैतिक दायित्व में विश्वास रखते हैं।

मेरे साथी यह कहते हुए मुझसे भिन्न मत रख रहे थे कि 'नहीं' माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे।' जबकि मैंने कहा-माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए हमने अपने बीच इस पर चर्चा की। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विदेश से आते ही इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। मैं अखबारों को उद्धृत करना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें समय लगेगा। उस दिन मैं राजस्थान में प्रचार अभियान पर था। माननीय प्रधानमंत्री ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया था कि 'हां यदि मैं उन्हें दोषी पाऊंगा, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह इंडियन एक्सप्रेस में उद्धरण था। दो प्रकरण हैं, एक तो यह कि श्री जूदेव ने त्यागपत्र दिया, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के ध्यक्ष ने उसी दिन खंडन कर दिया था। दूसरा यह है कि जूदेव से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी को स्पष्ट करना होगा कि क्या प्रधान मंत्री के आने से पहले ही श्री जूदेव ने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधान मंत्री जी को भेज दिया था और जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था अथवा यह कि माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद श्री जूदेव से त्यागपत्र मांगा गया और प्रधान मंत्री ने त्यागपत्र स्वीकार किया। ये दो बातें हैं।

अगर श्री जूदेव ने अपनी अंतरात्मा के आधार पर त्यागपत्र दिया तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यदि उन्होंने कहा, "हां मैं त्यागपत्र देता हूं। इस मामले की जांच हो और जांच होने तक मैं अपने नैतिक आधार पर कायम हूं। मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ने उनसे त्यागपत्र मांगा था, संभव है कि प्रथम दृष्टया प्रधान मंत्री इस बात से आश्वस्त थे कि यह मामला कुछ ऐसा है, जिसके लिए त्यागपत्र आवश्यक है। अत: इस बात के दो पहलू हैं। अगर पहली सत्य है तो मैं उनका समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह उच्च नैतिक व्यवहार किया कि उन्हें इस प्रकार दर्शाया गया है और इस मामले में बेदाग साबित न होने तक वह मंत्रिपरिषद में नहीं रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री ने उनको त्यागपत्र देने के लिए कहा था, तब संभवत: प्रधान मंत्री प्रथम दृष्टया आश्वस्त है कि उनका त्यागपत्र मांगा जाना चाहिए। मैं इस वाद-विवाद को व्यक्तिगत कटु आलोचना कर आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसा कहा गया है कि कुछ वर्षों से नहीं तो कुछ महीनों से, पूरे देश में एक मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि नेता कितने भ्रष्ट हैं और बाकी सब अच्छे हैं। जूदेव प्रकरण भारतीय जनता पार्टी को शरमिंदा करने वाला नहीं है। मैं इसे इस तरह नहीं लेता। बल्कि यह उन सभी को शरमिंदा करने वाला है जो आज सार्वजनिक पदों पर हैं और जो कल सार्वजनिक पदों पर होंगे। यह हम सबको शरमिंदा करने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

वाला प्रकरण है। 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले मतदाता का आंकलन गलत मत कीजिए। उनकी व्यथा और उदासीनता चाहे राजनैतिक प्रणाली, राजनीतिज्ञों, किसी के भी प्रति हो लेकिन कल किस दिशा में यह जाएगी इसकी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। कौन कैमरे में आता है और कौन नहीं, इस तरह मैं उसका अंतर नहीं करूंगा।

सदन के नेता के नाते प्रधान मंत्री चार बातों के लिए लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। पहला क्या उन्होंने त्यागपत्र मांगा और स्वीकार किया, प्रथम दृष्टया क्या वह संतुष्ट थे अथवा क्या उन्हें त्यागपत्र इसलिए प्राप्त हुआ कि मंत्री महोदय ने नैतिक आधार पर यह महसूस किया कि जब तक जांच नहीं हो जाती वह त्यागपत्र देंगे? प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना होगा। अगर प्रधान मंत्री कहते हैं कि उनकी सलाह पर त्याग पत्र दिया गया तो इस दिशा में सीबीआई को प्रधानमंत्री के निदेशानुसार जांच करनी होगी। मैं नहीं जानता कैबिनेट सचिव द्वारा क्या निर्देश दिए गए।

दूसरी बात यह है कि सदन के नेता और सरकार के प्रमुख होने के नाते क्या वह अब तक हुई विभिन्न जांचों, जिसमें यह भी शामिल है, में पारदर्शिता को उचित ठहराने हेतु सीबीआई की भूमिका से संतुष्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहले मैं प्रधान मंत्री का वक्तव्य लेता हूं, इसमें कहा गया है कि दिलीप सिंह जूदेव ने अपना त्यागपत्र दे दिया जिसे मेरी सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा 17 तारीख को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री 16 तारीख को पहुंचे। सभा को यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि दिलीप सिंह जूदेव ने ''16 तारीख'' को त्यागपत्र दिया था या 17 तारीख को। प्रधान मंत्री इसे स्पष्ट करें।

प्रधान मंत्री ने कहा जिसे मैं उद्धृत करता हूं: सीबीआई ने श्री जूदेव और श्री रातेरिया दोनों को सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नोटिस भेजे हैं। मेरा प्रश्न है कि 18, 19, 20 नवम्बर में से किस तारीख को सीबीआई ने नोटिस भेजें और कौन सी तिथि को उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया है। प्रधान मंत्री ने 17 नवम्बर को निर्देश दिए और आज 10 दिसम्बर है। मैं समझता हूं कि सीबीआई ने वाद-विवाद चर्चा शुरू होने से पहले तक कोई पूछताछ नहीं की थी।

अपराह्न 5.00 बजे

सीबीआई ने न तो श्री दिलीप सिंह जूदेव से और न ही श्री नटवर रातेरिया से पूछताछ की है।

दूसरी ओर 48 घंटे के अंदर सीबीआई ने अपनी सूझ-बूझ और होशियारी से अनेक ई-मेल अपने कब्जे में कर लिए तथा जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसने होटल बुक किया था उस तक भी पहुंच गई। यह सब 48 घंटे के अन्दर सीबीआई के कब्जे में थे तथा जिसके बारे में उन्होंने प्रैस को बताया। लेकिन कथित दिए गए पैसे को वसूल करना-मैं 'कथित' शब्द का प्रयोग करूंगा-या छापा मारना कम से कम एपीएस के आवास पर छापा मारना चाहिए था कि क्या यह वहां रखी गई या प्राथमिक सूचना प्राप्त करने के लिए ही वहां जाते, चाहे टेलिफोन के द्वारा यह पूछताछ की जा सकती थी। सीबीआई ने कहा:

> ''माननीय महोदय मैं सीबीआी का प्रतिनिधि बोल रहा हूं, यदि आपके लिए सुविधाजनक हो तो क्या मैं आपके पास पूछ-ताछ या प्रश्न पूछने के लिए आऊँ?''

जहां तक मेरी जानकारी है, सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। जांच का हर पहलू मीडिया में रिपोर्ट किया गया। मैं यह सब नहीं जानता। सीबीआई की ओर से माननीय प्रधान मंत्री को यह स्पष्ट करना होगा। यह इस प्रकार शुरु हुआ कि किसने होटल बुक किया, कौन कैमरा लाया, किसने पैसा दिया और इसके पीछे कौन थे। यह किसी भी जांच एजेन्सी की यह वास्तविक तस्वीर नहीं है। श्री साहू जिनकी हम सराहना और आदर करते हैं उस दिन हमारे साथ थे, जब वह उस बैंच पर बैठे थे और आज भी है। रिश्वत अथवा भ्रष्टाचार की कोई भी जांच एक साथ दो दिशाओं में चलती है। पहले, यह कि रिश्वत किसने ली, पैसा कहां से आया और रिश्वत किसने दी? फिर भी इस मामले में जांच इस बात से आरंभ हुई कि रिश्वत किसने दी न कि इस बात से कि रिश्वत किसने ली। मैं समझता हूं कि यह सीबीआई की कुशल और निष्पक्ष प्रस्तुती नहीं है। मैं अपने मित्रों से पिछले 10 दिनों से कह रहा था कि संसद का यह सत्र जूदेव, 'आडियो' और 'वीडियो' जैसे मुद्दों पर ही खत्म हो जायेगा।

'आडियो' के मामले में मैंने सीबीआई की कार्यकुशलता देखी कि कैसे मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने के तुरन्त बाद एक विशेष समय पर जांच शुरू की गई और प्राथमिकी दर्ज की गयी। इसके लिए मैं सीबीआई को धन्यवाद देता हूं। मैं सीबीआई की निन्दा नहीं कर रहा। मैं उनकी क्षमता, कार्यकुशलता और इस प्रकार के सौदे में जिस तत्परता से जांच की गई उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि वीडियो के मामले में जांच उतनी ही तेजी से जारी रखने के लिए सीबीआई को किसने रोका।

जहां तक मैं समझता हूं वीडियो कैमरे की गति आडियो कैसेट से कहीं ज्यादा होती है। इस मामले में लगता है कि सीबीआई वीडियो की गति से तालमेल बनाने में विफल रही, लेकिन आडियो के मामले में आवश्यकता से अधिक रही। सीबीआई की इस क्षमता और कार्यकुशलता के कारण उसकी संस्थागत विश्वसनीयता में कमी आ रही है।

मैं समझता हूं कि सीबीआई में जो लोग कार्य करते हैं वे भारत के महान सपूत हैं। वे विभिन्न राज्यों के सर्वाधिक समर्पित पुलिस अधिकारी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी अधिकारी की शिकायत नहीं कर रहा चाहे वह सेवानिवृत्त महानिदेशक हैं या वर्तमान महानिदेशक, निदेशक या कोई अन्य। वे सब सक्षम हैं, मैं उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा, लेकिन क्यों मेरे द्वारा प्रस्तुत इस मामले पर माननीय प्रधान मंत्री सदन को विश्वास में लेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीबीआई हस्तक्षेप के बगैर दक्षतापूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कार्य करे।

अब मैं उदाहरणों पर आता हूं; प्रधान मंत्री कहते हैं:

"मेरी सरकार की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आरोपों की पूर्णतया जांच होनी चाहिए। तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है तथा जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।"

मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मेरे मित्र श्री थावर चंद गेहलोत ने बोफोर्स और अन्य विषयों को लाकर वाद-विवाद की दिशा बदलनी चाही। वह ऐसा कर सकते है और मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता है। हालांकि, उनकी जानकारी के लिए मैं उनको सूचित करना चाहूंगा कि राजग सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्री, श्री रामजेठमलानी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, ने सदन में स्पष्ट किया कि श्री राजीव गांधी निर्दोष थे और उन पर गलत आरोप लगाए गए थे। वे प्रधान मंत्री से पूछ सकते हैं और संभव है कि वे कल उत्तर देंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पाया कि राजीव गांधी के विरुद्ध कुछ नहीं है। जहां तक स्व: राजीव गांधी का प्रश्न है, तो मेरे मित्र को मालूम होना चाहिए कि वह मामला बंद हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: कोर्ट ने तो दोषी बताया है। यह फैसला उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए उनको सजा नहीं दी गई। ...*(व्यवधान)* यह तो कोर्ट का फैसला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं उनको बोलने का मौका नहीं दे रहा। कृपया अपने बयान की पुष्टि कीजिए और हमें बताएं कि किस न्यायालय ने स्व. श्री राजीव गांधी को दोषी पाया है। उन्हें इससे संबंधित दस्तावेज यहां प्रस्तुत करने चाहिए या फिर अपने मत की पुष्टि के लिए प्रधान मंत्री से पूछना चाहिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): *अन्यथा* उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, हम वाद-विवाद को बे-बुनियाद आरोपों के स्तर तक नहीं ला सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि जो भी गलत कार्य श्री बंगारू लक्ष्मण ने किया वह प्रधान मंत्री के कहने से किया गया था। इस तरह के गैर-जिम्मेदार वक्तव्य या बातों से बहस में तीक्ष्णता तो आ सकती है परन्तु इससे कोई दोषसिद्ध नहीं होता।

मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं उस पर न तो अपना कोई मत दे रहा और न ही कोई दोषारोपण कर रहा हूं। यदि हम 'तहलका' मामले का उदाहरण लें तो यह तीन भागों में बंटा हुआ था। पहला भाग तो विपक्ष की इस मांग के बारे में है कि इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से करायी जाए; दूसरा भाग था कि सरकार ने कहा-'नहीं और उन्होंने इस संबंध में जांच आयोग की इच्छा व्यक्त की अर्थात तहलका मामले की जांच के लिए वेंकटस्वामी आयोग। तब सरकार ने निर्णय लिया कि जांच आयोग की भूमिका 'तहलका' के केवल इस भाग तक सीमित रहेगी कि 'तहलका' मामले के पीछे कौन लोग थे, और किन लोगों ने इन्हें धन दिया, तब कहा गया कि यह मामला जांच आयोग को नहीं भेजा जाएगा बल्कि सी.बी.आई. को दिया जाएगा। क्या यह एक रचनात्मक, व्यापक दृष्टिकोण वाला, पारदर्शी और तथ्यात्मक दृष्टिकोण है और उस समय की सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए था?

जांच आयोग के पास भेजे गये मुद्दे मूलत: पत्रकारों के बारे में थे कि वे अपना वेतन कहां से पा रहे हैं, 'वेस्ट एन्ड' आदि के झूठे नाम से किसने 'स्टिंग आपरेशन' का संचालन किया। तथापि, इस प्रश्न के बारे में कि किसने इसका समर्थन किया, यह मामला सी.बी.आई. के पास भेजा गया।

इस मामले में, सी.बी.आई. का प्राथमिक दृष्टिकोण यह पता लगाना है कि किसने पैसे दिये और किसने कैमरे का प्रबन्ध किया न कि यह पता लगाना कि किसने पैसे लिये? इसकी अनुमति देने में देर की जा रही है ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके और पैसा इधर-उधर किया जा सके। मुझे नहीं पता कि कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेस में दिखाया गया और स्थानांतरित किया गया धन एक ही है या नहीं।

सी.बी.आई. इस तरह से कार्य कर रही है। आपका यहां बने रहने का नैतिक आधार क्या है, जब आपने 'तहलका' मुद्दे को दो भागों में विभाजित करके उसे तुच्छ बना दिया, एक ओर सी.बी.आई. को कहा जाता है वेंकटस्वामी आयोग अपना काम करता रहे और सी.बी.आई. तरुण तेजपाल और 'फर्स्ट ग्लोबल' को अपने तरीकों

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

से इस देश से उखाड़ फेंके। ऐसा लगता है कि जब तक इस मामले में शामिल आखिरी पत्रकार का भी पता नहीं लगाया जाता, नहीं हो सकेगा। क्या यह व्यापक दृष्टिकोण या किसी जांच का उद्देश्य हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि यदि सी.बी.आई. का निशाना 'फर्स्ट ग्लोबल' होता तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें उसकी सजा भुगतनी होगी।

सी.बी.आई. ने 'फर्स्ट ग्लोबल' को तो निशाना बनाया पर इस देश की सम्पत्ति को लूटने वाली मारीशस की कम्पनियों को इस मामले में नहीं जोड़ा गया। इस मामले में वित्त मंत्री के जवाब को बार-बार लटकाया जा रहा है, बड़ी कठिनाई से कल कुछ बातें सामने आयी थी।

ये मेरी शिकायत है या तो प्रधान मंत्री को इस बारे में अंधेरे में रखा गया है या सब कुछ जानते हुए भी दबाव के कारण, वे विपक्ष में रहते हुए इस देश, संसद और लोकतंत्र के बारे में देखे अपने सपनों के अनुरूप इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाये। यह प्रधानमंत्री जी की लाचारी है।

इस तरफ के या दूसरी तरफ के मेरे सभी साथी अपने साथियों का सम्मान करते हैं। यदि आप मेरे विरुद्ध कोई ऐसा दोष लगाते हैं जो कि सिद्ध न हुआ हो तो मैं घर जाकर दुखी होऊंगा। जो दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ, मैं उसके लिए श्री दिलीप सिंह जूदेव के परिवार का समाज में अछूतो जैसा व्यवहार सहते नहीं देखना चाहता। इससे राजनेताओं को नम्बर मिल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई बात कहे तो वह सिर्फ अच्छी ही नहीं हो बल्कि यह अच्छी लगे भी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह इस मामले को सी.बी.आई. के पास भेज रहे हैं और केबिनेट सचिव को ऐसा करने को कहते हैं तो यह अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री आम जनता के बीच उसके साथ होते हैं व उसकी प्रशंसा करते हैं तो यह अच्छा नहीं लगता।

क्या इस देश में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो यह देखने के बाद भी कि इस देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन दो व्यक्ति आम जनता के बीच शब्दों द्वारा या भाव-भंगिमा से उसका गुणगान कर रहे हैं तो भी वह एक दोषी पूर्व मंत्री से प्रश्न पूछने की क्षमता और हिम्मत रखे। क्या कोई अधिकारी ऐसा करने की हिम्मत करेगा? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह केवल अच्छी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि अच्छी लगनी भी चाहिए। इस मामले में प्रधान मंत्री इसे अच्छा दिखाने में असफल रहे हैं। इसीलिए शक की सुई सी.बी.आई. की ओर जाती है। इससे हमें महसूस होता है कि सी.बी.आई. इस मामले में पर्याप्त नहीं है। सरकार इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास क्यों नहीं भेजती, जहां दोनों पक्ष के सदस्य उपस्थित होंगे? दूसरे सदन के एक सदस्य को बिना किसी बात के दोषी क्यों कहा जाए? सरकार इस तरह से सी.बी.आई. का उपयोग कर रही है।

सभापति महोदय, मैं इस बारे में एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। यह उत्तर मेरे द्वारा नहीं बल्कि इस सरकार के एक मंत्री द्वारा दिया गया है। सी.बी.आई. प्रधानमंत्री के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया है कि यह किस तरह की स्वतंत्रता है। यदि हम सी.बी.आई. की विश्वसनीयता खो देते हैं। इस बारे में आप हमें दोष दे सकते हैं कड़े शब्द कह सकते हैं। इसी कारण से आप इस समय पद पर हैं। आप इसमें सुधार लाकर इसकी विश्वसनीयता बनाये रख सकते हैं।

जब सी.बी.आई. के बारे में मैंने यह टिप्पणी की थी तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। कुछ वर्ष पहले तक सी.बी.आई. 'सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन' के नाम से जाना जाता था। अब यदि जांच का मामला सत्ता पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति का हो तो सी.बी.आई. का नाम बदलकर 'क्लीयर बिफोर इन्वेस्टीगेशन' हो जाता है। यदि मामला विपक्षी दल के किसी व्यक्ति से संबंधित होता है तो सी.बी.आई. 'चार्ज बिफोर इन्वेस्टीगेशन' बन जाता है। अब सी.बी.आई. को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है। क्या इससे उन वफादार पुलिस अधिकारियों को कोई विश्वसनीयता मिलती है जिन्होंने पुलिस सेवा में अपना कैरियर बनाने और देश की सर्वोच्च व महत्वपूर्ण एजेंसियों की सेना में देश के लिए सब कुछ किया। अमरीकी लोगों को 'एफ.बी.आई.' पर और ब्रिटिश लोगों को 'स्कार्लैंड यार्ड' पर गर्व है, अपने देश के नागरिक के रूप में मैं भी सी.बी.आई. पर गर्व महसूस करना चाहता हूं। आप मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं करने देते, यही मेरा प्रश्न है।

डी.डी.ए. घोटाले का मामला भी सी.बी.आई. के पास भेजा गया था। इस मामले में सी.बी.आई. के अनुसार मुख्य अभियुक्त डी.डी.ए. का तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा था। वह कोई राजनेता नहीं था। मैं इन सब दस्तावेजों को यहां पढ़कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। उसके घर पर पड़े छापे में पैसे और दस्तावेज मिले थे। फिर भी उसे किस आधार पर जमानत मिल गयी। श्री सत्यव्रत मुखर्जी मुझे इस मामले में समझा सकते हैं क्योंकि वे कानून के ज्ञाता है। हम सबको उन पर गर्व है वे बंगाल के हैं और महान कानूनविद् हैं।

सी.बी.आई. जो कि एक कुशल संगठन है। 90 दिनों के भीतर सुभाष शर्मा के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाया। इसी वजह से उसे जमानत मिली इसके बाद प्रशासनिक तंत्र के

माध्यम से उसे फिर बहाल किया गया। कल एक प्रश्न के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने यह बात बतायी।

सी.बी.आई. का तर्क यह है कि वह 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र दाखिल करने को बाध्य नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वह बाध्य है लेकिन मैं कहता हूं: ''कि क्या वे 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं।''

महोदय, डी.डी.ए. घोटाले के मामले में वे एक व्यक्ति और पूर्व न्यायाधीश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाये और अन्य मामलों में उनके पास 30, 40 या 50 दिनों के भीतर अभियोग पत्र दाखिल करने का समय होता है। यदि मैं यह अभियोग लगाऊं कि सुभाष शर्मा के उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं से सम्पर्क थे और दिल्ली के चुनावों से पहले उसने विभाग को यह कहते हुए धमकी दी थी कि 'यदि मुझे जमानत पर नहीं छुड़वाया गया तो मैं और तथ्य बता दूंगा', यही कारण था कि उन्हें जमानत दिलाने की व्यवस्था की गयी। मैं कह रहा हूं कि 'यदि मैं दोष लगाऊं।'' यदि कोई व्यक्ति ऐसा दोषारोपण करता है तो सी.बी.आई. अपनी विश्वसनीयता कैसे कायम रखेगी? सरकार इस मामले में सुरक्षा कैसे कर पायेगी? सरकार आसानी से कह सकती है कि सी.बी.आई. एक स्वतंत्र निकाय है और वह नहीं जानती कि सी.बी.आई. कब अभियोग पत्र दाखिल करेगी या नहीं।

ऑडियो मामले में एफ.आई.आर. 48 घंटों के भीतर तैयार थी लेकिन वीडियो के मामले में 20 दिन भी पर्याप्त नहीं हुए और सुभाष शर्मा के मामले में 90 दिन भी पर्याप्त नहीं हो पाये। इसीलिए मैं कहता हूं कि सी.बी.आई. की विश्वसनीयता कम हो रही है। हमें इसे फिर से प्राप्त करना है।

महोदय, इस सम्माननीय सदन के एक पूर्व-सांसद श्री सज्जन कुमार पर 1984 के सिख दंगों में आरोप लगा था और दोषी सिद्ध हुए थे। बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन सी.बी.आई. ने यह कहते हुए अपील की: ''हम उन्हें छोड़ने का समर्थन नहीं करते। इस मामले में उनके शामिल होने के संदेह के कारण हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।'' इसके लिए मैं सी.बी.आई. का धन्यवाद करता हूं। उन्हें सदैव इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। 'हवाला मामले' में सी.बी.आई. को और उच्च न्यायालय में जाने से किसने रोका था, क्या उसमें कांग्रेस के मंत्री था उस ओर बैठे व्यक्ति सम्मिलित थे। चाहे नरसिंहराव हो देवगौड़ा हो या भाजपा का कोई मंत्री हो, जो भी दोषी हो उसे अभियुक्त बनाया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें सी.बी.आई. की विश्वसनयता कायम रखनी चाहिए।

सज्जन कुमार के मामले में सी.बी.आई. उच्चतम न्यायालय में अपील करती है। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में रायबरेली न्यायालय ने डा. मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ आरोप तय किए और उन्होंने दु:ख के साथ त्यागपत्र दे दिया। लेकिन जब रायबरेली के उसी न्यायालय ने श्री आडवाणी को आरोपमुक्त कर दिया तो सी.बी.आई. ने अपील नहीं की। सी.बी.आई. श्री आडवाणी के मामले में अपील नहीं करती है। हम इस कार्य को औचित्यपूर्ण कैसे ठहरायंगे?

अत: प्रधान मंत्री जी इस सभा में इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे कि उनकी अपनी स्वायत्तशासी जांच एजेंसी, सी.बी.आई. एक न्यायालय में एक मंत्री के विरुद्ध कुछ बोलती है और दूसरे न्यायालय में एक अन्य मंत्री के विरुद्ध कुछ और कहती है तथा इस विवाद के सारे तर्कों को बदल देती है? यदि डा. मुरली मनोहर जोशी यह कहते हैं: ''आप जो आरोप लगा रहे हैं वे गलत हैं; मैं इससे ऊपर के न्यायालय में जाऊंगा'', तथा उसी मंत्रिपरिषद के एक मंत्री होने पर, वही एजेंसी और वही सरकार, यह कहते हुए कि श्री आडवाणी को क्यों रिहा किया गया, इससे ऊपर के न्यायालय में अपील नहीं कर सकती।

यहीं आशंका पैदा होती है और यही प्रश्न उठता है। लेकिन मैं भी समझता हूं। यदि यह हमारे साथ हुआ होता तो, मेरे विचार से, संसद को 19 दिन तक नहीं चलने दिया जाता। ये इस प्रकार सी.बी.आई. की साख को नष्ट कर रहे हैं। मैं इनसे ऐसा न करने का अनुरोध करूंगा।

श्री जूदेव दोषमुक्त हो सकते हैं या दोषी ठहराये जा सकते हैं। मुद्दा यह नहीं है। उस संस्थान की अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे। आइए राष्ट्र के सामने एक ऐसी विश्वसनीय तस्वीर प्रस्तुत करें कि यहां एक ऐसी जांच एजेंसी है जो कि निर्भय है।

अत:, संसद के लिए समय आ चुका है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे आने वाले दिनों के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। चाहे हम सत्ता में हों या वे सत्ता में हों, हम सी.बी.आई. को एक उद्देश्यपरक निर्भय जांच एजेंसी बनाने हेतु उसे अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे नागरिक इस पर उसी प्रकार गर्व कर सकें जिस प्रकार अमरीका के नागरिक एफ.बी.आई. पर गर्व करते हैं या जैसे इंग्लैंड के लोग स्कॉटलैंड यार्ड पर गर्व करते हैं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आगे कहा है:

''जैसा कि माननीय संसद सदस्य जानते हैं कि सी.बी.आई. को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और हाल ही में लागू किए गए

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सी.बी.आई. के अधीक्षण का कार्य सौंपा है।''

अवैध रूप से धन स्वीकार करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध है।

श्री बंगारू लक्ष्मण इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। यह हो सकता है कि वे अपने भोलेपन या कैमरे की करामात का शिकार हुए हों। लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया या उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। हम जिस प्रकार कारगिल मुद्दे पर चिल्ला रहे थे उसे देखिए। चुनावों के दौरान हमारी देशभक्ति इस प्रकार उमड़ पड़ती है कि देखें बलिदान देने के लिए कौन सबसे अधिक चिल्ला सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में उन्हें 24 घंटे के अंदर-अंदर वर्दीधारी लोगों का कोर्ट मार्शल करने का समय मिल गया। जो लोग वर्दीधारी नहीं थे, जिन्हें धनराशि लेते हुए दिखाया गया जिन्हें टेप में 'पैसों के लिए बातें' करते हुए दिखाया उन्हें उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज करने का समय भी नहीं मिला। आज तक, सी.बी.आई. या इस सरकार ने दिल्ली में किसी भी स्थान पर एक भी मामला दर्ज नहीं कराया है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम दिल्ली में तो मामले दर्ज कराए जाएं लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।

श्री आर.के. गुप्ता कहां हैं वे लोग कहां हैं जो रक्षा मंत्री जी के घर पाए गए थे? मैं रक्षा मंत्री जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अपितु उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो रक्षा मंत्री जी के घर थे। वहां कुछ नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि सरकार सक्रिय है। वर्दीधारी लोगों का कोर्ट-मार्शल किया गया है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या होता है जो वर्दी में नहीं है? वे आपके साथ हो सकते हैं या वे हमारे साथ हो सकते हैं। लेकिन क्या इस संसद को इस रुझान को बढ़ावा देना चाहिए? क्या इस संसद को मौजूदा या कल आने वाली सरकार के इस प्रकार के व्यवहार का समर्थन करना चाहिए? क्या इस देश में इस प्रकार से चीजें घटित होंगी? यह नैतिकता के विरुद्ध है और यह पारदर्शिता की वास्तविक व्याख्या को बिगाड़ने जैसा है। आज सरकार यही कर रही है।

प्रधान मंत्री जी सभा को इस बारे में विश्वास में लें कि वर्दीधारी व्यक्ति अर्थात सैन्य अधिकारियों को सजा क्यों दी गई है और असैन्य व्यक्ति के विरुद्ध एक मामला भी दर्ज क्यों नहीं किया गया। आज यह प्रश्न है। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए, क्या आज तक या प्रधानमंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने तक सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला शुरू किया? उनकी अपनी एजेंसी ने वक्तव्य दिए जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं किया था। मैं इस सभा में प्रधानमंत्री जी के नैतिक प्रभुत्व को कम करते हुए केवल यह कह सकता हूं कि मेरे महान प्रधानमंत्री अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता में, अपने कैरीयर में महान हैं लेकिन वे असहाय हैं। किस कारण से? इस बात का निर्णय रा.ज.ग. को लेना है।

तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी ने कहा: 'इसलिए, इस जांच की स्वतंत्रता के संबंध में कोई भय या भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, अंत में आप या यह सरकार इस बात का निर्णय ले सकती है कि क्या मैंने इस बहस के विषय से हटकर कुछ कहा है।

मुझे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल इसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे खेद है; मैं कल उनका भाषण सुनने से वंचित रह जाऊंगा; मैं अपनी किन्हीं अन्य व्यस्तताओं के चलते कल सदन में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे किसी 'क', 'ख' या 'ग' पर कीचड़ न उछाले। अब समय आ चुका है कि हम सार्वजनिक जीवन की साख बेहतर बनाएं और सी.बी.आई. की साख को भी ऊपर उठाएं।

यदि हम कांग्रेस के लोग अपने शासनकाल के दौरान इसमें असफल रहे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इसे करें जिससे कि इस राष्ट्र को यह विश्वास हो सके कि संसद केवल राजनैतिक बढ़त हासिल करने के लिए नहीं है अपितु इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है जिससे कि जब भविष्य में 18-30 वर्ष की आयुवर्ग के लोग जब वहां आए तो यह कहते हुए इस संसद को सलाम करेंगे कि किसी ने आतंकवादियों से लड़ते हुए इस संसद की रक्षा हेतु इसके द्वार पर अपने जीवन का बलिदान दिया था और किसी ने उस संसद में एक परंपरा स्थापित की जिसे हम एक मंदिर मानकर उसमें प्रवेश कर रहे हैं।

आइये, हम इस मामले को मात्र कांग्रेस या भाजपा के विरुद्ध राजनैतिक नारे लगाने वाला एक साधारण मामला न मानें। मंत्रिपरिषद की पूर्ण जिम्मेदारी के संदर्भ में प्रधानमंत्री पहले ही दिन सभा को विश्वास में लेने में असफल रहे। प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिव द्वारा सी.बी.आई. को दिए गए निदेशों की जांच करने में असफल रहे कि रिश्वत के मूल मुद्दे को पहले लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात उसकी छानबीन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, विभिन्न मामलों, विशेषकर श्री आडवाणी के मामले में सी.बी.आई. के दबाव में काम करने का संज्ञान लेने में असफल रहे। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था: उन्होंने मेरे पत्र की पावती भेजी थी। कम से कम अब वह समय आ चुका है कि वे स्वयं को निर्दोष साबित करें

तथा सी.बी.आई. की स्वायत्ता का औचित्य ठहराएं। सी.बी.आई. को श्री आडवाणी को रायबरेली न्यायालय से रिहा किए जाने के विरुद्ध अपील करनी चाहिए। वे उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। हम सभी को भुला दिया जाएगा इतिहास में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखा जाएगा। हम सभी को भुला दिया जाएगा। किसी जूदेव, किसी अजीत जोगी, वीडियो, पी.आर. दासमुंशी और किसी विपक्षी संसद सदस्य को याद नहीं रखा जाएगा अपितु यदि वे अपने उप-प्रधान मंत्री या बाहरी ताकतों के दबाव में आए बगैर अपना सामर्थ्य दिखा पाते हैं तो उन्हें याद रखा जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो मुझे खेद है कि हम यह रिकॉर्ड करेंगे कि एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने 40 दलों के गठबंधन के साथ इस देश पर पांच वर्ष तक शासन किया परन्तु महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत धीमी गति से कार्यवाही होती रही तथा वह, कम से कम भ्रष्टाचार से लड़ने के मामले में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उदाहरण स्थापित नहीं कर सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): श्री पी.आर. दासमुंशी के विशदपूर्ण और भावनात्मक भाषण के पश्चात मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुझे इस चर्चा में बोलने के लिए कहा गया है। प्रधान मंत्री का वक्तव्य पूर्वाह्न में दिया गया था और उसे लगभग साढ़े चार घण्टे बीत चुके हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय मुझे याद है। यह मामला एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता से संबंधित था जो उस दौरान मंत्री था और यह मामला लगभग आठ या दस वर्ष पहले का है। यह खनन पट्टे से संबंधित था जहां उस व्यक्ति द्वारा धन दिया जाता था जो कि खान मालिक होता है और जो उस समय मंत्री था। यह मामला आठ से दस वर्षों तक चलता रहा। अंतत: जब निर्णय आया तो स्थिति इतनी सोचनीय थी कि मंत्री को दोषी पाया गया क्योंकि उसने रिश्वत दी थी। निर्णय यह था कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि रिश्वत लेने वाला है। यह मामला निस्सन्देह उच्चतम न्यायालय तक गया और मंत्री को बरी किया गया और दोबारा वह मंत्री बन गये।

यहां इस सभा को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि रिश्वत लेने वाले पर भी वस्तुत: मुकदमा चला और रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चला। यह मुख्य वजह है जिसके कारण मुझे पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इन परिस्थितियों की जांच कर रही है कि रिश्वत देने वाला कैसे सामने आया। 16 और 17 नवम्बर को मैंने उन वीडियो टेपों को देखा है। उनमें दिखायी नहीं दे रहा था। हमें उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। उसमें दिखायी नहीं दे रहा था। सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं चूंकि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच का भाग है। परन्तु श्री दासमुंशी जी ने किसके बारे में बताया है? उन्होंने एकदम स्पष्ट नोट से प्रारम्भ किया था। मैं उस पक्ष का समर्थन करता हूं। उन्होंने 'मुन्द्रा' घोटाले के बारे में बताया था। आपने भी अपने भाषण में उन घटनाओं के बारे में बताया है जो विगत 50 वर्षों में हुई है। मात्र 'मुन्द्रा' घोटाला ही नहीं बल्कि नटवरलाल भी काफी समय तक मीडिया में छाया रहा। एक व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया गया जो कि प्रशासन में एक ऊंचे ओहदे पर था। यह चर्चा इस सभा में और बाहर भी चली थी कि उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया और उससे प्रश्न क्यों नहीं पूछे गये ये बातें हो रही हैं।

बोफोर्स के दोषी अभी भी वस्तुत: स्वतंत्र घूम रहे हैं। उन्हें अभी पकड़ा जाना है। मैं इस बात से सहमत हूं जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है कि मंत्रियों और पदाधिकारियों के लिए एक आचार संहिता लागू करनी होगी। यह इस सभा द्वारा किया जाना है। इससे मुझे कुछ 25 वर्षों पूर्व का एक वक्तव्य याद आता है। यह कहा जाता था कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी घटना है। यह सब जगह हो रहा है। यह जापान में भी हो रहा है, यह इटली में भी हो रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हो रहा है और यह ग्रेट ब्रिटेन में भी हो रहा है। उस समय इन लोकतांत्रिक देशों में भ्रष्टाचार संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की गयी थी। लोगों को कैमरे पर पकड़ा जा रहा था। तब यह स्थिति थी। अब हमारे देश में चाहे आडियो पर या वीडियो पर घटता नजर आ रहा है परन्तु चीजें प्रकाश में आ रही है। इससे फिर मुझे एक वक्तव्य की याद आ रही है जो कि स्कूली दिनों में मेरे विज्ञान के शिक्षक कहा करते थे कि तुम उसी पर विश्वास करो जो तुम देखो। इस प्रकार प्राथमिक और हाईस्कूल के छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आंखों देखे पर विश्वास होता है।

महोदय, इससे मुझे एक घटना की याद आ रही है जो मेरे जिले के कस्बे में घटी थी। वह व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी था। बाद में वह मंत्री बन गया। वह बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास उसके संसदीय क्षेत्र में घूमने के लिए एक साईकिल थी। उन दिनों उसने एक रिक्शा किराये पर ले लिया। वह कभी भी किसी डीलर या ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं देता था जो सरकार से किसी भी गैरकानूनी तरीके से मदद लेना चाहता था। एक सुबह उसके घर के आगे काफी लोग इकट्ठे हो गये। एक औरत भी वहां आयी। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि जो देखो उसी पर विश्वास करो। यह घटना वर्ष 1969 में किसी समय घटी थी। परन्तु इस घटना ने मेरी स्मृति में बस गयी है। मैं हमेशा इस घटना का संदर्भ देता हूं क्योंकि मेरे विज्ञान के शिक्षक इस पर बल देते थे कि जो देखो उसी पर विश्वास करो और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्रयोगशाला में आप कुछ चीजों को मिलाते हैं और परीक्षण करते हैं और तब

[श्री भर्तृहरि महताब]
निष्कर्ष पर आते हैं। वह औरत अपने हाथ में खादी की चादर लपेटकर वहां आयी। वह मंत्रीजी लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, उनके साथी टिप्पणियाँ लिख रहे थे और तब वह तत्क्षण और वहीं पर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वह इस औरत के पास आये और उससे उसकी समस्या पूछी। वहां कुछ लोग उस औरत का चरित्र जानते थे। वह चरित्रहीन औरत थी। उसने मंत्रीजी को खादी की चादर दी और सम्मान व्यक्त किया और कहा कि उसे और कुछ नहीं कहना है। सम्पूर्ण भीड़ चकित रह गयी। तब उसने कहा कि वह खादी की चादर उसके घर भूल गये थे। यह जो देखो उसी पर विश्वास करना है। हम वीडियो पर, फोटो में कई चीजें देखते हैं और जो लोग सार्वजनिक जीवन में है उनके बारे में हम बहुत सी बातें भी सुनते हैं। आप थोड़ी कल्पना करो कि उस व्यक्ति का क्या हुआ होगा। भाग्यवश, वह मंत्री उस औरत को नहीं जानता था। परन्तु उसके संसदीय क्षेत्र के जो लोग उसके घर के पास एकत्रित थे उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा और जब वे उसके घर से बाहर आये तो उन्होंने उसके बारे में क्या बातें की होगी? उन्होंने सोचा होगा कि यह व्यक्ति जो देश के लिए लड़ा था और ब्रिटिश काल के दौरान जेल भी गया था वह अनैतिक चरित्र का हो सकता है।

यह बात 1971 के अगले चुनावों का मुख्य चुनावी मुद्दा बन गयी। आप एक व्यक्ति को कई प्रकार से कलंकित कर सकते है। इस कारण इसकी जांच की आवश्यकता है कि षडयंत्र के पीछे कौन हैं। इससे मुझे दो बातें और याद आयी दो बातें जिनके बारे में बताया गया। एक तो बिना किसी दल से संबद्धता के दोनों तरफ से तुलना की गई है। जांच संबंधी दो तुलनाएं की गई हैं। एक रायपुर की घटना से संबंधित है और दूसरी यहां दिल्ली में हांटल की घटना से संबंधित है।

इससे मुझे और दो घटनाओं की याद आ रही है जो कि सं. राज्य अमेरिका में घटी थी। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को जॉन एफ. केनेडी की याद दिलाना चाहता हूं। उनकी हत्या से पूर्व और उनकी हत्या के बाद एक आडियो कैसेट चर्चा में था। अगले चुनाव के दौरान यह चर्चा का मुख्य विषय था। यह भी कहा गया था कि यह आडियो टेप किसी गुप्त संगठन के लोगों द्वारा अत्यंत गुप्त तरीके से तैयार किया गया था। यह आडियो कैसेट रिकार्ड की गयी और वह मिल भी उसका मिलान किया गया। कुछ बातें जो उसने उस व्यक्ति से नहीं कही थी परन्तु मेरीलीन मोनरो नामक महिला को कही थी वह उसमें डाल दी गयी और वे उसी प्रकार सुनायी दी जैसे उसने किसी और से कही थी। और एक लंबी जांच के पश्चात सभी बातें सार्वजनिक हुईं परन्तु नुकसान हो चुका था। एक अन्य आडियो भी तैयार किया गया था जो 'वाटरगेट' घोटाले के नाम से विख्यात हुआ वह भी बहुत गुप्तरूप से किया गया था। मीडिया को धन्यवाद क्योंकि वह इसे प्रकाश में लाया क्योंकि यह सार्वजनिक प्रयोग के लिए प्रसारित किया गया था। यहां आप दो प्रकरणों के बीच तुलना कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों ही मामले अनैतिक हैं। किसी उद्देश्य के लिए आप किसी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी के फंसाना चाह रहे हो, यह गैर-कानूनी और अनैतिक है। मैं नहीं कह सकता कि यह नैतिक तरीके से किया गया। लेकिन साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला जाए कि यह किस उद्देश्य से किया गया था? उद्देश्य यहां केवल सार्वजनिक हित था। यदि उद्देश्य चोरी-छुपे कुछ करने का था और जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता तो वह उद्देश्य समाज के लिए अच्छा नहीं। श्री जूदेव के मामले में जिस व्यक्ति ने वह किया और जिसने वह रिकार्ड किया उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसे सार्वजनिक किया जाना है। उसने आगे आ कर घोषित नहीं किया कि वह उसने किया है। लेकिन जिसने रायपुर में रिकार्डिंग की वह खुल कर सामने आया। जॉन. एफ. केनेडी का भी कुछ ऐसा ही मामला है जिन्हें अपने आप को सार्वजनिक करना है। इसलिए केनेडी से संबंधित जो भी कहा जाता है उसे अमेरीका के लोग स्वीकार नहीं करते लेकिन राजनैतिक उद्देश्य से श्री निक्सन ने उसकी एजेंसी का प्रयोग किया लोगों ने अब स्वीकार कर लिया है। यही मुख्य अंतर है।

मैं अब एक अन्य बिन्दु का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां अनेक बातें कही गयी है। सीबीआई वाले हिस्से पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन विश्व में दो तरह की न्यायिक प्रणालियां हैं। हमारे विद्वान सदस्य उनसे परिचित हैं। हम ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली का पालन करते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली पर आधारित है। दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ मामले संसद ने फ्रांस की न्यायिक प्रणाली में बदल दिए हैं। श्री साहू मेरी बात से सहमत होंगे कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि व्यक्ति दोषी है, तब तक वह निर्दोष है, यही मुख्य अंतर है और यही ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली है। लेकिन फ्रांस की न्यायिक प्रणाली में जो पकड़ा जाता है उसे साबित करना होता है कि वह निर्दोष है।

आप यहां क्या करना चाहते हैं? कैमरे द्वारा व्यक्ति पकड़ा जाता है, सार्वजनिक रूप से तुरंत उस पर कलंक लग जाता है और हम उससे घृणा करने लग जाते हैं। लेकिन इस देश में ऐसी न्यायिक प्रणाली मौजूद नहीं है। अगर फ्रांस की न्यायिक प्रणाली यहां होती तो जो कुछ मैंने कहा वह नहीं कहता। अपने कानून के अनुसार व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। इस संबंध में अपनी दंड प्रक्रिया संहिता बिलकुल स्पष्ट है। इसलिए जांच की आवश्यकता होती है।

इस बारे में अनेक प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अभी तक सी.बी.आई. प्राथमिक जांच ही क्यों कर रही है और एक नियमित

मामला आरंभ क्यों नहीं किया गया। मंत्री जी ने 17 नवम्बर को त्यागपत्र दिया और 18 नवम्बर को मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया गया। चूंकि नियमित मामला अभी तक शुरु नहीं हुआ है इसलिए हम जेपीसी चाहते हैं ऐसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। इसमें जेपीसी कैसे मदद कर सकती है? उन्होंने पूछा कि अभी तक आरोप पत्र क्यों नहीं दायर किया गया। वे लोग जो ये प्रश्न उठा रहे हैं वे सीबीआई के कार्यकरण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब किसी अन्य बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो कृपया प्रणाली को दोषी न ठहराएं।

एक समय था जब उत्पाद शुल्क में रियायत, कर के अपवंचन में मदद करना या किसी विशेष परियोजना के अनुमान या समर्थन में बजट के अंदर उसे बढ़ाना आदि भ्रष्टाचार का रूप होता था। मामलों की जांच की गई और लोग आशंकित थे। ऐसा 10, 20 या कहिए 30 वर्ष पहले होता था। यह सीधे लोगों को प्रभावित नहीं करता था।

जब श्री येरननायडू ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया तो मुझे दस वर्ष पहले की स्थिति याद आ गई। माननीय सभापति महोदय आपको खुद सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव है। दस वर्ष पहले क्या स्थिति थी?

क्रिकेट के क्षेत्र में कैसी घटनाएं हो रही हैं उसके संबंध में मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। पांच या छह वर्ष पहले क्या हुआ था? वीडियो में सब स्पष्ट हो गया। किसी ने आरोप लगाए। किसी भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि खेल को जीतने या हारने में पैसे का लेन-देन होता रहा है। यह भी भ्रष्टाचार का भाग है। जांच की गई। आडियो-वीडियो टेप दिखाई गई, ऐसा क्रिकेट में हुआ। लेकिन अब हम सुनते हैं कि टीम में आने के लिए पैसे की पेशकश की जाती है इस मामले में कपिल देव जैसे खिलाड़ी ने खुल कर कहा। इलैक्ट्रानिक मीडिया में यह देख कर कि क्रिकेट टीम में चुने जाने के लिए पैसे की पेशकश की गई इससे मुझे बड़ी निराशा हुई। बीसीआई इस मामले की जांच कर रही है। किस स्तर तक हम गिर गए हैं। आए दिन सार्वजनिक जीवन के लोगों को कलंकित किया जा रहा है। ये खिलाड़ी ही अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर हमें सचमुच गर्व है। क्या इस देश का स्तर इतना गिर गया है कि टीम में आने के लिए पैसे की पेशकश की जाती है और वह लिया भी जाता है? उस समय मैंने केवल समाचार पत्रों के माध्यम से श्री कपिल देव के बयान को जाना जो उस व्यक्ति के समर्थन में खुल कर बोले थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम यहां माननीय प्रधान मंत्री के बयान तक ही सीमित रख रहे हैं।

मैं उड़ीसा से हूं। क्रिकेट खेलने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए हमारे राज्य से निम्न मध्य वर्ग के लोगों को चुना गया। हमारे राज्य में माता-पिता में से केवल एक ही जीविका चलाता है। हमारे राज्य से अगर देवाशीष मोहंती या शिव सुंदर दास भारतीय टीम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए चुने जाते हैं तो मैं कैसे विश्वास करूं कि टीम में चुने जाने के लिए खिलाड़ी पैसे देते हैं? हमें समाज में सकारात्मक पहलू को भी देखना चाहिए।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आज समस्या उस व्यक्ति की है जो कार्यालय में है। उससे आशा की जाती है कि अपेक्षा के वह अनुरूप हो। हालांकि इसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं। कुछ लोग गैर-कानूनी तरीके से पैसे बनाते हैं। उन लोगों को सजा देने के लिए समाज हमेशा सतर्क रहता है। केवल सतर्क समाज ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकता है।

हमारे गांवों में प्राय: ये प्रश्न पूछा जाता है कि महोदय आपने भी अपने गांव में यह सुना होगा-क्या आप पता लगा सकते हैं कि जब मछली तालाब में होती है क्या वह पानी पीती है या नहीं?" हमारे समकक्ष व्यक्तियों ने प्राय: यह प्रश्न पूछा है। इस बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो मामलों पर निर्णय देता हो, उसे श्रेष्ठ होना चाहिए। यह साबित करना उस पर निर्भर करता है और इसे राम राज्य कहा गया है। वह कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करता है? पारदर्शी समाज में कुछ भी नहीं छुपता, विशेषकर अपने समाज में कुछ भी छिपा नहीं रहता। अपने भाषण के शुरू में मैंने एक व्यक्ति का संदर्भ दिया था, एक स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व मंत्री जो अभी जीवित है। लोग अभी भी उसकी इज्जत करते हैं। भले ही वह चुनाव हार गए हों, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अभी भी उनका आदर किया जाता है। ये समाज ऐसे ही लोगों को देखना चाहता है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि भारत 'बनाना गणतंत्र' नहीं है कि आप किसी को भी पकड़कर, मुकदमा चला कर, बिना किसी जांच के जेल में डाल दे। यह देश का कानून नहीं है। यहां जीवन्त लोकतंत्र है और एक जीवन्त लोकतंत्र में न्यायपालिका और जांच एजेंसी को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस जांच की स्वतंत्रता के बारे में कोई भय अथवा भ्रम नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं समझता कि जे.पी.सी. का गठन किया जाए। दोहरी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय सभापति महोदय, मैं, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय अध्यक्ष को हार्दिक धन्यवाद देता हूं

[श्री अजय चक्रवर्ती]
कि उन्होंने इस सभा में वर्तमान सरकार के मंत्री के भ्रष्ट आचरण के बारे में चर्चा करने की अनुमति दी है।

दो दिन के बाद, माननीय प्रधान मंत्री सभा में आए और एक वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने इस सम्माननीय सभा को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी भी गलत काम करने वाले, भ्रष्ट कार्यों में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दृढ़ संकल्प है। उनके वक्तव्य के अंतिम भाग में यह कहा गया है कानून अपना काम करेगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस घटना के लगभग एक माह बीत जाने के बाद कानून ने क्या कार्यवाही की है। कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले में अब तक कोई प्रथम दृष्ट्या रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। मैं श्री अजित जोगी का बचाव नहीं कर रहा हूं। उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए और गलत कार्यों में लिप्त सभी लोगों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो श्री दिलीप सिंह जूदेव, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिद् में एक मंत्री थे, के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या रिपोर्ट अंथवा मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया।

महोदय, यह सर्वविदित है कि श्री दिलीप सिंह जूदेव उस समय कैमरे में पकड़े गए जब वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पट्टे पर खनन अधिकार देने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया कम्पनी के एक एजेंट से पैसा लेते रहे थे। यह बहुत शर्मनाक है कि श्री दिलीप सिंह जूदेव ने मीडिया में अपनी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और शहीद भगत सिंह से करके अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, जिन पर राष्ट्र को गर्व है, विभिन्न लोगों से धन लिया और उन्होंने विशेषरूप से कहा कि महात्मा गांधी ने बिरला कम्पनी से स्वतंत्रता संग्राम के लिए पैसा लिया था। अब छत्तीसगढ़ में अनुकूल परिणामों को देखते हुए मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रालय में उसी तरह वापस आ जाएंगे जैसे पहले रक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था.

महोदय, हमने तहलका मामले में क्या देखा था? तहलका के रिपोर्टर्स और कैमरामैन ने रक्षा मंत्रालय के भ्रष्ट आचरण को राष्ट्र के समक्ष उजागर किया था। इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे तहलका के कार्य पर गर्व है। रक्षा मंत्रालय के भ्रष्ट कार्यों को उजागर करने के लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनको धन्यवाद करने और बधाई देने की बजाय उन्हें परेशान किया जा रहा है और तहलका के कर्मचारियों, रिपोर्टरों तथा कैमरामैनों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 14 मामले दर्ज किये हैं।

महोदय, रक्षा मंत्री ने उस समय त्यागपत्र देते समय दूरदर्शन का दुरुपयोग किया था। उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष एक भाषण दिया था और कहा था कि वह तब तक मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं होंगे जब तक कि जस्टिस वेंकटस्वामी जांच आयोग द्वारा निर्दोष साबित नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने सभा के समक्ष भी आश्वासन दिया था कि रक्षा मंत्री को तब तक मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक जांच आयोग उन्हें निर्दोष घोषित नहीं करता। हम नहीं जानते हैं कि जांच आयोग का अब क्या होगा। हमारे रक्षा मंत्री, जो राजग के संयोजक भी हैं, कभी कुमारी जयललिता और कभी कुमारी ममता बनर्जी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस सरकार का अस्थिर न करें। अचानक, एक सुबह उन्हें श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्यकाल घोटालों और भ्रष्ट तरीकों से शुरु हुआ है और अभी भी घोटाले और भ्रष्टाचार जारी है। मेरी आशंका है कि उनका कार्यकाल भी भ्रष्टाचार और घोटालों के साथ समाप्त हो जाएगा। हमने अनेक घोटाले और भ्रष्ट सौदे देखे हैं। यहां एक संयुक्त संसदीय समिति थी जिसने शेयर बाजार घोटाले की जांच की थी। एक और राज्य मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था। मीडिया में बताया गया कि उन्होंने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि स्वीकृत करने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों से धन लिया था। इस तथ्य के बावजूद कि श्री वाजपेयी ने राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, यहां तहलका और अनेक घोटाले हुए हैं।

श्री दासमुंशी ने बताया कि जनता ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर अपना विश्वास क्यों खो दिया है। मैं समयाभाव के कारण उनके द्वारा कही गई बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सत्तारूढ़ दल इसका इस्तेमाल विपक्षी राजनैतिक दलों को परेशान करने के लिए कर रहा है।

जहां तक आपराधिक दण्ड संहिता के अंशों का संबंध है, जांच और छानबीन के बीच कोई अंतर नहीं है। श्री दिलीप जूदेव का मामला जांच प्रक्रिया के अधीन है जबकि श्री अजीत जोगी का मामला छानबीन के अधीन है। यह सरकार दोहरी भूमिका निभा रही है। उनका राजनैतिक दलों से द्वेष है। जब सरकार ने इस देश में 'पोटा' शुरू किया था तब विपक्षी दलों को आशंका थी कि इसका इस्तेमाल वह अपने विपक्षी राजनैतिक दलों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के विरुद्ध करेगी। वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत गए होंगे। लेकिन इस सरकार ने इस राष्ट्र की जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इतना ही नहीं,

श्री वाजपेयी सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार और घोटालों से भरा हुआ है। अनेक मंत्री भ्रष्ट तरीकों में लिप्त हो रहे हैं। यहां अनेक घोटाले होते रहे हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने प्रधान मंत्री से शिकायत की है कि इस मंत्रिमंडल के कम से कम छह मंत्री सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। सरकार की यह स्थिति है। श्री वाजपेयी यहां उपस्थित नहीं है। मेरे विचार से, वह कल उत्तर देंगे। वह तीन राज्य विधानसभाओं में चुनाव जीत गए हों, लेकिन वह जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। यह भ्रष्टाचार युक्त नहीं है। उनके अनेक मंत्री भ्रष्ट हैं। रोज, इलैक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मंत्रियों और सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उप प्रधानमंत्री ने भी श्री जूदेव का पक्ष लिया था। हमारे उत्साहित विधि मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष ने भी श्री जूदेव के कुकृत्यों का समर्थन किया था।

सायं 6.00 बजे

उनके मंत्रिमंडल में अब केवल एक जूदेव नहीं अपितु अनेक जूदेव हैं? यह सरकार आए या जाए और अन्य सरकार सत्ता में आए लेकिन राष्ट्र का भविष्य क्या होगा?

महोदय, मेरे विचार से आप दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बात को समझेंगे कि हमारे देश की आम जनता का राजनैतिक नेताओं तथा दलों पर से विश्वास उठ गया है। वे अब निराश हो रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप कितना समय और लेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्तीः महोदय, यह आप पर निर्भर करता है *...(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): हम कल जारी रखेंगे। इतना महत्वपूर्ण वाद-विवाद चल रहा है और यहां केवल कुछ सदस्य ही उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): सभापति महोदय, अभी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए आप सदन का समय बढ़ा दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतमः आप इस डिसकशन को कल पूरा कराइये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण डिसकशन है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीयाः सभापति महोदय, कल प्रश्न काल के तुरंत बाद प्रधान मंत्री जी का जवाब है इसलिए आप इस चर्चा को आज ही पूरा करा दीजिए। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, आप इस चर्चा को कल पूरा कराइये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीयाः अखिलेश जी, आप क्या बात कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सदन का समय एक घंटा बढ़ाने पर क्या सभी की सहमति है?

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्यः नहीं।

श्री के.ए. सांगतमः सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और सदन में कोरम भी नहीं है इसलिए आप इस डिसकशन को कल पूरा कराइये। *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीयाः सभापति महोदय, आप सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दीजिए। जो सदस्य बोलना चाहते हैं, वे आज बोल लें। कल प्रश्न काल के तुरंत बाद प्रधान मंत्री जी का जवाब हो जायेगा। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंहः यह धीमी गति का समाचार चल रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, इस विषय पर कोरम चाहिए। *...(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति महोदय, आप सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दीजिए क्योंकि कल 12 बजे प्रधान मंत्री जी को जवाब देना है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंहः सभापति महोदय, आप इस चर्चा को कल पूरा कराइये। आप अभी सदन को स्थगित कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सभापति महोदय, इतना सीरियस इश्यू है। सदन में कोई बड़ा लीडर नहीं है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर नहीं है। इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चर्चा को कल पूरा कराइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मैं कल अपनी बात जारी रखूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सभापति महोदय, कांग्रेस का एक भी बड़ा लीडर यहां नहीं है। सी.पी.एम. का लीडर नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल 12 बजे प्रधान मंत्री जी को जवाब देना है।

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: जब चर्चा ही पूरी नहीं होगी तब वह क्या जवाब देंगे? क्या उनका जवाब नहीं टला था। उनको जवाब कल देना था लेकिन उन्होंने आज जवाब दिया। आज वैसे भी कोरम पूरा नहीं है इसलिए आज सदन को स्थगित किया जाये। *...(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदय, जिस समय इस सवाल पर चर्चा की बात चल रही थी तब यह तय होने जा रहा था कि प्रधान मंत्री जी उसी शाम पांच या सवा पांच बजे इसका जवाब दे दें लेकिन हम लोग यह जानते थे कि यह चर्चा इतने गंभीर विषय पर हो रही है जिसमें सभी दल के लोग बोलना चाहेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस चर्चा को किसी भी तरह से छोटा किया जाये। इसलिए हमने यह तय किया कि आप पांच या सवा पांच की पाबंदी प्रधान मंत्री जी के ऊपर मत लगाइये क्योंकि इससे चर्चा छोटी होगी। चर्चा जितनी लंबी चलती है, उसमें जितने लोग बोलना चाहते हैं, वे आज बोल लें ताकि कल 12 बजे प्रश्न काल के तुरंत बाद प्रधान मंत्री जी अपना जवाब दे दें। विपक्ष का मौका देने के लिए हमने यह तय किया था कि प्रधान मंत्री जी कल जवाब देंगे। चर्चा आज खत्म हो जायेगी, यह पहली बार नहीं हो रहा। जब भी लम्बी चर्चाएं हम करते हैं तब हम छः बजे के बाद बैठकर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगले दिन आकर संबंधित मंत्री या प्रधान मंत्री जी चर्चा का जवाब देते हैं, उसी तर्ज पर यह तय हुआ था। अगर आज आप बंद करेंगे तब भी प्रधान मंत्री जी कल 12 बजे जवाब देगें। तब यह सवाल उठेगा कि कुछ लोग छूट गये हैं। बेहतर यह होगा कि छोड़ने की बजाय आज जो लोग बोलना चाहते हैं, वे बोलें। अब इनका कहना है कि कोई सीनियर लीडर नहीं है। इस समय सवा छः बज गये हैं। हम अपने दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को यहां छोड़कर जा रहे हैं। वे दोनों यहां बैठेंगे। प्रधान मंत्री कार्यालय से स्वयं श्री सत्यव्रत मुखर्जी यहां बैठे हैं जो बाकायदा उसके नोट्स ले रहे हैं। वहां कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके बावजूद हम यह कह रहे हैं कि आप आज चर्चा पूरी कर लीजिए। अगर छः बजे भी हाउस उठना है तो चर्चा पूरी समझी जाए। कल प्रधान मंत्री जवाब देंगे। अब आप तय कर लें। *...(व्यवधान)* अगर हाउस छः बजे समाप्त होगा तो चर्चा पूरी मानी जाएगी। *...(व्यवधान)* अगर ये बोलना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, अभी चर्चा चल रही है। इसे पूरा कैसे माना जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम: बहुत से सदस्य यहां उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप चर्चा चलाइए। सरकारी पक्ष की तरफ से दो कैबिनेट मंत्री भी बैठे हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय से उनके सहयोगी मंत्री भी बैठे हैं। *...(व्यवधान)* जब तक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, बोलें। चर्चा समाप्त होने के बाद हाउस उठे। 7-8 बजे या जब तक चर्चा चलानी है, चलाइए। कल बारह बजे प्रधान मंत्री चर्चा का जवाब दे देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): हमें, प्रधानमंत्री द्वारा वाद-विवाद में एक बजे उत्तर देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रधान मंत्री कल पांच बजे जवाब दे दें। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: कल पांच बजे नहीं हो सकता। कल लैजिस्लेटिव बिजनेस भी है। *...(व्यवधान)* जो चीजें बीएसी में तय होती हैं, वे कुछ यहां भी करनी होती हैं। सरकार को लैजिस्लेटिव बिजनेस भी करना है। विधायी कार्य का भी महत्व है। *...(व्यवधान)* कल विधायी कार्य का दिन है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बीएसी में तय हुआ था कि आज बहस पूरी होगी और कल जवाब होगा।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: क्या बीएसी में यह तय हुआ था कि बिना कोरम के हाउस चलेगा? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: छ: बजे के बाद कभी कोरम का प्रश्न नहीं उठता। अगर कोरम का प्रश्न उठाकर सदन उठाना है तो चर्चा पूरी समझी जाएगी और कल बारह बजे प्रधान मंत्री जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: बीएसी में यह तय नहीं हुआ था कि बिना कोरम के सदन चलेगा। ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री का यह जवाब ठीक नहीं है कि कोरम नहीं है, इसलिए आज चर्चा पूरी मान ली जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: सभापति महोदय, अगर ये इतने कायदे-कानून की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम 193 के अंतर्गत समय अवधि तय है और उस समय अवधि में अगर बहस पूरी नहीं होती तो चर्चा समाप्त मानी जाती है। ...*(व्यवधान)* क्या ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? इनको इतना सहयोग करना चाहिए। ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: ये दस मिनट से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

सभापति महोदय: छ: बज गए हैं। छ: बजे के बाद सभा की सहमति है या नहीं, यह विषय है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर अखिलेश बाबू कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं तो यह भी सुन लें कि विधायी कार्य में कोरम जुटाना सरकारी पक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन चर्चा विपक्ष ने मांगी है और अगर विपक्ष कोरम नहीं जुटा पा रहा, चार आदमी बैठे हैं, वे कहते हैं कि आज कोरम नहीं है इसलिए हाउस उठा दें। अगर लैजिस्लेटिव बिजनेस होता तो कोरम जुटाना मेरी जिम्मेदारी थी। विपक्ष चर्चा मांगता है और कोरम का प्रश्न भी उठाता है। दोनों चीजें नहीं चलेंगी। ...*(व्यवधान)* आप चर्चा मांगते हैं और आप ही कोरम का सवाल उठाते हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: संसदीय कार्य मंत्री गलत तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप चर्चा मांगते हैं और कोरम का सवाल उठाते हैं। आप चर्चा से भागना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: प्रधान मंत्री को कल एक बजे उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिन्होंने चर्चा मांगी है, वे बैठे हैं। इन्हीं के साथी चर्चा मांगें और ये कोरम का प्रश्न उठाएं तो सब कुछ इनकी कैसे चलेगी। रामजीलाल सुमन जी इन्हीं की पार्टी के हैं। वे चर्चा मांगते हैं और ये कोरम का सवाल उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, ये हमारी वैधानिक स्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। ...*(व्यवधान)* यह व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* मैं संसदीय कार्य मंत्री के कथन पर घोर आपत्ति प्रस्तुत करता हूं। इनके द्वारा कहा जाना कि कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही चलेगी, यह कहां तक नियम के अनुकूल है, इसे आप स्पष्ट कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: सभापति महोदय, कोरम की जिम्मेदारी विपक्ष की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच मुनियप्पा: यह सुनिश्चित करना सभा का उत्तरदायित्व है कि सभा में गणपूर्ति हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: चर्चा आपने मांगी है और कोरम का सवाल आप उठा रहे हैं। मेरी आपके सवाल पर घोर आपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं और बिना कोरम के सदन की कार्यवाही चलाना चाहती हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): चर्चा उठाने वाले ही सदन में मौजूद नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): चर्चा उठाने वाले ही सदन में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: चर्चा उठाने वाले हों या न हों, मैं सीधे यह कहना चाहता हूं कि मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी के इस कथन पर घोर आपत्ति है। वह नियमों के विरुद्ध सदन को चलाना चाहती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे भी सख्त आपत्ति आपके कोरम का सवाल उठाने पर है। ...*(व्यवधान)* आप चर्चा मांगते हैं और चर्चा के प्रति गंभीर नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोरम बैल बजाई जाए।

[अनुवाद]

घंटी बजाई जा रही है।

सायं 6.15 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: हमने दो बार कोरम बैल बजाई थी। सभा में गणपूर्ति नहीं है। अतः, मैं सभा स्थगित करने हेतु विवश हूं। सभा कल, 11 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2003/20 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.37.7/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।